राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04]   पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चवालीसवां दिवस   [संख्या: 22

शनिवार,

07 मार्च 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: 131, श्री संयम लोढ़ा।

आबूरोड नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत आबूरोड नगरपालिका के भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाबत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है माननीय सदस्य के द्वारा आबूरोड नगरपालिका में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान इस प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131(ए) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी की शर्तें दी हुई हैं। पहली शर्त जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी प्लीज, अध्यक्ष की व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। आप सीनियर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था पर कोई चर्चा सदन में नहीं हो सकती है। आप 131 पर अपना स्टेटमेंट दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपके आदेश से बंधा हुआ हूं लेकिन मेरी अर्ज तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष: चैम्बर में, हाउस में नहीं। आप प्लीज, आप सीनियर लीडर हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप जो निर्णय करेंगे, मैं उसी निर्णय...

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर लीडर हैं, प्लीज। अध्यक्ष की व्यवस्था..

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर आपने, आपकी व्यवस्था को मानता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज मैं खड़ा हूं। आप प्लीज बैठिए। मैं खड़ा हुआ हूं तो व्यवस्था क्या? मैं खड़ा रहूंगा तो मैं ही बोलूंगा, श्रीमान। अब बोलिए क्या बोलना है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी व्यवस्था को मानता हूं साहब, लेकिन अपनी बात कुछ कहना चाह रहा था इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस चीज का दूसरे माननीय सदस्य कहीं फायदा नहीं उठाएं। एडमिसिबिलिटी, एक..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप यह बात मुझे चैम्बर में आकर कहें, आपको पूरा अधिकार है। सदन में इस पर चर्चा नहीं होती है। आपकी भावनाओं को मैं समझ गया। आप 131 पर बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं चर्चा नहीं करवाना चाहता। मैं तो अपनी तरफ से अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर मैं कह रहा हूं रिकार्ड नहीं होगा। आप इस परम्परा को नहीं डालें। अध्यक्ष की व्यवस्था के संबंध में आप चैम्बर में आकर अपनी बात कहें। यह ऐसे नहीं हो सकता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ठीक है साहब, मैं आपकी बात को मानूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आबूरोड नगरपालिका कार्यालय में मौज मानपुर स्थित भूखण्ड संख्या 412 के नामान्तकरण हेतु पत्रावली प्राप्त होने पर सात दिवस की आपत्ति सूचना जारी की गई। मियाद पूर्ण होने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में पट्टा ग्राम पंचायत आकराभट्टा का जारी होने से पट्टे की विधिक रिपोर्ट, पालिका विधिक सलाहकार से ली गई। विधिक सलाहकार की रिपोर्ट में बताया गया कि पट्टा ग्राम पंचायत आंकरभट्टा द्वारा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर शुल्क जमा करके विधिवत जारी होना बताया गया है। विधिक सलाहकार द्वारा राय प्रदान की गई कि उक्त पट्टाधारी कान्हा पुत्र रूप जी राजपूत के विधिक उत्तराधिकारी पुत्र-पुत्रियों में से पुत्रियों ने जरिये पंजीकृत हक त्याग विलेख से अपना हक त्याग दिया है। उसके पश्चात् बचे उत्तराधिकारी पुत्रों ने सर्वाधिकारी पत्रधारी प्रदीप मिश्रा के मार्फत दिनांक 01/06/2018 को प्रार्थी को विक्रय कर दिया है जिसका विलेख उप-पंजीयक, आबूरोड में पंजीकृत हुआ है। प्रकरण नामान्तरकरण होने से मालिकाना हक के परिवर्तित नामों की चेन को भी देखा जाना होगा तथा उक्त प्रकरण के मालिकाना हक के नामों की चेन पूर्ण है। वर्तमान में प्रभावी वैध रूप से पंजीकृत वैध विक्रय विलेख के माध्यम से प्रार्थी ही उक्त पट्टा नंबर 66 दिनांक 29/08/1972 का कान्हा पुत्र रूप जी का एकमात्र स्वामी है, जिसके नाम का नामान्तरकरण करने में कोई विधिक आपत्ति नहीं है। नामान्तरकरण किया जाना न्यायोचित है। तत्पश्चात् प्रकरण में राशि जमा कराकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है।

नंबर दो इश्यु, इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बोर्ड की बैठक दिनांक 06/05/2006 के प्रस्ताव संख्या 3 की स्वीकृति के अनुसार योजना की डीपीआर बनवाई गई जिसमें बोर्ड बैठक दिनांक 14/06/2013 के प्रस्ताव दो के द्वारा संशोधित डीपीआर बनवायी जाने हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत ही भुगतान किया गया है। किये गये कार्य हेतु समय-समय पर तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् भुगतान किया गया है। वर्तमान में एक बिल 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, जो अधिशासी अभियंता की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् किया गया है।

नंबर तीसरा इश्यु, नगरपालिका आबूरोड द्वारा वर्ष 2019-20 में कोई भी आवासीय भूखण्ड में व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। पालिका द्वारा एकीकृत भवन विनिमय, 2017 के बिन्दु संख्या 5/3.3 के प्रावधानों के अनुसार एक प्रकरण में मिश्रित उपयोग की निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। पालिका द्वारा अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक कोई भी भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की गई। माह फरवरी, 2019 मतलब 2018-19 में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा एक प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की राशि जमा की गई थी, परंतु उक्त प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई व न ही कोई भू-उपयोग परिवर्तन का आदेश दिया गया।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नंबर चार, चौथा इश्यु है, आबूरोड नगरपालिका द्वारा निविदा सूचना क्रमांक 3965 दिनांक 21/10/2019 जारी की गई जिसे नियमानुसार एसपीपी पोर्टल पर अपलोड किया गया तथा राज्य स्तरीय समाचारपत्र राष्ट्रदूत व एक अन्य समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में भी प्रकाशित करवाया गया। प्रत्येक निविदा का अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपये से कम होने के कारण निविदाएं ऑफलाइन प्राप्त की गईं। प्राप्त निविदाओं में स्थानीय निविदादाताओं के द्वारा भी भाग लिया गया। निविदाएं खुले रूप से प्रतिस्पर्धात्मक, काम्पीटिटिवली मतलब, पालिका को किसी प्रकार की आर्थिक हानि होना प्रतीत नहीं होता।

इश्यु नंबर 5, अधिशासी अधिकारी निवास स्थान, कई वर्षों से अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त होने से खाली पड़ा है। उक्त भवन नगरपालिका की सम्पत्ति होने से उक्त भवन का उपयोग उच्चाधिकारियों के निरीक्षण, स्वच्छ भारत टीम व अन्य पालिका के अतिथियों को ठहराने के लिए भी किया जाता रहा है। उक्त भवन में इस कारण भी पालिका द्वारा विद्युत कनेक्शन निरंतर रखा गया है एवं पालिका द्वारा ही विद्युत बिल का भुगतान पालिका कोष से किया जाता रहा है।

इश्यु नंबर 5, नगरपालिका आबूरोड द्वारा पूर्व में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा 2018 में हाई मास्ट लाइट क्रय की गई थी जिसका अधिकतम भुगतान तत्समय ही कर दिया गया था। शेष राशि का भुगतान वर्तमान में किया गया है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में भुगतान संबंधी अनियमितता प्रतीत नहीं होती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मानपुर का यह आबूरोड का प्रकरण पुराना है और जो सुप्रीम कोर्ट तक गया है। मैंने जिस भूखण्ड 66 का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया है और उसके बाद में तीन बार आबूरोड नगरपालिका ने 2009, 2011, 2012 में इसकी नीलामी निकाली है। ये सारे तथ्य आपसे गलत पढ़वाए गए हैं।

दूसरा, आपने यह कहा है कि यह जो आईएचएसबीपी के अंदर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत भुगतान किया गया है। आपके पास उसकी वित्तीय स्वीकृति की कापी हो तो आप सदन को टेबल कर दें।

तीसरा, आपने कहा है कि भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया गया बिन्दु में, आबू रोड में पीडब्ल्यूडी आफिस के सामने, वार्ड नम्बर आठ में भू-उपयोग

(श्री संयम लोढ़ा)
परिवर्तन किया गया, वहां काम्प्लैक्स बना हुआ है। यह भी आपको आपके अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। चौथा, आपने अखबारों के विज्ञापन का जिक्र किया, मैंने कहा कि गोपनीय तरीके से सारी चीज़ें की गईं। पत्रिका, भास्कर, नवज्योति, एक भी अख़बार में विज्ञापन नहीं दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, यह आप स्वयं समझते हैं।

अंतिम, हाई मास्ट लाइट का है, पूरे सिरोही ज़िले की नगरपालिकाओं की आप जानकारी मंगवा लें, जहां ग्रुप में हाई मास्ट लाइटें खरीदी गई हैं, आपने ये नौ लाइट 4 लाख, 30-30 हजार में आबू रोड में खरीदी हैं। दूसरी जगह इससे 42 परसेंट कम पर, ग्रुप में खरीदी है। नगरपालिका को सीधा-सीधा यह लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आप कब तक कार्यवाही करेंगे, यह बता दीजिए।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलाउ नहीं है। माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा। गलत तरीका है, आप बैठें प्लीज। रिकार्ड नहीं होगा, आप नीचे बैठें, आप नीचे बैठें। I will name you. आप लिखकर दे देना, आपको कोई मना कर रहा है क्या। आपको भी अधिकार है, आप बीच में खड़े होकर बोल जाएंगे क्या? आपको भी अधिकार है, अपनी लिखकर देने का, आपको भी मौका देंगे लेकिन बीच में खड़े होकर हम थोड़े ही बोलेंगे। माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य द्वारा गंभीरता से बात उठाई गई है, इसमें कोई दोराय नहीं है। जिन इश्यूज पर आप यह समझते हैं कि साहब भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुई है, उसमें तो फिर यही चारा है कि मुझे जो जवाब बताया गया है, वह तो मैंने आपके सामने पढ़ दिया, डिपार्टमेंट की स्थिति तो यह है। अब आप यह समझते हैं कि वास्तव में कोई न कोई गड़बड़ है, तो आप बता दें किससे इन्क्वायरी करवाएं, हम तो इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कलेक्टर सिरोही से करवा लो।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खां।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय...

श्री अध्यक्ष: आपने बता दिया, बात खतम। श्री अमीन खां।

रामसर व गडरा रोड तहसीलों (शिव) के ग्रामों में व्याप्त पेयजल समस्या

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं जलदाय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गलत परम्परा है। कटारिया जी, मैं मंत्री जी को मना कर रहा हूं।

श्री अमीन खां (शिव): कि बाड़मेर जिले की तहसील रामसर व गडरा रोड में स्वीकृत स्कीम के बाद भी 6 सालों में एक भी गांव में पानी नहीं आने हेतु।

श्री अध्यक्ष: कल्ला जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नर्मदा नहर आधारित जल प्रदाय परियोजना में जिला बाड़मेर की तहसील रामसर एवं शिव वर्तमान में गडरा रोड के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार क्रमश: 95 एवं 110, इस प्रकार कुल 205 ग्राम एवं इनकी ढाणियों की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए इनके आधारभूत संरचनाओं के कार्य तथा केवल मुख्य ग्रामों में पेयजल वितरण हेतु क्लस्टर वितरण प्रणाली के कार्य सम्मिलित करते हुए राशि रुपये 610.79 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.9.2013 द्वारा जारी की गई थी।

उक्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु अनुबंधक फ़र्म मैसर्स एन.सी.सी. लिमिटेड, हैदराबाद को राशि रुपये 639.50 करोड़ मुख्य कार्यों की निर्माण लागत रुपये 601.13 करोड़ एवं परियोजना के संचालन व संधारण कार्य हेतु राशि रुपये 38.37 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 01.10.2013 को जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार परियोजना का कार्य दिनांक 10.4.2017 तक पूर्ण करना निर्धारित था।

उक्त स्वीकृत पेयजल परियोजना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2019-20 की अवधि में राशि रुपये 289.25 करोड़ बजट आबंटन के विरुद्ध 284.63 करोड़ का व्यय किया जाकर परियोजना का 48 प्रतिशत कार्य माह जनवरी, 2020 तक पूर्ण किया गया है तथा परियोजना के शेष कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। अनुबंधक फर्म द्वारा उक्त परियोजना का कार्य धीमी गति से करने एवं निर्धारित प्रोरेटा प्रगति नहीं बनाये रखने के कारण रुपये 28.22 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा अनुबंधक फ़र्म की रोक ली गई है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

परियोजना में तहसील गडरा रोड के सम्मिलित 110 ग्रामों में से 43 ग्राम राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा इन ग्रामों में परियोजना से पेयजल आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं क्लस्टर वितरण प्रणाली के कार्यों हेतु आवश्यक भूमि आबंटन की अनुमति लिए जाने हेतु कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। पेयजल परियोजना का कार्य उक्तानुसार प्रगति पर है तथा राष्ट्रीय मरु उद्यान की सीमा में तहसील गडरा रोड के आने वाले 43 ग्रामों के अतिरिक्त तहसील रामसर के 95 एवं गडरा रोड के 67, कुल 162 ग्रामों को परियोजना से माह मार्च, 2021 तक लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तहसील रामसर एवं गडरा रोड में कुल सम्मिलित 205 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था भू-जल स्रोतों पर आधारित है तथा इन तहसील क्षेत्रों की विभिन्न जल योजनाओं के अंतर्गत निर्मित एवं क्रियाशील 141 थ्री फेज नलकूप, 43 खुले कुओं एवं 17 सिंगल फेज नलकूपों से वर्तमान में की जा रही है तथा इसके अतिरिक्त 580 क्रियाशील हैण्डपम्पों से भी पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

उक्त तहसील क्षेत्रों में भू-जल सीमित मात्रा में उपलब्ध होने, क्षेत्रीय जल योजनाएं लंबी होने एवं इन योजनाओं के मुख्य जल स्रोत वाले ग्रामों में निर्मित नलकूपों में जल आवक में कमी होने से योजनाओं के अंतिम छोर के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति कम मात्रा में हो पाती है। पेयजल की कमी वाले इन ग्रामों में ग्रीष्म ऋतु में टैंकरों द्वारा जल परिवहन कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाये रखी जाती है।

उक्त तहसील क्षेत्रों में भू-जल सीमित मात्रा में उपलब्ध होने एवं कई स्थानों की पेयजल गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप तहसील रामसर एवं गडरारोड में क्रमश: 6 एवं 19, कुल 25 आर.ओ. संयंत्रों निर्माण एवं स्थापना उपरान्त चालू किए गए हैं तथा इनमें से 24 संयंत्र वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में हैं तथा तहसील गडरारोड की ग्राम पंचायत हरसानी के ग्राम तुर्बी में वर्तमान में बंद आर.ओ. संयंत्र को शीघ्र चालू किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, तहसील रामसर और गडरा तहसील में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां अंडरग्राउण्ड जल नहीं है। आज के अख़बार में भारत सरकार के जल मंत्री ने बयान दिया है

(श्री अमीन खां)

कि बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाक़े में अथाह पानी मिल रहा है। सरस्वती नदी का सर्वे गत साल हुआ है, उसमें उन्होंने बताया है कि 500 फीट तक खारा पानी है, नीचे 1100 फीट पर अथाह पानी मीठा है। उसमें एक भी ट्यूबवैल जलदाय विभाग ने आज तक तैयार नहीं किया है। जितनी भी लंबी लाइन है, आप कहते हो उसमें पानी जा रहा है, फिटर नहीं है, वहां आपका कोई आदमी नहीं है, लाइन संभालने वाला कोई नहीं है। लोग लाइन तोड़-तोड़कर चले गए हैं। मेरा यह निवेदन है कि रामसर में, गडरा में जेईएन, एईएन की पोस्ट खाली है। किसी लाइन में फिटर नहीं है, कैसे पानी पहुंचेगा? राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों के, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह पद कब तक भरोगे? यह डैजर्ट है, यह कोई अलवर, भरतपुर जिला नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य...

श्री अमीन खां (शिव): यहां जेईएन के पास भी गाड़ी की जरूरत है। कम से कम एईएन के पास गाड़ी और आदमी होना चाहिए, इसका बंदोबस्त कीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं दो सप्लीमेंट्री कर देता हूं, यह इंटरेस्टिंग केस है इसलिए। 284.63 करोड़ खर्च हो गए, यह स्कीम 2013 में बनी, क्या अभी किसी गांव में पानी पहुंच रहा है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, किसी भी गांव में नहीं पहुंचा। यह योजना 2017 को पूर्ण होनी थी, परन्तु मैं आपको जानकारी...

श्री अध्यक्ष: मेरा सिम्पल प्रश्न है, 284 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और एक भी गांव में पानी नहीं पहुंचा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 से 2018 तक 248 करोड़ रुपये खर्च हुए। वर्तमान सरकार के आने के बाद 36 करोड़, इस प्रकार 284.63 करोड़ रुपये अभी तक खर्च हुए हैं। इसमें मुख्य काम पम्पिंग स्टेशन बनाना, पानी को इकट्ठा करना, यह काम करीब-करीब 48 प्रतिशत काम हो चुका है रामसर में और 20 परसेंट काम गडरा रोड पर हो चुका है। एक्चुअल में क्या है, फर्म ने डिले किया उसके कारण से उनके ऊपर 28 करोड़ 22 लाख रुपये की....

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, मेरा निवेदन समझें। 610 करोड़ की स्कीम, जब सब गांवों में पानी पहुंचेगा तब कितने की होगी। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति की गई है, डिपार्टमेंट ने पूरा करके, कि 610 करोड़ में हम इतने गांवों को पानी पहुंचा देंगे। अब क्या 284 करोड़ करने के बाद पानी नहीं पहुंचा, अब, सब गांवों में आपकी स्कीम थी, वह 610 करोड़ रुपये में पहुंच जाएगी, या इसमें एस्केलेशन बढ़ेगा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोस्ट एस्केलेशन तो लगेगा। इसी कारण से फर्म पर शास्ति और जुर्माना लगाया है। यह समस्या तो हमको विरासत में मिली है। 2017 तक, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही कम पैसा खर्च हुआ। इस पर पूरा ध्यान देंगे और जो रिक्त पद, इन्होंने बताये हैं, अभी जूनियर इंजीनियर्स की डी.पी.सी. होना बाकी है, जैसे ही डी.पी.सी. होगी, हम इन रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला 131, श्री बाबुलाल झाड़ोल।

झाड़ोल स्थित राजस्थान व गुजरात की सीमा पर बसे गांवों के बीच सीमा विवाद

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): अध्यक्ष महोदय, मैं 131 के अंतर्गत गुजरात और राजस्थान की सीमा के विवाद के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान-गुजरात सीमा विवाद से सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की तहसील झाड़ोल व कोटड़ा के 6 प्रकरण निम्नानुसार हैं:

(1) ग्राम मंडवाल, तहसील कोटड़ा, राजस्थान बनाम ग्राम डेडलिया, तहसील खेड़ब्रह्मा, गुजरात।

(2) ग्राम झाझड़, तहसील कोटड़ा बनाम ग्राम आंजनी, तहसील खेड़ब्रह्मा, गुजरात।

(3) ग्राम खेड़, तहसील कोटड़ा बनाम ग्राम खारी बेरी, तहसील खेड़ब्रह्मा, गुजरात।

(4) ग्राम महाड़ी, तहसील कोटड़ा बनाम ग्राम मथासरा, गुजरात।

(5) ग्राम गरणवास, तहसील झाड़ोल बनाम ग्राम खोखरा, तहसील विजयनगर।

(श्री हरीश चौधरी)

(6) ग्राम नयावास गांधीसरा, तहसील कोटड़ा बनाम ग्राम हेमलिया, गुजरात।

उक्त प्रकरणों में से प्रकरण 1 से 5 में दोनों राज्यों के राजस्व नक्शों में ओवरलेपिंग की समस्या है। राजस्थान सरकार द्वारा सीमा विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के संयुक्त दल के गठन, मौके पर सर्वे किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त, भू प्रबन्धन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 2326 दिनांक 11.12.2019 से राजस्थान सरकार की ओर से गठित सर्वे टीम और गुजरात राज्य की सर्वे टीम द्वारा संयुक्त सर्वे कार्य 03.02.2020 से 07.02.2020 तक किया जाकर प्रकरण एक से तीन में ओवरलेपिंग भूमि की शिनाख्त कर ली गई एवं समाधान हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण चार के निस्तारण के क्रम में दोनों राज्यों की सर्वे टीमों द्वारा संयुक्त सर्वे किया गया, जिसमें ओवरलेपिंग रकबे के खातेदारी को आपसी सहमति से समायोजन करना तय हुआ। सर्वे दल के प्रस्तावित समायोजन की सम्बन्धित खातेदारी एवं मोतमिरान की सहमति एवं मौके की जानकारी करा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण-5 सर्वे हेतु संयुक्त टीम, तहसील कोटड़ा के प्रकरणों के कार्य सम्पादन के उपरांत इस कार्य का कार्य कर सम्पादित किया जायेगा।

प्रकरण-6 निस्तारण के क्रम में उप खण्ड अधिकारी, कोटड़ा द्वारा संयुक्त सर्वे दल के निर्णयानुसार दिनांक 13.11.2019 को आदेश जारी कर विवाद का निस्तारण कर दिया गया है। अब इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विवाद वर्षों पुराना है। देश आजाद होने के बाद में गुजरात और राजस्थान राज्य अलग बने। उसके बाद से वहां बसे लोग, पहले तो जमीन थी, उस जमीन होने के कारण उधर ज्यादा कब्जा नहीं करते थे, लेकिन आजकल जनसंख्या बढ़ने व जमीन कम होने के कारण सीमा पर लगते हुए आपस में जो गांव हैं, वे लोग वहां पर कब्जे करते हैं। कब्जे करने के बाद वहां ऐसा विवाद हो जाता है, अध्यक्ष महोदय, बरसात के समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों गांवों के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने हथियारों से लैस होकर आकर आपस में लड़ने-मरने-मारने पर उतारू हो जाते हैं।

(श्री बाबुलाल)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जैसे अपने यह राजपुर, मंडवाल हैं, ये महाड़ी और मथारा गुजरात के हैं। अपने गांधीशरणा, सीमलिया हैं, ऐसे ही आंजनी और इधर का पास का गांव है। यहां कभी भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है, आपस में मर सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि दोनों राज्यों की टीमें पहले भी आई हैं, अब भी आती हैं। अब वहां के लोग आते हैं, जो भी पटवारी, जो भी सर्वेयर आता है, वह बताता है कि तुम्हारी सीमा तो यहां तक है। फिर अपने यहां से रिपोर्ट देते हैं, जाते हैं तो वे कहते हैं, यहां नहीं आपकी सीमा यहां पर है। जब तक उस जमीन की पत्थरगढ़ी न हो, तब तक कोई निस्तारण नहीं हो सकता। यह उच्च स्तरीय दोनों राज्यों के जिम्मेदार अधिकारी वहां पर जाएं, जा करके, उन लोगों को विश्वास में ले करके, अब उन लोगों का कहना यह है कि मान लीजिये सीमा गुजरात में आयेगी तो हम लोग गुजरात में जाने को तैयार हैं, लेकिन हम जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे ही वे गुजरात वाले कहते हैं कि हम राजस्थान में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि जमीन का अभाव है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार, जितना जल्दी हो सके उतना इस सीमा विवाद का समाधान कैसे हो सकता है, वह करना चाहिए, अन्यथा कभी भी, कोई हादसा हो सकता है। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने जवाब में बताया कि 11.12.2019 को, प्रकरण बहुत पुराना है, इस बात से मैं सहमत हूं, पर दोनों राज्यों की सैटलमेंट की टीम बनाने के लिए, छठे प्रकरण का तो निस्तारण हो चुका है, एक से चार के जो प्रकरण हैं, उनका सर्वे और आपसी निस्तारण है, वह सब चीज दोनों सैटलमेंट के द्वारा हो चुकी हैं। एक इसमें पब्लिक हियरिंग का प्रावधान है। हमारे यहां पंचायत के चुनाव होने के बाद में पब्लिक हियरिंग का आखिरी प्रावधान है, वह करवाकर एक से लेकर चार तक के विवाद एक अंतिम चरण के अन्दर हैं।

अब बचा पांचवां, इस पांचवें के अन्दर यही टीम, इन्होंने पहले पांचों के अन्दर किया था, वह भी इस पांचवें के अन्दर, गरणवास के अन्दर यही टीम वापस जाकर आपस के अन्दर दोनों, गुजरात और राजस्थान की टीमें जाकर सर्वे करके इसको सुलटा देगी।

श्री अध्यक्ष: बाबुलालजी, बोल रहे हैं?

श्री बाबुलाल (झाडोल): अध्यक्ष महोदय, यह गांधीशरणा का जो विवाद है, अभी हाल ही की घटना है, वे लोग कह रहे हैं कि हमारी खाते की जमीन है। गुजरात वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी नहीं है। इस कारण से उनकी जो बोई हुई फसल है, उनके कुएं खोदे हुए हैं, लेकिन गुजरात की पुलिस ने उनको ले जाकर के बंद कर दिया। बंद करने के बाद उनको आर्थिक रूप से भी परेशान किया गया। अब वे कह रहे हैं कि यह जमीन हमारी है। अपने यहां से एस.डी.ओ., अभी जो आई.ए.एस. लगे हैं, वे वहां जाकर भी आये हैं। अभी-अभी क्या हुआ, मुझे पता नहीं। लेकिन वे कह रहे हैं कि हम यह जमीन छोड़ेंगे नहीं। इधर वाले कह रहे हैं कि हमारे खाते की जमीन है तो ऐसे प्रकरणों को सीरियसली लेकर दिखाना चाहिए क्योंकि वे लोग कह रहे हैं कि हमारे खाते की है, फिर भी उन लोगों को तंग करते हैं। पुलिस जाकर बंद कर देती है, मारपीट करती है, यही स्थिति आती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनकी जो भावना है, क्योंकि आप खाते पर तो, नदी नक्शे पर तो बदल दोगे, जमीन इधर-उधर, पर एक्चुअल जो पजेशन है, जैसा आप बता रहे हैं कि राजस्थान वाले का गुजरात में, गुजरात वाले का राजस्थान में है, क्या सरकार वहां पत्थरगढ़ी करके इसका डिमार्केशन करना चाहती है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह सर्वे पूरा हो जायेगा, सर्वे की प्रक्रिया है, यह पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यह अंतिम चरण में 1 से 4 प्रकरण के अन्दर है। उसके बाद में वहां मौके के ऊपर, दोनों प्रशासन, गुजरात के और राजस्थान के जो राजस्व विभाग के हैं, वे दोनों प्रशासन जाकर मौके के ऊपर भी वे डिमार्केशन पत्थरगढ़ी के माध्यम से करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगली चर्चा, 131, रोहित बौहरा।

राज्य के विद्यालयों में मिड-डे मील में सप्लाई हो रहे दूध की गुणवत्ता

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, अध्यक्षजी, आपने 131 पर मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं पूरा पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष: 131 में खाली ध्यान, 131 में ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो पूरे प्रदेश की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 131 में मैं ध्यान आकर्षित करता हूं, और बैठ जाएं, मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, वह राज्य सरकार द्वारा 2.7.2018 को जो अन्नपूर्णा दूध योजना चालू की गई थी, उसके सम्बन्ध में यह बात की गई है। पहले यह जो योजना शुरू की गई थी, वह तीन दिन के लिए दूध विद्यालय के कक्षा एक से आठ तक के लिए, और अन्य दो-तीन संस्थाएं, मदरसों में किया गया था। फिर 01.9.2018 को इसको छह दिन कर दिया गया है। जो शहरी क्षेत्र है, उसमें सरस डेयरी बूथ से दूध क्रय किये जाने का प्रावधान है और ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, या उपलब्ध नहीं होने पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, महिला स्वयं सहायता समूह व अन्य स्वयं सहायता समूह से दूध क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसको जांचने के लिए सभी विद्यालयों में सरकार की तरफ से निर्देश दिये गये थे कि लैक्टोमीटर आप खरीदें और उसके अन्दर फैट कितना है, पानी की मात्रा किस तरीके से उन्होंने मिलाई है, क्या किया है, उसको देखा जायेगा। प्रार्थना सभा के तत्काल बाद में गरम करके उसको वापस ठंडा करके फिर बच्चों को पिलाये जाने का प्रावधान है। इसके पीछे सरकार की मंशा यही थी कि विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले दूध की मात्रा में प्रोटीन, वसा, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के जो मानक निर्धारित हैं, वह उन तक मिले तो अभी तक जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि अन्नपूर्णा दूध योजनान्तर्गत दूध के स्थान पर प्रोटीन बार उपलब्ध कराये जाने का, यह प्रस्ताव अभी तक सरकार के यहां विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह कहना है कि बच्चों को जो दूध दिया जा रहा है लैक्टोमीटर से आप यह चैक कभी भी नहीं कर पाएंगे, whether it is a chemical milk or a pure milk, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है साहब, कि जितना राजस्थान में दूध सप्लाई हो रहा है, उतना हमारे पास पशुधन भी नहीं है। यह एक नहीं, कम से कम ऐसी दस रिपोर्ट्स आ चुकी हैं तो आप इसमें यह समझ सकते हैं कि किस तरह से दूध में मिलावट हो रही है और यह मानक बड़ी-बड़ी डेयरीज भी बड़ी मुश्किल से चैक कर पाती हैं जब उनके पास साइंटिफिक लैब्स होती हैं। एक

(श्री रोहित बौहरा)

लैक्टोमीटर से आप यह चैक नहीं कर पाएंगे कि whether उसमें कैमिकल मिला हुआ है या नहीं मिला है? क्या हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा दूध देना चाहेंगे कि जिनको कैमिकलयुक्त मिल्क मिल रहा है तो मेरे इसमें दो सुझाव हैं कि आज मध्यप्रदेश, मैंने रात को पूरा मसला जब और पढ़ा, मैंने एक सुझाव तो इमीडिएटली इनको यह दिया था कि आप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा इसमें यह सुझाव है, जो क्वेश्चन भी है वह मैं सुझाव के तौर पर इनसे यह क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कर्नाटक और मध्यप्रदेश में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। कर्नाटक एवं मध्यप्रदेश नहीं, आप सीधा प्रश्न पूछें। सीधा प्रश्न यह है कि आपका जो लैक्टोमीटर है उससे क्वालिटी जांच नहीं हो सकती है। सरकार क्वालिटी की जांच करने के लिए क्या करेगी? आप बैठें। माननीय मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत ही गंभीर है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं यह समझता हूं कि सारे जनप्रतिनिधि, पहले सरकार में प्रतिपक्ष के जन-प्रतिनिधि भी रहे हैं, हम भी हैं, विभिन्न शिक्षक संगठन भी बार-बार मिलते रहते हैं, आते रहते हैं और अपनी समस्याएं बताते रहते हैं। अगर बच्चे को, जितने बच्चे उपस्थित हो गये अगर उन बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे तो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी और अगर बच्चों के लिए हमने दूध खरीद लिया और उसके बाद में अगर दो घंटे तक भी उस दूध को नहीं पिलाया तो वह दूध खराब हो जाता है तो विभिन्न शिक्षक संगठन भी और जन-प्रतिनिधि भी, मैं यह समझता हूं कि सारा सदन सहमत होगा बारम्बार यह बात आती रहती है कि साहब, यह जो दूध योजना है, इसमें कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं। यह व्यावहारिक दिक्कतें टीचर को भी आती हैं, स्कूल को भी आती हैं और बार-बार बच्चों के लिए भी आती हैं कि पेट में दर्द होना, उल्टी होना क्योंकि खाने के तत्काल बाद साथ में अगर दूध दिया जाता है तो वह बच्चा पचा नहीं पाता है, तो मैं यह समझता हूं कि यह जो बात है, यह हम सबके लिए गंभीरता से विचार करने वाली बात है। बच्चों को हम कैसे न्यूट्रिशन दें, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन चूंकि, यह दूध के बारे में बार-बार मिलावट की खबरें भी आती रहती हैं और विद्यालयों में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अव्यवस्था का वातावरण बनता है और हम जन-प्रतिनिधियों तक काफी बार यह शिकायतें आती हैं। कटारिया साहब भी इससे सहमत होंगे कि शिकायतें आती रहती हैं। मैं यह समझता हूं कि इस योजना की उच्च स्तर के ऊपर समीक्षा करने के उपरांत हम इसमें बदलाव करें या इसकी जगह और कोई सब्स्टीट्यूट हो सकता है, किस तरीके से इसको ठीक बनाया जा सकता है, जिससे बच्चों को जो प्रोटीन हम देना चाहते हैं, वह मिले। इस बात पर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके ऊपर उच्च स्तर पर गंभीरता के साथ में समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के उपरांत सरकार निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, श्री शान्ती कुमार धारीवाल। आप बैठें, प्लीज हो गया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

विधिक सेवा प्राधिकरण के 29 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) एवं 22 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के नियम-18 के उप नियम(6) के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 29 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 एवं 22 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतने डिले हैं कि वर्ष 2014-15 और 2015-16 के अभी तक रख रहे हैं, मैं यह सोचता हूं कि इसके लिए डिपार्टमेंट को यह हिदायत दें कि जो बाकी बचे हुए हैं, वह भी कम से कम अगले सत्र में हर हालत में आ जाएं और यह डिले नहीं होना चाहिए। जहां पर भी डिले हुआ है, उसके बारे में भी तहकीकात करें क्या कारण है कि 2014-15 और 2015-16 का अब पेश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्र.सं. 61 से 70)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2019-20 के निम्नांकित 10 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूंः-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 3.10 कौशल विकास एवं उद्‌यमिता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 61वां प्रतिवेदन।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 3.6 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 62वां प्रतिवेदन।
3. जनलेखा समिति, 2017-18 (चौदहवीं विधान सभा) के 189वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्‌वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2019-20 का 63वां प्रतिवेदन।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 3.3 पशुपालन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 64वां प्रतिवेदन।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 2.3.17 वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 65वां प्रतिवेदन।
6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 3.4 एवं 3.5 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 66वां प्रतिवेदन।
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट वित्त (राज्य आबकारी) विभाग से संबंधित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.8 तक के प्रकरणों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 67वां प्रतिवेदन।

8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट वित्त (राज्य आबकारी) विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.6 तक के प्रकरणों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 68वां प्रतिवेदन।

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट वित्त (वाणिज्यिक बिक्री कर) विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 2.1 से 2.7 तक के प्रकरणों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 69वां प्रतिवेदन।

10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट वित्त (वाणिज्यिक बिकी कर) विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 2.1 से 2.16 तक के प्रकरणों पर जन लेखा समिति, 2019-20 का 70वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री संजय शर्मा।

याचिका

महाराजा भर्तृहरि जी एवं राष्ट्रभक्त वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमा को आमजन व पर्यटकों के लिए खुलवाना

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में बहरोड़ रोड पर निर्मित महाराजा भर्तृहरि जी एवं राष्ट्रभक्त वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमा को आमजन व पर्यटकों के लिए खुलवाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर के गांव खांगड़ी व बांगड़ी के मध्य स्थित नदी के रास्ते पर पुल निर्माण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के गांव खांगड़ी व बांगड़ी के मध्य स्थित नदी के रास्ते पर पुल निर्माण करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर में प्रवाहित घग्घर नदी पर सबमर्सिबल पुल निर्माण

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में प्रवाहित घग्घर नदी पर सबमर्सिबल पुल बनाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन राम चौधरी।

मूण्डवा में उप खण्ड कार्यालय की स्थापना

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र नागौर के मूण्डवा में उपखण्ड कार्यालय खोले जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित)। श्रीमती किरण माहेश्वरी। एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज शनिवार है, हम यह कोशिश करें कि इस बिल को घंटे भर में पास कर लें, आगे अब चार दिन की छुट्टी है इसलिए घंटे भर में हम डिस्कशन करके इस बिल को कर लें जिससे डिमांड में हम चर्चा कर सकें और सदन को समय पर, छह-सात बजे तक हम अपनी डिबेट को पूरा कर सकें। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल संशोधन के लिए आया है, इसमें मैं यह कहना चाहूंगी कि जो संशोधन इसमें 1987 के राजस्थान

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अधिनियम, सैक्शन-15 की धारा 16 का संशोधन जो है और उसमें उप धारा-5 के अंदर, उप धारा-3 के अंदर, क, ख, ग और यह धारा-17, धारा-19, धारा-20 और धारा-25, इन सब पर एक साथ ही इसमें बोलना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा कि समय को बचाना है इसलिए मैं एक साथ ही कंसोलिडेट करके ही इसके ऊपर अपने विचार रखना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग यह देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर बिना अधिवक्ताओं के शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है इसलिए गरिमायुक्त मानवीय जीवन, न्यायपूर्ण शासन, अन्याय एवं अत्याचार से मुक्ति, समाज में सौहार्द्र एवं समरसता के लिए विधि व्यवसाय एक अनिवार्य आवश्यकता हो गयी है और इसमें इस बिल को लाना क्योंकि, 2012 के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर संशोधन किया था जो कल्याण निधि कोष है अधिवक्ता का और उसके बाद आज हम लेकर आये हैं।

एक टाइपिंग मिस्टेक कहूं या जो भी इसको सुधारने की आवश्यकता है, पेज नम्बर-5 के अंदर जो इसमें लिखा है, इसमें अधिनियम 1987 में पूर्व में वर्ष 2012 में संशोधन किये गये थे और तब से 7 वर्ष, तो 7 नहीं यह 8 वर्ष हो गये हैं।

(11.38 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

यह शायद जो भी पहले किया होगा तो एक तो इसमें 7 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् आज हम इस बिल को ला रहे हैं, तो यह 7 नहीं, इसमें 8 वर्ष, एक संशोधन पहले यह हो।

जब हाउस में बिल को लाते हैं तो उस समय अगर इसको पढ़कर लाया होता तो शायद यह गलती नहीं हुई होती टाइपिंग में, इसको कहीं न कहीं पर सुधारने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, जो कल्याण निधि कोष है, जिस कल्याण निधि कोष को अगर हम लोग देखें इन अधिवक्ताओं का तो वह कल्याण निधि कोष के अंदर इनकम के जो इनके सोर्सेज हैं, कैसे यह कल्याण निधि कोष स्थापित हुए, यह स्थापित होने के बाद में जब यह चला आ रहा है तो इसके अंदर वकालतनामा जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्लाइंट उनका जब वकालतनामा भरता है तो उसी के साथ में एक वह प्रोफेशनल फीस देता है

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अधिवक्ता को और साथ-साथ उसमें दो रुपये कोर्ट फीस होती है, वह भी वह देता है लेकिन अधिवक्ता को वह जो प्रोफेशनल फीस देता है, उस प्रोफेशनल फीस के अंदर से वह 25 रुपया इस कल्याण निधि कोष के अंदर अधिवक्ता डालता है, जिसमें और किसी का भी अंश नहीं होता है, सिर्फ अधिवक्ता का ही पैसा है जो उसको एक वैलफेयर टिकट के नाते वह उसमें डालता है। अब यह जो खर्च होता है, इसमें से जो पैसा, इस कल्याण निधि कोष से जो व्यय किया जाता है, वह अगर अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है या अधिवक्ता को कोई गंभीर बीमारी हो जाए या कोई सामान्य बीमारी हो जाए तो दोनों के अलग-अलग उसके अंदर प्रोविजन्स दिये हुए हैं और साथ-साथ उसका रिटायरमेंट होता है तो उस रिटायरमेंट के ऊपर भी उसे वह फण्ड मिलता है। एक प्रकार से यह देखा जाए तो यह अधिवक्ता कल्याण निधि कोष पी.एफ. के रूप में अगर अपन कहें, प्रोविडेंट फण्ड के रूप में हो गया, जहां पर वह उसमें से ही उसकी डैथ के ऊपर या उसकी बीमारी के ऊपर या उसके रिटायरमेंट के ऊपर वह कोष से पैसा दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कहूं तो इन्होंने जो संशोधन दिया है, इसमें इन्होंने कहा जो 25-30 रुपये जो आज अधिवक्ता उस वैलफेयर कोष में डालता है, वह 25 रुपये की बजाय 50 रुपये उस अधिवक्ता कोष में डालें। अब अगर हम लोग इसको 2012 से, यह चार्ट है मेरे पास, जिसमें अगर मैं कहूं तो मैं दो ही वर्ष का, 2012 से लेकर 2019-20 के सारे वर्षों को नहीं कहूंगी, सिर्फ मैं 2012-13 का और आज वर्तमान में इस कोष के अंदर है। 2012-13 में माननीय सभापति महोदय, इसकी जो इनकम होती है, वह amount received on the sale of stamps, स्टाम्प से जो रिसीव हुई थी 2012 में, वह 2.67 यानी 2 करोड़ 67 लाख रुपये हुई थी। एडमिशन फीस, जो कि कोई भी सदस्य की फीस ली जाती है, वह है। इससे जो कलेक्ट हुआ है, वह कलेक्ट हुआ है इनका 6 लाख 5 हजार 200, अब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो नये मैम्बर, जो कई लाइफ टाइम भी बनते हैं, कोई एनुअल भी उसके अंदर मैम्बरशिप लेते हैं, तो उससे जो इनकी रेवेन्यू कलैक्ट होती है, वह होती 2 करोड़ और इंटरेस्ट इनकम और यह सारा मिलाकर जो टोटल इनकम इनकी होती है, वह 2012 में 8 करोड़ 69 लाख। अब 8 करोड़ 69 लाख तो इनकी 2012 में, इन अधिवक्ता परिषद् के अंदर पैसा था, जो खर्च हुआ 2012 -13 में, जो क्लेम्स आये 2012-13 में, वह 161 क्लेम्स आये और टोटल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

क्लेम अमाउंट इनको जो रिसीव हुआ, एक करोड़ 56 लाख रुपये एक्सपेंडिचर हुआ। उसके बाद में इसमें और अदर एक्सपेंसेज मिला लें, 10 लाख समथिंग है तो मिलाकर टोटल एक्सपेंसेज जो देखते हैं 2012 का, वह एक करोड़ 87 लाख रुपया आया। अब आप यह देखिये कि जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर निकालकर जो प्रोफिट होता है, वह 2012 के अंदर 7 करोड़ 2 लाख रुपया इनका प्रोफिट होता है। अब 2012 से लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में आ जाएं 2019-20, तो 2019-20 में जो क्लेम्स आये हैं, वह 201 क्लेम्स हैं और जो टोटल इनका खर्चा हुआ है, माननीय सभापति महोदय, वह है 3 करोड़ 60 लाख रुपये, उसके अगेंस्ट में जो इनकम हुआ है, वह है 15 करोड़ 24 लाख। अब इसमें मैं यह कहना चाहती हूं कि जो प्रपोज कर रहे हैं, जो आज की वर्तमान स्थिति है और जो प्रपोज कर रह हैं तो इनकम के अगेंस्ट में जो एक्सपेंडिचर है, वह तो बराबर बढ़ता जा रहा है। इनकम तो जो हम लोगों की बढ़ेगी, आपने 25 से 50 रुपये कहा इस निधि कोष के अंदर, तो जस्ट डबल इनकम हो गयी। लेकिन एक्सपेंडिचर जो प्रपोज किया है, वह कहा है कि अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो आज के समय में इसी निधि कोष से हम ढाई लाख रुपये वर्तमान में उस अधिवक्ता की मृत्यु पर उसके परिवार को देते हैं। इसमें अगर अधिवक्ता के सामान्य बीमारी है तो उसमें 40 हजार मिलते हैं, कोई गंभीर बीमारी है तो एक लाख रुपया मिलता है, लेकिन जो प्रपोज किया है, वह एक लाख के अगेंस्ट में तीन लाख किया है। 40 हजार जो सामान्य बीमारी में देते हैं, उसके अगेंस्ट में भी एक लाख किया है। मृत्यु हो जाने पर कहा है कि 8 लाख रुपये इस निधि कोष से दिया जाएगा। पेंशन के लिए जो 5 लाख 30 हजार रुपये हैं, उसके अगेंस्ट में कहा है कि 15 लाख उसको पेंशन दी जाएगी रिटायरमेंट होगा, 40 साल की मैम्बरशिप होगी तो उस फण्ड से दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि इनकम आपने जस्ट डबल की है, एक्सपेंडिचर कहीं आपने चार गुना, कहीं ढाई गुना, कहीं तीन गुना, यह आपने किया है तो मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए टू द पाइंट आ रही हूं कि आप इसको जो इन अधिवक्ताओं का कल्याण निधि कोष है, उस अधिवक्ता कल्याण निधि कोष में सरकार भी अपना अंश इसमें डाले, क्योंकि जो आप 50 रुपये अधिवक्ता से ले रहे हैं तो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सरकार भी तो 50 रुपये उसमें डाले। सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि अच्छे अधिवक्ता हमारे यहां आने चाहिए, अच्छा न्याय मिलना चाहिए और अधिवक्ताओं की भी पोजीशन इम्प्रूव होनी चाहिए तो इसलिए यह जो कल्याण निधि कोष है, उसमें सरकार का भी अंश होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं, मैं बहुत ही शार्ट में कहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूं कि समय की बहुत कमी है और आज का हमारा दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक प्रोत्साहन नीति, जो विधि व्यवसाय के लिए एक नीति लानी चाहिए। इसमें इतना अच्छा सुझाव है कि स्टाइपेंड का जो पैसा हम अधिवक्ताओं को देते हैं, उसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। उसमें जो स्टाइपेंड नये जो सदस्य अधिवक्ता हमारे आते हैं, उनको स्टाइपेंड की राशि दी जाए और वह स्टाइपेंड की राशि के बदले में उनसे लीगल हैड का काम लिया जा सकता है। आज हम अस्पताल में जाते हैं तो दवाई हमको फ्री मिलती है, लेकिन न्याय के लिए हम जाते हैं तो हमें फीस तो देनी ही देनी है। आप कोई तो व्यवस्था करिये कि कोई गरीब आदमी अगर किसी तरह से उसे मजबूरी से न्याय के दरवाजे खटखटाने पड़े तो उसे भी तो कोई तो ऐसा वकील मिले जो फ्री में उसकी वकालत करे। ऐसे जो नये लायर आ रहे हैं, अगर आप उनको स्टाइपेंड का पैसा देंगे तो वह ऐसे गरीब लोगों को अपनी राय फ्री में दे सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जो अधिवक्ता हैं, उनमें महिला अधिवक्ता, खास तौर से महिला अधिवक्ताओं के लिए एक प्रोत्साहन नीति बनानी चाहिए, उसका हमें अभाव दिख रहा है। यह महिला नीति बनाइए। आज हम लोग देखते हैं एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन में माननीय प्रधान मंत्रीजी ने पूरी तरीके से भारत को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेकर उस पर इतना अच्छा काम किया है। कोर्ट्स के अंदर मैं महसूस करती हूं कई बार मुझे अधिवक्ता मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहां कोर्ट के अंदर लेडीज टायलेट्स नहीं मिलती हम लोगों को। लेडीज के लिए कहीं क्रैच नहीं हैं। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको कहीं रखने के लिए शिशु गृह परिसर में होने की आवश्यकता है। एक ऐसा स्वच्छ वातावरण हो। उनके लिए भी रिक्रियेशन के लिए कुछ ऐसा हाल बनायें जहां पर वह महिला अधिवक्ता बैठ सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): महिला अधिवक्ताओं के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कल्याण के लिए एक प्रोत्साहन नीति आप बनाएं इसलिए मेरा यह सरकार से अनुरोध है कि अधिवक्ता कल्याण कोष में उसी तरह से अपना अंशदान दें, जिस प्रकार आप कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान देते हैं और विधि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति और महिला अधिवक्ता प्रोत्साहन नीति को जल्द से जल्द इसी सत्र में लेकर आएं, यही मेरी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 आया है। सरकार यह विधेयक तो लायी है पर इस विधेयक में बिल के प्रावधान सरकार के बजट में कहीं नहीं हैं। यह पूरा प्रावधान केवल अधिवक्ताओं का खुद का ही इकट्ठा किया हुआ जो पैसा है, उसी के प्रावधानों को बदलने का काम यह सरकार कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, अधिवक्ताओं की मैं बात करूं तो इनका जीवन तप, त्याग और तपस्या से बना होता है और हमारे न्यायालय और न्याय प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में न्याय प्रशासन के सिद्धान्तों को न्यायालय में प्रतिपादित करने का काम अधिवक्ता करता है। आदिकाल से ही इनकी वृत्ति बहुत संघर्षशील रही है। हमारे प्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी और प्रथम विधि मंत्री सिम्बल आफ नालेज आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी भी अधिवक्ता ही रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज लम्बे अंतराल के बाद इस पर चर्चा हो रही है, मैं नये युवा एडवोकेटों की बात तो जरूर कहना चाहूंगा और इसलिए कहूंगा कि जो नये अधिवक्ता हैं इनका संघर्ष पंजीयन कराने के साथ ही शुरू हो जाता है और वकीलों की जवानी के बहुत सारे किस्से बने हुए हैं कि उनकी जवानी कितनी संघर्षशील है। इसलिए कहते हैं कि "न घूमने जाते हैं, न फिरने जाते हैं, हम वकील हैं अदालत के सिवाय कहीं नहीं जाते हैं। न गाना सुनते हैं, न गजलें सुनते हैं, हम वकील हैं केवल लोगों की परेशानियां सुनते हैं।"

ऐसे समय में, माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा नये अधिवक्ताओं के पंजीयन को 17,500 आपने उप-धारा 5 के अन्तर्गत जो परन्तुक लगाया है, उसमें 17,500 रुपये एडवोकेट फीस को सीधा बढ़ाकर एक

(श्री अशोक लाहोटी)

लाख रुपया कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह सोचता हूं कि एक तरफ तो जब अधिवक्ता का संघर्ष शुरू होता है और इसको तो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश राजीव ठाकुर साहब ने भी कई बार 'बार एसोसिएशन' में भी कहा है और मैं आपको एक किस्सा भी बताऊंगा कि मेरे मित्र और मैं, हम दोनों एक साथ लॉ कर रहे थे। हरफूल चौधरी को जब लड़की वाले देखने आये तो उन्होंने कहा कि यह लड़का वकालत कर रहा है कि कोई सरकारी नौकरी लग गयी तो उस डर के मारे मैंने तो वकालत ही छोड़ दी। माननीय सभापति महोदय, ऐसा संघर्षशील जीवन अधिवक्ताओं के शुरुआत में रहता है और उनसे आप 17,500 रुपये को बढ़ाकर सीधा एक लाख रुपये कर दें और ऐसी परिस्थितियों में जबकि बार कौंसिल के पास आज के दिन तक 121 करोड़ 93 लाख 75 हजार 129 रुपये जमा हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस राशि को इतना नहीं बढ़ाए। आपने जो 30 हजार किया है, वहीं तक रखें तो ठीक रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ इसी धारा में आप यह भी जोड़ें कि अधिवक्ता को शुरुआत में आफिस बनाना, कम्प्यूटराइज्ड करना, लाइब्रेरी बनाना, इसके लिए उसको दो लाख रुपये बिना ब्याज के इस कोष से दिलवाये जाएं ताकि वह अपनी शुरुआत डिजिटल लाइब्रेरी के साथ और एक अच्छे आफिस के साथ कर सके।

दूसरा मेरा सरकार से निवेदन है कि आपने 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता किया है, ये तो अधिवक्ता हैं, शुरुआत के पांच साल इनका सबसे ज्यादा संघर्ष का पीरियड रहता है, अधिवक्ताओं को शुरुआत के पांच साल में आप 10 हजार रुपये, बेरोजगारी भत्ते को 3500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करें। ये तो पढ़े-लिखे हैं, जग जाहिर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है तो इनको आप जो देना चाहते हैं, 10 हजार रुपये अधिवक्ताओं को शुरुआत में दिये जाएं।

साहब, इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि 90 हजार से ज्यादा अधिवक्ता राजस्थान में हैं, हमारे 220 बार कौंसिल हैं, प्रति वर्ष 20 हजार से ज्यादा युवा वकील आते हैं और पांच हजार नये एडवोकेट इस पेशे में नया रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपने पेज नम्बर दो पर क्रम संख्या तीन, धारा 17 की उप-धारा

(श्री अशोक लाहोटी)

(1) में लिखा है कि मृत्यु पर 'दो लाख पचास हजार रुपये' के स्थान पर 'आठ लाख रुपये' प्रतिस्थापित किये जाएं।

सभापति महोदय, यह गम्भीर विषय है, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और इसी के उद्देश्य में आपने लिखा है मृत्यु पर 2 लाख 50 हजार रुपये को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किये जाएं। अब सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये आपने 8 लाख किये हैं कि 7 लाख किये हैं? ऐसे ही आप अंग्रेजी के वर्जन में चले जाएं, उसमें भी ऐसा ही है। सरकार मृत्यु पर आठ लाख रुपये कर रही है कि सात लाख रुपये? ये बिल यहीं से डिफैक्टिव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बिल को जनमत के लिए भेजना आवश्यक हो गया है और इस गलती का सुधार करना भी आवश्यक हो गया है।

सभापति महोदय, यह कापी पेस्ट तो ध्यान से कर लेते। मेरी मांग है कि ये जो आप ढाई लाख से 7 लाख और 8 लाख करने की बात कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि 20 लाख रुपये किये जाएं, 10 लाख रुपये सरकार अपनी तरफ से दे और 10 लाख रुपये अधिवक्ताओं के कोष से ले।

इतना ही आपने रिटायरमेंट पर लिखा है 15 लाख रुपये हम देंगे 40 साल के बाद और 30 साल के बाद में आप 7 लाख 33 हजार रुपये दे रहे हो। सभापति महोदय, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 30 साल के बाद रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपये से ज्यादा मिलते हैं, क्या वकील, उससे भी कमजोर स्थिति में सरकार ने इनको आंका है और वह भी तब जब पैसा आपको नहीं देना पड़ रहा है, इनके कोष से ही आप पैसा ले रहे हो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पैसे को बढ़ाकर कम से कम भी 35 लाख रुपये किये जाएं और बची हुई राशि जो 15 लाख के ऊपर की राशि है वह सरकार अपने बजट से इसमें अधिवक्ताओं के लिए जोड़े।

सभापति महोदय, तीसरा मेरा सुझाव मैं यह दूंगा कि धारा 25 में जो आपने 40 हजार रुपये को बढ़ाकर बीमारी की स्थिति में एक लाख रुपये किया है, सभापति महोदय, आप तीन लाख रुपये, पांच लाख रुपये की तो योजना ही दे रहे हो, भामाशाह योजना तीन लाख की थी, आयुष्मान योजना पांच लाख की थी, अधिवक्ताओं ने कौनसा अन्याय कर दिया कि उनको एक लाख ही दे रहे हो, इसको कम से कम तीन लाख तो करें और गम्भीर बीमारी की स्थिति में, हार्ट की है, लीवर की है ऐसी गम्भीर बीमारियों की स्थिति में इसको आठ लाख रुपये करें।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, मैं इतना कहूंगा कि छात्र राजनीति के मुकदमों में कई बार, कोर्ट में सैकड़ों बार जाने का काम पड़ा है। मंत्री महोदय, आपको शायद कोर्ट में जाने का काम पड़ा कि नहीं पड़ा, एक बार आप कोर्ट का दौरा कर लें, आपके दौरा करने से यह होगा कि आज वहां जिस तरह के हालात हैं, मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि वकीलों के बैठने के लिए कहीं पर जगह नहीं है, जो टीनशैड लगाये हुए थे वे भी छोटे पड़ गये, अब तो वकील खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश में बैठते हैं। वहां पेड़ों पर भी मचान लगाओ तो जगह कम पड़ रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी स्थिति एक बार देखकर आइये, इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखिये। मेरे सांगानेर में बार है उस बार में वहां पर बैठने के लिए जगह नहीं है, खुले में बैठते हैं और यदि वहां के टायलेट देख लो और गलती से कोई अन्दर घुस जाये तो बेहोश हो जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर तो ठीक करें, वकीलों के लिए बैठने की जगह ठीक करें। हम न्याय की उम्मीद चाहते हैं, संविधान की रक्षा चाहते हैं तो कम से कम इतनी महत्वपूर्ण कड़ी को वहां पर बैठने की ठीक व्यवस्था हो, अच्छे आर.ओ. वाटर कूलर हो, पीने के पानी की समुचित सुविधा हो, बैठने के लिए टीनशैड हो। आपके पास अनेकों अनेक जगह पड़ी है, आप नये-नये बनाएं।

दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण निवेदन है आप ही की सरकार मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आयी है। वकीलों का तरह-तरह के लोगों से पाला पड़ता है, जब सरकारी अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से अपने साथ गार्ड रखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से काम करते हैं तो क्या इन 90 हजार वकीलों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? वे भय मुक्त वातावरण में काम कर सकें इसलिए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तुरंत आवश्यकता है, जिसको लाया जाना चाहिए।

इसी के साथ में केवल आपसे यही कहूंगा कि इस एक्ट को यदि आप लाते हैं, अलग से एक फंड बनाएं जिसमें वकीलों को अपने मकान बनाने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, बेटियों के विवाह के लिए ब्याज के पैसा मिल जाए। न्याय प्रशासन खाली पदों को जल्द भरें। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनमें वकीलों के पद खाली पड़े हैं, उनको भी जल्दी भरा जाए।

दूसरा मैं कहूंगा कि ट्रिब्यूनल प्राधिकरण रेट, जो आपका रेट है उसमें

(श्री अशोक लाहोटी)

वहां पर आपके वकीलों के स्टाम्प ही नहीं लगते, प्रति साल लगभग हजार प्रकरण आते हैं, उसमें भी स्टाम्पिंग की जाए। दूसरा, जो ये 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की स्टाम्पिंग आप कर रहे हैं, कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इनमें भी कई बार इनके हिसाब-किताब में गड़बड़ी रहती है। इसको भी ई-स्टाम्पिंग करें, डिजिटल स्टाम्पिंग करें। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया। राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 के द्वारा सरकार ने अधिवक्ता कल्याण कोष में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। सभापति महोदय, कोई भी संस्था लम्बे समय तक अपने संसाधनों द्वारा अपने स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को जारी नहीं रख सकती। इसी संशोधन विधेयक से पहले बार कौंसिल आफ राजस्थान ने राजस्थान सरकार से यह मांग की थी कि अधिवक्ता कल्याण कोष से सम्बन्धित मुद्दों में जितनी राशि बार कौंसिल मुहैया कराती है उतनी ही राशि मर्सी ग्रांट के रूप में सरकार भी मुहैया कराये, परंतु राजस्थान के अधिवक्ता की इस मुख्य मांग को सरकार ने इस अधिनियम में भी शामिल नहीं किया है। इसलिए मेरी मांग है कि नये अधिवक्ता को 10 हजार रुपये स्टाईपेंड देने एवं अधिवक्ताओं को आफिस, चैम्बर, पुस्तकालय, लैपटाप की सुविधा उपलब्ध कराएं। बीमारियों में भी सरकार बार कौंसिल के फंड के बराबर मदद करे।

सभापति महोदय, इसके अलावा वृद्ध अधिवक्ताओं की पेंशन में सरकार बार कौंसिल के बराबर का अंशदान जारी करे तभी इस संविधान संशोधन की मंशा पूरी होगी, इसलिए अगर मेरे उक्त सुझावों को संशोधन में शामिल करती है तो मैं निश्चित रूप से इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि। श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, आपने 'THE RAJASTHAN ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2020' पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, इसके आब्जैक्ट एण्ड रीजंस में लिखा है, that in statement of objects and reasons, Minister In-charge has itself admitted in last paragraph which is quoted herein:

"since no appropriation has made by the State Government. The main source of contribution to the fund is sale of welfare fund fee stamps." From this it is clear that the Government is not contributing anything to the welfare fund. माननीय सभापति जी, इसमें जैसे दूसरे माननीय सदस्यों ने चिंता जताई कि अधिवक्ताओं का भला आप चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ा सेवा का कार्य है गरीबों को न्याय दिलाना। यह बिल जो सरकार लेकर आई है इसमें सरकार का भी कंट्रीब्यूशन हो, ऐसा भी एक प्रावधान किया जाना चाहिए था। जैसे हमारे पड़ोस के प्रदेश मध्य प्रदेश में इस तरह का प्रावधान है। बजट में भी इस तरह का प्रावधान होता, इस बार नहीं कर पाये तो अगले बजट में भी कम से कम दस-बीस करोड़ की व्यवस्था वकीलों के लिए रखी जाती तो बहुत अच्छा होता।

अधिवक्ता कल्याण निधि में सरकार का भी उनके बराबर सहयोग रहे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के समय में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है और प्रति वर्ष बेरोजगारी की लिस्ट से 10 से लेकर 20 हजार नौजवान जब वकालत के पेशे में आते हैं तो वे बेरोजगारों की सूची से हट जाते हैं तो प्रोटेक्टिव नौजवान समाज में उत्पादकता की ओर बढ़ते हैं और इन 20 हजार लोगों की जो बेरोजगारों की फौज कम होती है तो सरकार पर भी कितना बड़ा बोझ कम होता है इसलिए सरकार को भी इस कोष में अपना सहयोग करना चाहिए।

दूसरा, माननीय सभापति जी, इसमें दो अमैंडमेंट की बात मैं करूंगा, संशोधन देना चाहूंगा। The amendment proposed in section 16 and more particularly 16(5) is not in benefit of young lawyers because for a young lawyer is paying a huge amount of Rs. 1,00,000/- in one go which is not possible. Therefore, the increase in the amount from 17,500/- to 30,000/- and then now its 1,00,000/- is exorbitant the nature which should not be passed or in alternative, young lawyers may be given some exemption or relaxation in such huge lump sum fee.

(12.00 बजे)

यह बहुत ज्यादा है और इसमें एक सुझाव है कि 5 साल तक के यंग

(श्री बिहारीलाल)

प्रैक्टिशनर हैं, उनको इसमें छूट का प्रावधान भी किया जाना चाहिए "the further amendment proposed in section 20 (1) with respect to fee to be paid on every Vakalatnama is proposed to be increased as Rs. 100/- in any Court (other than High Court) and Rs. 200/- in every Vakalatnama filed before the Hon'ble High Court. This increase in the Welfare fee would be an extra burden on poor litigant and is contrary to the concept of "Sasta Sulabh Nyay". सस्ता, सुलभ न्याय मिले, क्योंकि भार अंततः पूअर लिटिगेंट पर ही जाना है। यह सस्ता एवं सुलभ न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। इसमें भी संशोधन माननीय मंत्री जी को और सरकार को करना चाहिए। इसमें भी सरकार का बराबर का योगदान रहे "In totality, the proposed amendments are not in benefit to young lawyers and the young lawyers have not been taken into consideration while proposing such amendment because raising of fee for membership under section 16 (5). Secondly, the increase in Welfare fee is not in favour of the litigants point of view because from the current fee of Rs. 25/- now Rs. 100/- and Rs. 200/- are proposed which is an extra financial burden to poor litigant." हमारी तरफ से इन 2 संशोधनों में सरकार को सुझाव है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से 2 छोटी बातें कहना चाहता हूं, जो कि मेरे क्षेत्र के लिए बड़ी हैं, न्याय के लिए बहुत बड़ी हैं, उनको मैं रखना चाहूंगा। नोखा में 1981 में एमजेएम कोर्ट खुल गया था जो कि आगे एसीजेएम हो गया। आज एसीजेएम कोर्ट में 4 हजार से ज्यादा पत्रावलियां पैंडिंग हैं। लंबे समय से हमारी मांग एडीजे कोर्ट की है। जो नोर्म्स आपके और हाई कोर्ट के हैं, 700 से ज्यादा केसेज होंगे तो एडीजे कोर्ट खुल सकता है। हमारे नोखा के तो 1200 से ज्यादा केसेज बीकानेर सत्र न्यायालय में पैंडिंग हैं। नोखा में एडीजे कोर्ट की न्यायोचित मांग है जो कि लंबे समय से चल रही है। आपको बार-बार अवगत भी कराया है। सरकार उस पर भी ध्यान दे।

सभापति महोदय, आजादी से पहले हमारे बीकानेर में हाई कोर्ट हुआ करता था, जो आजादी के बाद जोधपुर चला गया। हाई कोर्ट की बैंच की मांग के लिए 2009 में 120 दिन धरना चला था। उसके बाद तब के केन्द्रीय विधि मंत्री वीरप्पा मोइली जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की बात हुई थी। तत्कालीन मुख्य मंत्री और आज के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत से भी वार्ता हुई थी। उनका आश्वासन था कि जब भी राजस्थान में सर्किट बैंच कहीं दी जाएगी तो बीकानेर में दी जाएगी। इस तरह की मांग उदयपुर से भी है। बीकानेर संभाग के चारों जिलों की यह बड़ी मांग है। हिन्दुमल कोट सीमावर्ती जिला है। वहां से जोधपुर की दूरी 550 किलोमीटर से ज्यादा पड़ती है, इसलिए बीकानेर में हाई

(श्री बिहारीलाल)

कोर्ट की बैंच न्यायोचित मांग है। लंबे समय से मांग है। इसको पूरा किया जाना चाहिए।

एक ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होना चाहिए। एजुकेशनल डायरेक्टरेट बीकानेर में हैं। बहुत से सरकारी कार्यालय बीकानेर में हैं। ट्रिब्यूनल कोर्ट का भी बीकानेर में हक बनता है। सरकार से और माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वह देने का काम भी आप करें। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इन दो सुझावों के साथ मैं इसे जनमत के परिचालन के लिए आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक लाए हैं, वास्तव में अधिवक्ताओं के लिए जरूरी भी था। अच्छी बात थी। लाना भी चाहिए था लेकिन उसमें मुझे कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही है। वैसे सभी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो चिंता हम कर रहे है, जो संशोधन हम बता रहे हैं, वह संशोधन होगा नहीं। फिर भी हम अपनी राय दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। अगर करते हैं तो अच्छी बात है।

पहली बात तो यह है कि गंभीर बीमारी के लिए जो आपने बात की, वह सिर्फ एक लाख रुपये शल्य क्रिया, आपरेशन के लिए है। कोई चोट होने पर एक लाख रुपये है। गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख रुपये हैं। क्या यह आज के जमाने में संभव है कि गंभीर बीमारी का इलाज 3 लाख में और आपरेशन एक लाख में हो। मैं चाहूंगा कि यह 3 लाख और एक लाख न होकर, सम्पूर्ण खर्चा, जितना भी खर्चा होता है, वह उस बीमारी में दिया जाए जिससे यह हो कि 3 लाख का खर्चा आ रहा है, 5 लाख का आ रहा है, उससे ज्यादा भार भी नहीं होगा। किसी के 2 लाख में भी काम हो सकता है, किसी के 5 लाख में भी हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन है, इसमें 5 लाख नहीं करके, 3 लाख नहीं करके, सम्पूर्ण खर्चा, जो गंभीर बीमारी हो या शल्य क्रिया हो, उसमें दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान अधिनियम संख्या 15 की अनुसूची में

(श्री छगनसिंह)

जो संशोधन हुए हैं वह भी तर्कसंगत नहीं है। एक अधिवक्ता 35 वर्ष तक काम करे और उसके बाद जब काम बंद करे तो 11 लाख के लगभग दे। इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं यह कहूंगा कि वैलफेयर फंड में इसकी जगह 18 लाख करें। अगर 46 वर्ष वह काम करता है और उसके बाद रिटायरमेंट लेता है तो यह 25 लाख करें। यह भी मैं निवेदन करूंगा। आज के जमाने में महंगाई की जब बात हो रही है, आप 2012 के बिल में संशोधन इसलिए लेकर आ रहे हैं कि इसमें बहुत महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है तो यह 15 लाख रुपये, 40 वर्ष काम करने के बाद में आप बात करते हैं तो यह तर्कसंगत नहीं है।

तीसरी बात मैं यह कहूंगा कि वैलफेयर फंड में अधिवक्ता ही जमा कराते हैं। सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार भी इसमें अपना अनुदान दे। जो एडवोकेट से फीस ले रहे हैं, वह एकमुश्त जैसे 17500 के लगभग ले रहे हैं। वह 17 हजार न करके 10 हजार ही करें। इसमें सरकार अपना अनुदान दे जिससे कि एडवोकेटों को राहत महसूस हो। उनको भी लगेगा कि वास्तव में हमारा मान, सम्मान किया है। उनसे शुल्क कम करके राजस्थान सरकार को अनुदान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर की थी कि विधायकों को धमकी मिलती है। अगर विधायकों को धमकी मिल सकती है तो जब भी अधिवक्ता गरीब व्यक्तियों की पैरवी करते हैं, उनके केस लड़ते हैं तो उनको भी धमकियां मिलती हैं। मैं चाहूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएं। इसके साथ-साथ ही लाते तो और भी बढ़िया होता। लेकिन आगामी सत्र जब भी शुरू हो तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएं। उस पर भी एक्ट बनाएं जिससे उनकी रक्षा हो सके।

सभापति महोदय, एडवोकेटों की बात हो रही है। न्यायालयों की बात हो रही है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में भी एक मुंसिफ कोर्ट खोलने की आवश्यकता महसूस करता हूं। वहां वास्तव में मुंसिफ कोर्ट की आवश्यकता है। यह जो भी संशोधन बताए हैं, उसमें मैं 6 माह के परिचालन के लिए निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री धर्मनारायण जोशी)

अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए आभार। मेरा माननीय मंत्री महोदय से 2-3 बातों का निवेदन है। आपने अभी इस विधेयक में मृत्यु पर 2 लाख 50 हजार का प्रावधान है। मैं सोचता हूं कि यह बहुत कम है। इसको आप 10 लाख तक बढ़ाएं। वकील को पेंशन होने पर 5 लाख 50 हजार बहुत कम है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस युग में एक सामान्य कर्मचारी को भी पेंशन के समय 20-30 लाख रुपये मिलते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसको 20 लाख तक करिए।

सभापति महोदय, आपने बड़े आपरेशन पर एक लाख रुपये रखा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको बढ़ाया जाए। इसमें जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राइवेट हास्पिटल हैं, इसमें भी इनका प्रावधान करें कि वहां भी अगर इलाज कराएंगे तो उसमें भी प्रावधान रहेगा। आप वकालतनामा 25 से बढ़ाकर 50 कर रहे हैं। यह आम आदमी पर भारी पड़ेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वैलफेयर फंड में सरकार खुद दे।

दिल्ली सरकार ने अभी इसके लिए 60 करोड़ रुपये रखा है। यह जो वैलफेयर फंड सालाना का 50 हजार किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। यह नए वकील के लिए देना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे ही मैम्बरशिप के लिए आपने 17500 से बढ़ाकर के 30 हजार किया है। इसको भी आप कम करें।

सभापति महोदय, मेरी 2-3 प्रार्थनाएं और हैं। वकीलों के लिए शहरों में कालोनी बसाकर उनको प्लाट दिए जाएं। यह भी आप सुविधा करें। महिला वकीलों के बैठने के लिए कोर्ट में जगह नहीं है। उनके लिए अलग से व्यवस्था करें।

माननीय मंत्री महोदय, 2-3 मेरे क्षेत्र के लिए निवेदन है कि उदयपुर डिवीजन पूरा जनजाति का डिवीजन है। मैं पहले भी आपको इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि हमारे यहां जेल में जो कैदी है, उनमें से 30 से 40 परसेंट हाई कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं देने के कारण जेल में हैं। हमारे यहां तो कैंप कोर्ट या हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना की 32 साल से वकीलों की मांग है। एक वकील उदयपुर में आत्महत्या भी कर चुका है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। यही मेरे आपको 2-3 सुझाव हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर ध्यान देकर के इसमें सुधार कराएं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 सरकार लेकर आयी है। आपने इसके ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे ख्याल से सरकार की मानसिकता यही है कि हल्दी लगे न फिटकरी और रंग आये चोखा। मेरे खयाल से सरकार अपने खजाने से एक रुपया नहीं दे रही है। सारा भार अधिवक्ताओं पर डालकर सरकार यह सोच रही है कि हम बहुत बढ़िया एक बिल लेकर आये हैं और उस बिल के माध्यम से हम अधिवक्ताओं का कल्याण करना चाह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 की धारा 16 में इन्होंने संशोधन किया है उप धारा 3 में कि 400 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये आवेदन शुल्क, जो अस्थायी शुल्क था उसको भी धारा 5 में बढ़ाकर 300 रुपये से 500 रुपये कर दिये। उप धारा 5 में आजीवन शुल्क 17000 की जगह 30 हजार रुपये कर दिया। इसी तरह धारा 19 से वैलफेयर टिकट 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिये। आपने रिन्युअल के वर्ष थे वह भी 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। पहले 5 साल में रिन्युअल फीस देनी पड़ती थी अब उनको 3 साल में ही रिन्युअल फीस देनी पड़ेगी। इसी बिल के अंदर मेरे ख्याल से मेरे पूर्व वक्ताओं ने जितनी बात कही है वह सारी बात माननीय मंत्रीजी गम्भीरता से लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से दो-तीन निवेदन हैं कि आज जितने भी अधिवक्ता हैं पूरे राजस्थान में, उनमें से 10 परसेंट अधिवक्ता ऐसे मान लो जो सक्षम हैं और जो आर्थिक रूप से ठीक तरीके से अपना जीवनयापन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन 90 परसेंट अधिवक्ता ऐसे हैं जो दिन की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी समय पर कर लें, यह भी सम्भव नहीं है। भविष्य की योजनाएं बनाकर वह चलें तो उसकी भविष्य की योजनाएं भी समय पर पूरी नहीं होती होंगी, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को दो-तीन सुझाव दूंगा। कई माननीय सदस्यों ने प्रोटेक्शन बिल की बात कही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से ले और कम से कम एक बिल ऐसा लेकर आये ताकि वकीलों की सुरक्षा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कितने ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्होंने वैलफेयर शुल्क जमा नहीं कराया है। बहुत से ऐसे हैं जो तो समय पर

(श्री रामलाल शर्मा)

जमा करवा देंगे, आप एक बार सूची टटोलो तो सही कि कितने ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्होंने वार्षिक वैलफेयर शुल्क जमा नहीं कराया है। जिन्होंने वार्षिक वैलफेयर शुल्क जमा नहीं कराया उनके बारे में इस बिल के अंदर कोई चर्चा नहीं की गयी। वो जो सदस्य बनेंगे उन्हीं को आप लाभ देंगे, उनको आप इलाज के दौरान भी लाभ दोगे, उनको आप पेंशन भी देंगे। कई अधिवक्ता ऐसे हैं जो वैलफेयर शुल्क भी जमा नहीं करवा सकते। माननीय मंत्रीजी मैं चाहूंगा कि उनके बारे में आप गम्भीरता से एक बार विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा, बैठने के लिए उनके पास जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की सुविधा उनके पास नहीं है। लंच करने के लिए उनके पास कोई स्थान उपलब्ध नहीं है कि वह आराम से जाकर लंच कर सकें। पीने का शुद्ध पानी उनके लिए उपलब्ध नहीं है। भीड़भाड़ के अंदर अपनी जिंदगी व्यतीत करने के ऊपर आमादा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि अधिवक्ताओं को कम से कम, अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि उनको रियायती दरों पर मकान आबंटन करें, सरकार अभी कर भी रही है। अभी मार्केट रेट से कम वैल्यू आने की वजह से सरकार 20 परसेंट कमी करके मकानों का आबंटन कर रही है। मैं चाहूंगा कि यदि आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप ज्यादा मकान आबंटन कर सकें तो शर्त के आधार पर कर दो कि जिनकी उम्र 75 से 80 के बीच में है इतने अधिवक्ताओं को हम मकान आबंटन करने का करेंगे। आप शर्त यह भी लगा सकते हो कि जिनकी वार्षिक आय इतनी है, इससे कम जिनकी आय है उन्हीं को आप आबंटन करेंगे तो कोई न कोई मैं सोचता हूं कि मकान रियायती दर पर आबंटन करने का सरकार विचार करे ताकि एक सुविधा उनको दे सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि आज राजस्थान में आरएएस एसोसिएशन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की एसोसिएशन बनी हुई है, उनके कमरे भी बने हुए हैं, उनके भवन भी बने हुए हैं, मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा ही भवन जिला स्तर पर अगर सम्भव नहीं है तो कम से कम जयपुर के अंदर राजस्थान स्तर का एक ऐसा भवन आप तैयार करें जिसके अंदर जो बार काउन्सिल है वह बार काउन्सिल में माननीय सदस्य किसी कार्यवश आएं तो वे वहां बैठ सकें, वे वहां रह सकें,

(श्री रामलाल शर्मा)

वे वहां रुक सकें, अपनी चर्चाओं का आदान-प्रदान कर सकें, अपनी सेमिनार आयोजित कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हनुमानगढ़ के अंदर भी कई ऐसे पैंडिंग केस हैं जिनका निस्तारण अभी तक भी नहीं हो सका। मैं चाहूंगा कि जितने भी राजस्थान में कोर्टों में केस पैंडिंग हैं उनका निस्तारण किस तरीके से हो सकता है, उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे।

एक अंतिम निवेदन है कि आपके जो पैरोकार हैं, जो एपीपीपी है, जो सरकार की सम्पत्ति को बचाने के लिए या मुलजिमों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए या जो मुस्तगीस है उसको न्याय दिलाने के लिए पैरोकारी करते हैं, माननीय सभापति महोदय, आज उनकी स्थिति यह है कि उनके बैठने के लिए भी जगह नहीं है। उनके पास फाइलें रखने के लिए आलमारी नहीं है, ऐसी भागम-भाग की जिन्दगी वह व्यतीत कर रहे हैं, कम से कम उनको बैठने के लिए कमरे की सुविधा उपलब्ध हों। बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं इनको भी कम से कम बैठने के लिए चैम्बर उपलब्ध हो।

माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन है कि इस बिल को पारित करने से पहले कम से कम इतना काम कर लो कि राजस्थान के अंदर बार काउन्सिल बनी हुई है, कम से कम एक बार उनका ज्ञापन आप मंगवा लो कि उनकी मांग क्या है, उनके साथ बैठकर चर्चा-परिचर्चा करके आप फिर इस बिल के बारे में विचार-विमर्श करेंगे तो मेरे ख्याल से सार्थक परिणाम निकलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार जल्दबाजी न करे। इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करे और जनमत जानने के बाद ही जो बेहतरीन सुझाव जनता के आएं, उसके बाद ही सरकार निर्णय करे। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हम सब जब सहकार भवन से निकलकर ज्योति नगर मोड़ से होते हुए विधान सभा आते हैं तो आपने कोने पर बनी हुई वह इमारत देखी होगी, वह इमारत 'अधिवक्ता भवन' है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोक गहलोत को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जयपुर के अधिवक्ताओं के लिए वह भूमि आबंटित की और उस भवन को बनाने के लिए उन्होंने पैसा दिया। जोधपुर में भी इसी तरह से अशोक गहलोत साहब ने भूमि दी, पैसा दिया और अधिवक्ताओं का

(श्री संयम लोढ़ा)

अधिवक्ता भवन बना। हमारे सारे अधिवक्ता जयपुर या जोधपुर आते हैं तो उन भवनों का प्रयोग करके बहुत प्रसन्न होते हैं एक सुविधा उन्हें प्राप्त होती है।

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड है वहां भी पूरे राजस्थान भर के अधिवक्ताओं का जाना-आना रहता है। मैं आपसे विनती करूंगा, आप नगरीय विकास के मंत्री भी हैं, अजमेर में भी ऐसे कोई मौके की जगह देखें और आबंटित करें और उसके लिए पैसा स्वीकृत करें जिससे अजमेर में भी एक अधिवक्ता भवन का निर्माण किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार जो यह अमेंडमेंट लेकर आयी है, यह इस बात का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि जो अधिकारी हमें पकड़ा देते हैं वह लाकर के इस सदन में रख देते हैं। हम यह भी सोचने का प्रयास नहीं करते कि जिस मकसद से लाया गया है पहले से ही उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। पहले से ही प्रावधान किया गया है उसके माध्यम से कितना फलित आया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे पास यह पिछले आठ साल के स्टेटिस्टिक्स हैं, आठ साल में इस अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से 11674 वकीलों को लाभान्वित किया गया, चाहे वो डैथ क्लेम हो, चाहे वह सीरियस इलनैस का क्लेम हो। कुल मिलाकर 1674 और आपने पैसे कितने खर्च किये आठ साल में, माननीय मंत्रीजी 25 करोड़ 54 लाख 31 हजार 673 रुपये, यह आठ साल की रिपोर्ट है, टोटल खर्चा कितना आठ साल का 25 करोड़ रुपये और अभी आपके पास पैसे कितने पड़े हैं अधिवक्ता कल्याण कोष में 121 करोड़ रुपये, फिर आप इतना सब बढ़ाने का क्यों लेकर आये? पहले मूल बिल में जो आपने बढ़ोतरी के प्रस्ताव लाये, उसमें आपने पच्चीस से पचास रुपये किया, यह वैलफेयर स्टैम्प को और आप अब लेकर आ गये सौ रुपये और दो सौ रुपये। इसका क्या लॉजिक है, यह तो आप हमें समझाओ। या तो यह कह दो कि नहीं यहां पर सब अनपढ़ लोग ही बैठे हैं जो राजस्थान सरकार लाकर बिल पेश करेगी, हम सब यहां बाध्य हैं उसको पारित करने के लिए? पच्चीस रुपये से पचास रुपये का मूल संशोधन बिल आपने पेश किया, उसके बाद में कागज में हमें संशोधन पकड़ाया, सौ रुपये और दो सौ रुपये। पच्चीस से सीधे दो सौ रुपये, यह कौनसा तरीका है। उसमें भी ट्रायल कोर्ट में सौ रुपये और हाई कोर्ट में दो सौ

(श्री संयम लोढ़ा)

रुपये? क्या वकीलों को लड़ाना चाहते हो आप? क्या सरकार वकीलों को लड़ाना चाहती है कि ट्रायल कोर्ट का वकील सौ रुपये देगा और हाई कोर्ट का वकील दो सौ रुपये देगा। क्या आपने इसे कोई धन अर्जन का केंद्र बनाया है? फूटी कौड़ी आप देते नहीं हैं अपनी तरफ से। आप मध्य प्रदेश की सरकार से प्रेरणा लें, जितना वैलफेयर स्टाम्प से पैसा आ रहा है, उतना ही पैसा मध्य प्रदेश की सरकार कान्ट्रीब्यूट कर रही है। माननीय सभापति महोदय, अभी दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार आयी, एडवोकेट वैलफेयर फण्ड में 50 करोड़ रुपये केजरीवाल साहब ने दिये तो आप भी अपनी अंटी थोड़ी ढीली करें और राजस्थान के अधिवक्ता कल्याण कोष में पैसे प्रदान करें। इस तरह से पैसे बढ़ाने का काम न करें आप।

माननीय सभापति महोदय, एक और क्लासिक चीज बताऊं आपको, इनका हाइएस्ट पेमेंट एडवोकेट्स के लिए है 3 करोड़ 43 लाख 48 हजार रुपये, जो 2019-20 में इन्होंने दिया है 201 क्लेम के अगेन्स्ट। जो पैसा इनके पास 121 करोड़ पड़ा है, इसका सालाना ब्याज कितना आ रहा है? 6 करोड़ 8 लाख 88 हजार 280 रुपये। आपका जितना सालाना पेमेंट आप कर रहे हैं, उतना तो आलरेडी पड़े हुए पैसे से ब्याज आ रहा है आपके पास। फिर आप ये बढ़ोतरी के प्रस्ताव किसलिए लेकर आये हैं? मैं विनती करूंगा, हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, इस सदन के बहुत बैस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं, हम रोज इनसे सीखते हैं, कृपा करके इस बिल को विड्रा करें। नये तरीके से विचार करके, वापस सलाह करके फिर आप इसे लेकर आएं। वह लाना आपका बहुत सार्थक होगा। आप अमैंडमेंट ला रहे थे मंत्री जी, मेरा ख्याल है आप तो वकील भी रहे हैं, आपको मैं इस एक्ट का एक सैक्शन पढ़कर सुनाता हूं। Section 29, आप ध्यान देना, मैं प्रतिपक्ष के नेता का भी ध्यान चाहूंगा- "No civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Act required to be settled, decided or dealt with or to be determined by the Trustee Committee or the State Bar Council" यह क्या दिया आपने इस एक्ट में? 87 में ही किया और क्या किया? क्या आज यह जानकारी में आने के बाद सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि इसे हटाएं। वकील तय कर रहे हैं कि हमारे द्वारा तय किये हुए किसी मामले पर कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगी। Hon'ble Minister, it is Unconstitutional. मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, जब आपकी जानकारी में यह बात आ गयी है, कृपा करके इस कानून को आप विड्रा करें।

(श्री संयम लोढ़ा)

वापस चार दिन बाद नया कानून लाएं संशोधन करके। यह धारा हटाकर लाएं। जो आपने गलत प्रस्ताव डाले, उन्हें हटाकर आएं। आप यह सीधा 25 रुपये से 200 रुपये कर रहे हैं, 100 रुपये कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपसे विनती करूंगा, पैसा किसे मिलना चाहिए? 80 हजार वकील हैं। आप गणना कराएं। कितने एक्टिव प्रैक्टिशनर्स हैं? आखिर पैसे कौन कान्ट्रीब्यूट कर रहा है? वह वकील कर रहा है जो वकालत कर रहा है, जो स्टाम्प लगा रहा है, वह वकील कर रहा है जो वकील खाली डिग्री लेकर बैठा है और परचूनी की दुकान खोलकर बैठा है, उसका क्या राइट बनता है?

अभी हाई कोर्ट ने चैम्बर्स अलाट किये। किस आधार पर किये? माननीय सभापति महोदय, उन वकीलों की लिस्ट बनायी गयी, जिनके 12 महीने में 10 वकालतनामे लगे हैं। लिस्ट बनाकर जो एक्टिव प्रौक्सिशनर्स हैं, उन्हें चैम्बर अलाट किये गये। इसमें भी आप कोई प्रक्रिया तय करें। आज कहीं और जा रहे हैं, दूसरे दिन कहीं और जा रहे हैं, कोर्ट से कोई लेना-देना नहीं तो मेरी आपसे विनती है कि आप ये प्रयास करें कि पैसा वास्तविक वकील के पास पहुंचे।

एक प्रपोजल आपने ठीक दिया है। हालांकि, मेरे पूर्व जो वक्ता थे, उन्होंने इसकी आलोचना की। जो आजीवन सदस्यता का साढ़े 17 हजार से 30 हजार प्रपोजल था, उसे बढ़ाकर आपने एक लाख रुपये किया, वह ठीक है, क्योंकि आजीवन सदस्यता 30 हजार रुपये में तो कोई भी ले लेता है। जो परचूनी की दुकान चला रहा है, वकालत नहीं कर रहा है, एक बार 30 हजार रुपये दिये और हम तो आजीवन हो गये मैम्बर। यह एक लाख रुपये प्रपोज करके तो आपने ठीक काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): कहां है यह एक लाख वाला अमैंडमेंट?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): साढ़े 17 हजार से 1 लाख कर दिया। दिया है न सर संशोधन, उस दिन आया न। दो पेज का संशोधन दिया था हाउस में।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): संयम जी को दिया होगा, हमें तो नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, नहीं, सबको दिया है। Sorry, I am Sorry, सबको दिया है। (व्यवधान) सबको दिया है। अमैंडमेंट दिया है। दो पेज का अमैंडमेंट मूव किया है दो-तीन दिन पहले। आप सबको मिला है वह। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप पढ़ते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मान्यवर, मूल बिल के अलावा किया है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): डाक तो हम रोज देखते हैं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसका जवाब तो मंत्री जी दे देंगे। आपने नहीं पढ़ा तो यह आपका दोष है। अब मैं आपसे यह निवेदन करूं, गम्भीर बीमारी में 1 लाख से 3 लाख रुपये किया है। अच्छा किया आपने, पर मुझे यह बताएं कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो क्या 3 लाख में इलाज होगा? अभी जयपुर में दो वकीलों की डैथ हुई है। पंद्रह से बीस लाख रुपये खर्चा करवाने के बाद भी मौत हुई है।

मैं आपसे विनती करूंगा कि यह प्रपोजल तो आपने अच्छा दिया, सामान्य बीमारी में 40 हजार से 1 लाख, गम्भीर बीमारी में 1 लाख से 3 लाख, लेकिन जो कैंसर या किडनी पेशेंट है, उसके लिए आप यह राशि बढ़ाएं। कम से कम आप 10 लाख रुपये का by disease उसके अंदर इनकारपोरेट करें कि वकील अगर कैंसर का पेशेंट होगा, हम उसे 10 लाख रुपये तक का खर्चा इसके माध्यम से देंगे, यह आपको करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपके सैक्शन 26 में ग्रुप इन्श्योरेंस का प्रोविजन है। मंत्री महोदय, आप जवाब दें तो बताइएगा। यह एक्ट आया, उसके बाद सैक्शन 26 की कभी पालना हुई है? कभी ग्रुप इन्श्योरेंस करवाया है? मैं आपसे विनती करूंगा कि मैंने जो पहले सुझाव दिया है, अगर आप उस रूप में वकीलों की स्क्रूटनी नहीं कर सकें तो एक्टिव प्रैक्टिसनर वकील छांटकर उनका तो ग्रुप इन्श्योरेंस कराएं। यदि आप नहीं कराना चाहते तो आपने यह प्रावधान क्यों रखा? इसलिए, आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मेरी विनती है कि लायबिलिटी इनकी इतनी है नहीं, क्योंकि 2012-13 में क्लेम आये 168, 2013-14 में क्लेम आये 277, चाहे वे डैथ क्लेम हों, सीरियस इलनैस क्लेम हों, रिटायरमेंट क्लेम हों, सब मिलाकर। 2014-15 में आये 190, 2015-16 में आये 230, 2016-17 में आये 208, 2017-18 में आये 205, 2018-19 में आये 202 और 2019-20 में आये 201, कुल 1654, 8 साल का रिकार्ड।

(श्री संयम लोढ़ा)

मेरी आपसे विनती है कि वकीलों में सौहार्द्र बना रहे, इसके लिए आप ट्रायल कोर्ट के सौ रुपये और हाई कोर्ट के दो सौ रुपये और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी चीजें लेकर आये हैं, ये ठीक नहीं हैं। यह नहीं सोचें कि सरकार की हेठी हो जाएगी, वकीलों के हित में आपसे विनती करता हूं, बार काउंसिल आफ राजस्थान ने खुद जो प्रपोजल दिये हैं, उनसे इतर प्रपोजल लाये हैं। जो मूल रूप से आप संशोधन लेकर आये हैं, ये बार काउंसिल आफ राजस्थान के प्रपोजल नहीं हैं। उन्होंने यह प्रपोज नहीं किया कि आप सौ रुपये करें और दो सौ रुपये करें, इसलिए आप यह विवाद न पैदा करें और बार काउंसिल आफ राजस्थान के प्रतिनिधियों को बुलाएं और इस पर फिर से विचार करें। होली के बाद वापस सदन बैठेगा, तब आप यह बिल लेकर आना, जिससे हम सब मिल-जुलकर एक राय होकर वकीलों के हित में निर्णय कर सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, माननीय विधि मंत्री जी खानदानी व्यापारी परिवार से हैं और इसलिए इनकी नजर बहुत तेज रहती है, पैसा कहां पड़ा है, ढूंढ लेते हैं। मुझे लगता है कि 121 करोड़ का जो डिपॉजिट बोल रहा है बार काउंसिल के खाते में, उस पर सरकार की दृष्टि पड़ गयी। वकीलों के हित में जो आपने निर्णय किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। आपने उनकी बीमारी में इलाज के लिए बढ़ाया है, सेवानिवृत्ति पर बढ़ाया है, मृत्यु पर देय पर बढ़ाया है, ठीक है, अच्छी बात है लेकिन वह बढ़ाया किसके बलबूते पर? सरकार का उसमें क्या है? 'हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा आये'। शाबासी आप लेंगे कि हमने वकीलों के हित में यह-यह सोचा, यह किया और जिम्मेदारी सारी बार कौंसिल उठाएगी। बार कौंसिल भी, इन-डायरेक्ट वे में जनता उठाएगी क्योंकि स्टाम्प जो खरीदते हैं वे तो क्लाइंट ही खरीदते हैं तो घुमा-फिराकर जनता पर आज बोझ डाल रहे हैं, सरकार पर बोझ कुछ नहीं है, सरकार बिलकुल बरी, एक रुपये का खर्चा नहीं करेगी। यह तो इनका वश नहीं लगा नहीं तो इसमें से भी लेवी ले लेते।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 121 करोड़ आज की तारीख में डिपोजिट पड़ा दिख रहा है उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो अभी तक देने की जो दरें थीं वह कम थीं इसलिए खर्चा कम था। दूसरा, यह लाइफ टाइम का जो कलैक्शन हुआ है, वकीलों से जो लाइफ टाइम का लिया

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

गया है वह इन पिछले दो-तीन सालों में ही आया है, यह ज्यादा पुराना नहीं है। अब जिन्होंने लाइफ टाइम का एक बार दे दिया वे दुबारा नहीं देंगे तो आगे इस स्पीड से इन्कम नहीं होने वाली है तो यह जो अभी आपने दरें बढ़ाई हैं उसके हिसाब से भी 2019-20 का खाता देख लें तो 2020-21 में यह लगभग बराबर होने वाला है, जितना आएगा उतना चला जाएगा, बचत जीरो। बचत जीरो ही नहीं, उलटा नुकसान होना शुरू हो जाएगा और कम से कम एक करोड़ प्रति वर्ष का बचत के स्थान पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो इस 121 करोड़ को निपटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह जो स्टाम्प बढ़ाया है उसके बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जो जनता पर बोझ आप डालना चाह रहे हैं वह बोझा सरकार अपने ऊपर ले। जितना स्टाम्प से आये उतना सरकार भी दे।

दूसरा, कुछ और प्रोविजन वकीलों के लिए करने चाहिए थे। आप पुराने वकीलों की चिन्ता कर रहे हैं जिनकी वकालत लगभग बन्द हो गई उम्र के कारण, बीमारी के कारण, उनकी आप चिन्ता कर रहे हैं और रिटायरमेंट पर आप उनको पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नया वकील आता है उसकी साल-दो साल तक यह स्थिति रहती है कि कई बार वह शाम को जब घर जाता है तो उसकी खाली जेब रहती है इसलिए उसको अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए, उनकी हिम्मत नहीं टूट जाए उसके लिए हमको स्टाइपेंड की राशि उनको अच्छी सी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। नये वकीलों के पास लाइब्रेरी की समस्या रहती है, पुरानों के पास तो बड़ी लाइब्रेरी होती है पर नये के पास नहीं होती है इसलिए उनको कम से कम 50 हजार रुपया ब्याज मुक्त ऋण बार कौंसिल के माध्यम से दिलवाया जाए ताकि वे अपनी लाइब्रेरी स्थापित कर सकें। उसके अलावा भी वकीलों की समय-समय पर डिमांड्स आती रही हैं। टोल नाकों पर उनके आते-जाते समय जो पैसे लगते हैं उससे उनको मुक्ति कैसे मिले उसकी व्यवस्था बने, बार कौंसिल के उनके परिचय पत्र के आधार पर मुक्ति मिले या और कोई तरीका सरकार ढूंढे। जो ग्रामीण क्षेत्र से वकील जिला मुख्यालय पर या एसडीएम हैडक्वार्टर पर या हाई कोर्ट में पैरवी के लिए जाते हैं तो उन लोगों को बस पास मिले। प्लाट की भी बात आई है कि वह रहता कहीं गांव में है और वकालत डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर या और कहीं कर रहा है या हाई कोर्ट में वकालत कर रहा है, जोधपुर में नया हाई कोर्ट भी बन गया तो उस हाई कोर्ट के आस-पास पर उनको रियायती दर पर प्लाट हम दे सकें। यह तो वकीलों की बात है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वकीलों के साथ वकीलों को सहयोग करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। रजिस्टर्ड मुन्शी होते हैं स्टाम्प वेंडर होते हैं, डाक्यूमेंट राइटर होते हैं, फोटो कापी करने वाले होते हैं, टाइप करने वाले होते हैं। उनके वैलफेयर के बारे में कब सोचेंगे हम? उनकी चिंता कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी भी या तो सरकार उठाये या बार कौंसिल उठाये। अब आप कहेंगे कि बार कौंसिल का उनसे क्या लेना-देना, तो मैं लेना-देना आपको बता रहा हूं। पिछले दिनों उदयपुर बार एसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पास किया। वह प्रस्ताव मैं पढ़कर सुना रहा हूं। "आज निर्धारित समय पर बार एसोसियेशन, उदयपुर कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित मीटिंग में स्टाम्प वेंडरों व टाइपिस्टों को वार्निंग देकर पाबन्द किया।

(1) कोई भी टाइपिस्ट निर्धारित स्पेस में 15 रुपये प्रति पेज से ज्यादा किसी अधिवक्ता से राशि नहीं लेगा। यदि लेता हुआ पाया जाए, उसकी शिकायत मिलने पर बार कार्यकारिणी एक्शन लेकर उसको न्यायालय परिसर से बाहर करेगी। यह प्रस्ताव है उनका।

(2) सभी टाइपिस्ट व्यक्तिगत व्यक्तियों का कार्य छोड़कर बिना अधिवक्ता के कोई टाइप नहीं करेगा। पहले अधिवक्ता का कार्य करेगा। मना करने पर तुरन्त बार कार्यकारिणी द्वारा एक्शन लिया जाएगा।

(3) जिस स्टाम्प वेंडर के पास ई-स्टाम्प का लाइसेंस प्राप्त है और वर्तमान में ई-स्टाम्प विक्रय कर रहा हो, वही स्टाम्प वेंडर अपनी दुकान में कम्प्यूटर व प्रिंटर रखेगा और सिर्फ ई-स्टाम्प का कार्य करेगा। दूसरा कोई दस्तावेज टाइप नहीं करेगा। जिसके पास ई-स्टाम्प का लाइसेंस नहीं है वह अपनी दुकान में कम्प्यूटर व प्रिंटर नहीं रखेगा। यदि रखता हुआ पाया गया, कोई दस्तावेज टाइप करता हुआ पाया गया जिससे अधिवक्ता हित को नुकसान कारित हुआ हो तो बार एसोसिएशन तुरन्त एक्शन लेकर उसका लाइसेंस निरस्त करायेगा और उसके कैबिन पर ताला लगाकर उसे न्यायालय परिसर से बाहर करेगा।

(4) कोई भी स्टाम्प वेंडर स्टाम्प प्रिंट प्लस 20 परसेंट से अधिक राशि नहीं वसूलेगा। वसूलने पर बार उसका अविलम्ब लाइसेंस निरस्त करायेगा।

(5) टाइपिस्ट व स्टाम्प वेंडर अधिवक्ता का कार्य पहले करेगा। यदि

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अधिवक्ता को समय लगेगा कहकर व्यक्तिगत कार्य करता पाया गया तो शिकायत मिलने पर बार एसोसिएशन तुरन्त एक्शन लेकर कार्यवाही करेगी।

(6) यदि टाइपिस्ट व स्टाम्प वेंडर को बार कार्यकारिणी द्वारा वार्निंग दी गई कि वह हर समय अधिवक्ता का कार्य पहले कर सहयोग प्रदान करे अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।

(7) यदि स्टाम्प वेंडर व टाइपिस्ट वार्निंग के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, उनकी निगरानी के लिए अविलम्ब चार सदस्यों की अनुशासन समिति बनाई जाएगी। अनियमितता पाये जाने पर बार कार्यकारिणी को सूचित करने पर तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही होगी।

(8) सभी स्टाम्प वेंडर को नोन जुडिशियल स्टाम्प के साथ अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए जुडीशियल स्टाम्प, कोर्ट फीस, टिकट व रेवेन्यू टिकट रखना आवश्यक है। नहीं रखने पर, शिकायत मिलने पर बार तुरन्त कार्यवाही करेगी।

(9) जिन टाइपिस्ट व स्टाम्प वेंडर के केबिनों का किराया है, अविलम्ब बार में जमा कराएं अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(10) जिन टाइपिस्ट को केबिन अलाट किये गये, वर्तमान में वे टाइपिस्ट एडवोकेट बन गए वे केबिन का बकाया किराया अदा कर अपने केबिन बार को अविलम्ब सरेंडर करें ताकि दूसरे टाइपिस्ट को अलाट किया जा सके।

(11) फोटो स्टेट करने वाले अधिवक्ताओं से एक रुपया प्रति पेज लेगा, ज्यादा लेने पर कार्यवाही की जाएगी।"

मुझे नहीं पता कि बार एसोसियेशन और बार कौंसिल को इस तरह के आदेश जारी करने की और इस तरह की पाबन्दियां लगाने का अधिकार है या नहीं, मैं नहीं जानता। यदि है, अच्छी बात है, नहीं है तो यह कौनसे एक्ट के तहत है? कौनसे कानून के तहत वे इतने सारे अधिकार प्रयोग कर रहे हैं और जब अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी लो। उनकी जिम्मेदारी भी बार कौंसिल को लेनी चाहिए, बार एसोसियेशन को लेनी चाहिए और जिस तरह से आपने वकीलों के हित में सोचा है वैसे उन सबके हित में भी सोचिये, उनको भी इसमें इन-कार्पोरेट करिये और उनके हित के लिए भी उनकी पेंशन की भी चिन्ता करिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उनके इलाज की भी चिन्ता करिये। यह सब इसमें शामिल किया जाना बहुत जरूरी है।

आखिरी बिन्दु मैं निवेदन कर रहा हूं। सिरोही से आने वाले माननीय विधायक ने कुछ संशोधन सर्कुलेट करने की बात कही है। उनके सिवाय वह किसी को नहीं मिला है तो हमको बताये बिना, हमको अंधेरे में रखकर यदि आप संशोधन कर रहे हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कृपा करके इस बिल को आज पास करने के बजाय स्थगित करिये और फिर कभी आप तसल्ली से लाइये। सरकार की जिम्मेदारी भी उसमें डालते हुए लाइये, सरकार के ऊपर भी कोई आर्थिक भार पड़े, यह भी व्यवस्था करते हुए उसको वापस लाइये और यह जो टाइपिस्ट, डाक्यूमेंट राइटर, स्टाम्प वेंडर, इनके बारे में भी कुछ बात जोड़कर फिर लाइये तो हम इनका स्वागत करेंगे, तब तक के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार व्यक्त करने के लिए आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: अभी डिमांड पर भी चर्चा होनी है इसलिए खास-खास बातें करें ताकि समय पर डिमांड शुरू हो सके।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं पांच मिनट में खतम कर रहा हूं, मेरा ज्यादा विषय नहीं है। लोकतंत्र के अन्दर न्यायपालिका उसका चौथा स्तम्भ है और न्यायपालिका में वकील या एडवोकेट का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके लिए 1987 में एक्ट बना, 2012 में आप संशोधन लाये और आज फिर 2020 में संशोधन लाये। संशोधन लाकर वकीलों में वाहवाही लूटने का आपका जो सोच है वह निश्चित रूप से निराधार है कि इस सरकार का कोई भी रोल नहीं है, सिवाय उस बार कौंसिल के पैसे को रैगुलेट करना, उसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। जिस प्रकार की ये पूरी शीट है, जिसमें आपके प्रतिवर्ष के क्लेम, खर्चे, इंट्रेस्ट और आय का पूरा स्टेटमेंट है। यदि केवल 2012 को ही पढ़ लेते तो उस समय भी 45 करोड़ बार काउंसिल के इस वैलफेयर निधि में थे। आज वे बढ़कर 121 करोड़ हो गये हैं, और तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

और केवल 2019-20 का जो सब्सक्रिप्शन आया है, वह भी 7 करोड़ 59 लाख है। टोटल खर्चा है साढ़े 3 करोड़, तो 3 करोड़ 60 लाख खर्चे में, इस वर्ष सब्सक्रिप्शन ही यदि आपके पास साढ़े 7 करोड़ हो तो, मैं समझता हूं उसमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें केवल इतना बढ़ाते कि उनके लिए जो आप मेडिकल या बाकी कुछ देते थे। उसकी राशि बढ़ाते तो बिना सब्सक्रिप्शन बढ़ाये भी, इनकी राशि आराम से बढ़ाई जा सकती थी। ये बढ़ाकर के उन पर टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि वकीलों के वैलफेयर की बात करते हैं तो केवल वकीलों की बीमारी पर या गंभीर बीमारी पर या रिटायरमेंट पर या मृत्यु पर तो आप उसको दे रहे हैं। लेकिन, वास्तव में उन न्यायालयों की हालत क्या है? आज उन न्यायालयों में वकीलों के चैम्बर बनते तो लगता कि वहां पर वकील बैठकर के आराम से काम कर सकते थे। वहां पर उनके लिए ढंग के टायलेट की व्यवस्था होती, पीने के पानी की होती।

आज अजमेर की बात कर रहा हूं। पीने के पानी के लिए विधायक कोष से हमने उनको 10 लाख रुपये दिये हैं। वह ठीक है, हमारा दायित्व बनता है, हमने दिये। लेकिन, सरकार उस पर क्या व्यवस्था करे और साथ में जो क्लाइंट्स आते हैं, वे कहां घूमेंगे, उनके लिए भी, उनके साथ भी वे बातचीत कर सकें, क्लाइंट घूमते रहते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं। आज अजमेर में तो नया भवन बन रहा है। जब भवन बनेगा तब जाकर देखेंगे कि न्यायालय के बाहर किस तरह से व्हीकल खड़े हैं। आम जन को कितनी कठिनाई हो रही है। इसमें मेरी आपसे मांग है कि इस बिल को, जो केवल आपने एक ही व्यक्ति को सर्कुलेट किया। हममें से किसी को नहीं मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई प्रमाण दे दे हमें दिया है तो, निश्चित रूप से मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। न मुझे मिला न विपक्ष के नेता को मिला, न विपक्ष के किसी व्यक्ति को मिला तो इस कारण से इस बिल को जल्दबाजी में लाया गया है। इसमें जो आवश्यकताएं हैं, केवल दो-तीन बातें मैं आपके सामने रखूंगा। जिस प्रकार अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड है। सारे राजस्थान के वकील आते हैं। पहले उसमें मैम्बर्स नहीं थे, इसके कारण सबको न्याय जल्दी से नहीं मिल पाता। आज 20 में से 17 सदस्य तो नियुक्त कर दिये लेकिन, वकील जो उसकी पैरवी करेंगे, वकील आज भी 14 में से केवल 6 हैं तो जनता को 17

(श्री वासुदेव देवनानी)

लोगों का लाभ नहीं मिल रहा है। सारे राजस्थान के लोग आते हैं। उनके मुकदमे पैंडिंग पड़े हैं। इसलिए, मेरा आपसे आग्रह है कि वकील पूरे नियुक्त कर दिये जाएं, सरकार जल्दी से जल्दी नियुक्त करें। साथ में अजमेर में एक अधिवक्ता भवन बने जिससे सारे राजस्थान के वकील आएं और वहां पर आराम से ठहर सकें। इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने की जगह अधिवक्ताओं की बार काउंसिल है, दूसरे भी संगठन हैं। सबसे आप चर्चा करें और इन एडवोकेट्स के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट लाने की आप व्यवस्था करें, तब जाकर के होगा। बाकी, जो राशि दी जा रही है वह भी बहुत कम है। केवल 15 लाख की जगह 25 लाख किया जाए और मृत्यु के ढाई लाख रुपये कम हैं, ऊंट के मुंह में जीरा है। उसको भी आगे बढ़ाएं, इस आधार पर यदि आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा वकीलों के बढ़ाने की तुलना में, राज्य सरकार भी कोई अपनी जिम्मेदारी ले, एम पी गवर्नमेंट ने ली है और यूपी गवर्नमेंट ने इस बार 26 करोड़ रुपये उसमें जमा कराये हैं। बाकी सरकारें भी बार काउंसिल में दे रही हैं। राजस्थान सरकार भी पीएफ की तरह जितनी राशि उनकी इकट्ठी हो, उतनी ही राशि राज्य सरकार अपनी ओर से मिलाए। उनके लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था करे और सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी दरों को बिना बढ़ाये, उनको जितना भी मृत्यु, रिटायरमेंट और बाकी सब राशि देनी है, वह दे। केवल ब्याज कमाने वाली बार काउंसिल का विधान न करे। ब्याज तो आता रहेगा, 6 करोड़ ब्याज है। उसी से गाड़ी चल सकती है। इसलिए इस राशि को न लिया जाए, न बढ़ाया जाए और पुरानी राशि में से इनको बीमारी पर, गंभीर बीमारी पर, गंभीर बीमारी पर तीन लाख, तीन लाख से कौनसी बीमारी, आयुष्मान में भी पांच लाख है तो कम से कम इसको 5 लाख तक बढ़ाया जाए तो इन संशोधनों के लिए मैं मांग करता हूं कि इसको जनमत के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को लाया गया है। अधिवक्ताओं की सदस्यता से और स्टाम्प से और अन्य स्रोत से जो आय होती है, वह बहुत कम होती है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार अधिवक्ताओं को

(श्री मदन दिलावर)

प्रोत्साहन देने के लिए जितनी आय होती है, उतना ही प्रोत्साहन के रूप में शामिल करे ताकि, देनदारियां जो होती हैं, मृत्यु पर है, बीमारी पर है, वगैरह-वगैरह, वह उसमें पूरा पड़ सके, अदरवाइज कम पड़ेगा क्योंकि, आप जानते हैं कि जो नये अधिवक्ता होते हैं उनकी वकालत पूरी नहीं चलती और उससे उनका परिवार भी नहीं चल पाता है। इसलिए उनको कुछ पैसा दो लाख, तीन लाख रुपये बिना ब्याज के भी सरकार दे ताकि वे अपना आफिस बना सकें और अपनी लाइब्रेरी बना सकें, वह ठीक प्रकार से अपनी वकालत कर सकें। उनके पास लाइब्रेरी होगी, आफिस होगा, सब कुछ होगा तो उनके मुवक्किल भी ठीक प्रकार से उनके पास आ पाएंगे और उनकी आय बढ़ जाएगी।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि कोर्ट छोटी-छोटी जगहों पर है। फिर, वहां से अपील के लिए डिवीजन हैडक्वार्टर पर वकील आते हैं। जो वकील डिवीजन हैडक्वार्टर्स पर आते हैं तो वहां उनके रहने के लिए किसी प्रकार का कोई साधन नहीं होता है, कोई भवन नहीं होता है। हर डिवीजन हैडक्वार्टर पर सरकार की तरफ से, एक ऐसा गैस्ट हाउस बनाया जाए ताकि वहां रुक सकें, रैस्ट कर सकें, रात्रि विश्राम कर सकें तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा।

एक बात और देखने में आती है। रेवेन्यू की दृष्टि से रेवेन्यू कोर्ट में सरकार ने रेवेन्यू में कह रखा है कि सन् 1970 के बाद कोई भी कब्जा वे अपने रिकार्ड में नहीं लिखते परन्तु, कब्जे के आधार पर लाखों केस अभी अदालतों में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि यदि हजार साल तक भी कोई अन्य मूल खातेदार की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो मालिक नहीं हो जाता परन्तु, उस कब्जे के आधार पर कई अदालतें स्टे देती रहती हैं और स्टे देने के कारण से, जो मूल खातेदार है वह सफर करता रहता है। मेरा इसमें इतना निवेदन है कि सरकार रेवेन्यू एक्ट में भी यह संशोधन लाये कि जो मूल खातेदार है, वही मालिक होगा। यदि कोई कब्जा भी जताता है तो कब्जा नहीं माना जाएगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो हजारों लाखों केस चल रहे हैं, वे अपने आप समाप्त हो जाएंगे अदरवाइज, जो कब्जे का नाम लेकर, जो किसानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, अन्याय हो रहा है और गरीब किसान, छोटा किसान, जिसकी आमदनी कम है, जिसकी वॉइस कम है, वह डर के मारे बोल नहीं पाता। जो दबंग आदमी होते हैं, वे कब्जा कर लेते हैं तो, इतना उसमें संशोधन कर देना चाहिए कि वह किसी भी कीमत पर मालिक नहीं बन सकता। उसे हांक नहीं सकता और यदि वह हांकता है उसकी

(श्री मदन दिलावर)

जमीन को, अपना मालिकाना हक बताने की कोशिश करता है तो किसी प्रकार की पैनल्टी, जुर्माना, सज़ा का प्रावधान हो, जिससे कि वह नहीं कर पाये, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। इस अधिवक्ता कल्याण से संबंधित जो मूल अधिनियम है राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 और उसके बाद में आज जो संशोधन आप लेकर आये हैं, ठीक 8 वर्ष पूर्व 2012 में भी आपने इस मूल अधिनियम में संशोधन किये। आज एक बार फिर अधिवक्ताओं के कल्याण से संबंधित आपने कुछ आवश्यक संशोधन प्रस्तुत किये।

आपने इस अधिनियम की धारा संख्या 15 की धारा 16 में संशोधन किया। इसमें आपने अधिवक्ताओं का वार्षिक सदस्यता शुल्क बढ़ाया। आपने अधिनियम की धारा 17 का संशोधन किया। इसमें किसी अधिवक्ता या किसी सदस्य की मृत्यु पर ढाई लाख के स्थान पर सात लाख रुपये किया। धारा 19 का संशोधन आपने किया और इसकी उप धारा (1) में 25 रुपये के स्टाम्प पर 50 रुपये का स्टाम्प शुल्क आपने किया। अभी जैसा कि सुनने में आया कि आपने एक और संशोधन इसमें पेश किया कि अधिवक्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट के अंदर न्यायालय के समक्ष फाइल किये गये, प्रत्येक वकालतनामे पर 100 रुपये की कल्याण निधि की फीस और हाई कोर्ट के समक्ष किये गये फाइल पर 200 रुपये की स्टाम्प फीस लगाई जाएगी। आपने इसकी धारा 25 का संशोधन किया कि शल्य क्रिया पर 40 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये, गंभीर बीमारी पर 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये। इसके साथ ही अधिनियम संख्या 15 की अनुसूची में संशोधन किया, अधिवक्ताओं की सदस्यता के संबंध में और 40 वर्ष की सेवाओं के रिटायरमेंट के बाद में 15 लाख रुपये तक उसको मिलेगा और उसकी उप धारा-(5) में आपने जिस तरीके से आजीवन सदस्यता शुल्क बढ़ाया है 17,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह वास्तव में बहुत अधिक है क्योंकि जब एक अधिवक्ता एलएलबी की डिग्री लेकर बार काउंसिल का एग्जाम पास करने के बाद जब प्रैक्टिस में आता है और प्रैक्टिस में आते ही उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं होती

(श्री अविनाश)

है कि वह 1,00,000 रुपये जमा करा सके। मैं भी इसी कानून का विद्यार्थी रहा हूं तो मुझे लगता है कि आपने जो 1,00,000 रुपये का सदस्यता शुल्क किया है आजीवन का, यह बहुत अधिक है, इसमें भी संशोधन करने की जरूरत है, इसको कम करने की जरूरत है। आपने जो यह संशोधन किए, मेरे से पूर्व के माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखी, जो सुझाव दिए, जो संशोधन दिए, मैं निश्चित रूप से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन संशोधनों पर और इन सुझावों पर अमल करे और इस संशोधन विधेयक को 6 महीने के लिए जनमत हेतु परिचालित करे। उसके बाद में जो सुझाव आएंगे, बार काउंसिल राजस्थान के अंदर है उनको सम्मिलित करे। उनके सुझाव भी लें, पर एक बात निश्चित है कि यह संशोधन पेश कर सरकार की तरफ से आपने कुछ भी अनुदान देने का इसके अंदर काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के कल्याण निधि कोष को रेगुलराइजेशन करने का काम किया है। मैं कुछ सुझाव मेरी तरफ से देना चाहूंगा कि जिस तरीके से नए अधिवक्ता आते हैं आपने उसके बारे में कोई संशोधन नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से प्रत्येक जो नये सदस्य होते हैं जो प्रैक्टिशनर होते हैं जो नए आते हैं उनको 10,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाए, ऐसा संशोधन भी आप लोग लेकर आएं और बजट में जिस तरीके से प्रतिवर्ष मार्च-फरवरी के अंदर बजट पेश किया जाता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनट में खतम कर रहा हूं। जिस तरीके से बजट पेश किया जाता है, प्रत्येक वर्ग के लिए आप कुछ न कुछ घोषणाएं करते हैं, पर अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए आप कुछ नहीं करते हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में अधिवक्ताओं के कल्याण कोष के लिए भी कुछ सहायता राशि प्रदान करें। स्थानीय अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता-फरियादियों के लिए चैंबर की व्यवस्था बने। जो परामर्श केंद्र हैं उनके लिए प्रोपर भवन की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आज जब छोटी-छोटी जगह पर कोर्ट बने हुए हैं। मेरा जैतारण तो इस मामले में लकी है कि वहां मुंसिफ कोर्ट भी है, एमजेएम कोर्ट भी हैं, एडीजे कोर्ट भी है, उपखंड मुख्यालय भी है। अच्छे भवन बने हुए हैं पर सिर्फ और सिर्फ फरियादियों के लिए और अधिवक्ताओं को बैठकर बातचीत करने के लिए, क्लाइंट के बीच आपस में बातचीत कर परामर्श करने के लिए कोई व्यवस्था

(श्री अविनाश)

नहीं है इसलिए वहां पर ऐसी व्यवस्था भी करें और कोर्ट के आसपास ही महिला-पुरुष अधिवक्ताओं के लिए टायलेट्स, विश्राम गृह, पेयजल, लाइब्रेरी की ऐसी व्यवस्था करें ताकि उनको एक निश्चित जगह पर बैठकर अपने प्रोफेशन से संबंधित कामकाज करने में सुविधा महसूस हो सके। अधिवक्ताओं के लिए अभी जो माननीय सदस्य ने पूर्व में कहा, निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के साथ में स्टांप वेंडर हो, चाहे टाइपिस्ट हो, चाहे डीड राइटर हो, कोई भी होता है, उसको भी इसके साथ में एड करें, उसके भी कल्याण के लिए अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा।

बस आधा मिनट में खतम करूंगा कि यह कोर्ट तो बने हुए हैं लेकिन एक जो विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र जैतारण जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और विशाल भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 60-70 किलोमीटर की दूरी उपखंड मुख्यालय से अन्य गांवों की है। एससी/एसटी कोर्ट और पाक्सो कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए मुझे जिला मुख्यालय हमारे जो वकील हैं, मुस्तगिस हैं और मुलजिम हैं उनको जाना पड़ता है। आपसे निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में आप पाक्सो कोर्ट और इस एससी/एसटी कोर्ट को भी उपखंड मुख्यालय पर स्थापित करने की कृपा करवाएं, ताकि लोगों का आर्थिक रूप से समय भी बच सके और उनका पैसा भी बच सके। इसी तरह से किसी भी तरह के कल्याण कोष के गठन का वास्तविक रूप से उद्देश्य तभी सफल होगा जब इसका उपयोग हो और उसका फायदा उन्हीं अधिवक्ताओं को मिले जो निश्चित रूप से प्रैक्टिस करते हैं, एक्टिव हैं जो डिग्रियां लेकर के घर बैठ जाते हैं उनको फायदा नहीं मिले और...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): सिर्फ और सिर्फ एक अंतिम बात कहूंगा कि बीमारी से संबंधित आपने जो इसमें राइडर तय किए हैं, मैं चाहूंगा कि गंभीर बीमारियों के मामले हों, चाहे शल्य क्रिया के हों, चाहे मृत्यु के ऊपर हो, जो आपने राइडर लगाए हैं वह खतम कर दें। किसी बीमारी का इलाज 50,000 में हो जाएगा, लाख में हो जाएगा, लेकिन 3,00,000 रुपये तक की जो आपने सीमा तय की है इसको खतम करें और एक बहुत अच्छी कहावत है जो हमेशा हमारे कही जाती है कि तवायफों का बुढ़ापा और अधिवक्ताओं की जवानी

(श्री अविनाश)

बहुत खराब होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिकतम काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सरकार जो संशोधन लेकर आई है, खुद ने तो पल्ले से एक कौड़ी नहीं दी। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग आवे चोखो। वकीलों की ही आंख और उनकी ही उंगली यानी सरकार के छोटे-छोटे संशोधन हैं 400 के स्थान पर 800 रुपये कर दिये। उप धारा-3 में विद्यमान अभिव्यक्ति 400 रुपये के स्थान पर 800 और उप धारा -5 में खंड-1 में विद्यमान अभिव्यक्ति 300 रुपये के स्थान पर 500 और इसी के (ख) खंड में विद्यमान अभिव्यक्ति 750 रुपए के स्थान पर 1500, इस तरह से चाहे कोई वकीलों के लिए, बीमारी के लिए इलाज के लिए 1,00,000 रुपये देने की बात की है। सभापति महोदय, मैं सरकार से चाहूंगा कि वकील भी इस राजस्थान के निवासी हैं। उनके लिए खाता खोलो कि कोई भी वकील बीमार होगा तो उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। ऐसी व्यवस्था करो और कुछ खुद की आय से भी इसमें पैसा मिलाओ, यह तो वकीलों का फंड है, उनका पैसा इकट्ठा किया हुआ है। सरकार बिना मतलब की नंबरदारी कर रही है। नंबरदारी करनी है तो इसमें कुछ पैसा मिलाओ, और सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि नए वकीलों के लिए जो फीस बढ़ाई है, प्रथम 5 वर्ष में पहले 19,000 का प्रोविजन था अब 50,000 रुपये कर दिए।

सभापति महोदय, नए वकील 10-10 वर्ष तक सीनियर वकीलों के थैले उठाए घूमते हैं उनको कोई वकालतनामा नहीं देता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अंदर चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी देखो, 10 परसेंट वकील हैं जिनके पास काम है। मैं उनसे दुश्मनी मोल नहीं लूंगा पर मंत्री महोदय, आप अच्छी तरह से समझते हो वह 10 परसेंट वकील उनकी आय क्या है आपसे छिपी हुई बात नहीं है। कितना टैक्स जमा कराते हैं, क्या करते हैं, यह सारी बात आपकी जानकारी में है। अगर वकीलों को

(श्री रामप्रताप कासनियां)

फायदा देना है, बेरोजगारों को आप यह समझो कि हमने भत्ता दिया तो जो लोग बेरोजगार हैं जो ज्यादा पढ़ने-लिखने में होशियार नहीं है वही अब वकील बन रहे हैं। मैं यह निवेदन आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि हकीकत में वकील तो हैं 10 परसेंट, बाकी डिग्री हैं, बेरोजगार हैं 10-10 वर्षों तक सीनियर वकीलों के बस्ते उठाए फिरते हैं, तब तक आप उनको बेरोजगारी भत्ते के नाम से ही दे दो। कुछ सहायता तो दो अपने पल्ले से। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो मैंने जो इशारा किया है वहां हाथ डालो और बेरोजगार वकील हैं इनका इंतजाम करने का काम आप करो।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी चाहता हूं कि यह जो आप की बार है, वकीलों को कोर्ट में स्थान आबंटित करते हो, मुद्दत हो गई, कई वकील काम ही नहीं कर रहे हैं वह मकान उसी के नाम पड़ा है। नए को तो जगह ही नहीं मिलती है तो इसकी भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यह एक जगह की समस्या नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है। जो व्यक्ति जो वकील रिटायर हो गया जो काम ही नहीं करता उसके नाम से कोई जगह अलाट है तो उस जगह को दूसरे काम करने वाले व्यक्ति को दी जाए। उस पर उसका मालिकाना अधिकार जो है वह खतम किया जाए।

सभापति महोदय, मैं सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी-छोटी समस्याएं चाहे छोटे कस्बों की हो, चाहे बड़े शहरों में हो, अदालतों के अंदर जगह की बहुत कमी है वकीलों को बैठने के लिए स्थान नहीं है।

(13.00 बजे)

इस पर भी आपको कोई विचार करना चाहिये। सभापति महोदय, एक शंका और है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बागड़ी में एक कहावत है पढ़े जाट को और सीखे नाई को। मेरे को लगता है कि यह पढ़ेगा और वकालतनामा भरेगा। उनके ही लगना है यह सारा कुछ। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये, इसमें कहीं क्लाइंट नहीं पिस जाये, यह ध्यान रखना आप।

सभापति महोदय, मैं अंत में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप 10 वर्ष के लिए प्रतिमाह हर वकील के खाते में 10 हजार रुपये का इस बिल में डालो। 10 वर्ष तक के लिए सरकार को अपने खजाने से यह व्यवस्था करनी चाहिये और 10 वर्ष में अगर वकील अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो तो वह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जाने और उसका भगवान जाने। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020, 2012 के बाद इसमें अपन फिर कुछ संशोधन कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं, इसमें सरकार का तो कोई लेना देना नहीं। जो भी कुछ पैसा ले रहे हैं, वकील से ले रहे हैं या जनता से ले रहे हैं। मैं सोचता हूं कि 2012 से लेकर 2020 तक जो हिसाब आया है, इसको भी देखना चाहिये। जो मोटे-मोटे संशोधन यह कर रहे हैं, पहली सदस्यता में जो 400 था, उसको यह 800 कर रहे हैं, जिसको प्रवेश शुल्क कहते हैं। एक बार जिसका एनरोलमेंट होता है उसे 400 के बजाय 800 कर रहे हैं। वार्षिक सदस्यता शुल्क जो पांच साल का था, उसे 300 के बजाय आप 500 कर रहे हैं। 5 से लेकर 10 साल तक की जिसकी प्रैक्टिस है, उसका हर साल का 750 से 1500 कर रहे हैं। जिसकी 10 साल से अधिक की प्रैक्टिस है, उसका जो 1250 पहले था, उसकी जगह आप 2500 कर रहे हैं। सदस्यता शुल्क एकमुश्त देगा, 16 में जो आप अमैंडमेंट ला रहे हैं, वह 17500 पहले था, आज की तारीख में उसे 30000 कर रहे हैं। इस बारे में मेरा आपसे कहना है कि अगर वन टाइम उसकी सदस्यता है तो इस पैसे को निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिये। कारण क्या है कि यह जो 30000 रुपये देकर, मैं आपको सच कह रहा हूं कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील 40 परसेंट हैं, बाकी तो केवल एनरोलमेंट करके एज ए एडवोकेट हैं। इसका पता करना हो तो साल में उनके वकालतनामे कितने लगते हैं, इसकी कोई संख्या तय कर दो कि कम से कम साल में 50-60-70 वकालतनामे तो लगें उस आदमी के, तब तो अपन समझ सकते हैं कि वह वकालत कर रहा है, वह केवल वकालत की एंट्री कर रहा है और उस व्यक्ति को भी हम इस फंड से वह सारे लाभ दे रहे हैं जो वास्तव में 30-30 साल से वकालत कर रहा है, उसके बराबर लाकर खड़ा कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इसका लाभ अधिक से अधिक उन्हें मिले जो ईमानदारी से इस वकालत के पेशे को वकालत के पेशे के रूप में कर रहे हैं। बाकी उस डिग्री के आधार पर जो बाकी धंधे हो सकते हैं, उन धंधों में इन्वाल्व होकर केवल वो तो एक डिग्री है और उसका रजिस्ट्रेशन है, इस पर विचार करना चाहिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसमें 16 में अमेंडमेंट कर रहे हैं, अगर उसने अपना पैसा समय पर नहीं दिया तो वापस उसका पैसे देने में पहले आप उसका 18 परसेंट ब्याज लेते थे। अब आप उसमें ब्याज घटाकर 7 परसेंट लेंगे।

इसी तरह से सदस्यता शुल्क अगर वह लंबे समय तक नहीं दे पाया तो 7 परसेंट इस पर ब्याज लेंगे, 18 से 7 कर रहे हैं। धारा 17 में जो आप संशोधन कर रहे हैं कि अधिवक्ता की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको जो ढाई लाख मिल रहा था, अब आपके इस संशोधन के आधार पर उसको 8 लाख मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा-सा आपको और आपके डिपार्टमेंट को सचेत करना चाहता हूं। 17 में जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, वह ढाई से लेकर आठ लाख कर रहे हैं और इधर इसमें आपने लिखा है 2 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि यह कोई कानून ला रहे हो या मजाक कर रहे हो? इतनी बड़ी बेसिक गलती अगर लॉ डिपार्टमेंट करे तो यह कानून इस हाउस में आ ही नहीं सकता। एक जगह आप इसी में प्रिंट कर रहे हो कि 17 में संशोधन हम यह ला रहे हैं कि मृत्यु हो जाने पर उसको ढाई लाख के बजाय आठ लाख देंगे और इसके उद्देश्य और कारणों में आप लिख रहे हो ढाई लाख की जगह हम सात लाख रुपये देंगे। इसको प्रिंटिंग मिस्टेक कहकर अपन कानून बना रहे हैं क्या? सभापति महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है यह कानून इस सदन में डिस्कस ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बेसिक गलती है। बेसिक गलती है, इसको कोई माफ नहीं कर सकता। मैं सोचता हूं कि इसको वापस लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये और आपके डिपार्टमेंट ने इसको रखा है, उद्देश्य और कारणों में क्या कह रहा है और एक्चुअल में धारा 17 में जो आप संशोधन कर रहे हो, वह क्या कर रहे हो। इस प्रकार की त्रुटि अगर लॉ डिपार्टमेंट करे और हाउस उसको इग्नोर कर जाये, मैं सोचता हूं यह एक तरह से हमारी इस संस्था को अपमानित करने वाला काम होगा। मेरी आपसे और सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि यह गलती प्रिंटिंग में हुई या किस में हुई हम नहीं जानते हैं, परंतु यह कानून बिलकुल गलत है। अच्छा होगा कि आप इसको फिर से ले जाकर अमेंडमेंट करके ले आओ। उसके बाद भी आप अड़े रहते हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर लॉ डिपार्टमेंट इस प्रकार की बेसिक गलती कर जाये, मैं सोचता हूं कि इस विषय पर आप बहुत गहराई से विचार करना।

अभी आपने धारा 19 में जो दंड रखा है, 25 रुपये का जो स्टाम्प

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगता है वह तो क्लाइंट पर लगता है, आपकी जेब से क्या जा रहा है। आप उस गरीब से सीधा 25 रुपये से 50 रुपये वसूल कर रहे हो। 25 रुपये से आप उस पर 50 रुपये का टैक्स लगा रहे हो। इस बारे में हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इसका 100 रुपये प्रपोज किया, हमारे पास तो अभी तक कागज आया नहीं। यह दंड किस पर लग रहा है, उस गरीब क्लाइंट पर लग रहा है जो मजबूरी में आकर कोर्ट में खड़ा हुआ है। आप उसकी जेब काटकर पैसे वसूल करके वकील के जीवन का कल्याण का काम कर रहे हैं। फिर हम यहां क्यों करें, वह अपने वहीं कर ले, यहां आने की जरूरत क्या है। मैं सोचता हूं कि आप केवल आये ही इसीलिए हो, आप जो यह स्टाम्प ड्यूटी से बढ़ाकर 50 कर रहे हो, इसलिए इस विधान सभा में आने की जरूरत पड़ी, बाकी तो इनका हिसाब किताब बार काउंसिल ही कर देती, आपको यहां आने की जरूरत क्या थी? मैं सोचता हूं कि उस गरीब क्लाइंट पर टैक्स लगाकर इसमें सरकार का क्या जा रहा है। मैं सोचता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं आगे आपको और बताने का प्रयास करूंगा।

मैं चाहता हूं अगर वास्तव में आप अधिवक्ता को सहयोग करना चाहते हो तो बीमारी को प्रायोरिटी दो। आपने धारा 25 में बदला है, 40 के बजाय एक लाख कर रहे हैं और एक लाख की जगह आप तीन लाख कर रहे हैं। एक और अमेंडमेंट कर रहे हैं, पहले जिसकी पांच साल की वकालत होती थी, वह इसके लिए एलिजिबल था, अब आप उसमें तीन साल के वकील को भी एलिजिबल मान रहे हैं, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन गंभीर बीमारी में जो तीन लाख है, इसको बढ़ाकर निश्चित रूप से पांच लाख की सीमा में लाइए। आप जब इसके सारे रिकार्ड को देखोगे तो आपको लगेगा, आज की तारीख में जो आपका सालाना खर्चा है लगभग, जो रिसीव्ड हो रहा है, स्टाम्प ड्यूटी से लगभग 3.6 करोड़ के लगभग इकट्ठा हो रहा है, 2012-13 में 2.6 करोड़ था। अभी 2018-19 में 3.6 करोड़ आया। आज की तारीख में 25 रुपये के स्टाम्प से उससे आपकी आमदनी 3.6 करोड़ रुपये आ रही है। अब यदि आप इसे 50 रुपये कर देंगे तो आज की तारीख में जितने क्लाइंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको 7 करोड़ 20 लाख रुपये की आमदनी तो अपने आप ही हो रही है। इस आमदनी से जो आज की तारीख में अब तक की टोटल इनकम है, वह लगभग 121 करोड़ रुपये है, जो कि आज की तारीख में डिपोजिट है और उसका ब्याज 6 करोड़ रुपये से ज्यादा आता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसमें आप जो सालाना खर्चा बता रहे हैं, उसमें डैथ क्लेम में 2.67 करोड़ रुपये अधिक से अधिक जा रहे हैं। 2012 में 1.07 करोड़ रुपये से शुरू हुआ, अभी आपको 2018-19 में डैथ में 2.67 करोड़ रुपये देने पड़ रहे हैं। सीरियस इलनैस के जितने लोग आये हैं, उनमें आपका जो पैसा जा रहा है, वह 2019-20 में अधिक से अधिक 70 लाख रुपये जा रहे हैं। इसी तरह से, जो रिटायरमेंट का अमाउंट है, वह आज की तारीख में 63 लाख रुपये अधिक से अधिक जा रहे हैं। यह आपका रिटायरमेंट का है। यह सारा मिलाकर आज की तारीख में जो टोटल खर्चा आ रहा है, वह 3 करोड़ 43 लाख रुपये है। पिछले साल 3 करोड़ 49 लाख आया था। आपके अगर इन फीगरों को देखें तो अगर अधिक से अधिक पेमेंट गया है तो 3.5 करोड़ रुपये गया है। आज की तारीख में आपकी जो आमदनी है, वह केवल 25 रुपये के टैक्स से ही खर्च के करीब हो रही है। आपको 6 करोड़ रुपये डिपोजिट से मिल रहे हैं।

मैं सोचता हूं कि आपने आज की तारीख में जो प्रपोज किया है, उस प्रपोज से भी आपका खर्चा इससे अधिक आने की संभावना मुझे नहीं लग रही है क्योंकि आपने दो ही जगह पर बढ़ाने का प्रयास किया है, बीमारी में बढ़ाया है या उसके रिटायरमेंट में आपका खर्चा 2.5 करोड़ रुपये आ रहा था, उसकी जगह अब 8 करोड़ रुपये आएगा। अगर वह चाहेगा कि वह अपनी सेवाएं छोड़कर वापस जा रहा है तो उसको आप पेमेंट करेंगे, तो इसमें आपने 50 हजार रुपये देने का जो प्रोविजन रखा है, 10 साल में आप उसको एक लाख रुपये देंगे और लास्ट में यदि वह 40 साल As a Advocate पूरे कर लेगा तो उसको अधिक से अधिक 15 लाख रुपये मिलेंगे। अधिक से अधिक 15 लाख उसको अपनी सदस्यता खतम करने के बाद देंगे और 8 लाख रुपये अधिक आपके मृत्यु हो जाने पर लगेंगे और इलाज के लिए आपने अधिक से अधिक एक लाख और तीन लाख रुपये का प्रोविजन किया है, ये सब तो आपके देने हैं, फिर आप ये बिल क्यों लाये?

आज की तारीख में इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है, आज की तारीख में जितना पैसा आ रहा है और उस पैसे से काम चला रहा है। क्या इससे अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगाकर फंड इकट्ठा करने के लिए आप यहां पर प्रस्ताव लेकर आए हैं, किसके काम के लिए लेकर आए हैं। अगर वास्तव में प्रस्ताव लेकर आए हैं तो फिर आप उनको मृत्यु पर जो 8 लाख रुपये दे रहे हैं, उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपये करें, तब तो लगेगा। क्या विधान सभा फंड

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कलेक्शन करने के लिए है? फंड इकट्ठा करके, ब्याज कमाओ, साढ़े छह करोड़ रुपये सालाना आज की तारीख में ब्याज आ रहा है। ब्याज कमाने के लिए, आप उस गरीब आदमी से, क्लाइंट से 25 रुपये की जगह 50 रुपये लिये जा रहे हो।

अभी जैसे कोई 100 रुपये का प्रस्ताव लाया। हम किसी भी कीमत पर उस गरीब के ऊपर यह सौ रुपये का चार्ज लगाने नहीं देंगे। अगर सरकार चाहती है तो अपनी जेब से खर्च करे। साधारण आदमी से जो मारा हुआ मजबूरी में कोर्ट में आता है, वह न सीधा कुछ बोल सकता है, न कुछ कर सकता है, न कोई अपनी बात कह सकता है। मेरे यहां तो कोटड़ा और झाड़ोल से कई लोग ऐसे आते हैं, जिनके पास गाड़ी का किराया नहीं होता है। बस का किराया नहीं होता है, वे लोग भी आकर अपने केसेज के बारे में लड़ते हैं। मेरे उदयपुर की जेल में 30 परसेंट वे आदिवासी आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, जिनकी कोई वकालत नहीं कर सकता। इसके कारण वह वहां पड़ा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर सरकार की इस प्रकार की मंशा है, मैं भी चाहता हूं कि वकीलों के वैलफेयर के लिए जो कुछ भी मदद की जा सकती है, वह करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारा भार केवल क्लाइंट के ऊपर डाले और सरकार यहां पर बिल लाये और एक कौड़ी अपनी जेब से खर्च न करे और वाहवाही करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस बेसिक गलती के आधार पर, कोई ज़िद करने का सवाल नहीं है। इसे अपमान नहीं समझना चाहिए। हमने जो प्रिंट किया है। आपके इस बिल के प्रिंट में आप एक जगह 17 में संशोधन में 8 लाख रुपये लिख रहे हैं और इसके उद्देश्य और कारणों में आप इसको 7 लाख रुपये लिख रहे हैं। कृपा करके इस विधान सभा की तौहीन मत करें और इस बिल को वापस एक बार ले जाएं और ठीक प्रकार से ड्राफ्ट करके लेकर आएं, तब तो समझ में आएगा कि आपकी कोई मंशा है और वास्तव में आप उस वकील की मदद करना चाहते हैं।

एक चैम्बर नहीं है, केवल और केवल उदयपुर शहर है, जिसमें हमने नगरपालिका और यू.आई.टी. में पैसा देकर इनके सारे चैम्बर बनाये हैं। उदयपुर एक मात्र ऐसा है, लेकिन वहां आज की तारीख में गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं है। आपको निश्चित रूप से वहां से हटाकर बाहर ले जाना चाहिए। वहां पर एक आदमी या क्लाइंट गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। आधा-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आधा किलोमीटर दूर मोटर साइकिल को रखकर आदमी कोर्ट में आता है। कोर्ट का कैम्पस इतना लिमिटेड है और आज जिस प्रकार से कोर्ट और केसों की संख्या बढ़ी है, उसके आधार पर जगह नहीं है। मैं एक बार फिर मंत्री महोदय निवेदन कर रहा हूं कि इस गलती को आप अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइये और इस विधान सभा की तौहीन मत कीजिए। जो भी प्रिंट होकर आ गया या गलत होकर आ गया है, इसको सुधार कर दुबारा लेकर आए और जिन्होंने प्रिंट करके आपके सामने रखा है, उनको भी थोड़ा टास्क पर लें कि ये क्या तमाशा है या क्या है, कानून बना रहे हो या कानून का तमाशा कर रहे हो? इतना ही कहकर मैं बिल के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि प्रिंटिंग में जो गलती है, इसके लिए बिना किसी बहस और बिना किसी तर्क इसको वापस लेना चाहिए। अपनी विधान सभा अभी तो चल रही है। अभी तो 12 तक चलेगी, 16 तक चलेगी, आप इसको फिर लेकर आ जाना, लेकिन आप इस बिल को ऐसे ही रखकर इसके बारे में जिद करेंगे तो हम इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, 15 माननीय सदस्यों के द्वारा इस बिल के बाबत अपने विचार रखे गये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें हुई है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इस पर आखिर में आऊंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आखिर में आएंगे तो मैं और हम सब इस बात को नहीं सुनेंगे, फिर हम बाहर चले जाएंगे। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो कोई बात नहीं हुई, हमने आपकी पूरी बात सुनी है। क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे? आप हमारी बात भी सुनें। आपकी बात का जवाब दूंगा। जिस तसल्ली से मैंने आपकी बात सुनी है। कृपया मुझे भी तो सुनें। आपका तर्क अलग है, मेरा तर्क अलग है। किरण माहेश्वरी जी ने युवा वकीलों को स्टाईपेंड दिये जाने की बात कही। निश्चित तौर पर यह सरकार के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

परीक्षणाधीन है। स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए, इस पर हम परीक्षण करवा रहे हैं। जहां तक सवाल इस बात का है कि सरकार द्वारा आनुपातिक योगदान दिया जाए, तो आनुपातिक योगदान देने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। न तो 2012 में था, न ही इसमें था और न ही यह बार काउंसिल एवं जो ट्रस्ट समिति बनी हुई है, उसकी मांग है। यह उनकी मांग भी नहीं है। यह उन्हीं के लिए बन रहा है। जिनके लिए बन रहा है, वे ही मांग नहीं कर रहे हैं।

लाहोटी जी ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी यहां पर आना चाहिए। मैं लाहोटी जी से कहता हूं कि आप इस बात के लिए प्रसन्न होंगे कि यह भी सरकार में परीक्षणाधीन है, हम इसके लिए भी परीक्षण करवा रहे हैं। बिहारीलाल जी ने कहा कि सदस्यता शुल्क में आजीवन शुल्क एक लाख रुपये बहुत ज्यादा है। यह तो वैकल्पिक है, आप्शनल है। आप चाहें तो दें और चाहें तो हर साल दें। या तो एक साथ दे दें, नहीं तो हर साल दे दें। देवनानी जी ने कहा कि लगभग 800 अधिवक्ता ऐसे हैं, जिनकी वकालत 35 साल की हो गयी है। उनके रिटायर होने पर कोष पर भारी दबाव पड़ेगा। (व्यवधान) मेरी बात सुनें। आपने कहा कि पहले बार काउंसिल से चर्चा करें। हमने बार काउंसिल से एक बार नहीं, दस बार चर्चा की है। और बार काउंसिल के अलावा ट्रस्ट समिति जो है, उनसे भी चर्चा की है और चर्चा करने के उपरांत वे जो चाहते थे, वो ही हम बिल लेकर के आए हैं। हमने अपनी तरफ से कोई ज्यादा एड नहीं किया है। हमने जो कुछ सुझाव अपने थे, वे उनको दे दिए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, हम उसी तरीके से लेकर आए हैं। संयम लोढ़ा साहब ने कहा कि अमेंडमेंट बार काउंसिल के प्रपोजल पर ही लाना चाहिए। यह अमेंडमेंट बार काउंसिल के प्रपोजल पर ही आया है। उनके साथ-साथ दस-दस बैठक हुई हैं। लॉ-डिपार्टमेंट की अलग हुई है, हमारी अलग हुई है, सब की हुई है। जैसा वे चाहते थे, वैसा ही हमने करने की कोशिश की है। उक्त कोष में आनुपातिक योगदान के लिए भी आपने कहा। आगे जाकर विचार किया जा सकता है। अभी तक कोई विचार नहीं है। हम 2012 में बिल लेकर आए थे, 2013 से लेकर 2018 तक आपकी सरकार थी, आपने भी कभी विचार नहीं किया इस बात पर। जब हमारी सरकार आ जाती है तब आप मांगें मांगने लग जाते हैं, उठाओ, दो, दो, अपने समय पर बोलते नहीं हैं।

दिलावर साहब ने कहा कि खातेदार की जमीन पर आदमी दूसरा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कब्जा कर लेता है और आगे जाकर वह मालिकाना हक मांगता है। ये तो रेवेन्यू का मामला है। यह दूसरी बात है यह रेवेन्यू का लॉ नहीं है। अब सवाल आता है, आपने जो फरमाया, उसका जवाब देना चाहता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी बात में कोई विशेष दम नहीं दिखा मुझको।

श्री सभापति: विराजिए। बीच-बीच में इंटरवीन मत कीजिए। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: एक बार सुन लें आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये तो मैं बोल रहा हूं, दूसरों का भी जवाब दिया है। कटारिया साहब ने तो कहा था आप तो सीधे मेरी बात पर आओ। मैंने रिक्वैस्ट की आपसे कि नहीं साहब, दूसरों की बात का भी जवाब देने दो, अब उसमें आपका नंबर नहीं आया, मैं क्या करूं इसमें? उद्देश्य और कारणों का कथन, इसके पैरा चार में देखें आप, पैरा 4 में 7 लाख रुपये का उल्लेख किया गया है, जबकि विधेयक में खण्ड 3 में 8 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। बार काउंसिल ने पूर्व में विनिश्चय किया था कि वित्तीय सहायता 2 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर के 7 लाख रुपये किया जाए, जिसका उल्लेख उद्देश्य और कारणों के कथन में है। बार काउंसिल और सरकार के बीच में काफी विचार-विमर्श हुआ। विचार-विमर्श के पश्चात् बढ़ती हुई महंगाई और रुपये के अवमूल्यन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि को 7 लाख से बढ़ाकर के 8 लाख रुपये का निर्धारण किया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें लिख देते। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अमेंडमेंट आ गया न। अमेंडमेंट आ ही रहा है। वो ही तो मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) आपको नहीं मिलने का मेरा कसूर नहीं है। ये तो आप असेम्बली के सैक्रेटेरियट से पूछिए। मेरा कसूर नहीं है। (व्यवधान) मेरा मतलब तो यह है कि मैं अमेंडमेंट मूव कर दूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, अमेंडमेंट की प्रतिलिपि आप भिजवा दें इनको। अमेंडमेंट की प्रतिलिपि भिजवा दी जाए दूसरी। (व्यवधान) माननीय नेता महोदय को भिजवा दीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 8 लाख करने का निर्णय जिसके अनुरूप विधेयक में 8 लाख का संशोधन प्रस्तावित किया गया है। (व्यवधान) इसमें कोई गलती नहीं की गई है। उद्देश्य और कारणों के बारे में बार काउंसिल से ...(व्यवधान) विनिश्चय करके ही यह लाया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये ही रहेगा क्या? (व्यवधान) ये 7 लाख ही रहेगा। अगर ये 7 लाख ही रहेगा तो इतनी बड़ी गलती के लिए हम यहां बैठकर इसको पास किसी कीमत पर नहीं करेंगे। वाकआउट करो। क्या मतलब है?

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, ये राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि, अधिवक्ताओं के कल्याण और एक निधि का गठन किया गया है, जिसका उपयोग अधिवक्ताओं की मृत्यु पर दिये जाने वाले फ़ायदे और चिकित्सा उपचारों के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है, उसके बाबत किया गया है। इस निधि का प्रशासन एक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। न तो इसमें एक पैसा सरकार देती है और न इसमें से एक पैसा सरकार लेती है। यह सब बार काउंसिल की तरफ से और स्टेट ट्रस्टी कमेटी की तरफ से जो सुझाव आए हैं, उनके लिए किया गया है। इससे पूर्व 2012 में इसमें संशोधन किया गया था। अधिवक्ताओं द्वारा व्यापक मांग की गई कि अस्पताल का इलाज बढ़ गया, देश की अर्थव्यवस्था डांवाडोल है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कल्याण कोष की रकम बढ़ाने पर सरकार विचार करे। उसी पर, उनसे काफी कुछ विचार-विमर्श करके यह एक्ट लाया गया है। यह अमेंडमेंट लाया गया है। सात वर्षों में समस्त वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। सभी प्रकार के उपचार भी महंगे हुए हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में यह अधिनियम, 1987 में संशोधन किये जाने पर यह विधेयक लाया गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जनमत जानने के लिए हां भरी है। बिलकुल भरी है।

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। माननीय सदस्य विराजिए आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उसे स्वीकार किया जाए। प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, खण्ड 2 का संशोधन। विधेयक के खण्ड 2 के उप-खण्ड (iii) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति ''30,000 रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''1,00,000 रुपये'' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): खण्ड 4- मेरा संशोधन है कि विधेयक के खण्ड 4 में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'पचास रुपये' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'दस रुपये, बीस रुपये, एक सौ रुपये और दौ सौ रुपये' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): खण्ड 5- मेरा संशोधन है, विधेयक के खण्ड 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

''5. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 20 में संशोधन- मूल अधिनियम की धारा 20 की विद्यमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

'(1) प्रत्येक अधिवक्ता उसके द्वारा धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न) अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष फाइल किये गये प्रत्येक वकालतनामे की दशा में एक सौ रुपये मूल्य का और उसके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किये गये प्रत्येक वकालतनामे की दशा में दो सौ रुपये के मूल्य का कल्याण निधि फीस स्टाम्प लगायेगा। कोई भी वकालतनामा उपर्युक्त निर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी के भी समक्ष फाइल, या उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह इस प्रकार स्टाम्पित न हो:

परन्तु 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक वर्ष-

(क) धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष फाइल किये गये प्रत्येक वकालतनामे पर इस प्रकार लगाये जाने वाले स्टाम्प के मूल्य में दस रुपये की वृद्धि की जायेगी, प्रतिवर्ष

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(ख) उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किये जाने वाले प्रत्येक वकालतनामे पर इस प्रकार लगाये जाने वाले स्टाम्प के मूल्य में बीस रुपये की वृद्धि की जायेगी।''

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 और 7 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 एवं 7 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 एवं 7 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1-अधिनियम सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को संशोधित रूप में पारित कर दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कि पहले आपसे विनती की थी और अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है......

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पारित हो चुका। आप पहले बोलते। (व्यवधान) अब तो इस पर बोलने का कोई मतलब नहीं।

अनुदान की मांगों पर विचार। श्री उद्योग मंत्री जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42-उद्योग की प्रस्तुति

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,64,43,17,000/- (तीन अरब चौंसठ करोड़ तियालीस लाख सत्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 42 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सभापति: टीकाराम जी जूली।

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार की प्रस्तुति

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,28,09,38,000/- (बारह अरब अट्ठाइस करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 23 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद जी पारख।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 23 पर विचार

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति जी, भौगोलिक रूप से हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास 3.42 लाख स्क्वायर मीटर बड़ा भू-भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का पहला राज्य हमारा राजस्थान है। नेशनल हाईवे देखें तो सैकण्ड सबसे बड़ा नेटवर्क, नेशनल हाईवे का, वह भी हमारे प्रदेश में। एक नया वरदान हमारे स्टेट को, पहला मुम्बई इण्डस्ट्रियल

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कारिडोर प्रोजेक्ट, उसका भी 60 परसेंट हिस्सा हमारे राजस्थान को। डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर है, वह 49 परसेंट हमारे क्षेत्र से गुजरेगा, यह सात ज़िलों से गुजरने वाला है। हमारे प्रदेश की लोकेशन भी कितनी अद्भुत है, देश का 40 परसेंट बाजार, हमारे राजस्थान के बिलकुल समीप, रीको भी कितना धनी है, 347 इण्डस्ट्रियल एरिया हमारे पास है। 48349 एकड़ डवलप इण्डस्ट्रियल लैंड हमारे पास है। आपके पास 20 हजार एकड लैंड बैंक भी है। बहुत बड़ा स्कोप हमारे प्रदेश में है। हमारा दूसरा भाग्य देखिए आप। प्रकृति हमारे ऊपर मेहरबान है, उसमें भी हमारा स्टेट पहले नम्बर पर है। सौर ऊर्जा की संभावना राजस्थान में सबसे ज्यादा है, बाकी सारे प्रान्त पीछे हैं। वर्तमान में हमारे पास 2.2 गीगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, तेलंगाना हमसे छोटा है, देश की कुल सौर ऊर्जा का 16 परसेंट वह अकेला कर रहा है, हम दूसरे स्थान पर हैं, आंध्रप्रदेश के साथ, 11 हमारा और 11 आन्ध्रा का, इस ओर थोड़ा और जोर देंगे तो हमको शायद और कुछ प्रोग्रेस मिलेगी।

देश का सबसे ज्यादा जिंक हमारी धरती से निकलता है, सबसे ज्यादा शीशा भी हमारी धरती की कोख में है, चांदी भी सबसे ज्यादा राजस्थान की इस पवित्र भूमि में है, पोटाश भी सर्वाधिक हमारे पास है। मार्बल, फ्लेगी, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, इन सब में हम देश में पहले नम्बर पर हैं।

जिप्सम में देश का उत्पादन है, उसका 95 परसेंट हमारे खुद के स्टेट में है। ब्लेंडेंड फैब्रिक, ऊन में भी उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान पहले नम्बर पर है। ईसबगोल, हिना है, इसमें भी हम पहले नम्बर पर हैं। सोजत की मेहंदी पूरे देश-विदेश में फेमस है, वह भी हमारे प्रदेश की सौगात है।

अश्वगंधा बेशकीमती औषधि व जड़ी बूटी है। यह हमारे चंबल की मिट्टी, चाहे राजस्थान का हिस्सा हो या मध्यप्रदेश का हिस्सा हो, अश्वगंधा भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारी जमीन पर खड़ी है। अश्वगंधा बेशकीमती जड़ी बूटी है। एलोपैथिक या आयुर्वेद की कोई भी दवा हो, अधिकांश दवाइयों में अश्वगंधा का प्रयोग होता है। अंग्रेजी महंगी शराब में भी अश्वगंधा का उपयोग होता है। चेहरे को, शरीर को सुंदर बनाने के लिए जितने भी सौंदर्य के आइटम हैं, वह सारे के सारे अश्वगंधा से बनते हैं।

बाजरा, धनिया, सरसों के उत्पादन में भी हम पहले नम्बर पर हैं। तांबे में हम दूसरे स्थान पर हैं। क्रूड आयल के सबसे बड़े भण्डार के रूप में

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हम देश में दूसरे स्थान पर है। ऊर्जा, लिग्नाइट का भी दूसरा सबसे बड़ा भण्डार राजस्थान में है। नैचुरल गैस का तीसरा सबसे बड़ा भण्डार देश का, वह भी हमारी धरती की कोख से। जिप्सम का 95 परसेंट, फ्लेगी, लाइमस्टोन देश का 70 परसेंट है।

अभी तो एक सौगात और दी है, जैसलमेर में लाइमस्टोन निकला है, कितना उच्च क्वालिटी का, जो पहले निकल रहा था, उससे भी कई ज्यादा बेहतर क्वालिटी, हमने माइंस अलाट भी की लेकिन कोई गड़बड़ी हुई इसलिए अभी तक रोक लगी हुई है। आप वापस अलाट करोंगे, तो मेरा उसमें आपसे आग्रह रहेगा कि लाइम स्टोन का उपयोग वापस राजस्थान की धरती पर ही पक्का माल बनाने के काम आए, इसलिए हमारी जो सीमेंट फैक्ट्री है, जो राजस्थान की धरती पर सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, थोड़ा खनिज मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी से बात करके, जो माइंस आप देने वाले हैं या देंगे, उसमें बहुत बड़ा भण्डार है, अगर वह राजस्थान की इकाई को देंगे, यहां सीमेंट उद्योग लग जाएंगे तो बहुत सारा रोजगार हमारे यहां उत्पन्न हो जाएगा, हमारी आय भी बढ़ जाएगी। होता क्या है, हमारा कच्चा माल दूसरे स्टेट में जाता है। अश्वगंधा है जिसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आजकल इंडिया करता है। पाउडर बनता है, मात्र दो छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हैं राजस्थान में, एक तो हमारे पूर्व मंत्री लक्ष्मण जी के बेटे ने लगाई, एक जयपुर में है। अधिकांश बाहर आन्ध्रप्रदेश में जाता है, तेलंगाना में जाता है और वह करोड़ों का एक्सपोर्ट करते हैं।

मिल्क में भी उत्पादन की दृष्टि से देश में पहले नम्बर पर है। मिल्क से भी जो आइटम बनता है, पाउडर बनता है, कुछ और बनता है, हम यहां छोटी इकाइयों के माध्यम से उत्पादन का उपयोग उद्योग में कर देंगे तो हमारे रोजगार व आय के अवसर बढ़ जाएंगे। ये कृषि के जितने भी उत्पाद हैं, उसको भी, कई उत्पादों को प्रोसेस करके पैक्ड आइटम बना दें न तो हमारे क्षेत्र में लघु उद्योग लग जाएंगे। हमारी आय बढ़ जाएगी।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपको याद होगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले बजट भाषण के बिंदु संख्या 22 में यह घोषणा की थी कि बहु उपयोगी फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। 8 महीने हो गये, 8 महीने, हम कितना आगे बढ़े? हम आगे बढ़ नहीं पाये।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

अगर यह नीति बन जाती और हमारे छोटे-छोटे उद्योग लग जाते न तो हमारे किसान की आय वैसे ही दुगुनी हो जाती।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, हम एक और क्षेत्र में बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देश के जो 25 बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनमें 25 परसेंट हमारे राजस्थान के हैं, 25 में से 6 हमारे राजस्थान के हैं। चाहे लक्ष्मी मित्तल हों, चाहे कुमार मंगलम बिड़ला हों, चाहे राधाकृष्ण दमामी, वेणुगोपाल बांगड़, राहुल बजाज, अजय पीरामल, मतलब हमारे यहां उद्यम की भी कोई कमी नहीं है। देश का बेहतरीन उद्यम हमारे राजस्थान में पैदा हुआ है। पर आप देखेंगे कि इन सब में से राजस्थान में मात्र सीमेंट इकाई में ये लगे हुए हैं, बाकी सारा का सारा अन्य प्रांतों में, अन्य प्रदेशों में ये उद्यम कर रहे हैं। इनकी इकाइयां, इनकी इण्डस्ट्रीज देश के दूसरे राज्यों में हैं।

हम पहले गुजरात से आगे थे। हुआ क्या, गुजरात ने हमें पछाड़ दिया। पहले 25 में हम 9 थे, अब 6 रह गये। कारण क्या, गुजरात सरकार की इण्डस्ट्री पालिसी है उसमें जो सुविधाएं इण्डस्ट्री वालों को दीं, अब गुजरात का नाम लेता हूं न तो पता नहीं सबको यूं करंट सा लगता है। गुजरात के नाम से, पता नहीं नरेन्द्र मोदी का खौफ इनके मन में कैसा समाया हुआ है कि ये गुजरात का नाम तो सुनना नहीं चाहते। गुजरात की यह पालिसी है न, थोड़ा अध्ययन करें कि किस तरीके से सरकार वहां सुविधा देती है, काम करती है। अपने अधिकारियों की टीम भेजो। वह इस बात का जायजा लें कि हमको भी किस तरीके से काम करना है।

हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि विश्व के तीसरे सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री का जो सफर है न, उस सफर का एक मात्र कारण वहां की औद्योगिक प्रगति है। उन्होंने इतना काम किया कि पूरा देश गुजरात की ओर देखता था कि गुजरात किस प्रकार आगे बढ़ा है। हम कुछ सीखेंगे न तो शायद हमारे भी कुछ बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। पर हमारी क्या हालत है, हमारे मुख्य मंत्री को भी राजस्थान में ज्यादा समय निकालने की फुर्सत नहीं मिलती। उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में गुजरता है। थोड़ा, आप मुख्य मंत्रीजी को कहें कि जिस प्रकार नरेन्द्र मोदी ने मुख्य मंत्री रहते हुए गुजरात में काम किया न, उस काम को राजस्थान की धरती पर करेंगे तो जो-जो हमारा भाग्य है, चाहे भौगोलिक दृष्टि

(श्री ज्ञानचंद पारख)

से चाहे प्रकृति ने हमको दिया, चाहे हमारे उद्यम का, राजस्थान देश का पहला राज्य बन सकता है। वैसे भी दिल्ली में कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है क्योंकि जो परम्परा है न, हम बात करते हैं लोकतंत्र की, बात करते हैं संविधान की, पर अपनी पार्टी में संविधान कितना है, इसका पता ही नहीं है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, वह भी हमको पता नहीं है। पता है क्या सबको? इस देश में तो गुलाम वंश का राज रहा है। पर राजस्थान की सत्तारूढ़ पार्टी के राज में यह भी पोसिबल नहीं है। इसलिए माननीय उद्योग मंत्रीजी आपसे आग्रह रहेगा कि आप मुख्य मंत्रीजी को सलाह दें क्योंकि आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। आप राजनेता कम, साधु-संत ज्यादा लगते हैं। आपका चेहरा कितना सौम्य है, आपका आचरण कितना सौम्य है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपकी गलतफहमी है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दिखने में तो ये ऐसे ही दिखते हैं। आपका जवाब भी इतना सटीक आता है, इतना अच्छा आता है कि हमको खुद को अच्छा लगता है। मुख्य मंत्रीजी आपकी सलाह मानेंगे और शायद दिल्ली जाना कम करके राजस्थान के उद्योग धंधों की ओर वे ध्यान देंगे। माननीय सभापति महोदय, वरना यह गुजरात हमारी सूची को और छोटी कर देगा।

माननीय सभापति महोदय, अब हमारी औद्योगिक स्थिति हम देखें। देश में औद्योगिक दृष्टि से जो आठ बड़े प्रांत हैं, जहां सबसे ज्यादा विकास हुआ, आठ की सूची बनी हुई है। उन आठों में हमारा स्थान नहीं है। पहले नम्बर पर तमिलनाडु है, वहां 16.7 परसेंट है, महाराष्ट्र 12.8 के साथ, गुजरात 10.18, आंध्र प्रदेश 7.6, उत्तर प्रदेश 6.45, तेलंगाना 6.20, पंजाब 5.20, ये छोटे-छोटे राज्य हैं, कर्नाटक 5.40 परसेंट है। यह जो 35 राज्यों की सूची बनी हुई है न, उसमें राजस्थान सम्मानजनक स्थान पर नहीं है। यह जानकारी माननीय उद्योग मंत्रीजी को मैं देना चाहता हूं, इसलिए हमारे सिस्टम को हमको सुधारना होगा।

माननीय सभापतिजी, हमको कितनी बड़ी सौगात मिली थी डी.एम.आई.सी. की, हमने उसको ठुकरा दिया, 7 लाख 8 करोड़ का निवेश इस एक परियोजना में होना था, 7 लाख 8 करोड़ पूरे देश का। 60 परसेंट हिस्सा हमारे प्रदेश की परियोजना का, 2017 में परियोजना के लिए तय करीब 538

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हैक्टेयर भूमि को अवाप्ति योग्य मानते हुए, जो हमको कुल 1500 हैक्टेयर से भी ज्यादा भूमि अवाप्त करनी थी, शेष भूमि को हमने अवाप्ति से मुक्त कर दिया। यह किसके दबाव में किया आपने, क्यों मुक्त किया? हमारे पास जमीन की कमी नहीं है। सबसे बड़ा भू-भाग हमारे पास है। अन्य प्रांतों की तुलना में सबसे सस्ती जमीन हमारे पास है। पर हमारी मंशा नहीं है, हमारी मानसिकता नहीं है, हमारी सोच नहीं है कि यह परियोजना है, जो राजस्थान के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम कैसे उठा सकें, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया।

माननीय सभापति महोदय, अब जमीन हमने अवाप्त नहीं की न, कितना बड़ा खामियाजा हमारे स्टेट को उठाना पड़ा, केन्द्र से मिलने वाली राशि से भी हम वंचित रह गये। प्रावधान यह था, भूमि अवाप्त करेंगे तो राज्य के बराबर का मैचिंग ग्रांट केन्द्र देगा। यह इसमें प्रावधान है। गुजरात ने 3000 हैक्टेयर भूमि अवाप्त कर ली, महाराष्ट्र ने 2200 हैक्टेयर भूमि अवाप्त कर ली, हमने सिर्फ 538 हैक्टेयर की, एम.पी. ने 445, बहुत मामूली गुजरेगा वहां से, हरियाणा ने 639 हैक्टेयर भूमि और यू.पी. ने 302 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की। हमने क्या किया, हमने इस परियोजना का आकार ही छोटा कर दिया। क्या खामियाजा हुआ कि बाकी जो छह राज्य हैं, जो राशि मिलनी थी, भारत सरकार से डी.एम.आई.सी. से, साढ़े चार हजार करोड़ की राशि जमीन की एवज में ये छह राज्य ले गये, जो राशि मिली थी उससे। हमको फूटी कौड़ी भी नहीं मिली।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, कहीं आप इस पर चिंतन करें क्योंकि प्रदेश का घाटा हुआ है, प्रदेश पिछड़ रहा है। वह हमारे कारण पिछड़ रहा है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यह महती योजना हमारे राजस्थान का कायाकल्प कर रही थी लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। कोरिडोर के लिए हमें जो स्पेशल परपज व्हीकल गठित करना था, सारे राज्यों ने कर दिया, हम अभी सरकार के भरोसे चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां इसका एक सरकारी विभाग गठित कर दिया। कोई भी निर्णय लेना हो, कोई स्वीकृति लेनी हो तो बार-बार फाइल सरकार के पास जाए। आपको सरकार के सिस्टम का पता है, लालफ़ीताशाही का पता है। एक बार फाइल जाती है, पड़ी रहती है, महीनों तक नहीं लौटती। यही कारण रहा कि हम इसमें बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, हमने डी.एम.आई.सी. के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में 13658.59 लाख का प्रावधान किया था, हमारी सरकार ने किया, आपके बजट में यह घोषणा है। दिसम्बर, 2019 तक हमने राशि मात्र 1625.4 लाख की है, लगभग 12 परसेंट की है। इससे क्या होगा, राजस्थान में योजना लेट होगी और हम विकास में पिछड़ जायेंगे। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मेरा क्षेत्र आता है। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए मेरे क्षेत्र रोहट में आपने 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विकसित और अधिसूचित कर दिया। आपने वह कर दिया। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2017 में environment clearance भी आपको मिल गयी। अब जो परियोजनाएं आपको करनी हैं, उनकी प्रगति भी आप देख लें। आपके खुद के डी.एम.आई.सी. के वार्षिक प्रतिवेदन में यह सारा कुछ लिखा हुआ है कि हमको यह-यह काम करना था। पाली एवं मारवाड़ हेतु जलापूर्ति व वेस्ट वाटर प्रबंधन का काम हमको करना था, हमने शुरू ही नहीं किया। मल्टी माडल लॉजिस्टिक हब हमको बनाना था, उसमें भी हमारी प्रगति शून्य। पाली-सोजत बाई-पास का निर्माण, अभी हमने जमीन अवाप्ति की कार्यवाही भी चालू नहीं की। जोधपुर को पाली से जोड़ने के लिए एक mass rapid transit system, इसमें भी हम शून्य पर। जोधपुर स्थित हवाई अड्डे का विस्तार और विकास का प्लान मतलब मात्र हम कागजों में हैं, कहीं पर भी आगे नहीं बढ़े हैं।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, पिछले बजट के बिंदु संख्या 210 में आप पढ़ लेना कि डी.एम.आई.सी. के दूसरे सेंटर के रूप में जोधपुर-पाली के रोहट के 9 गांवों को विकसित किये जाने हेतु इस क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया जाएगा। आपने कर दिया? तथा इसके विकास, प्रबंधन एवं विनियमन के लिए एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सात महीने हो गये, कोई भट्टा बैठाने की सरकार ने ठान रखी है तो बात दूसरी वरना इतनी बड़ी सौगात है न, उससे भी हम वंचित रह जाएंगे।

मैं वापस गुजरात की ओर आपको ले जाऊंगा। गुजरात सरकार भी अपने यहां पर उद्योग आये, यह प्रयास करती है और हम भी प्रयास करते हैं। गुजरात सरकार का वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम, एक बार उसके आंकड़े आप देखें कि कितने प्रस्ताव आये, कितने एम.ओ.यू. हुए और कितने सारे काम धरती

(श्री ज्ञानचंद पारख)

पर चलने शुरू हो गये, लागू हो गये, थोड़ा आप वह आंकड़ा देख लें। हमने भी गुजरात की नकल तो कर ली और यहां पर भी रिसर्जेंट राजस्थान, चाहे वह आपकी सरकार हो या चाहे हमारी सरकार हो, लापरवाही सबकी ओर से रही है, मैं आपका दोष नहीं देता। हमारी यह मानसिकता ही नहीं है, सबकी लापरवाही रही है, कोई एक सरकार का दोष नहीं है, यह तो लंबे समय का सबका दोष है। जो भी सत्ता में रहे हैं, सबने कहीं न कहीं पर उदासीनता रखी है, उसका यह परिणाम है और हमने भी रिसर्जेंट राजस्थान प्रोग्राम किया तो कितने प्रस्ताव आये, कितने एम.ओ.यू. हुए और कितने हकीकत में धरती पर लागू हो गये? बहुत बड़ा अन्तर आपको नजर आ जाएगा, माननीय उद्योग मंत्रीजी, बहुत बड़ा अन्तर है।

मैं धन्यवाद दूंगा हमारी यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे को कि उन्होंने जरूर यह प्रयास किया कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधरे और वर्ष 2016-17 में उस समय हमारा जो एक्सपोर्ट था, वह लगभग 36 हजार करोड़ रुपये का था। उन्होंने प्रयास किया और एक लक्ष्य रखा कि 2024 तक हम इस एक्सपोर्ट को 72 हजार करोड़ रुपये तक ले जाएंगे। प्रयास किया तो परिणाम भी आये। पहले ही साल में हम 2017-18 में 36 हजार करोड़ रुपये से 46500 करोड़, लगभग 25 परसेंट का हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया, पहले ही साल में पर बाद में चुनाव आ गये, सब उसमें लग गये, सत्ता भी इधर-उधर हो गयी। मैं आपको डालर में भी बता दूं क्योंकि निर्यात डालर से माना जाएगा। डालर की कीमत बढ़ती है तो रुपये की घटती है इसलिए रुपये आंकलन करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। 2018-19 में मात्र 7.6 बिलियन डालर, उसके पहले बढ़े हम 25 परसेंट और बाद में हम मात्र 8.58 परसेंट का निर्यात बढ़ा पाये और यह सितम्बर, 2019 तक तो हम वापस नीचे आ गये। सितम्बर, 2019 तक 6 माह में मात्र 3.32 बिलियन डालर का ही हम एक्सपोर्ट कर पाये। यह छह महीने का आंकड़ा है, छह महीने आप और जोड़ दें तो यह होगा 6.64 बिलियन जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, अब हालात आपको संभालने हैं। हम किस प्रकार 2024 के लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे, इस दिशा में थोड़ा आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहें तो शायद हो सकता है कि जो लक्ष्य हमने रखा है, उसमें हम बेहतर स्थिति में आ जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने राजस्थान की बात की है और मेरा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

क्षेत्र पाली है। मैं सदन में कई बार जिक्र कर चुका हूं अपनी समस्या और उसका समाधान दोनों आपकी जानकारी में ला चुका हूं। यह हमारा जो प्रदेश है यह शुष्क मौसम होने की वजह से टैक्सटाइल के लिए बहुत ही सकारात्मक है बहुत सकारात्मक और इसलिए चाहे रूबिया हो, पोपलीन हो, साड़ी हो, सलवार सूट हो, बेडशीट हो, जो भी कपड़ा ड्राइंग और प्रिंट होता है, जैसा राजस्थान में होता है, बाहर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर नमी होती है, वह रंग फैलता है। ऐसी क्वालिटी कहीं पर नहीं बैठती है, जैसे हमारे शुष्क मौसम की वजह से यहां पर बैठती है। चाहे पाली हो, जोधपुर हो, बिठूजा हो, बालोतरा हो, सांगानेर हो, सारे के सारे इसमें परफेक्ट हैं। सारों की क्वालिटी मिल्स को पीछे छोड़ने वाली है और एक समय में तो पाली को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, यह कोई लंबा समय नहीं हुआ। मैनचेस्टर की टैक्सटाइल का इतना बड़ा हब पाली, लंदन के मैनचेस्टर से उसकी तुलना हो गयी, इतना सम्मान हमको था पर अब क्या हुआ? आपका दोष नहीं है, बिलकुल दोष नहीं है। मैं आपके दोष की बात नहीं कर रहा हूं पर कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम में, हमारे सहयोग में कमी रही, मैं उसकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इस प्रदूषण की समस्या के चलते हमारे इस उद्योग ने तोड़ दिया और अभी जो चल रहा है वह वेंटिलेटर पर है, लगभग वेंटिलेटर पर है। हमने अगर सहायता नहीं की, मदद नहीं की तो यह भी खतम हो जाएगा और बांग्लादेश वह सारा का सारा टैक्सटाइल के ऊपर कब्जा कर चुका है। सारा का सारा और हमारी विदेशी मुद्रा का नुकसान भी इससे पूरे देश को हा रहा है और रही सही कसर गुजरात ने पूरी कर दी। पाली वाला ...(व्यवधान) (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) 30 मिनट का समय मुझे दिया है मेरी पार्टी ने।

श्री सभापति: 30 मिनट के समय के हिसाब से ही मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां, 30 मिनट का दिया है, मैं देख रहा हूं सामने घड़ी।

श्री सभापति: हां, अब आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं-नहीं, 30 मिनट का समय दिया है। भाई साहब, बोलो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लिख दिया, भाई।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हमारे परिणाम क्या हुआ कि हमारे यहां से पलायन चालू हो गया और इण्डस्ट्रीज बंद होने लग गईं। मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि आपने एम.एस.एम.ई. स्कीम में तो सब्सिडी बढ़ाई है, पर 3 जनवरी को माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जोधपुर में हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में एक भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम इस टैक्सटाइल इकाई को और अधिक सहयोग देने के लिए दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देंगे और लागत का 50 परसेंट, मुख्य मंत्रीजी ने यदि कोई घोषणा कर दी है तो वह ब्रह्म वाक्य होता है। घोषणा के बाद तत्काल आदेश जारी होने होते हैं, पर दो महीने हो गये, आदेश जारी नहीं हुए, वह थोड़ा आदेश निकलवा दो। मुख्य मंत्रीजी के भाषण की अख़बार की कटिंग मैं आप तक पहुंचा दूंगा और मेरा आपसे इसमें यह आग्रह भी रहेगा कि यह जो ई.टी.पी. है न, इससे ही समाधान होगा पाली के इस प्रदूषण की समस्या का।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पाली का हमारा एक उद्यमी है कमलेश जैन, जिसकी ज्योति टैक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से टैक्सटाइल इकाई है। मैं उसको धन्यवाद भी दूंगा और उसकी हिम्मत को दाद भी दूंगा। वह एक नई तकनीक लेकर आया पाली में एम.बी.आर. की। पिछली बार जब मैंने कहा तो वह नई-नई तकनीक थी, क्या परिणाम होंगे उसको लेकर काफी लोग आशंकित थे, पर आज एक साल से ज्यादा हो गया, उसके इतने बेहतरीन परिणाम, 97 परसेंट पानी वापस री-यूज आ जाता है। 10 हजार टी.डी.एस. का पानी उपयोग में लेते हैं, खारा पानी और ट्रीट होकर निकलता है मात्र 15-20 टी.डी.एस. का, यह जमीनों से जो पानी का दोहन होता है न, यह भी रुक जाएगा और मान लीजिए जो तीन, चार, पांच परसेंट पानी की छीजत होती है तो हमारा जो एस.टी.पी. है न सिटी सीवरेज वाला, उसके माध्यम से अगर हम उनको पानी दे देंगे तो न तो बांध का पानी, न तालाब का पानी, न किसी बेरे, नाड़ी कुए का पानी, किसी पानी की इण्डस्ट्री को जरूरत नहीं पड़ेगी। ई.टी.पी. की परमिशन आप 50 परसेंट की तत्काल जारी करवा देंगे तो बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, यह पानी की चोरी रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। अब मैं जिक्र करूंगा नया गांव इण्डस्ट्री का मेरा प्रश्न भी था, अभी भी आपके आक्शन चल रहे हैं, पहले मात्र एक इकाई लगी है। अभी भी उसमें आक्शन चल रहा है। एक महीने पहले आक्शन हुआ तीस भूखण्डों का, निकले मात्र दो और जो ताजा आक्शन आपका चल रहा है 35 भूखण्डों का,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

उसमें मात्र चार क्योंकि आपने उसमें व्हाइट कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी के लिए हां भरी है। भारत सरकार ने आपको जो एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस दी है, उसमें मात्र ए और बी श्रेणी के भारी उद्योग को लगाने के लिए आपको मनाही की है। रेड कैटेगरी, ओरेंज कैटेगरी, किसी की मनाही नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा, आपके भूखण्ड भी निकल जाएंगे और जो वहां ई.टी.पी. लगाकर टैक्सटाइल की इकाई लगाना चाहता है, प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा मैं भी नहीं देना चाहता, पर जो ई.टी.पी. लगाता है, जिसका जीरो डिस्चार्ज है। आप मेहरबानी करके उसकी घोषणा भी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरी दो-तीन बातें और हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने इशारा कर दिया। वहां एक चूड़ी उद्योग का क्लस्टर भी आपने तैयार किया और आपका जो प्रगति प्रतिवेदन है न, उसमें भी जिक्र है पर एक भी चूड़ी उद्योग अभी तक वहां पर शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर आपने प्लाट दे दिये, आप वहां क्लस्टर बनाना चाहते हो तो थोड़ा समझाइश करो तो बहुत बड़ा क्लस्टर वहां पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि पाली की चूड़ी भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होती है। थोड़ा उसमें भी आप विशेष ध्यान दो।

माननीय सभापति महोदय, यह जो पुनायता इण्डस्ट्रीज एरिया है, चाहे मंडिया रोड इण्डस्ट्रीज एरिया है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र प्रथम या द्वितीय, यहां सी.टी.पी. ने के.एल.डी. अलाट कर रखी है, क्योंकि सी.टी.पी. की क्षमता कम है। उससे ज्यादा आप पानी ले नहीं सकते इसलिए मशीनरी पर पाबंदी है और कोई एक्स्ट्रा मशीन लगायी तो उसको सीज कर दिया गया। उसमें भी मेरा आग्रह रहेगा कि अगर कोई उद्योगपति ई.टी.पी. लगाता है और उसका जीरो डिस्चार्ज है और उसके पास जमीन पड़ी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): तो ई.टी.पी. वाले को मेहरबानी करके कम से कम आप वहां पर नई मशीनरी की परमिशन दे दो, बिना ई.टी.पी. मत दो आप। मेरा खुद का आपसे आग्रह रहेगा, मत दो आप। पर ई.टी.पी. के लिए आप वहां छूट दे दो और ई.टी.पी. में यदि कोई छोटी-मोटी मशीनरी आज की आवश्यकता के अनुसार चेंज करना चाहें तो उसके लिए भी पोल्यूशन डिपार्टमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ती है। पाली मील में भी ई.टी.पी. लगा हुआ है, वहां इस परमिशन की आवश्यकता नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): तो टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज के लिए यह जरूरी क्यों? इसलिए कृपा करके पाली के इस टैक्सटाइल उद्योग को आप बचा लें ताकि पाली एक टैक्सटाइल का बड़ा हब बन जाए और आपको बहुत बड़ी रेवेन्यू दे सके। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आज की जो चर्चा है, वह मांग संख्या 42-उद्योग, मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार पर है। यह दोनों ऐसी मांगें हैं, जो राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत देश के रीढ़ की हड्डी जो युवा हैं, उसे प्रभावित करने वाली योजना है और यह योजना किस तरह से बनी, किस सोच के साथ बनी, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने भारत देश के युवा के लिए, भारत देश के जन-जन के लिए योजना गठित की कि किस तरीके से मेरा भारत देश, मेरे भारत देश के युवा, महिला, हर वर्ग किस तरीके से आत्म-निर्भर बन सकता है। इस सोच के साथ ऐसी योजनाओं का उद्गार हुआ और ऐसी योजनाएं बनायी गयीं जिनसे कि भारत देश सशक्त बन सके, अपने आपको आत्म-निर्भर महसूस कर सके, ऐसी योजनाएं बनायीं।

माननीय सभापति महोदय, जैसी अभी चर्चा हो रही थी कि एक भारत देश के युवा को सपना दिखाया था कि गुजरात माडल पर किस तरह से युवा को रोजगार दिया जाएगा, किस तरह से युवा को सम्बल बनाया जाएगा और बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा दिये गये कि भारत देश का युवा शायद अब से पहले तो आत्म-निर्भर नहीं था और उसके लिए नई-नई योजनाओं का टी.वी. के माध्यम से हो, किताबों के माध्यम से हो, विज्ञापन के माध्यम से 'यंग इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्किल इंडिया', किसानों की आय दुगुनी होगी और बहनों को आत्म-निर्भर बनाया जाएगा। किसान को नीम का खाद मिलेगा, तो यह कौनसी आय दुगुनी हुई और कौनसा रास्ता गुजरात माडल पर हमारे युवा को रोजगार दिया गया। भारत देश के युवा को रोजगार मिला। युवा अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है और कैसे ठगा-सा महसूस कर रहा है कि हवा में, मैं दो लाइन कहना चाहूंगी -

'कि ओले गिरे आकाश से,
पंछी उड़-उड़ जाय,
ढूंढ़े पेड़ छाया, घोंसला,
लेकिन पेड़ मिला न छाया मिली,
पंछी उड़-उड़ गिर जाय।'

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

यह कंडीशन भारत देश के युवा की हुई है। राजस्थान के उस युवा को शामिल करने वाला कौन है? देश का शीर्ष नेतृत्व है। जब यह श्रम योजना बनी तो यह देश के शीर्ष नेतृत्व से राजस्थान में आयी थी। माननीय सभापति महोदय, वह बनाने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री थे, प्रधान मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, लेकिन आज के जो हालात हैं, वह इस तरीके के हालात हैं, अभी पूछते हैं कि साहब, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनों का पंजीयन हुआ, कितनों को भत्ता दिया गया? माननीय सभापति महोदय, पिछले गड्ढ़े इतने हैं, जब मैं सदन में उत्तर सुन रही थी तो मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे कि आपके काल में इतने पैंडिंग थे, 2017-18 में इतने थे। पूरे पांच साल के गड्ढ़ों को भरने में जो समय लगेगा, माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों में तो भर दिया कि इतनों को दिये, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया। यह जो पिछली सरकार थी और मैं भी यहां पर मौजूद थी। अभी कह रहे थे कि साहब, आपने कुछ कहा नहीं, कुछ टोका नहीं। हमने बहुत कहा, टोका, लेकिन उसमें कोई आज तक संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री और मंत्रियों को कि कम से कम बिना भेदभाव के विकास की सोच आगे बढ़ा रहे हैं, बिना भेदभाव के कामों को स्वीकृति मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, मुझे तो पिछले पांच साल में एक भी कार्य की स्वीकृति नहीं दी गयी। ऐसी भेदभावपूर्ण सरकार थी।

माननीय सभापति महोदय, पोल्यूशन की बात करते हैं। क्यों नहीं जिसके हाथ में पावर है, एकतरफा सरकार हो और वह भी भारत देश में हो तो क्यों नहीं ऐसे फैसले लेवें जिससे कि देश के युवा का उद्धार हो, महिलाओं का उद्धार हो, भारत देश का उद्धार हो, लेकिन नहीं, ऐसी योजना, ऐसे फैसले लेने का दम नहीं रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि श्रम कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं में सरलता हो, क्योंकि जो श्रम कार्ड बनाये जाते हैं, उनका पंचायत स्तर पर कैम्प लगे और कैम्प लगाकर वहीं पर ग्राम सेवक हो, सरपंच हो और जिससे भी उस पर साइन करवाने हैं, तो इसके अन्दर मेरा निवेदन है कि जो पेंट करने वाले हैं, जो डेली वेजेज मजदूर हैं उनका श्रम कार्ड किस तरीके से बनाया जाये, या जो घरों में काम करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं वो भी तो लेबर ही हैं, वो भी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मजदूर हैं। इसमें थोड़ा-सा ये संशोधन करके और ऐसी बाध्यता नहीं हो, राइडर नहीं हो कि जो सरकारी ठेकेदार है या कांट्रेक्टर है जिसका रजिस्ट्रेशन है, वो भी उसको वैरिफाई करे क्योंकि इसमें तभी पूरे युवाओं को रोजगार मिल सकता है जबकि जो डेली वेजेज पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, दुकानों पर काम करने वाले हैं वो भी मजदूर हैं, उन्हें जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक इसमें पूर्ण रूप से सुधारीकरण नहीं होगा।

सभापति महोदय, जो बाल श्रमिक पकड़े जाते हैं, कई बार मैं खुद भी देखती हूं, तो उनसे उनके हालात जानने चाहिए कि वो यहां किस हालात में काम करने के लिए आये हैं, या उनके पिता गम्भीर बीमारी से पीड़ित हैं, या उनके माता-पिता नहीं हैं, या माता-पिता दोनों ही गम्भीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को भी खाद्य सुरक्षा से जोड़ करके लाभ दिया जाना चाहिए, उनकी पेंशन हो क्योंकि बाल श्रमिक, जो बाल मजदूरी है वो बंद हो सकती है। तब तक उनका सुदृढ़ीकरण नहीं होगा, एक दिन आप हटा देंगे वो दूसरे दिन जाकर दूसरी दुकान पर काम करने लग जायेगा तो इससे निजात पाने के लिए सरकार को इस तरीके के कदम उठाना जरूरी है और ये कदम अभी ही बन सकते हैं नहीं बाद में तो कोई बनाने वाला, इन्होंने पहले बनाये नहीं हैं।

जो छोटी नगरपालिकाएं हैं, जो सी और डी कैटेगरी की हैं उनमें जो इण्डस्ट्रियल एरिया आ गया तो वहां जो उनके खुद के प्लाट हैं, उनको मकान बनाने की या इस तरीके की परमिशन के लिए वो चक्कर काटें तो अपन क्यों नहीं नगरपालिकाओं को ही उसमें अधिकृत कर दें जिससे लोगों को इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण के नियमों का जो कम्पनियां उल्लंघन कर रही हैं, चाहे वो अपने कचरे को जलाने का हो या इस तरीके से जैसे बहरोड़, जैनपुरबास और भिवाड़ी, नीमराणा, खुशखेड़ा में गंदे पानी से पेड़-पौधे सूखने की जो शिकायतें आ रही हैं तो उनकी भी जांच करायी जानी चाहिए।

जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए तहसील स्तर पर कैम्प लगाने चाहिए क्योंकि इसमें कैम्प लगाने की फंडिंग होती है, कैम्प का पूरा खर्चा गवर्नमेंट देती है तो कैम्प क्यों नहीं लगाये जाएं जिससे कि युवाओं को आफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सभापति महोदय, इससे पंजीकरण होने में सरलीकरण होगा और वहीं पर, युवाओं को तहसील स्तर पर, उनको बाहर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

भी नहीं जाना पड़ेगा तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हर युवा को रोजगार मिल सके और उसका पंजीकरण भी हो सके।

बानसूर में नये उद्योग लगाने के लिए यहां अलवर कलेक्टर ने एक अभियान भी चलाया है युवा शक्ति तो इस तरीके के प्रोग्राम से जो पाल्यूशन मुक्त ऐसी कोई कम्पनी हो कि हम उसमें जमीन भी दे देंगे, मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप ऐसा कुछ करें जो युवा गलत आदत में नहीं भटकें, उन्हें अगर रोजगार दे दिया जायेगा कैम्प लगाकर या वहां कोई कम्पनी खोलकर तो युवाओं का सुधार कर सकते हैं, आने वाली युवा पीढ़ी में सुधार कर सकते हैं।

भिवाड़ी, नीमराणा, खुशखेड़ा जो कम्पनी है वो नजदीक है, अलवर का कोई स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय युवा जब वहां पर अपना बायोडेटा लेकर जाता है तो यह कह दिया जाता है कि आपको नौकरी के लिए बुला लिया जायेगा जबकि पूरे नोर्म्स हैं, उसने अपनी डिग्री भी प्राप्त कर रखी है, आई.टी.आई. हो, पोलीटैक्निक हो जो भी हो, तो फिर वो उसको बुलाते नहीं हैं, वो चक्कर काटते रहते हैं इसलिए, सभापति महोदय, ऐसा सुधार हो कि जब भी कोई कम्पनी लगे तो जब एम.ओ.यू. साइन हो तो उस पर यह तय कर लें, निर्धारित कर लें कि 70 से 80 परसेंट युवाओं को रोजगार दिया जायेगा, वो जिस तहसील में लगती है, जिस जिले में लगती है तो वहां के लोगों को रोजगार दिया जायेगा।

एक श्रमिक की जब दुर्घटना हो जाती है या सड़क दुर्घटना में या गम्भीर बीमारी से तो उसका परिवार बिलकुल निढाल हो जाता है तो उनके लिए भी पेंशन हो या एक परिवार को नौकरी देने का प्रावधान, आप बैठ करके ऐसा इस तरीके का कोई कानून बनायें।

गांवों में जो लघु उद्योग धंधे हैं, जैसे चाहे पत्तल बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, साबुन अगरबत्ती है या ऐसे जो हैं, लोन के जो कैम्प लगाये जाते हैं, जब लोन पास होता है तो, सभापति महोदय, जैसे डेयरी का हो, दुकान का हो, मुर्ग़ी पालन का हो या एलोवेरा खेती करते हैं, ग्रीन हाउस है, अरंडी की खेती कर रहे हैं तो जब इस तरीके से जब कोई लोन लेना चाहता है तो वहां से वो लोन पास तो हो जाता है लेकिन लोन पास होने के बाद में उसको बैंक के चक्कर लगाते-लगाते दो-तीन साल हो जाते हैं और आखिर वो निराश हो करके बैठ जाता है और वो अपना रोजगार नहीं कर पाता है, इससे

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

निराशा फैलती है। यह एक सबसे बड़ा सोचने का विषय है तो आप बैंक वालों को भी, जब उस लोन को पास करें, जब युवाओं का इंटरव्यू हो तो बैंक वालों को भी बुला लें और अपने कम्पनी वालों को भी बुला लें, लोन देने वाली जो भी कम्पनियां हैं उनको बुला लें, तो अगर इस स्तर पर करेंगे तो भी ग्रामीण क्षेत्र में इनको बढ़ावा मिल सकता है। सभापति महोदय, यह एक सोचनीय विषय है। मंत्री महोदय, आप इस पर भी एक डिस्कस करें कि बैंक के कारण युवाओं को कितने लोन नहीं मिल पाते। अगर 100 फार्म लगे हैं, अगर 100 के पास हुए हैं तो पांच या दस का ही लोन, वो लोन से पैसे लेकर के अपनी कम्पनी खोल सकता है या अपना छोटा-मोटा धंधा खोल सकता है, अपनी डेयरी खोल सकता है, अपनी खेती कर सकता है तो इस चीज को सुदृढ़ीकरण करने की, सरलीकरण की एक महती आवश्यकता है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों से जो वक्ता हैं उनको एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज काफी वक्ता बोलने वाले हैं और समय की अपनी सीमा है, कल अवकाश है, सभी को जाना भी है। मैं आपको दस मिनट दे रहा हूं। दो मिनट पहले मैं घंटी बजाऊंगा और दूसरी घंटी दस मिनट पर बजाऊंगा तो मेहरबानी करके आप सहयोग करेंगे। श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42 और 23 उद्योग और श्रम रोजगार के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा चल रही है। आज ऐसे समय चर्चा चल रही है कि जब इस समय जो गति बढ़ी है बेरोजगारी की, महंगाई की, 46 साल में पहली बार 8.5 प्रतिशत। ऐसे दौर में राजस्थान सरकार का भी एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर पहले भी जब मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार रही तब प्रयास किये। सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडिया इकोनोमी, सी.एम.आई., ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक डाटा जारी किया है, 2016 से 2018 के बीच दो सालों में 1.1 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह 2018-19 के बीच करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गये और 2019-20 में पिछले वित्तीय वर्ष 2018 की तुलना में 16 लाख कम नौकरियों का सृजन हुआ। ऐसी स्थिति में आज भारत में हर साल 81 लाख रोजगारों की जरूरत है।

एन.डी.ए. सरकार ने जो नीतियां बनाई केन्द्र सरकार ने, पिछले छह

(श्री बाबूलाल नागर)

सालों में हमारे छोटे-छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, नौजवानों के लिए रोजगार, आज ऐसी स्थिति हो गयी है जहां हजार आदमी काम करते थे, आज किसी भी यूनिट की समीक्षा कर लें, आज वहां 100 आदमी भी काम करने वाले नहीं हैं।

हमारे यहां राजस्थान में भौगोलिक परिस्थिति हमारे अनुकूल है। जैसा माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि हां, उद्योगों के लिए राजस्थान में एक अच्छा वातावरण बन सकता है। कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है, जिंक, लैड, चांदी पूरे देश में हमारे प्रदेश में अधिकतम है। राज्य में संगमरमर, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, पोटाश देश के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत हमारे राज्य में होता है। ईसबगोल, मेहँदी, धनिया, कापर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पशु धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं। पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप सिंगल विंडो एक्ट, 2011 लेकर आए थे। विभिन्न जगह जाना पड़ता था। एक ही खिड़की पर उद्योगपति को, उद्योग लगाने वालों का एक ही जगह सारी समस्या का समाधान हो जाए। आप अभी भी 2019 में राजस्थान इंडस्ट्रियल डवलपमेंट पालिसी लेकर आए। राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी लेकर आए कि किस तरह से लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, 2019 को आपने लागू कर दिया। राजस्थान निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन योजना भी प्रारम्भ की है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आम उद्यमी को लगे कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण और भी अधिक हो सकता है तो मंत्री महोदय आपको प्रयास करने चाहिंए। हालांकि मैं मानता हूं कि पिछले समय में हमारी सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास करने में कमी नहीं छोड़ी। जीएसटी भुगतान में आपने 75 प्रतिशत अनुदान 7 वर्ष तक देने के लिए आपने लागू कर दिया। राजस्थान में घोषणा कर दी, क्रियान्विति कर दी। 7 वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट आपने दे दी, 7 वर्ष के लिए लैंड टैक्स में 100 प्रतिशत मुक्ति आपने कर दी। रोजगार अनुदान आप दे रहे हैं। मंडी टैक्स पर 100 प्रतिशत छूट आपने कर दी। 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट आपने कर दी। निश्चित रूप से उन उद्योगों को स्पेशल पैकेज स्वीकृत किया जा सकता है।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहां अनुकूल परिस्थितियां हैं। आज जरूरत है कि सरकार जिस तरह से पिछले सवा साल से प्रयास कर रही है उसको और अधिक देखने की आवश्यकता है। आपने यहां नए उद्योग खोलने की बात की है। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में बिन्दु संख्या 78 में भी कहा है। उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि नए उद्योग आप स्थापित कर रहे हैं। मैंने अपने बजट भाषण में भी निवेदन किया था कि एक, सवा साल से, जब से सरकार बनी है, मैं लगातार मुख्य मंत्री जी को भी लिखकर दे रहा हूं और ऐसा लग रहा था कि मुख्य मंत्री जी जब जवाब देंगे तो मेरे यहां बिचून एक ऐसी जगह है जहां 355 हैक्टेयर भूमि रीको के लिए राजस्व रिकार्ड में सैट अपार्ट कर दी है। आपका जो दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरीडोर है, वह मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर से मात्र 45 किलोमीटर पर है और आसपास कोई रीको का एरिया नहीं है। मेरे यहां बेरोजगारी है। कृषि पर लोग निर्भर रहते हैं। जब बरसात नहीं हो, अनावृष्टि या अतिवृष्टि का समय आए तो वे सारे लोग या तो नरेगा में जाते हैं या फिर मजदूरी के लिए जयपुर आते हैं। अन्य जगह जाते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आप जवाब दें तो बिचून ऐसी जगह है जो रोड पर है। हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी है। दिल्ली-मुम्बई कोरीडोर भी 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ऐसी जगह है कि कोई भी जो नया उद्योग लगाना चाहता है, वह आराम से वहां इन्वेस्टमेंट भी करेगा। हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में आपने कुंजबिहारीपुरा, फागी में रीको इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा की थी। किसानों की आपने जमीन अधिग्रहण कर ली। आपने उनको मुआवजा भी दे दिया। फिर बाद में पर्यावरण की आपको स्वीकृति नहीं मिली। कोई नहरी क्षेत्र आ रहा होगा। कोई नदी, नाले का क्षेत्र आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पर्यावरण की स्वीकृति नहीं दी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। किसानों को जमीन का पैसा दे दिया। कागजों में उस जमीन को आपने अधिग्रहण भी कर लिया तो आप उसको कम कर दीजिए। रीको इंडस्ट्रियल एरिया को आप छोटा कर दीजिए। पूरी जगह है। आसपास के

(श्री बाबूलाल नागर)

किसान जमीन देने के लिए तैयार भी हैं। वहां भी कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2013 में कुंजबिहारीपुरा में जो रीको इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की थी। कागजों में तो वह आपका रीको इंडस्ट्रियल एरिया ही है, लेकिन मौके पर वहां न तो सड़क बनी है, न वहां कोई प्लाट आबंटित हुआ है और न कोई काम चल रहा है। इसको प्राथमिकता से लें।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। कुछ सुझाव अगर आप अलाउ करें तो दे दूंगा अन्यथा मेरा तो काम हो गया। मैंने बिचून का कह दिया।

श्री सभापति: सुझाव दीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो जमीनों का लैंड बैंक है। उद्यमियों को जमीन मिलती नहीं है। लैंड बैंक अगर आप तहसील स्तर पर बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे उद्योगों को भी आगे बढ़ाने का काम चलेगा।

सभापति महोदय, इसी तरह आपने राज्य में उद्योग नीति, इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन स्कीम यह लागू तो कर दी है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी आप मासिक रूप से समीक्षा करें। आपने योजना लागू तो कर दी लेकिन स्थिति क्या है? आपने यह 2019 में लागू की और इसके बाद में इसकी क्या प्रोग्रेस हुई? कहां तक आगे बढ़ी? कहां तक आपकी मंशा के अनुसार ब्यूरोक्रेट्स ने काम किया। मैं चाहूंगा कि हर महीने इसकी समीक्षा की जाए।

सभापति महोदय, इसी तरह मैं चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा वाले औद्योगिक क्षेत्र में इसके रखरखाव के लिए स्थानीय उद्यमियों को आप अगर संभला देते हैं तो मैं समझता हूं कि इसका आराम से रखरखाव हो सकता है। जो इकाइयां, जो लघु उद्योग रुग्णता की ओर अग्रसर हो गए हैं, वह बच सकेंगे। वैसे तो देश में छोटी इकाइयों का 40 प्रतिशत योगदान है। इनको वापस आपकी नीति में प्रोत्साहन देते हुए जो रुग्ण होकर बंद हो गयी हैं, बंद होने के कगार पर हैं, इनको वापस कैसे खड़ा कर सकते हैं, यह देखें। आपकी इस नीति में भी आपने इसको लिया होगा। इसको भी प्राथमिकता से देखा जाए।

सभापति महोदय, वाटर हार्वेस्टिंग का जब हमारी सरकार 2013 में

(श्री बाबूलाल नागर)

आई थी, तब तो शायद हमने मकानों के निर्माण के लिए इसको लागू किया था। आपने 500 मीटर तक के जो छोटे-छोटे औद्योगिक भूखंड हैं, उसमें इसका प्रावधान कर रखा है। मैं कोई इसका विरोधी नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको बढ़ाकर के एक हजार मीटर कर दिया जाए। 500 मीटर तक के छोटे-छोटे भूखंड हैं, उनका वाटर हार्वेस्टिंग पर खर्चा आता है। इससे लोग काफी परेशान होते हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि सौर ऊर्जा वाले में आप इसको हमारे उद्योगों के लिए प्रोत्साहित कीजिए।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इसमें अगर आप 50 प्रतिशत अनुदान दे दें तो हर आदमी अपनी यूनिट में सौर ऊर्जा लगा ले। इससे किसानों के लिए भी बिजली बच जाए और उसको सस्ती दर पर भी मिल जाए। बिजली के लिए उसको डिपेंड नहीं होना पड़े। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 23 और 42 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, आजादी के बाद पहली बार आप ऐसी स्थितियां देख रहे हो जबकि नोटबंदी के बाद पूरे देश में उद्योगों और आम जन पर मार पड़ी है। राजस्थान के अंदर जब तक हम रोजगार और उद्योग को ग्राम और खेती से नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, बीकानेर जिले के अंदर सिरेमिक्स की मीलें, उद्योग बड़े स्तर पर चल रहे थे। नोटबंदी और जीएसटी के बाद वह लगभग बंद हो गई हैं। जब तक हम उद्योग को ग्रामीण विकास से नहीं जोड़ेंगे, खेती से नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। गांव में दूध उत्पादन होता है। जो किसान का उत्पादन लें अगर ऐसी फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे, कुटीर उद्योग नहीं लगाएंगे तब तक गांव का उत्थान नहीं हो पाएगा। जो गांधी जी का सपना था, वह साकार नहीं हो पाएगा।

सभापति महोदय, देश के अंदर नागरिक का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जा रहा है, मगर प्रदेश व देश में बेरोजगारी की सूची बनाने और उन्हें रोजगार देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाने का काम अभी तक नहीं हो रहा है।

(श्री गिरधारीलाल)

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में श्रमिकों की संख्या भिन्न-भिन्न योजनाएं जो चल रही हैं उनमें अलग-अलग हैं, लेकिन श्रम विभाग के अफसर हर योजना को अटका कर रखते हैं। यहां तक कि बीकानेर और सीकर में श्रम विभाग में 2016 के शुभ शक्ति के फार्म व अन्य योजनाओं के फार्म आज तक बकाया पड़े हैं। श्रम विभाग इनका लाभ आज तक श्रमिकों को नहीं दिला पाया है।

माननीय सभापति महोदय, मनरेगा के तहत जो लोग काम करते हैं उनको भी शुभ शक्ति योजना का और छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिस्ड किया जा रहा है, वह भी नहीं मिल पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि श्रमिकों को तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ट्यूबवैल ज्यादा है, मूंगफली की फसल ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर इस फसल पर आधारित छोटी फैक्ट्रियां लगें। आज तक डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में किसी सरकार ने उद्योग लगाने का कभी प्रयास नहीं किया, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो। माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा में हमारे ही देश की तमाम मान्यता प्राप्त मजदूर यूनियनों को जापानी जोन की कम्पनियां अपना झण्डा नहीं लगाने देतीं, यूनियन नहीं बनाने देतीं, बाउंसरों से मजदूरों के साथ भयंकर मारपीट की जाती है, मजदूरों के मुकदमे भी दर्ज नहीं किये जाते हैं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि इन कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय की मांगों पर यहां चर्चा हो रही है उससे मैं समझता हूं कि काफी हद तक देश और प्रदेश का नौजवान जुड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्रजी मोदी को बधाई दूंगा और उनको सदन के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि युवा बेरोजगार नहीं रहें इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि योजनाएं शुरू कीं, युवा उद्योगपति

(श्री प्रताप सिंह)

बनें, इस प्रकार की उन्होंने कल्पना की और कहा कि युवा, जॉब सीकर्स मत बनो, जॉब प्रोवाइडर्स बनो। मैं समझता हूं कि इसमें हमारी पार्टी की और माननीय प्रधान मंत्रीजी की माकूल भावना छिपी हुई है। हम चाहते हैं कि देश में नौजवानों को रोजगार मिले, उद्योगों को बढ़ावा मिले।

यही नहीं, प्रधान मंत्रीजी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने इस प्रकार से गुजरात का औद्योगीकरण करवाया कि गुजरात का मुकाबला हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स से नहीं होता था, गुजरात का मुकाबला चाइना से होने लगा था। इस प्रकार की स्थिति हमारे गुजरात की बनी थी। मैं समझता हूं कि कहीं से कोई अच्छी चीज हमको मिले और उसको एडोप्ट करनी चाहिए और कोई उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि गुजरात से हमको बहुत सीख लेनी चाहिए। कई बार व्यापारियों पर संकट हो जाता है, उस समय सरकार उनके साथ खड़ी नहीं रहती है, उद्योगपतियों पर संकट हो जाता है, सरकार उसके साथ खड़ी नहीं रहती है। इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जब भी कोई ऐसा मामला आपके सामने आये तो निश्चित रूप से उद्योगपति और व्यापारी की आप मदद करें, इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी इण्डस्ट्री लगती है उसमें हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है, बाहर के लोगों, दूसरे स्टेट के लोगों को बुलाकर ज्यादातर इण्डस्ट्री अपने यहां पर काम देती हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को जो भी करना हो करे, कानून बनाना पड़े तो कानून बनाये और कम से कम 70:30 के रेशो में रोजगार दे। 70 परसेंट हमारे यहां का नौजवान हो और 30 परसेंट दूसरे स्टेट का नौजवान हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण के लिए पूरा विश्व चिंतित है। छोटी इण्डस्ट्रीज पर तो हम कार्यवाही कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अधिकारी भी वहां पर पहुंच जाते हैं पर जिन इण्डस्ट्रीज में मंत्री या बड़े लोग उनके गैस्ट हाउस या डाक बंगलों में या उनके यहां रुकते हैं उनके ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं हैं जिसकी वजह से काफी पोल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे वह हवा का पोल्यूशन हो या चाहे जमीन का पोल्यूशन या दूसरा पोल्यूशन हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मार्बल ग्रेनाइट और कोटा स्टोन या किसी मिनरल की कमी अपने राजस्थान में नहीं है इसलिए मिनरल्स पर आधारित काफी उद्योग यहां पर लग सकते हैं। मेरा

(श्री प्रताप सिंह)
आपको सुझाव है कि इन पर टैक्स में जितनी रिबेट दे सकते हैं दें। आपने देखा होगा कि जहां पर इस प्रकार की इण्डस्ट्रीज हैं, वहां पर उनका जो स्क्रैप है, उसके पहाड़ के पहाड़ बन चुके हैं, इनके लिए किसी प्रकार की योजना बनाएं कि वह भूमि जिस पर इस तरह के पहाड़ बने हुए हुए हैं वह भूमि काम आये चाहे वह खेती के काम आये, चाहे माइन्स के काम आये, इस प्रकार का मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जिस भावना से सिंगल विण्डो सिस्टम को लागू किया गया था वह भावना पूर्ण नहीं हो रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सिंगल विण्डो सिस्टम की समीक्षा करनी चाहिये और कहां उद्योगपति को तकलीफ आ रही है इस पर विशेष ध्यान देकर उस कमी को पूरा करना चाहिये। यही नहीं, नया उद्योग लगता है तो बैंक वाले 17 चक्कर लगवाते हैं, प्राइवेट बैंक्स जब से आयी हैं तब से कोई कहता है कि दस परसेंट में लोन दे दूंगा, कोई कहता है बारह परसेंट में दूंगा कोई कहता है कि सात परसेंट में दे दूंगा। जहां से भी वह लोन ले, मेरा सुझाव है कि इन बैंकों से कौन-कौन उद्योगपति लोन ले रहा हे, कौन-कौन इण्डस्ट्री लगाने वाला ले रहा है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, जो लोन ले रहा हे, उसकी सरकार की तरफ से मोनिटरिंग की व्यवस्था हो ताकि उनको लोन समय पर मिल सके और इण्डस्ट्री समय पर चालू हो सके, यदि इण्डस्ट्री समय पर चालू होगी तो निश्चित रूप से सरकार को राजस्व भी मिलेगा और जो व्यक्ति या उद्योगपति या इण्डस्ट्री लगाने वाला है उसके भी समय की बचत होगी और वह अपना कारोबार शीघ्र से शीघ्र चालू कर सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं आपको महेन्द्रा सेज का निवेदन करना चाहता हूं। महेन्द्रा सेज खाली पड़ा है, केवल एक इन्फोसिस की कम्पनी है, दो चार स्माल स्केल की फैक्ट्रियां हैं, बाकी पूरा खाली पड़ा है। मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार की कोई नीति बनायें, कोई इस प्रकार की योजना बनायें जिससे वहां पुन: उद्योग लग सके। किसानों से आपने जमीन ले ली, जमीन लेने के बाद आपने मुआवजा भी दे दिया, आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डवलप कर दिया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सेज की सड़कें बनी हैं जिस प्रकार की जयपुर के पाश इलाके की सड़कें भी नहीं होंगी। ऐसे ही ग्रीनरी वहां पर आपने बना दी। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि वहां पर इस प्रकार की योजना बनाएं, उद्योगपतियों को ताकीद करें ताकि वहां पर कोई इण्डस्ट्री लग सके। वहां पर जो एरिया है, आपने किसानों की जो जमीन

(श्री प्रताप सिंह)

अवाप्त की है वह एरिया खाली पड़ा हुआ है, जंगल बनता जा रहा है, उसको कहीं न कहीं हम रोकने की कोशिश करें, इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं हाड़ौती से आता हूं। वहां किसी जमाने में कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता था, इतने उद्योग-धंधे वहां लगे हुए थे, पर धीरे-धीरे वे समाप्त हो गये। हमारी सरकार आने के बाद उन्होंने इस दिशा में कोशिश की और झालावाड़ और बारां में कुछ प्लांट्स लगे, पर फिर भी जितना औद्योगीकरण हाड़ौती क्षेत्र का होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, चाहे पानी हो, बिजली हो, जमीन हो, सबके लिहाज से हाड़ौती का पूरा एरिया बहुत ही उपयुक्त है। वहां आज की तारीख में इस प्रकार की स्थिति है कि वहां पर उद्योग डवलप करने के लिए जमीन तक नहीं बची है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां नये औद्योगिक एरिये डवलप करें, जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में हम ज्यादा से ज्यादा मदर यूनिट्स लगाने की कोशिश करें। मदर यूनिट लगने से उसके साथ-साथ एंसीलरी यूनिट भी आएगी और हमारे कई लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

माननीय मंत्री जी, इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आपको स्वयं भी ध्यान है कि कोटा में आईपीआईए यानी इन्द्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया और इलेक्ट्रोनिक काम्प्लैक्स बनाने के लिए हमने रीको से जमीनें दी थीं, पर वहां ज्यादातर एरिया में दुकानें और हास्टल बन चुके हैं। आज दुकानें भी वहां चल रही हैं, होस्टल भी वहां पर बन चुके हैं। बिना परमिशन से रीको में होस्टल और दुकानें बन गयी हैं। आज हम इस प्रकार की स्थिति में नहीं हैं कि उन्हें तोड़ सकें, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उनमें बाय-लाज में कुछ संशोधन करना पड़े तो संशोधन करें, नियमों में कुछ शिथिलता देनी पड़े तो वह भी दें और उन्हें निश्चित रूप से नियमितीकरण करें ताकि उनके सामने जो एक तलवार लटकी हुई है, वह समाप्त हो। आप कुछ पैनल्टी ले लीजिए या कुछ और काम कर लीजिए, पर इसका निस्तारण करें।

माननीय मंत्री जी, इसी के साथ-साथ राजस्थान से दिल्ली-बाम्बे हाई-

(श्री प्रताप सिंह)

वे बड़ौदा तक तो बन चुका है, बड़ौदा-दिल्ली एक्सप्रेस-वे बन रहा है, केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी भी इसकी लगातार मोनिटरिंग कर रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अमीन खां।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं चाहता हूं कि इसके आसपास भी औद्योगिक इकाइयां डवलप हों, इस प्रकार का वातावरण बनाएं ताकि इसका फायदा हमें मिल सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दो मिनट, साहब।

श्री सभापति: ऐसे नहीं, समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: हां बोलिए। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य। प्लीज, सहयोग करें। आपके नेता महोदय से इजाजत लेकर मैंने यह समय तय किया है। विराजें आप। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजें आप। अंकित नहीं होगा। अमीन खां जी, आप बोलिए अपनी बात।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या फायदा?

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां उद्योग आज तक न के बराबर हैं, लेकिन उद्योग की गुंजाइश काफी है। जैसे पुराने जमाने में लोग भेड़-बकरी, ऊंट, इनकी जट के कम्बल बनाते थे, दरी बनाते थे और गांवों में ये ही दरियां चलती थीं, जिससे कि भेड़ पालकों को ऊन की बाजार में कीमत ज्यादा मिलती थी और उसके कारण गरीब ग्रामीण पशु-पालक अच्छा गुजारा करते थे। आज चाइना की कई ऐसी कम्पनियों ने ऊन की चीजें बाजार में इस तरह से वितरित की हैं, जिस भेड़ की ऊन की कीमत 1 किलो की 160 रुपये थी, उसकी आज कीमत 14 रुपये है। बकरी और ऊंट की जट जो है, वह तो कत्ल करके लोग गली में फेंक देते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि इसकी शानदार दरियां बनती हैं। दूसरा,

(श्री अमीन खां)

हमारे यहां के ग्रामीण लोगों की हर जाति की औरतें जो घरों में रहती हैं, वे बाहर जाना नहीं चाहती हैं। वे कशीदे के शानदार कपड़े जो हैं, राली है, तकिया है, चाहे औरतों के पहनने के कपड़े हैं, ये आलीशान ढंग का कशीदा जानती हैं और इस कशीदे का अभी भी बार्डर इलाके में बहुत शानदार काम चल रहा है, परंतु मंत्री जी, इसमें पूंजीपति लोग गरीबों का शोषण करते हैं। इस उद्योग को सरकार अपने हाथ में ले और इस माल को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कराए तो उस इलाके की गरीब औरतों को हर घर में पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और गरीब शोषण से भी बच जाएंगे। मेरा बहुत अदब के साथ आपसे अर्ज है कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को हम बार-बार इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि बाड़मेर जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का काम चालू कर दिया। उस रिफाइनरी के चालू होने से अभी से काफी लोग धंधे में लग गये हैं, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अभी रिफाइनरी तैयार होने में दो साल बाकी हैं। आशा करते हैं कि रिफाइनरी तैयार होने के बाद वहां हजारों लोगों को रोजी मिलेगी, परंतु हमने अभी से ही देखा है, हमारे पास कमजोर तबके के लोग रोजाना आकर शिकायत कर रहे हैं कि साहब, इस रिफाइनरी और केयर्न का और इस तरह की कम्पनियों में जो काम है, वह गरीब और कमजोर आदमी को सबल आदमी देने ही नहीं देते हैं और हर तरह के सामाजिक तबके के ये लोग कर्जे में हैं। आम गरीब आदमी को ये लोग घुसने नहीं देते हैं। अगर कोई घुसना चाहता है तो बगैर पैसे उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सरकार की यह जवाबदारी है कि इन कम्पनियों में गरीब आदमी, जो मजदूर हर तरह का धंधा करते हैं, उनके लिए सरकार को जवाब उठाना चाहिए।

मेरी तहसील गडरा रोड है। वहां एक रेडाणा गांव है। उस गांव में 500-600 बीघा सिवायचक गवर्नमेंट की जमीन है, जिसमें कोई फसल नहीं होती है, न कोई घास होती है और न ही उस पर किसी का कब्जा है। उसमें पैदा होता है नमक और उस नमक के बारे में मुझे कई एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि मारवाड़ में पहले पचपदरा में नमक की खानें थीं और नमक पैदा किया जाता था। उस नमक के लिए लोग मानते थे कि सारे हिन्दुस्तान में असली प्योर नमक का जो गुण होता है, वह पचपदरा के बराबर कहीं नहीं था। हमारे उस रेडाणा गांव का नमक भी उसी के मुतल्लिक अच्छा नमक माना जाता है। मंत्री जी, मैं आपसे बहुत अदब से अर्ज करता हूं कि इस नमक का

(श्री अमीन खां)

भी आपके उद्योग से ऐसा अंजाम कराएं, जिससे कि वहां नमक बनना शुरू हो जाए और राज्य का उपक्रम इसे बना दें तो राज्य को ही आमदनी होगी और उन पिछड़े हुए इलाकों में लोगों को अच्छी मजदूरी मिल जाएगी। इसी आशा के साथ, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज आपने मुझे मांग संख्या 42 और 23, उद्योग और श्रम रोजगार पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, चूंकि किशनगढ़ एक औद्योगिक नगरी है, मार्बल, ग्रेनाइट और टैक्स्टाइल, पावरलूम सैक्टर है बड़ा, मुझे पांच मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय उद्योग मंत्री यहां विराज रहे हैं और मैं आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ ऐसी जगह है जहां पर न माइनिंग है और न कोई और ऐसी सुविधा है पर उसके बावजूद विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मण्डी किशनगढ़ बना है। यह वजह है मेरे वहां के उदयमियों और व्यापारियों का पुरुषार्थ, उनकी मेहनत और उनका किसी उद्योग के प्रति एक दृढ़ निश्चय। सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगा आर. के. मार्बल को, जिन्होंने वहां के व्यवसायियों को एक बहुत बड़ा अवसर दिया अपनी माइनिंग से माल देकर ताकि वहां पर एक बहुत बड़ा व्यापार विकसित हो गया।

मेरा इसी क्रम में निवेदन है कि बार-बार सरकारों की इस उद्योग पर कड़ी नजर रही, कई मार पड़ी, यह उद्योग नीचे गिरा, लेकिन पुरुषार्थ की वजह से उठता गया। जीएसटी के बाद इस व्यापार पर बुरी नजर लग गई और तब से यह संघर्ष कर रहा है और लगातार संघर्ष में है। आज बहुत बड़ी मन्दी की मार यह व्यापार झेल रहा है। 28 परसेंट जीएसटी लगा दिया गया था। सारी मार्बल इण्डस्ट्री ने, राजस्थान के सब व्यापारियों ने, सारी मण्डियों ने कोशिश की, मेहनत करके प्रयास किया और तत्कालीन सरकार में लगातार प्रयास करने के बाद मैं आज इस मंच से माननीय वसुंधरा जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हम व्यापारियों की बात को सुना और जीएससी काउंसिल में बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने के बाद 28 से 18 परसेंट जीएसटी हो गया। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह 18 परसेंट टैक्स भी ज्यादा है। यह इंडस्ट्री 4 परसेंट टैक्स पर चल रही

(श्री सुरेश टाक)

थी और आज 18 परसेंट पर चल रही है। कहीं न कहीं विट्रिफाइड टाइल्स और बहुत सारे उद्योग इसके सामने पनप गये और उनके कम्पीटिशन में हम कहीं नहीं ठहरते क्योंकि आर्टिफिशियल मार्बल के सामने यह जो प्राकृतिक मार्बल है यह संघर्ष कर रहा है और इस पर जब तक सरकार की ठण्डी नजर नहीं रहेगी तब तक यह उद्योग नहीं पनपेगा। यह उद्योग राजस्थान में कम से कम बीस लाख लोगों को रोजगार दे रहा है माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक। बीस लाख लोग अकुशल, अशिक्षित मजदूर हैं जो अपना पेट भर रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार को यह एक बहुत बड़ा सहयोगी उद्योग साबित हो रहा है जिससे रोजगार की समस्या कम से कम नहीं हो रही है और रेवेन्यू तो दे ही रहा है। रेवेन्यू में बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान के मार्बल उद्योग का और उसमें किशनगढ़ सबसे बड़ा अग्रणी है। आज भी बहुत बड़ा डिस्पेच वहां से है।

मैं एक निवेदन इसी के माध्यम से आपसे करना चाहूंगा कि किशनगढ़ में रीको की प्लाट्स 5350 रुपये की रेट है जो एक जमाने थी। तब 5350 रुपये किसी आक्शन में रेट आ गई और आपने उसको कोट कर लिया। आज छठा चरण वहां कट रहा है और अगर आपने 5350 रुपये इसकी रेट रखी तो एक प्लाट नहीं बिकने वाला। माननीय उद्योग मंत्री यहां विराज रहे हैं, मैं राजस्थान की सरकार से और माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसकी 50 प्रतिशत रेट करें ताकि यह उद्योग वहां पनपे, वहां नई इण्डस्ट्रीज आए। यह ग्रेनाइट आज अगर बढ़ रहा है और छठा चरण अगर आप काटेंगे तो वहां केवल ग्रेनाइट के अलावा कोई इण्डस्ट्री नहीं लगने वाली। इसको अगर आप वास्तव में लगाना चाहते हैं और यह जो आपने निवेश किया है, जो डवलपमेंट करके आपने वहां पर राशि लगाई है और जितना लोगों को अवार्ड दिया है वह आपको वसूल भी तभी होगा जब आप यहां रेट कम करेंगे, 5350 रुपये की रेट में नहीं मिलेगा। यही वजह है कि कम से कम 15 किलोमीटर, किशनगढ़ से रूपनगढ़ की तरफ 15 किलोमीटर के एरिया में कोई 300 इण्डस्ट्री प्राइवेट लैण्ड कन्वर्ट होकर लग गई और उसकी वजह यही है कि रीको की रेट ज्यादा है जिससे कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है और वह प्राइवेट लैण्ड की तरफ चला जाता है। मैं यह चाहूंगा कि आज माननीय उद्योग मंत्री जी जब यहां जवाब दें, रिप्लाई दें तो यह घोषणा करें कि वहां पर जो 5350 रुपये की रेट है उसको 50 प्रतिशत कम कर रहे हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी कि नियर-बाई जो मार्बल इण्डस्ट्री पनप रही है उसी के आस-पास हमारा उद्योग लगाकर हम वहां की सारी जमीन को लें और वहीं

(श्री सुरेश टाक)

पर हमारे उद्योग को हम आगे बढ़ाएं। यह कहीं न कहीं व्यापारियों के साथ-साथ मजदूरों के साथ भी आप बहुत बड़ा न्याय करेंगे कि वहां की इण्डस्ट्री फलीभूत हो।

एक छोटा निवेदन मेरा और भी है। एक 371 बीघा जमीन 2004 में आवासन मण्डल ने वहां एक्वायर की थी और इण्डस्ट्रियों के विरोध की वजह से आज भी उस जमीन का कुछ नहीं हो रहा है। कई जगह अवार्ड नहीं लिया गया, कई जगह न्यायालय में मामले विचाराधीन हैं और अगर वहां आवासीय कालोनी आती है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपने पांच चरण काट दिये, छठा चरण चल रहा है, छठे चरण में जितना अरबों रुपये का निवेश हुआ वह निवेश खतम हो जाएगा क्योंकि वहां अगर आवासीय कालोनी बसती है तो लोग कोर्ट में चले जाएंगे कि इस पोल्यूशन से हम जी नहीं पा रहे हैं, पोल्यूशन से हम रह नहीं पा रहे हैं। किसी भी सूरत में मकान नहीं बनने देंगे और अगर आवासन मण्डल ने मकान बनाने का प्रयास भी किया, आक्शन करने का भी प्रयास किया तो यह पूरी इण्डस्ट्री सड़क पर आ जाएगी, लोग सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से पहल करें और आवासन मण्डल को यह लिखें कि जो 371 बीघा जमीन है उसको या तो वापस लोगों को दे दिया जाए या फिर आप उस जमीन को रीको में ले लें, आप वहां पर रीको डवलप कर लें अगर ऐसा कोई प्रावधान है। अगर आप कर सकते हैं तो ऐसा करें पर आवासीय कालोनी वहां नहीं आए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि वहां पर औद्योगिक क्षेत्र डवलप हो। मैं चूंकि वहां पर दस साल मार्बल एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूं और मैंने वहां पर बहुत सारे नवाचार किये हैं। मैंने राजस्थान की सबसे बड़ी जो औद्योगिक नगरी है, मार्बल उद्योग है उसको नवाचार देकर मैंने वहां बहुत बड़ा चेंज किया। सबसे बड़ा चेंज मैंने किया कि वहां सड़कें नहीं थीं तो मैंने रीको के साथ हमारी किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन की सहभागिता बनाई और 25 परसेंट का शेयर हमने रीको को दिया और सारी सड़कें सी.सी. बनाईं। उसके बाद मैंने खुद ने अवेयरनैस लिया मेरी टीम के साथ और पूरी इण्डस्ट्री को डस्टलैस किया, जो एक सपना था उस सपने को मैंने हकीकत में बदला। सारे इण्डस्ट्रियल एरिया में जो एनक्रोचमेंट थे वे हमने खतम किये और इतना प्लांटेशन किया कि आज 50 हजार पेड़ हमने वहां लगाये हैं और आप पैदल भी चलेंगे तो आपकी शर्ट पर मिट्टी नहीं लग सकती, यह मैं खुले चैलेंज के

(श्री सुरेश टाक)

साथ कहता हूं। आप अपने अधिकारियों के साथ स्वयं आएं एक बार वहां देखें कि हमने वहां पर एक बहुत अलग से वातावरण किया है। डस्ट बेस्ड इण्डस्ट्री है, वाटर बेस्ड इण्डस्ट्री है, लिक्विड में स्लरी आती है, लेकिन हमने स्लरी का भी डिस्पोजल इतने प्रोपर तरीके से किया है कि आज जो हमारा पुराना डम्पिंग यार्ड था उसमें फिल्मों की शूटिंग हो रही है। हमने जो एक्शन लिया है, हमने जो काम किया है उसका यह नतीजा है।

जो पुराना डम्पिंग यार्ड था, स्लरी अभी री-यूज नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं आ रही है, अगर योजना आ भी रही है तो स्लरी री-यूज करने वाली जो इण्डस्ट्री है, उस पर किसी तरह की कोई रिबेट नहीं है, सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि उस पर छूट मिले ऐसी इण्डस्ट्रीज में ताकि वह जो 350 बीघा जमीन है, जो आज पूरी स्लरी से भरी हुई है उसका री-यूज हो तो वह जमीन खाली हो और वह वापस स्लरी के डम्पिंग के लिए काम आये। हमें जो दूसरा डम्पिंग यार्ड दिया है उसको हमने पिकनिक स्पाट की तरह बनाया है। जो पुराना है उसमें तो शूटिंग हो रही है और जो नया है उसको पिकनिक स्पाट की तरह बनाया है। इतना सिस्टेमेटिक किया है कि 1500 टैंकर वहां पर स्लरी ढोते हैं, लेकिन कोई मजाल है जो एक बूंद रोड पर गिर जाए, किसी भी सूरत में नहीं गिर सकती। हमने उनका रजिस्ट्रेशन किया है और बहुत अनुशासित तरीके से हमारा टैंकर वहां जाता है। डम्पिंग में हमने अलग-अलग सेक्टर बना रखे हैं, ग्रेनाइट, मार्बल और इम्पोर्टेड मार्बल कटता है उसके अलग-अलग प्लेटफार्म बना रखे हैं और उसमें हम स्लरी को डम्प करते हैं। वह इतनी सिस्टेमेटिक डम्पिंग है कि कितनी भी आंधी चले, कितना भी तूफान चले, कितनी भी बारिश आये उड़ नहीं सकती। वहां प्री-वेडिंग शूटिंग होती है, वहां पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है बहुत सारे गानों की शूटिंग हुई है और हम सब कुछ फ्री कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आन बिहाफ आफ मार्बल एसोसिएशन, मैं पहले चेयरमैन था और आज भी वहां के लोग मुझे उतनी ही वैल्यू देते हैं तो सरकार अगर कोई नवाचार करती है और किसी तरह का फण्ड हमें देना है तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप वहां पर किसी भी तरह का नवाचार करते हैं, वहां स्लरी को री-यूज करने की इण्डस्ट्री लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। मार्बल एरिया में जो आपने फैसेलिटी एरिया छोड़े हैं, पांच चरण अभी तक डवलप हो गये

(श्री सुरेश टाक)

उनमें जो फैसेलिटी एरिया छोड़ा है उनमें से एक में भी रीको ने कोई गार्डन डवलप नहीं किया, अगर किये हैं तो हमने किये हैं। मैं यह चाहूंगा कि रीको भी उसको हाथ में ले और हमारी सहभागिता के साथ, मार्बल एसोसिएशन की सहभागिता के साथ उन एरियाज को डवलप करें ताकि वहां के लोगों को अच्छा वातावरण मिले। जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनको बैठने की जगह मिले और हमने जो स्थिति वहां पैदा की है उसमें और चार चांद लगे। न वहां शौचालय हैं सर, अगर शौचालय बनाये भी हैं तो मार्बल एसोसिएशन ने बनाये हैं तो मैं चाहूंगा कि सुलभ शौचालय बनें, वहां पर सुविधाएं विकसित हों क्योंकि हम आपको बहुत सारी रेवेन्यू देते हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि रीको और माननीय उद्योग मंत्री जी बहुत अच्छी सोच वाले हैं और बहुत तन्मयता से मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि किशनगढ़ के मार्बल उद्योग को आपकी नजर मिलेगी और आपकी नजर के साथ हम कहीं न कहीं आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलकर हम उसको आगे बढ़ाएं।

एक विसंगति भी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपने लागू किया है, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत भी करता हूं, होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है पर्यावरण को लेवल पर रखने के लिए। एक निवेदन है कि इसकी वजह से जो आपने कट-आफ डैट रखी है उस कट आफ डैट की वजह से बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हो रहा है। व्यापारी अभी मन्दी की मार में है और यह व्यापारी तो ऐसा व्यापारी है कि जब भी आप डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे तो यह खड़ा हो जाएगा, कहीं भागने वाला नहीं है। जो भागने वाले हैं वे कोई और हैं। हमने अरबों रुपये वहां निवेश कर रखे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, सरकार की योजनाओं के साथ हम खड़े हैं और हम चाहेंगे कि सरकार हमारे वैलफेयर के लिए योजना बनाए।

(15.00 बजे)

यह भी हमारे वैलफेयर की योजना है। पर, सर इसकी डेट बढ़े। मैं चाहता हूं कि यह 31 मार्च, 2021 हो जाए, अधिकारी यहां बैठे हैं। सर, इसको आप आराम के साथ कर ले। हमें इतना सा मौका दे दें। सर, मैं यह गारंटी लेता हूं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग 100 प्रतिशत हम कमप्लीट कर लेंगे, आप 31 मार्च, 2021 की कट डेट दे दें। इस सदन में, मैं गारंटी देता हूं, मेरा कोई भी व्यापारी, मेरी कोई इंडस्ट्री इससे अछूती नहीं रहेगी। उसके बाद जो आपकी

(श्री सुरेश टाक)

मर्जी आए पैनेलाइज करें, आप चाहे इंडस्ट्री बंद करें। सर, ऐसा करने से हो क्या रहा है, हमें बहुत सारे बैंक लोन लेने पड़ते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमें रीको आफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनकी दया और करुणा के बगैर हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ नहीं सकती है।

एक छोटा-सा अधिकारी जो वहां बैठा है। वह आंख दिखा देता है, अरबों रुपये निवेश करने वाले व्यापारी को तो कहीं न कहीं वह रहम की भीख मांगता है, मुझे एनओसी लेनी है, आप थोड़ी-सी दया कर दो। तब जाकर उसको एनओसी मिलती है। पर, आप 31 मार्च, 2021 कर देंगे तो, ये सब चीजें समाप्त जो जाएंगी, ये जरूर करें। मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे।

नगर परिषद् रीको एरिया में जो यूजर चार्जेज वसूल कर रही है, यह बिलकुल सरासर गलत है। जब हम डवलपमेंट चार्ज देते हैं तो नगर परिषद् को क्या अधिकार है कि वह रीको में आकर यूजर चार्ज वसूल करें। ये कौनसा कानून है, ये कैसी व्यवस्था है कि डिपार्टमेंट है, जो जाकर इंडस्ट्री से पैसा वसूल करेंगे। जब रीको ने जमीन दी है, रीको को व्यापारी डवलपमेंट चार्ज दे रहा है, आज तक दे रहा है। उसके बाद कौनसा यूजर चार्जेज है, जो नगर परिषद् ले रही है। नगर परिषद् की तरफ से कोई सुविधा रीको इंडस्ट्रियल एरिये में नहीं दी जाती है, बावजूद इसके यदि यूजर चार्ज लिया जा रहा है तो यह बिलकुल अन्याय है। आप इसको बंद करें। आपकी तरफ से एक चिट्ठी स्वायत्त शासन विभाग को जाए कि कम से कम जो रीको एरिया है। वहां पर यूजर चार्ज नहीं लिया जाए।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से जो पानी का प्रसंस्करण है। इसके लिए भी रोक लगाई जा रही है जबकि वाटर बेस्ड इंडस्ट्री है और मुझे पता है कि ये एनजीटी के जो नियम हैं। उसको हमें फोलो करना पड़ेगा, हर हाल में फोलो करना पड़ेगा। पर, मेरा निवेदन है केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का कार्यालय जिला स्तर पर खोल दें ताकि, हमारे व्यापारियों को, व्यवसायियों को दिक्कत नहीं हो, जयपुर आना-जाना, बात करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का कार्यालय है, वह वहां खुल जाए। सर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको पता है आपसे कुछ भी अछूता नहीं है। कम से कम दो हजार मार्बल प्रसंस्करण गैंगसा लगे हुए हैं और पांच सौ ग्रेनाइट की इंडस्ट्री लगी हुई है, दो टैक्सटाइल के पार्क हैं, बहुत बड़ा पावरलूम का एरिया है।

(श्री सुरेश टाक)

किशनगढ़ अपने आपमें एक बहुत बड़ी पहचान रखता है। अगर वहां पर सुविधाएं नहीं हैं तो मैं चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आज मैं अगर यहां खड़ा हूं तो मैं उस उद्योग की वजह से। अगर मैं विधायक की हैसियत से, आज राजस्थान के इस पवित्र सदन में बोल रहा हूं तो उन व्यापारियों और व्यवसायियों की वजह से, जहां पर मैंने काम किया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सर, मुझे समय दे दें। राजस्थान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): हां, सर मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। पर, समय दें मुझे। मैं खड़ा हूं तो वजह वे व्यापारी लोग हैं, जिनके लिए मैंने दस साल संघर्ष किया, जिनके लिए मैंने काम किया, उन मजदूरों के लिए मैंने काम किया। तभी मुझे आज यहां आने का मौका मिला और मैं आज उनकी आवाज बनकर, यहां बोल रहा हूं तो आप भी मेरी बात को सुनेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है।

एक सर, बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये 'वन नेशन-वन टैक्स' लगा, सबने इसका स्वागत किया, पर आज यह अवधारणा साबित नहीं हो रही है। यह अवधारणा मात्र बनकर रह गई है। मेरे यहां से जो गाड़ियां डिस्पैच हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जीएसटी के अधिकारी और सेल टैक्स के अधिकारी उन गाड़ियों को जबरन रोकते हैं। जबकि 'एक देश-एक कर' लग गया है। उसके बाद किस वजह से गाड़ियां रूक रही हैं, मुझे समझ में नहीं आता है।

राजस्थान सरकार इस बात की पैरवी करे। उत्तर प्रदेश सरकार को लिखें कि जब 18 परसेंट टैक्स लग गया है। वहां अधिकारी अलग-अलग विसंगतियां कलर की, मार्बल की क्वालिटी की, कोई न कोई हवाला देते हुए, उन गाड़ियों को रोक लेते हैं और पांच-पांच से दस-दस दिन तक वे गाड़ियां रूकती हैं। आखिर, व्यापारियों को वहां जाना पड़ता है और जाने के बाद आर्थिक मार झेलता हुआ, कहीं न कहीं वहां पर भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं यहां इस सदन में नहीं बोल सकता, पर मेरा व्यापारी मर रहा है। वहां जा रहा है और वहां जाने के बाद जितना पैसा वे अधिकारी मांगते हैं, उतना देना पड़ता है या इतनी बड़ी पैनल्टी उसको देनी पड़ती है कि वह उस माल की कीमत से ज्यादा पैनल्टी देकर अपने ट्रक को आगे बढ़ाता है। फिर, ट्रक का किराया डबल लग जाता है।

(श्री सुरेश टाक)

ये उद्योग राजस्थान की लाइफलाइन है। राजस्थान के जितने जिले हैं, उनमें से 23 जिलों में यह उद्योग पनप रहा है और कहीं न कहीं रोजगार दे रहा है। इस उद्योग पर आपकी नजर आए और ये जो छोटे-छोटे काम हैं। इन कामों को आप दूर करें। हमारी जो विसंगतियां हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, इनको दूर करने में आपका योगदान रहे।

मैं आपका ध्यान टैक्सटाइल की तरफ भी ले जाना चाहूंगा। चूंकि मेरे वहां पर दो टैक्सटाइल पार्क है और टैक्सटाइल पार्क के साथ-साथ पावरलूम का बहुत बड़ा काम है। जिस तरह आपने टैक्सटाइल के दो पार्क किशनगढ़ को दिये, एक किशनगढ़ टैक्सटाइल पार्क और एक जयपुर टैक्सटाइल पार्क है। उसी तरह मेरे पावरलूम के व्यापारियों को भी, एक पावरलूम पार्क विकसित करके दें, खोड़ा गणेश रोड पर आपने रीको की जमीन एक्वायर की है, उस जमीन पर आप उस पावरलूम पार्क को बहुत अच्छी तरह से विकसित करें ताकि जो रिहायशी इलाके में पावरलूम की फैक्ट्री चल रही हैं वह वहां जाकर शिफ्ट हो जाएं और बहुत अच्छे वातावरण में वह काम कर सके।

राजस्थान में सभी राज्यों के मुकाबले बिजली की रेट सबसे ज्यादा है। टैक्सटाइल और पावरलूम में सबसे ज्यादा बिजली की दरें हैं। मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आप लिखें, आप हमारे मुख्य मंत्री महोदय को बताएं कि राजस्थान के पावरलूम और टैक्सटाइल के उद्योग में बिजली की दरें कम करें। जैसे दूसरे राज्यों में हैं, उस तरह कम से कम करें। एक मिनट में सर, अगर वैसी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोलर प्लांट पर विशेष छूट देकर, जितनी क्षमता वे चला रहे हैं, उतनी क्षमता के सोलर प्लांट लगाने पर उनको रियायत दी जाए। एक मेरा निवेदन आपसे और है। किशनगढ़ में हैण्डीक्राफ्ट का भी बहुत बड़ा काम है। हैण्डीक्राफ्ट मार्केट डवलप नहीं है, अधिकारी यहां बैठे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अजमेर और जयपुर रोड पर एक ऐसी जमीन चिह्नित की जाए, जहां हैण्डीक्राफ्ट का मार्केट डवलप हो जाए। आप जमीन काटें, बहुत सारे लोग जमीन लेने को तैयार हैं, पर, चाहिए हाई वे पर, क्योंकि जो कस्टमर्स आते हैं, ये हाईवे पर चलते हुए आते हैं। आपने पांचवें चरण में दिया लेकिन एक भी प्लाट नहीं बिका होगा। अधिकारी यहां पर बैठे हैं, बिलकुल अच्छी तरह जानते होंगे, एक प्लाट नहीं लिया किसी ने, क्योंकि जंगल में कोई हैण्डीक्राफ्ट खरीदने नहीं आएगा। मेन रोड पर अगर कोई चला रहा तो यह लाखों करोड़ों

(श्री सुरेश टाक)

रुपये का व्यापार है। अगर आप मैन हाईवे पर कहीं जमीन चिह्नित करके केवल हैण्डीक्राफ्ट के लिए कर देंगे तो यह बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का बहुत समय दिया। माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा कि जवाब में किशनगढ़ को आपकी तरफ से बहुत कुछ मिले। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 उद्योग एवं मांग संख्या 23, श्रम व रोजगार पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में कोई बड़ा उद्योग खोला जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि लोग रोजगार के लिए पलायन कर मध्य प्रदेश और गुजरात में जाते हैं और उनको वहां रोजगार नहीं मिलता तो कई लोग पलायन कर दूसरी जगह चले जाते हैं।

मेरे क्षेत्र में अधिकतर धनिया, लहसुन, कलौंजी, ईसबगोल और मेथी ऐसी कई प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। छोटे-छोटे उद्योग धंधे अगर खोले जाएं तो गरीब वर्ग के लोगों को इन छोटे और कुटीर उद्योग धंधों से बहुत फायदा मिलेगा।

डग विधान सभा क्षेत्र के आस पास रहने वाले लोगों की हालत बहुत ही खराब है। आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुटीर उद्योग के अलावा कोई एक बड़ा उद्योग भी खोला जाए, जिससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भवानी मंडी में एक रीको एरिया स्थित है, उसमें उद्योग खोला जाए। डग में भी रीको एरिया के तहत औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में कोटा स्टोन भारी मात्रा में विद्यमान है। इसको प्रोत्साहित किया जाकर उद्योग स्थापित किया जाए ताकि क्षेत्र में रोजगार स्थापित हो सकें। खनन क्षेत्र में कई मजदूर कार्य करते हैं, खनन क्षेत्र में निकलने वाले दूषित पानी, डस्ट, ब्लास्टिंग से उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और स्वास्थ्य के ऊपर भारी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए खनन मालिकों को पाबन्द करके, उनके स्वास्थ्य के लिए इलाज की कोई अलग से व्यवस्था कराई जाए। खनन क्षेत्र में कई बार दुर्घटना हो जाती है, मजदूरों की मौत तक हो जाती है। मजदूरों के लिए अलग से कोई फण्ड बनाया जाए ताकि मजदूर लोग

(श्री कालूराम)

उस फण्ड से उनके परिवार का पालन पोषण कर सकें। मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को रोजगार में बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में किसान लोग केवल खेती पर ही आधारित हैं। यहां पर कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं है। यहां उद्योग धंधा खुलने से मजदूरों को मजदूरी मिल सकेगी।

क्षेत्र में काले पत्थर, मिसरोली के पत्थर विदेशों तक जाते हैं और क्षेत्र में लाल पत्थर भी हैं, कोई काला पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन सारा मेरे क्षेत्र में है। यहां पर कोई एक बड़ा उद्योग-धंधा अगर सरकार खोलती है तो इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और मजदूरों को मजदूरी भी मिलेगी। क्षेत्र में अगर सोलर प्लांट लगाया जाए तो सोलर प्लांट के लिए काफी जगह है। हमारे क्षेत्र में कई सिवायचक भूमि पड़ी हैं। अगर सोलर प्लांट सरकार लगाती है तो सोलर प्लांट से भी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और बिजली का उत्पादन भी हमारे क्षेत्र में बढ़ेगा। नरेगा योजना के तहत सम्पूर्ण गरीब परिवारों के लिए जो नरेगा योजना चलाई जा रही है, उसमें गरीब श्रमिकों को टाइम पर काम नहीं मिलता है क्योंकि आवेदन फार्म जो ग्राम विकास अधिकारी रहता है, वह टाइम पर फार्म नहीं भर पाता है और जो उनके खास लोग रहते हैं उनके फार्म भरवा कर उनको रोजगार दिया जाता है और गरीब वर्ग इस रोजगार से वंचित रह जाता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन गरीबों के रोजगार के लिए उनकी रोजगार की व्यवस्था कराई जाए और इसमें रोजगार गारंटी में यह नियम बना रखा है कि 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाता है लेकिन 6-6 महीने तक उन गरीब परिवारों को इसका भुगतान नहीं होता है और जिस परिवार ने 100 दिन काम किया है, उस गरीब परिवार का श्रमिक कार्ड समय पर नहीं बनाते हैं क्योंकि शिक्षा के अभाव में वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति अपना श्रमिक कार्ड खुद नहीं बना सकता है। वह कहीं बाहर ई-मित्र के चक्कर काटता है और ई-मित्र पर जाकर बार-बार तलाश करता है कि मेरा श्रमिक कार्ड कहां बनेगा तो कभी बताते हैं कि आपका जिले में बनेगा और कभी बताते हैं कि आपका पंचायत समिति में बनेगा, कभी बताते हैं कि आपके यहां कम्प्यूटर में बनेगा, कभी बताते हैं कि हमने ऑनलाइन करा दिया है। इस प्रकार से श्रमिक कार्ड नहीं बनते हैं तो जो श्रमिक कार्ड से मिलने वाली सुविधाएं हैं, वह उस श्रमिक को नहीं मिल पाती है और जो श्रमिक कार्ड अगर बन भी गया तो उस श्रमिक कार्ड का फायदा उस श्रमिक को नहीं मिलता है। अगर श्रमिक कार्ड बनने के बाद उसकी बेटी की शादी में जो

(श्री कालूराम)

मिलने वाली सहायता है 50,000 रुपये की सहायता या बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है, वह छात्रवृत्ति भी उस व्यक्ति को टाइम पर नहीं मिलती है। अगर श्रम विभाग या उद्योग विभाग द्वारा कोई लोन स्वीकृत किया जाता है तो वह लोन सिर्फ वहां से स्वीकृत होने के बाद बैंक ही उस व्यक्ति को नहीं देती है चाहे कितने ही साल 10-10 चक्कर झालावाड़ के काटता है, जिले के काटता है और पंचायत समिति के चक्कर काटता है, बाकी उद्योग विभाग द्वारा और श्रम विभाग द्वारा वह लोन नहीं दिया जाता है। बैंक उस व्यक्ति को लोन नहीं देती है। मैं आपकी तरफ से सरकार से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को लोन दिया जाए। पिछली बार मैंने विधान सभा में क्वेश्चन लगाया था कि पोप योजना में कितने व्यक्तियों को लोन स्वीकृत हुआ और कितनों को लोन मिला तो 100 में से मात्र 5 व्यक्तियों को लोन मिला था तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार बैंकों से मीटिंग करवाकर इन गरीब व्यक्तियों को, पात्र व्यक्तियों को ऋण दिया जाए।

एक और मेरा निवेदन है कि यह रोजगार गारंटी है इसको अगर खेती से जोड़ा जाए और एक सार्वजनिक कूप निर्माण करवाया जाए ग्रामीण क्षेत्र में तो इससे ग्रामों में हमारे श्रमिकों की मजदूरी भी मिलेगी और उनको खेती करने में और भी आसानी होगी और उन गरीब परिवारों को उससे सहायता मिल सकेगी।

माइनिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र में कोटा स्टोन की माइनिंग है। वहां पर कोटा स्टोन की खुदाई के बाद जो टीले बन जाते हैं बड़े-बड़े ढेर रहते हैं। वह माइनिंग वाले उनकी सफाई नहीं करते हैं, उन टीलों को वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। अगर वह टीले वापस उसमें भरे जाएं माइनिंग में तो उस खान का वह गंदा पानी नहीं निकलेगा और गंदा पानी निकलकर जो किसान के खेतों में जाता है तो उनकी फसल बिलकुल बर्बाद हो जाती है तो माननीय मंत्री महोदय से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को भी उसका मुआवजा दिया जाए ताकि आने वाले गंदे पानी से किसी को बीमारी नहीं हो। माइनिंग के पानी से और ब्लास्टिंग से लोगों को बीमारी होती है इसमें जो अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि हमने वृक्ष लगाए तो इस प्रकार से माइनिंग क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं ताकि माइनिंग क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में किसी प्रकार से प्रदूषण नहीं फैले और यह प्रदूषण मुक्त रहे।

(श्री कालूराम)

माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार दिलाया जाए और कोई न कोई बड़ा उद्योग धंधा या उद्योग मेरे क्षेत्र में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या कोई अच्छा बड़ा उद्योग खोला जाए ताकि उन गरीब श्रमिकों को रोजगार मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-42 और 23 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई तब से सबसे बड़ी मार अगर किसी सैक्टर पर पड़ी है तो वह इंडस्ट्री पर और रोजगार पर पड़ी है। बहुत-सी इंडस्ट्रीज खतम हो गई हैं, कोलैप्स हो गई हैं। बेरोजगारी बढ़ गई और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज काम कर रही थीं, उन सब पर एक बड़ा जबर्दस्त कुठाराघात हुआ और अगर यह कहा जाए कि आजादी से लेकर आज तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसी टाइम में बढ़ी तो वह आज का समय है और इस समय बहुत ज्यादा उद्योग पर ध्यान देने की जरूरत थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने इस ओर पूरा ध्यान दिया और बहुत सारी मीटिंग्स के बाद में एक नई उद्योग पालिसी बनाई और उस उद्योग पालिसी में जो उसकी मूल भावना है, जो उसका जिस्ट है, जो उसका सार है, वह यह है कि या तो इंस्पेक्टर राज खतम हुआ था जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब या अब इंस्पेक्टर राज खतम करने की चेष्टा की है हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने, तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने एक ऐसी पालिसी बनाई जिसमें यह तय किया गया कि रीको कहीं जमीन दे पाए, नहीं दे पाए, आदमी को कहीं लाइसेंस मिले नहीं मिले, रजिस्ट्रेशन उसका हो, नहीं हो, वह अपनी इंडस्ट्री की ओर आगे बढ़े और 3 साल तक उसको कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी तरह के लाइसेंस के बारे में नहीं पूछेगा और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत करने की कोशिश उन्होंने की तो मैं इस नीति के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इससे न केवल उद्योगों में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इकोनोमिक क्राइसिस खतम होगा, दूरगामी परिणाम आएंगे। आगे जाकर जीएसटी जैसे सैक्टर में या इनकम टैक्स में, इनमें

(श्री रफीक खान)

बढ़ोतरी हमें मिलेगी। रेवेन्यू भी स्टेट का जनरेट होगा। हम यह कह सकते हैं कि जैसे हरित क्रांति आई या जैसे आर्थिक क्रांति आई तो अगर औद्योगिक क्रांति राजस्थान में आएगी तो इस पालिसी की वजह से आएगी तो मैं इसके लिए एक बार फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उत्पादन के निर्यात में वृद्धि होगी। बहुत सारी चीजें उसमें उन्होंने कीं और किसानों को भी एक बैनिफिट देने की कोशिश की कि किस तरीके से किसान अपने उत्पादन को कोल्ड चेन की मार्फत से या कोल्ड स्टोरेज की मार्फत से ज्यादा प्राइस में बेच सके, इस बात की भी चेष्टा की गई। न केवल आम आदमी को, इंडस्ट्री को बल्कि एक बहुत-बड़े रोजगार के क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा और जैसी उनकी मंशा है 55,000 जॉब उन्होंने क्रिएट किए हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। एमएसएमई एक्ट में बदलाव किया। एमएसएमई एक्ट में बदलाव करके उसका सरलीकरण किया, ताकि आम आदमी की एप्रोच में इंडस्ट्री आ सके।

एक अभी जब उन्होंने अपना बजट भाषण दिया था तो उन्होंने एक शेर पढ़ा है यहां पर, जिस पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता, उप नेता साहब ने दो-तीन बातें बोलीं, 'अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं, आगे अभी सारा आसमान बाकी है।' मैं इसमें दो पंक्ति और जोड़ करके उनकी बात को सार्थक करने की कोशिश करता हूं, 'लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, जितनी गहराई अंदर है, उतना तूफान अभी बाकी है।' हमारी जो राजस्थान की रीजनल इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बात की। एक बात किसी ने भी नहीं की कि डालर पिछले 5 दिनों में एक्सट्रीम पर पहुंच गया। हिंदुस्तान की इकोनोमी कंगाल हो गई। 5 परसेंट की गिरावट पिछले 5-7 दिनों में डालर में आ गई। इसके बारे में एक भी माननीय सदस्य ने नहीं बोला। मैं नरेंद्र मोदी जी की स्पीच लेकर आया हूं लेकिन मेरी डिमांड के बाद में इनसे पूछूंगा कि क्या कारण है कि डालर गिर रहा है, क्या कारण है रुपया गिर रहा है। वह सब बातें मैं बोलूंगा, लेकिन इससे पहले मैं मेरी अपनी बात कह दूं, कहीं आप मेरी समय समाप्ति की घंटी बजा दो तो मेरी डिमांड रह जाएगी।

राजस्थान की इंडस्ट्री के बारे में सभी ने बात की, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री जो सिर्फ राजस्थान की इंडस्ट्री हैं, जैसे अभी प्रताप जी ने दो-तीन इंडस्ट्री के लिए बोला और कई सारे साथियों ने बोला, जयपुर की जो रीजनल इंडस्ट्री है, वह बैडशीट की इंडस्ट्री है, ज्वैलरी की इंडस्ट्री है। मूर्तिकला उद्योग

(श्री रफीक खान)

के लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे यहां की मूर्तियां बनकर न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी जाती हैं। बैंगल्स का काम है, रजाइयों का काम है, सांगानेरी प्रिंट का काम है, मार्बल उद्योग का काम है, सिलाई का काम है। मेरी उद्योग मंत्री जी से गुजारिश है कि जो रीजनल इंडस्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से राजस्थान जाना जाता है, जो इंडस्ट्रीज राजस्थान की लाइफ लाइन है, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज बने। क्या हुआ है कि जीएसटी हम लेकर आये थे और जीएसटी एक समाधान था। हमने यह सोचा था कि एक राष्ट्र एक टैक्स होगा और जीएसटी में सब रीजनल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की पालिसी बनाई गई। इस समाधान को जिस तरह से इन्होंने लागू किया, उसको एक काम्प्लीकेशन में बदल दिया और पूरे इंडिया में जो-जो रीजनल इंडस्ट्री थीं, वे सब रीजनल इंडस्ट्री मारी गईं, चाहे वह सांगानेर की बैडशीट की इंडस्ट्री हो, चाहे वह रजाइयों की इंडस्ट्री हो, चाहे वह मार्बल उद्योग हो। मार्बल उद्योग की तो बिलकुल ऐसी-तैसी कर दी इन्होंने। मार्बल उद्योग सिर्फ और सिर्फ सिरेमिक इंडस्ट्री को जीवित करने के लिए, उसको आक्सीजन देने के लिए राजस्थान के पूरे मार्बल उद्योग पर पहले 28 परसेंट टैक्स लगाया। अभी सुरेश जी बोल रहे थे, अब 18 परसेंट कर दिया। 18 परसेंट भी व्यावहारिक नहीं है। अगर 18 परसेंट यहां के ग्रेनाइट पर और मार्बल पर टैक्स लगेगा, बहुत छोटे-छोटे उद्योगपति इसमें इन्वाल्व हैं। मेरी आपके मार्फत यह गुजारिश है कि केन्द्र तक यह बात जाये कि मार्बल उद्योग पर जीएसटी का परसेंटेज कम किया जाये, जिससे यह इंडस्ट्री रिवाइव हो सके। खाली मार्बल इंडस्ट्री ही नहीं, राजस्थान की जितनी भी रीजनल इंडस्ट्री हैं, उन सबको एक रिवाइवल पैकेज दिया जाये, चाहे वह बैंगल्स बनाने की इंडस्ट्री हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री हो, बैडशीट हो, सांगानेरी प्रिंट हो, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो राजस्थान की लाइफ लाइन है और जिसमें राजस्थान के आदमी को रोजगार मिलता है, जो छोटी-छोटी चीजों से, छोटे-छोटे उद्योगों से अपना रोजगार चलाता है, उन सबको एक रिवाइवल पैकेज मिले जिससे उनकी ग्रोथ हो सके। यह मेरी सदन से डिमांड है और मेरी यह कोशिश रहेगी कि इस बात को आगे से आगे ले जाया जाये ताकि इनको रिलेक्सेशन मिल सके।

जैम एंड ज्वैलरी का काम जयपुर में बहुत बड़ा काम है। जयपुर में मेरे क्षेत्र में भी करीब 2 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े होंगे और पूरे जयपुर में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली जवाहरात के बिजनस से जुड़े हैं, चाहे वह ज्वैलरी बनाने का काम हो, चाहे वह सैटिंग का

(श्री रफीक खान)

काम हो, चाहे स्टोन की कटिंग, पोलिशिंग का काम हो, चाहे उसकी घाट तैयार करने का काम हो। अभी केन्द्रीय पालिसी ने एक ऐसा कुठाराघात किया हुआ है कि रफ के ऊपर जिसमें कभी भी टैक्स नहीं था, अभी आधा परसेंट टैक्स लगा दिया गया है। मेरी सदन के माध्यम से डिमांड है और साथ में हमारे बीजेपी के सदस्यों से भी, कि हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि यह आधा परसेंट टैक्स खतम हो क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी रेवेन्यू और सबसे बड़ा व्यापार अगर कोई है तो जैम एंड ज्वैलरी की इंडस्ट्री है और अगर उसमें यह आधा परसेंट का टैक्स लगता है तो वह उसका पूरा भूगोल, पूरी स्थिति बदल देगा। हमें यह चाहिये कि हम सब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कोशिश करें कि यह आधा परसेंट टैक्स खतम हो।

कल जब यहां सदन में चर्चा हो रही थी तो धारीवाल साहब जवाब दे रहे थे तो जेल के बारे में बात हुई। जेल के लिए वह बोले कि जैमर काम नहीं करते हैं, बिलकुल थिकली पापुलेटेड एरिये में आ गया है। बिलकुल सही बात है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में वह एरिया है, दोनों सेंट्रल जेलें मेरे क्षेत्र में आती हैं। मेरी सदन के मार्फत उद्योग मंत्री जी से यह गुजारिश है कि जेल को आगे कहीं ले जाया जाये और यहां जैम बूर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड बहुत अर्से से चली आ रही है। जब हम बाहर जाते हैं तो किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ज्वैलरी वालों के लिए, स्टोन वालों के लिए एक अलग से बिल्डिंग होती है, जिसमें आदमी अपनी मैन्यूफैक्चर्ड चीजें वहां अपने शोरूम में रखता है, कस्टमर एक पाइंट पर आता है, आकर देखकर सब चीजें लेकर चला जाता है। ऐसा कोई प्लेटफार्म जयपुर में है नहीं और आदमी पड़ौसी के घर आकर चला जाता है और पड़ोसी के पास माल होता है, उसके दलाल उसको माल दिखाते रहते हैं और जो डिमांड वह चाहता है, वह उसको नहीं मिल पाती है, बेवजह उसको आर्डर करना पड़ता है, टाइम लगता है तो मेरी यह गुजारिश है कि जैम बूर्स सेंट्रल जेल में बनाया जाये, आइडियल प्लेस है। इससे न केवल बिजनस में ग्रोथ होगी, इससे एक बहुत बड़े रोजगार का सृजन होगा। सिटी के सेंटर में बहुत बड़ी जगह है, जैम एंड ज्वैलरी का पूरा बाजार उसी के आस पास केंद्रित है। ढंग से आप इस बात की पैरवी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस टैन्योर में यह काम कर पायेंगे। जैम बूर्स का एक बहुत बड़ा मसला है।

अभी काफी सारे साथी सेंट्रल पालिसी की बात कर रहे थे। सेंट्रल पालिसी में राजस्थान के उद्योग विभाग को या राजस्थान के उद्योग को प्रमोट करने के लिए बजट में चवन्नी का प्रावधान नहीं किया गया। 27 हजार

(श्री रफीक खान)

करोड़ रुपये उन्होंने प्रावधान किये हैं, चवन्नी राजस्थान को नहीं दे रहे हैं। बड़े-बड़े हितैषी हैं, आप मांगते दो-चार-पांच हजार करोड़ रुपये राजस्थान के लिए। कोई अपैरल पार्क मांगते, जैम एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री के लिए मांगते। अभी वह सदस्य कह रहे थे टैक्सटाइल पार्क के लिए, एक चवन्नी राजस्थान को नहीं दी गई है तो किस तरह से डवलपमेंट की बात करते हैं। यह तो धन्यवाद दो आप मुख्य मंत्री जी को कि उनका विजन है, वह चाहते हैं कि राजस्थान में इंडस्ट्री डवलप हो और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में होगी लेकिन आप लोगों को भी जहां राजस्थान का मसला आ जाये, अभी पारख साहब ने बोला कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर आपने परसेंटेज गिना दी, इतना परसेंटेज बजट में भी मांग लेते उनसे, कि इतना बजट हमें दे दो राजस्थान का औद्योगीकरण करने के लिए, तो कुछ तो राजस्थान का भला होता लेकिन आपने वह कोई बात नहीं की, यहां क्रिटिसिज्म करने के लिए आप सबसे आगे हैं।

हम इंडस्ट्री के बहुत बड़ेबड़े शोज करते हैं। राजस्थान में 'वस्त्रा' करके एक शो होता था, जिसमें पूरे हिन्दुस्तान से कस्टमर आते थे, रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री थी। यहां आकर वह अपने-अपने शोरूम से अपनी डिमांड लेकर उन दुकानदारों के पास जाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती थी। अभी पिछले तीन-चार सालों से वह सब्सिडी बंद कर दी। वह शो बंद हो गया। उसका नतीजा है कि राजस्थान में करीब-करीब 20 से 30 हजार लोग बेरोजगार हो गये। जिस इंडस्ट्री में पांव रखने की जगह नहीं मिलती थी, ओवरलोड विज्ञापन आते थे, अख़बार में देखते थे तो 'आवश्यकता है' के कॉलम में सबसे पहले गारमेंट इंडस्ट्री होती थी। आज गारमेंट इंडस्ट्री वहां से बिखरती जा रही है। मेरी सदन के मार्फत गुजारिश है कि जो शोज, खास तौर से जैम एंड ज्वैलरी के शोज, गारमेंट्स से रिलेटेड शोज, उनमें जो सब्सिडी आती थी, चाहे थोड़ी-सी विदेश यात्रा प्रधान मंत्री जी कम कर दें, कोई बहुत ज्यादा बजट हम नहीं मांगते थे। रीको के अधिकारी यहां बैठे हैं, इनको आइडिया होगा 'वस्त्रा' में शायद 80 लाख रुपये इनको मिलते थे।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक दो करोड़ रुपये इन एग्जीबिशन के लिए प्रावधान करेंगे तो इंडस्ट्री का डवलपमेंट होगा।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, मुझे बात पूरी तो करने दो। बीच में मैं आ जाता हूं डालर पर। जब 2013 में डालर का डिवैल्युएशन हुआ तो प्रधान मंत्री जी आवाज लगाते थे रुपया गिर रहा है, क्या कारण है कि रुपया गिर रहा है? बंगलादेशी करेंसी नहीं गिरती, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है कि इंडिया का रुपया गिर रहा है?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आजादी से लेकर आज तक सबसे बुरी स्थिति अगर रुपये की है तो वह आज की तारीख में है।

श्री सभापति: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें, विराजिए।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 42 उद्योग, 23 श्रम और रोजगार पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज यहां सदन में चर्चा हो रही है। काफी सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे। राजस्थान प्रदेश, देश में सबसे बड़े भू-भाग का क्षेत्र है और जो उद्योगों की स्थिति है, चाहे वह देश में हो, चाहे प्रदेश में हो। जब नोटबंदी और जीएसटी के बाद चाहे हमारा उद्योग जगत हो या जो पारम्परिक उद्योग हैं, उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(15.30 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी उद्योग नीति की घोषणा की। साथ ही, एकल विंडो का जो प्रावधान किया है, उससे यहां पर उद्योग लगने की संभावना निश्चित तौर पर बढ़ेगी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। आज देश हो या प्रदेश हो, रोजगार की बहुत महती आवश्यकता है और पूरे देश व प्रदेश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, वह बड़ी भयानक हो चुकी है। सरकार की नीतियों के कारण आज युवाओं को और उद्योग धंधे लगाने वालों को यह सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति से हमको कैसे निपटना है? आज हमारे राजस्थान में चाहे खादी का

(श्री आलोक बेनीवाल)

क्षेत्र हो, चाहे हैंडलूम का हो, चाहे ग्रामीण परिवेश में जो हमारे परम्परागत उद्योग थे, वे हों, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन सबके ऊपर हमको गहनता से विचार करना पड़ेगा। इसमें जो विसंगतियां हैं, चाहे वे टैक्स से संबंधित हों, चाहे रीको से संबंधित हों, चाहे आरएफसी से संबंधित हों, चाहे बैंक से संबंधित हों, उनका शीघ्र निस्तारण करके हम उद्योग के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करें और यहां पर रोजगारोन्मुखी उद्योगों की स्थापना हो पाए, जिससे हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको रोजगार मिल सके।

विगत पांच साल में जो सरकार थी और अब लगभग सवा साल से हमारी सरकार है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां जो रोजगार की स्थिति है, वह बड़ी विकट है। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें बहुत बड़ा व्यवसाय ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्लो डाउन की स्थिति है आपकी जीडीपी डाउन है। आज वे उद्योग संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उसमें काम करने वाले हजारों-लाखों लोगों के ऊपर रोजी-रोटी का संकट आ पड़ा है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को भी यह सोचना पड़ेगा, राज्य सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। मैं केंद्र सरकार को यह कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार को मदद चाहिए उसमें दिल खोलकर राज्य सरकार की मदद करे, जिससे हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, उनको अच्छा रोजगार मिल सके और अच्छा माहौल मिले और यहां पर उद्योग-धंधे स्थापित हो सकें। जो स्थापित उद्योग हैं, जो बंद हो गये हैं, उनको पुन: चालू करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। उसमें सामूहिक प्रयास होगा, तभी जाकर हम इस प्रदेश में उद्योग के नये वातावरण को तैयार कर पाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, हमारे प्रदेश से आप भली भांति परिचित हैं। हमारे प्रदेश में पानी की भी बड़ी दिक्कत है। बिजली की रेट की बात भी की गयी। निश्चित तौर पर हमें सभी क्षेत्रों में सोच-समझकर आने वाले समय में उद्योगों के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने का काम करना पड़ेगा। आज देश के अंदर जो हालात हैं, बड़े-बड़े बैंक आज बंद होने के कगार पर जा रहे हैं। आम आदमी चिंतित है, कल भी आप देख रहे होंगे कि एक यस बैंक, बैंकों का कुछ पता नहीं, थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ था। इस देश में यह क्या हो रहा है? जो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार

(श्री आलोक बेनीवाल)

हैं, उनको यह पता नहीं है कि एक इतना बड़ा बैंक किस तरह से ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया, उसके क्या कारण हैं? उसके कारणों को भी आम जनता को और वहां के खाताधारकों को नहीं बताया जाता। वह स्थिति कब नार्मल होगी, वह भी नहीं बताया जाता। जिनकी गाढ़ी कमाई उन बैंकों में जमा है, उनके बारे में वे बेचारे चिंतित हैं।

कल मैं टीवी पर देख रहा था कि एक जने का पीएफ का पैसा उस बैंक में जमा था। वह कह रहा था कि मेरे तीन-चार लाख रुपये हैं, वे मैं कैसे निकालूं? मुझे जरूरत है। हमारे देश में लगातार ये स्थितियां बैंकों में बनती जा रही हैं। केंद्र सरकार इस पर कहां नजर रख रही है, यह देखने की बात है। जनता सब जानती है, सब देख रही है, आप भी देख रहे हैं और इससे पूरे देश में एक चिंता का वातावरण आम लोगों के अंदर बन गया है कि क्या जो बैंक हैं, उनमें भी हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं है? ये स्थितियां आज देश के अंदर बनती जा रही हैं।

हम उद्योगों की बात करते हैं। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप गुजरात मॉडल पर जाइये। माननीय सदस्य महोदय, गुजरात में भी 40 परसेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन है। आप मॉडल की बात मत कीजिए। मॉडल तो कहीं का भी सक्सेस हो जाता है। एक कुम्हार जो कुल्हड़ बनाया करता था और वह कुल्हड़ पूरे देश में रेलवे में सप्लाई हुआ करता था, उसको बंद करने का काम किसने किया, उसका जवाब भी आप देंगे। वह जो उद्योग था, उसमें लोगों को मोरल सपोर्ट था, उसको भी बंद कर दिया, तो हम कहीं न कहीं इन उद्योगों को पनपाने का काम करें। सरकार जो मल्टीनेशनल कंपनियों के पीछे चल देती है, उसको छोड़कर जो हमारे परम्परागत उद्योग हैं, गांव में जो वर्षों से चलते आ रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दें जिससे कि हमारा जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको वहीं पर ही ज्यादा से ज्यादा काम-धंधा मिल सके, जिससे हम पलायन को भी रोक पाएंगे और रोजगार भी दे पाएंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा। मैं श्रम मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपके विभाग में जो स्कीमें चलती हैं श्रमिक निर्माण, प्रसूति सहायता योजना, निर्माण श्रमिक औजार व टूल किट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, शुभ शक्ति योजना, ये जो सारी योजनाएं आपके यहां चल रही हैं, इनका जो बैकलाग है, उसको शीघ्र खतम करें। मेरे विधान सभा

(श्री आलोक बेनीवाल)

क्षेत्र के आंकड़े मैं बताऊंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। वहां पर भी कइयों में अभी भी बैकलाग बाकी है। एक-दो का मैं बता देता हूं। मेरे यहां जो शुभ-शक्ति योजना है, उसमें टोटल 1067 आवेदन हुए हैं और उनमें से 99 अप्रूव हुए हैं और 163 पैंडिंग हैं और डिपार्टमेंट में 611 पैंडिंग हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वह आपको बता देता हूं। वहां पर उपखंड स्तर पर आपका कोई अधिकारी नहीं बैठता है।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): अभी करता हूं। कोई काम कराना होता है, तो उसके लिए हमें जयपुर ही आना पड़ता है। हमको जयपुर में ही उन अधिकारियों से सम्पर्क करना पड़ता है। जो गरीब आदमी है, वह जयपुर में कितना चक्कर लगाए? उसका सोल्यूशन कहां हो सकता है। मैंने खुद ने बीडीओ से, एसडीओ से, संबंधित व्यक्ति से, ग्राम विकास सैक्रेटरी से खूब चर्चा की है। उनके पास कोई इन्फोर्मेशन नहीं है कि यह कब होगा, कब नहीं होगा? आखिर में जब यहां पूछा तो महीने भर में हो जाएगा, दो महीने में हो जाएगा। मेरा इतना ही निवेदन है कि हम वहां पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं करते तो कम से कम महीने में सात दिन या एक टाइम फिक्स करें कि इस टाइम पर वह अधिकारी वहां आकर पंचायत समिति या एसडीओ कार्यालय में बैठेंगे। जो भी कोई पात्र व्यक्ति है, उसका कोई काम है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें आप। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी। अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): 000

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आज उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं राजस्थान के उद्योगों के बारे में जो विचार इस सदन में व्यक्त किये जा रहे हैं, मैं चार-पांच बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा भीलवाड़ा शहर टैक्सटाइल सिटी कहलाता है और भारत का मैनचेस्टर का खिताब भीलवाड़ा को मिला हुआ है। लगभग डेढ़ से दो लाख के बीच में वहां मजदूर काम करते हैं। पूरे धंधे में तीन लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और लगभग 9 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिमाह वहां बनता है जिसमें सूती कपड़ा, पी.वी. शूटिंग-शर्टिंग और डेनिम जो आज भारत में और पूरे विश्व में जींस का कपड़ा है, जींस के पेंट-शर्ट जो बन

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

रहे हैं, डेनिम उद्योग भी बहुत तेजी से वहां विकसित हो रहा है। लगभग 100 करोड़ मीटर से अधिक कपड़े का उत्पादन साल का केवल भीलवाड़ा सिटी में होता है। आज उस उद्योग पर जो सबसे बड़ा संकट है, वह हमारी सरकार के टाइम पर भी था। मैं यह नहीं कहता कि यह कोई सरकार विशेष का संकट है लेकिन सबसे बड़ा जो व्यापारी और उद्योगपतियों से चर्चा करने पर सामने आता है, वह है बिजली की रेट। राजस्थान में उद्योगों पर जो बिजली की रेट है, वह 8 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट की रेट है जबकि हमारे अन्य जो प्रदेश हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहां की रेट साढ़े चार रुपये से लेकर साढ़े छह रुपये प्रति यूनिट है। आज कम्पीटिशन का युग है और जहां करोड़ रुपये कपड़े का उत्पादन प्रतिमाह होता है, वहां पर बिजली की न्यायसंगत रेट नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से उद्योग का पलायन होना लाजिमी है। भीलवाड़ा, जहां हजारों फैक्ट्रियां हैं, 18 तो वहां प्रोसेस हाउस हैं और हजारों फैक्ट्रिया ऐसी हैं, बड़े-बड़े जो उद्योग घराने हैं, उन्होंने तो बिजली का अपना सोलर प्लांट लगा लिया। उनके चार-पांच रुपये प्रति यूनिट का खर्चा आना शुरू हो गया लेकिन बीस-तीस लूम की जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वह अपना सोलर प्लांट लगा सके। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बिजली की रेट को न्यायसंगत करें। कम से कम इसको साढ़े छह रुपये प्रति यूनिट करें जिससे हमारा यह उद्योग, भीलवाड़ा में कपड़े का उद्योग पनप सके और आगे बढ़ सके अन्यथा एमपी में कम्पीटिशन बहुत बढ़ गया है और एमपी में हमारे यहां से पलायन होना शुरू हो चुका है।

दूसरी जो समस्या है हमारे उद्योग की, जमीन की। उस जमीन में शहरों में जितने भी रीको के इंडस्ट्रियल एरिया थे, और कई थे, वे सब फुलफिल हो चुके हैं। अब वहां कोई जगह बाकी नहीं बची है। अब उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है और पैरीफेरी एरिया में जो कन्वर्जन चार्ज है, वह इतना हैवी है कि इंडस्ट्री के लिए जमीन लेना ही एक तरह से, सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो कन्वर्जन चार्ज है, उसको भी न्यायसंगत बनाए जिससे हमारे उद्योगों का विस्तार हो सके। आज हमारे भीलवाड़ा जिले में गुलाबपुरा से लेकर चित्तौड़ तक लगभग सौ-सवा सौ किलोमीटर का एरिया ऐसा है, जहां पूरे हाईवे पर इंडस्ट्रीज लगी हुई है और वहां जमीनें उपलब्ध हैं। अगर ये कन्वर्जन चार्ज हम

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

न्यायसंगत बनाते हैं तो बहुत तेजी से हमारे वहां उद्योग पनपेगा। अब सिक्स लेन का काम लगभग कम्प्लीशन पर है और यह सिक्स लेन बनते ही उन किसानों को भी बहुत फायदा होगा, अगर उद्योगों के लिए जमीन की बिक्री होती है। किसानों को बहुत वाजिब कीमत पर पैसा मिलेगा लेकिन सरकार का जो चार्ज है, अगर वह वाजिब हो जाए तो उस एरिये में इंडस्ट्री के विस्तार की विपुल संभावना है।

हमारा भीलवाड़ा जिला टैक्सटाइल में बहुत समृद्ध जिला है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा उद्योग हमारे भीलवाड़ा में पनप सकता है, वह है सिरेमिक व्यवसाय। सिरेमिक व्यवसाय के लिए हमारी जब सरकार थी, हमने हमारी सरकार से बात की, मोड का निम्बाहेड़ा एक स्थान है, वहां 600 बीघा जमीन सरकार ने चिह्नित करके सिरेमिक जोन डिक्लेयर किया था। आज तक उस सिरेमिक जोन की जो जमीन है, वह उद्योगपतियों को नहीं दी गई है। आज भीलवाड़ा जिले में क्वार्टज, फैल्सपार और सोडा जो सिरेमिक उद्योग की जान है, सारा रॉ मैटेरियल हमारे भीलवाड़ा जिले से गुजरात जाता है और गुजरात में पहले तो लम्प्स जाते थे। आज लम्प्स पर रोक लगी है। जो ब्यावर की हमारी इंडस्ट्री है, पाउडर पीसने की, राजसमंद, ब्यावर और भीलवाड़ा जिले में ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों में अब क्या हो रहा है? मंत्री महोदय, मेरा इतना-सा निवेदन है कि सैकड़ों खानें हमारे भीलवाड़ा जिले में क्वार्टज, फैल्सपार और सोडा की हैं, लेकिन अब लम्प्स पर आपने रोक लगा दी। पहले मोरबी इंडस्ट्री में वह माल जाता था। अब मोरबी इंडस्ट्री वालों के यहां माल जाना बंद होने से ब्यावर में बहुत हल्की क्वालिटी का माल केवल लिया जा रहा है जिससे सैकड़ों खानें बंद होने की कगार पर हैं। मेरा निवेदन है कि अगर हम सिरेमिक इंडस्ट्री को हमारे जिले में ही पनपा दें, उनको अनुमति दे दें, अब गैस पाइप लाइन भी हमारे जिले में आ चुकी है जिससे बहुत सस्ती बिजली हमारे यहां उपलब्ध हो जाएगी। मेरा ऐसा निवेदन है कि इस सिरेमिक उद्योग पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम मोरबी को बीट कर सकते हैं। सारा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, वह हमारे यहां बचेगा और हम बहुत सस्ती कीमत पर सिरेमिक उद्योग को पनपा सकते हैं। राजस्थान के लिए मोरबी को हम चेलेन्ज कर सकते हैं जो पूरे देश में मोरबी एक पहचान रखता है, सिरेमिक इंडस्ट्री में। हमारा जिला एक ऐसा जिला है जहां सारा रॉ मैटेरियल उपलब्ध है।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

मोरबी सारा कच्चा माल हमारे यहां से जाता है। अगर इसको हमने पनपाने की दिशा में काम किया तो निश्चित रूप से उद्योग मंत्री महोदय हमारे बहुत सज्जन और बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे जिले को यह बहुत बड़ी सौगात होगी, अगर आपने सिरेमिक इंडस्ट्री पर ध्यान दिया।

सभापति महोदय, एक हमारे वहां जिन्दल शॉ लिमिटेड है, उस जिन्दल शॉ लिमिटेड में जब उनको खान अलाट की गई थी, हजारों हैक्टेयर की खान है। उसमें एक शर्त थी कि चार साल में उसको स्टील प्लांट लगाना आवश्यक था, तीन साल में। आज दस-बारह साल उस माइंस को चलते हुए हो गए। सारा रॉ मैटेरियल बाहर जा रहा है और उन शर्तों में यह था कि अगर स्टील प्लांट नहीं लगाया जाता है तो उसकी खान को कैंसिल किया जायेगा। आज तक उन शर्तों का पालन नहीं हुआ है। सरकारें चाहे हमारी रही हो, चाहे आपकी रही हो, जिन्दल एक प्रभावशाली व्यक्ति है लेकिन हमारे क्षेत्र का विस्तार तभी हो सकता है, उद्योग का, अगर वहां वह स्टील प्लांट जो सरकार की शर्तों में, अलाटमेंट की शर्तों में है कि चार साल-तीन साल में अगर स्टील प्लांट नहीं लगाया जाएगा तो यह माइनिंग लाइसेंस निरस्त किया जायेगा। आज 12 साल के बाद भी उसने स्टील प्लांट नहीं लगाया है। उसको बाध्य किया जाए। दो-दो बार उसने इंडस्ट्री के नाम पर जमीनें अलाट करवा ली हैं। लेकिन आज भी वह कहता है कि मेरे पास जमीन नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उस स्टील प्लाट को वहां तत्काल जिंदल के द्वारा शुरू करवाया जाए, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे राजस्थान में आइरन इंडस्ट्री है, लोहे की खदानें है, स्टील प्लांट चालू होगा तो हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी इनकम का सोर्स बनेगा।

हमारे भीलवाड़ा शहर और आस पास नदियों का बहाव क्षेत्र हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो प्रोसेस हाउस लगे हुए हैं, इन प्रोसेस हाउस के कारण कोठारी व बनास दोनों नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। नदी के बहाव क्षेत्र में दस किलोमीटर तक खेत और कुएं हैं वह प्रदूषण से बर्बाद हो चुके हैं। खेत में खेती होना बहुत मुश्किल है कुओं में पीने के लिए पानी नहीं बचा। सरकार व्यापारियों व उद्योगपतियों से बात करे। उद्योगपति तैयार हैं, अगर एक सेंट्रल ट्रीटमेंट प्लांट उन सबका मिलाकर बने, तो वह भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार उनको थोड़ा-सा सहयोग दे दे, तो जीरो डिस्चार्ज

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पर लाकर हम इन नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। किसानों की जमीन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान दें। नदियों का प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण हमारी जमीन और कुएं बर्बाद हो रहे हैं। उसमें अगर थोड़ा-सा सरकार सहयोग दे तो उद्योगपति मन से तैयार बैठा है। उद्योगपति भी पीड़ित है, क्योंकि पब्लिक चिल्लाती है तो उनके धंधे पर संकट आता है। मेरा आपसे निवेदन है कि सारे प्रोसेस हाउस को मिलाकर एक सेंट्रल ट्रीटमेंट प्लांट अगर लगा दिया जाए तो हम जीरो डिस्चार्ज पर पहुंच सकते हैं और हमें प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात कह दें, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरा श्रम मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे वहां टैक्सटाइल इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं, उनका शोषण होता है। 8 घंटे का पैसा देकर उनसे 12 घंटे काम करवाया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक ऐसी नीति तैयार करें कि सारे उद्यमी और श्रमिक संगठन मिलकर, एक श्रमिक कल्याण की नीति बनाई जाए जिससे उनका शोषण रुक सके। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज इंडस्ट्रीज व लेबर, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के धोरों ने पूरे भारत को ही नहीं विश्व को बहुत एमिनेंट उद्योगपति दिए हैं। शेखावाटी में इंडिपेंडेंस के पहले 22 करोड़पति थे। करोड़पति बहुत बड़ा माना जाता था। जीडी. बिरला बहुत आउटस्टेंडिग हैं, जो महात्मा गांधी के बहुत नजदीक रहे, उन्होंने पिलानी में बिट्स पिलानी बच्चों के लिए इंस्टीटयूशन, स्कूल बनाए। इसके अलावा सीमेंट, क्लाथ, सिंथेटिक फाइबर में पूरे विश्व में अपना नाम किया।

सभापति महोदय, इसके अलावा डालमिया, पोद्दार, सिंघानिया, पदमपत सिंघानिया मेरे विधान सभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। छोटा-सा गांव सिंघाना है, वहां से वह 150 साल पहले गए और पूरे देश में उन्होंने अपनी धाक की। लक्ष्मी मित्तल, राजगढ़ से आते हैं। स्टील किंग है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। सभापति महोदय, जमनालाल जी बजाज जो गांधी जी के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

तीसरे पुत्र कहलाते थे, वह हमारे माननीय सभापति महोदय और सीकर से आने वाले सदस्य के विधान सभा क्षेत्र के निवासी थे। निश्चित रूप से राजस्थान ने बहुत बड़ी पर्सनलिटी दी।

सभापति महोदय, 1999 में अपने इंडस्ट्रियल कांफ्रेंस हो रही थी, राजस्थान के उद्योगपतियों को बुलाने के लिए मुझे मुख्य मंत्री जी ने कलकत्ता भेजा कि आपके शेखावाटी के उद्योगपति हैं उनसे जाकर बात करें। मैं 1999 में कलकत्ता गया। बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मैंने बात की। बात करने की भाषा में, लोकल में वह हमको बाबू बोलते हैं, हम उनको बाबू बोलते हैं। बिरला को गांव में भी सब बाबू बोलते हैं। उन्होंने कहा बाबू क्या करें आपके राजस्थान में आकर, आपके राजस्थान में बिजली नहीं है, आपके राजस्थान में पानी नहीं है, आपके राजस्थान में समुद्र तट नहीं है, हमारा तो खूब ही मन है आने का, लेकिन हम कैसे आ सकते हैं, घाटे में कैसे रह सकते हैं, और एम्प्लायमेंट की बात है तो राजस्थान से जिसको भी भेजना है भेज दो। बिरला की बोम्बे में काटन मिल थी, मैं समझता हूं और जगह भी थी even outside, थाइलैंड के अंदर जो थाइलेंज है वह बिरला ग्रुप की थी। बिरला ने काटन व सीमेंट में बहुत बड़ा काम किया। मुख्य मंत्री जी ने मुझसे पूछा कि कोई बात हुई क्या मैंने कहा साहब यह बात हुई उन्होंने कहा क्या करें, कैसे आए।

सभापति महोदय, 2008 में मुख्य मंत्री जी ने सिनेरियो बनाया, सौभाग्य से मुझे बिजली का महकमा मिला। इंडिपेंडेंस के बाद 2008 तक राजस्थान में 6 हजार मेगावाट बिजली थी। 2013 तक it was more than 6 thousand generation of electricity. हमारे सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशंस बने। सूरतगढ़ में, छबड़ा में, कालीसिंध में और इस तरह से बनकर जस्ट डबल हुए।

सोलर एनर्जी और विंड का कंट्री में बहुत बड़ा नाम हुआ। उस समय इंण्डस्ट्रियल बूम हुआ। नई पालिसी बनी, आज सोलर व विंड एनर्जी में राजस्थान पूरी कंट्री में दूसरे और तीसरे नम्बर पर है। बहुत लिबरल उन्होंने, सोरल में it is also a type of industry, सोलर में गवर्नमेंट सीधा उनको अलाउ कर रही है कि अपनी पर्सनल लैंड पर सोलर प्लांट लगाएं। जो एनर्जी होगी नियर बाई जीएसस के, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। उनके एक मेगावाट से करीब 50 लाख रुपये सालाना इनकम होगी, इस तरह की व्यवस्था उन्होंने की।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

दूसरा, फ्रेट कोरिडोर। फ्रेट कोरिडोर शुरू हुआ है सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से शुरू होता है और सीधा बाम्बे जाता है। 40 percent of the freight corridor, जिसके अंदर, जहां से जाएगा, यह भिवाड़ी से बैठे सारे के सारे, सारी जगह-जगह उनके स्टेशंस बने हुए हैं and it is a type of a port. बहुत फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होगा।

माननीय सभापति महोदय, दिल्ली पर जब लोड बढ़ा तो भिवाड़ी, नीमराना, अलवर में रोजगार शिफ्ट हुए। जिस तरह से ओवर ऑल राजस्थान का सिनेरियो है करीब मध्यम और बड़े उद्योग 644 है, इसमें 1 लाख 78 हजार 376 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, करीब सवा दो लाख लोगों को रोजगार मिला है। छोटे-छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं वह करीब 8 लाख है, उनमें 40 लाख कार्यरत मजदूर हैं, 80 हजार करोड़ उनमें इन्वेंस्टमेंट है। पूरे राजस्थान में इंडस्ट्रियल सिनेरियो अलग है। धौलपुर और जोधपुर स्टोन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। वर्ल्ड फेमस राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, यह धौलपुर स्टोन के बने हैं। जोधपुर स्टोन तो अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिटी का है।

मार्बल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, वह सौभाग्य से किशनगढ़ के आर के मार्बल्स का है, जिसको उन्होंने गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी रखा। सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, मार्बल की क्वालिटी है, लेकिन धीरे-धीरे मार्बल खतम हो रहा है। ग्रेनाइट के अंदर, मार्बल में हमारे किशनगढ़, मकराना, राजसमंद, और ग्रेनाइट जालौर में बहुत अच्छी क्वालिटी का है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतडी में एशिया का सबसे बड़ा तांबे का कारखाना है, कापर है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा डिपोजिट मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। सभापति महोदय दूसरा, lime is an important thing, जिस सिरेमिक लाइम की आप बात कर रहे थे, इसका इस समय बहुत बैस्ट हमारे जैसलमेर में स्टील ग्रेड का लाइम है, नागौर में है, नीमकाथाना में है। मोदी जी चले गए, उनके विधान सभा क्षेत्र में है लाइम।

सिरेमिक इंडस्ट्रीज, जिसकी आप बात कर रहे थे, 90 परसेंट रॉ मैटेरियल राजस्थान का है, गुजरात में जाकर टाइल्स वगैरह बनती है। मैं समझता हूं कि इसको प्रमोट करके राजस्थान में भी उनके साथ्साथ, मार्बल पर जीएसटी 28 परसेंट हो गया था, जिसको घटाकर 18 परसेंट किया गया। अगर सिरेमिक इंडस्ट्रीज राजस्थान में डवलप की जाए तो बहुत बड़ा काम होगा।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, 1998 में एक ऐसा दुखद निर्णय लिया गया कि जो बड़े-बड़े राजस्थान के, पूरी कंट्री के उपक्रम थे, सबसे बड़ा उदयपुर जिंक, उदयपुर जिंक सबसे बड़ा उपक्रम था, जिसमें अगूचा माइंस थी, कम से कम 15 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, बाल्को, हमारा छत्तीसगढ़ का था कम से कम 15 हजार करोड़ का, हिन्दुस्तान कापर प्रोजेक्ट, कम से कम 15 हजार करोड़ का उपक्रम है। एशिया की, हमारे भारत की सबसे सुन्दर रेजीडेंशल कालोनी मिनी चंडीगढ़ मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, जिसमें 10 हजार क्वार्टर्स बने हुए हैं। जब चाइना वार हुआ था, तब कापर नहीं था, हमारी आर्मी को बहुत कमजोरी देखनी पड़ी थी, उस समय 1963 में इन्दिराजी ने निर्णय लिया कि यहां पर कापर का कारखाना बनेगा। कापर का कारखाना बनकर 1972 में शुरू हुआ। उसमें 10 हजार लेबर थी। उसमें बहुत बड़ा, एक टन कापर पर-ईयर उसमें होता था, जो एशिया में कहीं नहीं होता। उसमें, सभापति महोदय, 15 टन सिल्वर, it is a byproduct of copper. सिल्वर 15 टन, और सभापति महोदय, you'll be surprised to know, कोलार गोल्ड से ज्यादा गोल्ड खेतड़ी में उसका बाई-प्रोडक्ट निकलता था। मैंने उनकी लाइब्रेरी देखी है, जिसमें स्टोन्स के कट हैं, जिसमें पूरी की पूरी गोल्ड लाइन चल रही है। एक टन गोल्ड प्रतिवर्ष खेतड़ी में होता था। दूसरा कहीं नहीं होता था लेकिन it is quite unfortunate, कि हमारे वहां पर स्मैल्टर प्लांट को बंद कर दिया। स्मैल्टर प्लांट को गुजरात शिफ्ट कर दिया। सभापति महोदय, जो वहां 10 हजार मजदूर थे, आज वहां 800 मजदूर रह गये।

सभापति महोदय, जैसे मैंने बताया, उदयपुर का जो जिंक है वह 500 करोड़ रुपये में बिक गया, 500 करोड़ रुपये में उदयपुर जिंक बिका। 500 करोड़ का तो उनका लोह-लकड़ ही बिक गया होगा। मैं बता रहा हूं, माननीय आनरेबल लीडर आफ अपोजिशन बैठे हैं, उनके विधान सभा क्षेत्र के आस-पास का मामला है। यह राजस्थान के लिए दु:खद बात थी। बाल्को 500 करोड़ में बिक गया। साढ़े सात सौ करोड़ का उन्होंने वहां लगाया था, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीनों मुख्य मंत्री आये थे। सभापति महोदय, जो हमारा खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट है, उसकी भी 500 करोड़ की बोली थी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास आया। पूरे हाउस ने एकतरफा लिखा, मैं लेकर सोनिया जी से मिला।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

उन्होंने मनमोहन सिंहजी के पास भेजा। मनमोहन सिंहजी ने, पार्लियामेंट में मैटर हुआ और किसी तरह से उसे मिनी नवरतनों में जोड़कर खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट को बचाया जा सका।

सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस समय मंत्रीजी सामने बैठे हैं, समय की कमी है, क्योंकि कल त्यौहार है, बहुत लम्बी बात नहीं कहनी। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने यहां पर तीन साल के लिए छूट दी है कि इंडस्ट्रीज के लिए कुछ उन पर राइडर्स नहीं लगाएंगे। उन्होंने बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज दी हैं।

सभापति महोदय, मैं अंत में मेरे अपने स्वयं के विधान सभा क्षेत्र के लिए आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे हिन्दुस्तान कापर प्रोजेक्ट के अन्दर एक मजदूर की सैलेरी, माननीय मंत्री महोदय, आप विराजे हैं, क्योंकि आर.एल.सी. आपके अण्डर में है, वे लोग तो नहीं करेंगे, सेन्टर की बात करेंगे। सभापति महोदय, हमारे टाइम में मजदूर की तनख्वाह 50 हजार थी, रिटायर होता था, उसको पर्क के 40 लाख रुपये मिलते थे, ऐसे 10 हजार मजदूर थे। धीरे-धीरे भर्ती बंद की। It is like a slow poison as Arsenic given to Napoleon. हालत यह हो गई कि आज 800 मजदूर बचे हैं। वहां पर ठेके पर मजदूरी दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि दुबारा से इसको रिव्यू करें। प्राइवेट सैक्टर नई भर्ती चालू करे। आपके माध्यम से हम भारत सरकार को कहेंगे, एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम है, अगर वह मर गया तो फिर क्या होगा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मेरी रिक्वैस्ट है कि आर.एल.सी. आपके पास है। प्राइवेट जो कम्पनियां आ रही हैं, मनमर्जी से 12-12 हजार रुपये दे करके एक-एक किलोमीटर नीचे लोगों को उतार रहे हैं। पैसा नहीं मिल रहा है। आप दुबारा से रिव्यू करें कि एट-लिस्ट उनको उनके पर्क्स मिलें, उनको उनकी सारी सुविधाएं मिलें।

सभापति महोदय, लास्ट के अन्दर मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज में हम उसको यूज कर सकते हैं। वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं। हिन्दुस्तान प्रोजेक्ट के साथ पानी की समस्या है, माननीय मंत्री बैठे हैं, मैंने खुद आग्रह किया है कि उसको अलग से पानी दिया जाए और फैक्ट्री में रिसाइकिल करें, वहां कचरे से ऊर्जा निकालें। सभापति महोदय, स्टोन ग्राइंडिंग जितनी फैक्ट्रीज हैं, सभापति महोदय, मैं तो डाक्टर हूं, सिलिकोसिस

(श्री जितेन्द्र सिंह)

होता है, सिलिकोसिस से मैंने एक पूरे परिवार को मरते देखा है। It deposits into our lungs और रबड़ जैसा लंग स्टील जैसा लंग बन जाता है। 100 परसेंट डैथ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सिलिकोसिस के लिए अलग से व्यवस्था की है।

माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करें कि स्मैल्टर प्लांट, हिन्दुस्तान कापर प्रोजक्ट को चालू करें। दूसरा, वहां पर नई माइन्स की शुरुआत करें, नई भर्ती चालू करें।

दूसरा, मंत्रीजी, आप दूसरी बार झुंझुनूं के प्रभारी बने हैं। आपके रहते हुए अगर एशिया का सबसे बड़ा जहां कारखाना है, वहां इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को मेरा आग्रह है कि खेतड़ी में ये सब कंसीडर करते हुए उसमें इंडस्ट्रियल जोन बनाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 उद्योग व मांग संख्या 23 श्रम व रोजगार पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा त्योहार है। मैं मेरी ओर से इस सदन में विराजित सभी माननीय सदस्यों को और इस विधान सभा परिसर में बाहर के गेट से लेकर अन्दर तक सभी विराजित अधिकारियों और कर्मचारियों को, मीडिया के मेरे भाइयों को मैं मेरी ओर से होली के इस पावन पर्व पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथ ही, सभापति महोदय, आज जो एक महत्वपूर्ण विषय है, श्रमिकों का, मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि श्रमिक कार्ड बनाने के लिए श्रमिकों को वास्तव में बहुत ही परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, बहुत परेशानियां होती हैं। श्रमिक कार्ड का सरलीकरण किया जाए। जो भी श्रमिक हो, वह जहां भी काम कर रहा है, उसका श्रमिक कार्ड बनाने की जिम्मेदारी, मैं समझता हूं, उन्हीं कम्पनियों को, जिस फैक्ट्री में, जिस ईंट भट्टे पर, जिस दुकान पर श्रमिक काम करते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाए कि वे श्रमिकों को श्रमिक कार्ड बना करके दें ताकि श्रमिकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और श्रमिकों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

साथ ही, सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं,

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में फैल्सपार क्वार्ट्ज के पत्थर पीसने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। उन फैक्ट्रियों में, जो मजदूर काम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, हम सभी जानते हैं, आपके भी, सरकार के भी संज्ञान में है कि सिलिकोसिस एक बहुत ही घातक जानलेवा बीमारी है। वह बीमारी उन्हीं मजदूरों में, उन्हीं श्रमिकों में पाई जाती है। मेरा ऐसा मानना है इन फैक्ट्री मालिकों को, उन माइन्स मालिकों को पाबंद किया जाए, जो भी उन फैक्ट्रियों में और उन माइन्स में मजदूर काम करते हैं, उनके कम से कम 5-5 या 10-10 लाख के बीमे करवाये जाएं जिनके बीमे का प्रीमियम वे फैक्ट्री मालिक या माइन्स आनर भरें।

साथ ही, सभापति महोदय, सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारी या तो माइन्स में काम करने से होती है, या इन पत्थर पीसने वाली फैक्ट्रियों में, या सीमेंट की फैक्ट्रियों में होती है। मैं चाहता हूं कि उन गरीबों को राहत देने के लिए सभी फैक्ट्री मालिक और सभी उद्यमी उनके बीमे कराएं और उनके बीमे का प्रीमियम वे खुद भरें।

दूसरा, मैं मेरी ओर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सभी माइन्स में, सभी फैक्ट्रियों में कम से कम प्रत्येक माह में एक तारीख तय की जाए, जिसमें उन श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाए। प्रत्येक माह में एक तारीख तय हो, जिसमें उन सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य की जांच हो ताकि सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारी से उनको बचाया जा सके और उनके परिवार को राहत पहुंचाई जा सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में ही ग्राम पंचायत रूपाहेली में एक सिंथोल ग्रीन एनर्जी पावर लिमिटेड के नाम से एक फैक्ट्री लगी हुई है, जिसमें टायरों को जला करके आयल बनाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, उस फैक्ट्री का हाल यह है कि रात को और दिन में टायरों को जलाया जाता है और उस फैक्ट्री के आस-पास के जो गांव हैं उन गांवों में घरों की छतों पर काली-काली परतें जम जाती हैं और गर्मी के दिनों में अगर कोई व्यक्ति छत पर सो जाता है तो उनके नाक, कान सब बंद हो जाते हैं और उनके मुंह काले पड़ जाते हैं और घातक बीमारियां होने का खतरा है और वह बीमारियां होती भी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मैंने पिछले सत्र में भी यह बात रखी थी कि इस तरह के प्लांट

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

गुजरात, बिहार और अन्य कई राज्यों में प्रदूषण को देखते हुए बंद कर दिये गये हैं। यह जो फैक्ट्रियां हैं इनको या तो बंद करवा दिया जाए या ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे लोगों को जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल सके।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरड़ा में रामपुरा आगूचा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक बहुत बड़ा खनन प्लांट है जिसमें वहां के गरीब व किसान वर्ग के लोगों को ऊंचे-ऊंचे सपने दिखाकर उनकी जमीनें ले ली गईं और उनको रोजगार का भरोसा दिलाया गया और वादा किया गया। माननीय सभापति महोदय, उनकी जगह पर बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है जो वहां के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। जिंक के खान व प्लांट के विस्तार हेतु रीको द्वारा भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है लेकिन कम्पनी द्वारा उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकारियों के नाम पर एक-एक करके किसानों को बरगलाकर भूमि अवाप्त किये बिना ही भूमि की खरीद-फरोख्त की जा रही है जो कि भूमि अधिग्रहण कानून का पूर्णतः उल्लंघन है। वह किस आधार पर एवं किस कानून के तहत जमीनों की रजिस्ट्री करवा रहे हैं जबकि एक्ट के अनुसर हिंदुस्तान जिंक को केवल खनन एवं एक्सप्लोरेशन का ही लाइसेंस मिला हुआ है।

भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदीजी के मिशन के द्वारा 75 प्रतिशत लोकल व्यक्तियों को रोजगार देना तय हुआ है, परंतु यहां पर कम्पनी के कुछ अधिकारियों द्वारा अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए अपने स्वयं के क्षेत्र के व अपने सगे-संबंधियों को रोजगार दिया जा रहा है जो वहां के बेरोजगार युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और छलावा है। मैं यह चाहता हूं कि कम्पनी में प्रथम तो हुरड़ा तहसील के बेरोजगार युवाओं को अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जाए, उसके बाद आसीन्द तहसील के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। वहां के अधिकारियों द्वारा मनमानी करने व बेरोजगार युवाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, इससे युवाओं में आक्रोश है। इसका कम्पनी को कभी भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अतः सरकार का ध्यान मैं इस ओर दिलवाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में ही जैसा कि अभी आदरणीय विट्ठलजी भाई साहब ने बताया था कि ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेड़ा में सिरेमिक जोन का एक बहुत बड़ी जगह का, वहां पर 650

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

बीघा के लगभग जमीन सिरेमिक जोन के लिए तय कर रखी है। मैं यह चाहता हूं और मैं मेरी ओर से यह मांग करता हूं कि इस जमीन को जल्द से जल्द स्पेशल अधिकारियों को लगाकर वहां के उद्यमियों को दी जाए और इस सिरेमिक जोन को रीको में न देकर प्राइवेट सैक्टर में दिया जाए। इससे वहां पर जो भी उद्यमी उद्योग लगाएंगे, उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट व सुविधाएं मिल सकेंगी और इससे वहां अल्प समय में ही उद्योग लगाये जा सकेंगे। उद्यमियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और आस-पास के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक नया रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं सरकार का ध्यान इस विषय से हटकर दिलाना चाहता हूं। हमारे इस कार्यकाल का एक चौथाई समय निकल चुका है, पन्द्रह महीने का समय बीत चुका है और अब बचे हैं 45 महीने। इन 15 महीनों में हमने तो कुछ देखा नहीं है। न कोई विकास हुआ है और साथ ही एक जिले में जो डी.एम.एफ.टी. का फंड है, उस फंड पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है। अत: मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उस फंड से जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई और भी कई तरह के विकास के कार्य ठप हो रखे हैं, वह विकास के कार्य आप कराएं।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में 15 माह में एक भी बार ऐसा कोई हमें विश्वास किसी भी तरह का नहीं दिलाया गया। केवल और केवल मात्र कुछ बातें हमको सुनने को यह आई हैं कि विरासत में हमको यह मिला, तुमने यह क्यों नहीं किया, हमने यह किया, केन्द्र ने यह क्यों नहीं किया, केन्द्र ने यह किया। इस तरह की बातें सुनने को आई हैं। माननीय सभापति महोदय, हम लोग नए-नए चुनकर आये हैं, यह बातें हमारी समझ के परे हैं। हम यह चाहते हैं कि यह सरकार हम जो नए सदस्य हैं, हमारी ओर ध्यान दे। राजस्थान में जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और बहुत दुखी है। सभी तरह के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं मेरी ओर से केवल एक ही बात कहकर अपनी बात को खतम करूंगा कि सरकार इस अहंकार में नहीं रहे, केवल अहंकार की बातें हम लोग यहां पर सुनते हैं तो मैं मेरी एक ही बात कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा कि- "झुकते वही हैं जिनमें जान होती है,

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है।" आप हमारा ध्यान रखें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय श्री राम, वन्दे मातरम्।

श्री सभापति: श्री अमीनुद्दीन कागजी।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-42 उद्योग एवं मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल पालिसी, 2019, यह ऐसी पालिसी है कि जिस तरीके से तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधीजी ने इस भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की थी, उसी तरीके से मैं यह समझता हूं कि इस पालिसी के जरिए राजस्थान में भी औद्योगिक क्रांति आएगी। जिस तरीके से वन स्टाप शाप, बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट का गठन और तमाम एम.एस.एम.ई. की जो नई यूनिट्स, जिसमें तीन साल तक किसी भी व्यापारी को किसी भी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इत्यादि कार्य किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं लेकिन चंद शब्दों में राजस्थान में औद्योगीकरण को लेकर जो आवश्यकताएं हैं, उन पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उद्योग मंत्रीजी और श्रम एवं रोजगार मंत्रीजी यहां पर उपस्थित हैं, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि रीको द्वारा सभी औद्योगिक क्षेत्रों में स्किल डवलपमेंट सेंटर के लिए सस्ती दरों पर भूखंडों का आबंटन किया जाए। उसी तरीके से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में इंडस्ट्रियल एन्वायर्नमेंट पर भारत सरकार की पालिसी और नोटबंदी और जी.एस.टी. के बाद में बहुत सारी यूनिट्स सिक हो गईं। जिस तरीके से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने सिक यूनिट्स के स्थानांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी को माफ किया है, मैं उसके अंदर एक थोड़ा-सा परिवर्तन माननीय मंत्रीजी से चाहता हूं और उनके ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि होटल इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री में मानी जाती है लेकिन मंत्रीजी, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह इंडस्ट्रियल एरिया में जो होटल्स बनी हुई हैं वह कामर्शियल प्रोपर्टी पर बनाने का प्रावधान है लेकिन अगर आप जो सिक

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

यूनिट्स हैं और जो व्यापारी प्राइम लोकेशन में चाहे जयपुर हो, नीमराना हो, सीतापुरा हो और कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जिनमें पर्यटन की दृष्टि से अगर आप उसमें जीरो स्टाम्प ड्यूटी पर उनको आप यह इजाजत दे दें कि आप इन भूखण्डों का उपयोग होटल में कर सकते हैं तो मैं यह समझता हूं कि काफी व्यापारी जो परेशान हैं, वह अपने बिजनेस को चेंज कर सकेंगे और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन इसमें होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि जयपुर में स्थित जलमहल के सामने एक राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट हाट बनाया गया था, जिस पर करोड़ों रुपये बनाने में खर्च हुए। आज की स्थिति में वह बंद है। मैं मंत्रीजी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि उसको विकसित करने के लिए आप राजस्थान के जितनी भी हस्तशिल्प में इन्वाल्व इंडस्ट्रीज हैं, उनको या उनकी सब्स्टीट्यूट जितनी भी इकाइयां हैं, उनको वहां पर बैठने का स्थान दें और उस राजस्थान हाट करके जो एक बहुत बड़ा जलमहल के सामने बना-बनाया काम्प्लैक्स है, उसमें आप इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज के लोगों को उनके प्रोडक्ट लेकर पूरे राजस्थान के लोगों को बैठा सकते हैं। मैं समझता हूं वहां तकरीबन 20 से 25 हजार ट्यूरिस्ट जलमहल और जलमहल के आस-पास आता है तो इसमें लोगों को बहुत फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल पालिसी में एम.एस.एम.ई. आपने और सरकार ने यह निर्णय किया कि किसी भी उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को तीन साल तक किसी भी डिपार्टमेंट की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसमें मैं मंत्रीजी से उस पालिसी में थोड़ा-सा कंट्रोल या रिलैक्सेशन करने की बात करना चाहता हूं कि आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को तो यह कह दिया कि आप इंडस्ट्री लगा लें, लेकिन भूमि रूपान्तरण का जो एक लेकुना है, क्योंकि बगैर भूमि रूपान्तरण के कोई भी पी.एस.यू. बैंक उस उद्योगपति को विदाउट कोलेटरल प्रोपर्टी के नहीं देते हैं जबकि इस पालिसी में पी.एस.यू. बैंक और जो ब्याज अनुदान है, वह तब ही मिलेगा, जब उसकी टाइम से किश्तें पूरी होंगी, लेकिन लोन उसको इसलिए नहीं मिल सकता कि लैण्ड कन्वर्जन उसका नहीं होगा। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस पालिसी में आप यह देखें कि किस तरह से व्यापार

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

स्थापित करने वाले आदमी को, जो एग्रीकल्चरल लैण्ड पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसके कोलेटरल का क्या होगा?

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यह कहूंगा कि मैं सांगानेर से आता हूं और सांगानेर आज से 250 वर्ष पहले जयपुर से नजदीक 13 किलोमीटर दूर तत्कालीन राजघराने ने बसाया था और वहां प्रमुख रूप से दो इंडस्ट्रीज ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापतिजी, सांगानेर विधान सभा से तो मैं आता हूं। यह तो किशनपोल विधान सभा क्षेत्र से आते हैं।

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): मैं सांगानेर में जन्मा हूं। माननीय सभापति महोदय, सांगानेर में दो प्रमुख इंडस्ट्री हैं। एक छपाई उद्योग है, दूसरा कागज उद्योग है और दोनों कागज उद्योग में पानी की आवश्यकता होती है। मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चूंकि सांगानेर में पानी की कमी है और यह दोनों उद्योग विश्व स्तर पर अपना नाम रखते हैं। मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां तकरीबन ढाई से तीन हजार हजार यूनिट हैं और डायरेक्ट-इन डायरेक्ट तरीके से उसमें तीन लाख के लगभग लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों इंडस्ट्रीज के लिए जयपुर के आस-पास टोंक रोड पर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया, नवीन औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए जिसके अंदर जयपुर की द्रव्यवती नदी का दहलावास में जो पानी ट्रीट हो रहा है, उस पानी की सप्लाई हो और यह इंडस्ट्रियल एरिया जीरो डिस्चार्ज पर बनाया जाए जिसके अंदर रीको अपने स्तर पर सी.पी.टी. लगाकर दे। मैं समझता हूं कि यह दोनों इंडस्ट्रीज वहां शिफ्ट होंगी तो सांगानेर के लोगों को और जयपुर की इंडस्ट्रीज को उत्थान मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान एक बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। सभापतिजी, सिर्फ दो मिनट लूंगा। मानसरोवर रोड पर रीको द्वारा एक इनलैंड कंटेनर डिपो राजसिको के द्वारा एक्सपोर्ट में जो कंटेनर स्टफ होते हैं, उसमें यह कंटेनर स्टफ का काम कनकपुरा इंडस्ट्रियल एरिये में अब होने लगा है और यह राजसिको की प्रोपर्टी है। जिस तरीके से मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि जयपुर में जो नये एन्टरप्रिन्योर हैं, उनको

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

एक ऐसा स्थान बनाकर दिया जाएगा 25 हजार स्क्वायर मीटर पर, जो लोग वहां पर बगैर इन्वेस्टमेंट के उसके अंदर आकर अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकेंगे और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रोपर्टी को, जो शहर के बीचों-बीच है, मैट्रो स्टेशन के पास में है मानसरोवर के, जो 2 लाख स्क्वायर फीट या ढाई लाख स्क्वायर फीट जगह बनाकर आप नये एन्टरप्रिन्योर को देना चाहते हैं तो इस प्रोपटी का उसमें यूज किया जा सकता है।

अंत में, डिमांड पर मंत्रीजी को अपने विधान सभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में बताकर एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): सिर्फ एक ही मिनट, घड़ी देख लें आप। मेरे क्षेत्र में मूर्तिकार और रत्नजड़ित ज्वैलरी के लोग, सोने और चांदी के वर्क बनाने वाले लोग, लाख की चूड़ियां बनाने वाले लोग, जयपुर की प्रसिद्ध रजाइयां बनाने वाले लोग, यह सारे ट्रेडिशनल व्यापारी हैं। जयपुर में जितना भी टूरिस्ट आता है और जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है जयपुर की चारदीवारी की, वह इनकी आजू-बाजू घूमती है। मैं चाहता हूं कि इनके स्थान बहुत सैचुरेटेड हो गये, इनके पास जगह बहुत कम है तो शहर में यह सिर्फ अपना डिस्प्ले करें और इनकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, उनके लिय डैडिकेटेड एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाकर इनको वहां पर शिफ्ट किया जाए ताकि ये अपने व्यापार को बढ़ा सकें। सभापति महोदय, आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-42 उद्योग और मांग संख्या-23 श्रम व रोजगार पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, जब किसी क्षेत्र में उद्योग लगाने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की जनता में इस प्रकार का उत्साह आता है कि उद्योग लगेगा तो विकास होगा, रोजगार आएगा और जब उस किसान की जमीन उद्योग लगाने के लिए सरकार लेती है और उद्योगपतियों को जमीन दे देती है और वह किसान इस आशा और विश्वास के साथ अपने

(श्री संजय शर्मा)

उद्योगपतियों को देता है, सरकार को देता है कि आने वाले समय में उस गांव का विकास होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा। उस क्षेत्र में रहने वाले उस किसान के बेटे को उस उद्योग में रोजगार मिलेगा और उद्योग लगने के बाद जिन परिस्थितियों से उस खेत में काम करने वाला मजदूर, उस खेत में काम करने वाला किसान जब यह देखता है कि उद्योग लगने के बाद उसके बेटे को उस उद्योग में घुसने की भी अनुमति नहीं होती है और उद्योग से होने वाले प्रदूषण के कारण वहां का वातावरण खराब होता है, उस उद्योग से निकलने वाला दूषित पानी उसकी जमीन को खराब करता है तो वह किसान अपने आपको ठगा-सा महसूस करता है। यह पीड़ा मैं आपको बता रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस अलवर जिले से आता हूं वह औद्योगिक रूप से, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे चौपानकी हो, चाहे खुशखेड़ा हो, चाहे नीमराणा हो, चाहे बहरोड़ हो, औद्योगिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है। बड़ी-बड़ी कम्पनियां आ रही हैं, उद्योग के नाम पर, उद्योगपतियों ने उद्योग तो लगाये, लेकिन विकास के नाम पर केवल और केवल विकास वहां हुआ, जहां उद्योग लगे। पड़ोस में रहने वाले, गांव के रहने वाले व्यक्ति को कोई उद्योग का फायदा नहीं मिला। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा अभी तीन दिन पहले ही मुण्डावर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने एक प्रश्न किया था, जिसमें आपने उत्तर दिया था कि सरकार ने एक नीति बनायी, जो दिसम्बर माह में बनी है और उसके तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सरकार उद्योगपतियों से बात करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा भिवाड़ी क्षेत्र में ही एक एस.आर.एफ. नाम की कम्पनी है, एक संस्था है, उस कम्पनी ने आसपास के चार-पांच गांव वालों से, जिस जगह वो कम्पनी लगी है उन गांव वालों से बात करी और एक अनूठा उदाहरण उस कम्पनी के मैनेजमेंट ने पेश किया, आसपास के चार-पांच गांवों में उसने सड़कों का निर्माण किया, अस्पताल खोला, स्कूल खोला और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दिया और आज वो कम्पनी बखूबी चल रही है। बाकी और कम्पनी वालों का ये मानना है कि यदि हम स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे तो यूनियनबाजी होगी, काम नहीं कर पाएंगे। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी

(श्री संजय शर्मा)

से आग्रह करूंगा कि एस.आर.एफ. ने जिस प्रकार का अनूठा उदाहरण पेश किया है और यह बहुत पुराना लगातार चलता आ रहा है, अनूठा उदाहरण पेश किया है, यदि हम सभी उद्योगपतियों से बात करें तो उस क्षेत्र का विकास भी होगा और उस गांव में रहने वाले युवा को रोजगार भी मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगीकरण हुआ, क्योंकि हमारे जिले में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से काम करने की दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो मजदूर के रूप में आये, चाहे मैनेजमेंट में पदाधिकारी के नाते आये, अधिकारी के नाते आये और उनके साथ-साथ उस क्षेत्र में अपराधी वर्ग भी अपनी पैठ बना चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वर्तमान सरकार ने हाल ही में भिवाड़ी में एस.पी. आफिस खोला है लेकिन उसके बाद भी अपराधों में कोई रोक नहीं लगी है, चाहे बहरोड़ हो, चाहे नीमराणा हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे तिजारा हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि वहां एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करें जिससे वहां काम करने वाले उद्योगपतियों को, वहां काम करने वाले मजदूर वर्ग को एक सुरक्षा का माहौल मिले और वो अच्छी तरह से काम कर सकें। यह मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से और माननीय सरकार से मांग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में ये घोषणा की कि रीको के द्वारा राजस्थान में नये औद्योगिक क्षेत्र तैयार किये जाएंगे, उसमें अलवर जिले का नाम भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय उद्योग मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि यदि अलवर जिले की बात करूं तो अलवर शहर से लगता हुआ मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, पुराना औद्योगिक क्षेत्र अलवर शहर, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र है, यदि हम इनकी भी चिंता कर लेंगे क्योंकि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र बहुत पुराना औद्योगिक क्षेत्र है और वहां बहुत बड़ीबड़ी इंडस्ट्रीज भी आयी थीं। उन्होंने राजस्थान सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं का उपयोग किया और जो कर की छूट उनको मिलनी चाहिए थी, उनका उपयोग करके वो वहां से पलायन कर गयीं। मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, हमारे श्रम मंत्री जी यहां विराजमान हैं और हमारे अलवर जिले

(श्री संजय शर्मा)

से ही आते हैं, हमारे मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी बहुत बड़ी फैक्ट्रियां थीं जो वहां से उनका मैनेजमेंट पलायन कर गया, सामान ले गया और वो मजदूर वर्ग आज जो उसकी चाहे पी.एफ. की हो, चाहे उसका जो भी पैसा उस फैक्ट्री की तरफ निकल रहा था, उसको लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। वो श्रम विभाग में जीत गया, कोर्ट से वो जीत गया लेकिन वो उद्योगपति या तो कहीं मुम्बई में बैठा हुआ है अहमदाबाद में बैठा हुआ है। कोर्ट के नोटिस के बाद भी उनको वो पैसा नहीं मिल रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप अलवर जिले से आते हैं, कोई एक ऐसी पहल करें जो अलवर में रहने वाले उस श्रमिक को राहत मिले और जो पैसा, उसका जायज हक है उसको दिलाने के लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएं तो निश्चित रूप से अलवर जिले की जनता आपको धन्यवाद भी देगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे यहां मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर है, उसकी कुछ मांगें हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में क्योंकि पहले तो बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज थीं, लेकिन जिस प्रकार से उसका नुकसान होता गया और वहां आजकल विशेष रूप से खनिज आधारित उद्योग ही हैं जिनका कच्चा माल सरिस्का वन अभयारण्य समीप स्थित मार्बल खानों से आता है लेकिन सरिस्का वन अभयारण्य के आसपास ईको सेंसिटिव जोन का निर्धारण नहीं होने के कारण इन मार्बल खानों का राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा संचालित करने की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण इन उद्योगों के संचालन पर संकट बना हुआ है। अतः ईको सेंसिटिव जोन का निर्धारण किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, अलवर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है परंतु इसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ाव नहीं होना है। सौभाग्य से अब इससे लगभग 10 किलोमीटर दूरी से एक एक्सप्रेस हाईवे 248 एन दिल्ली से बड़ौदा का निर्माण किया जा रहा है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से बात करूंगा कि वो माननीय परिवहन मंत्री जी से बात करके इसे इस नई सड़क के माध्यम से अलवर औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा।

(श्री संजय शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, अलवर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क 15 साल से सिर्फ कागजों में बना हुआ है, एग्रो फूड पार्क को विकसित करने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनायी गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस एग्रो फूड पार्क को शीघ्रातिशीघ्र विकसित किया जाये जिससे वहां पर और नये उद्योग आ सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई राजकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट नहीं किया गया है तो इसके लिए भी आप कोई पहल करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सौभाग्यशाली हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय भी, आदरणीय वसुन्धरा राजे जी की जो सरकार थी, उस समय भी श्रम मंत्रालय हमारे जिले में ही और वर्तमान सरकार में भी श्रम मंत्रालय हमारे जिले में है। पूर्व श्रम मंत्री जी ने हमारे जिले में रोजगार मेले आयोजित किये थे। अभी यहां बानसूर से आने वाली हमारी माननीय सदस्या ने भी आपसे आग्रह किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तहसील स्तर पर रोजगार मेले या रोजगार कैम्प का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से गांवों में रहने वाले उस किसान के बेटे को उस रोजगार मेले और रोजगार कैम्प से रोजगार मिलने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे उद्योग, श्रम और रोजगार अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, अभी मेरे साथी संजय शर्मा जी बोल रहे थे कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पिछली बार भी रोजगार मंत्री अलवर जिले का हमें

(श्री बलजीत यादव)

मिला, इस बार भी रोजगार मंत्री मिला अलवर जिले का। पर मुझे पता नहीं चल रहा है इनको यह सौभाग्य कैसे लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप टोकें नहीं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): पहले रोजगार मंत्री बने, यहां से जो बता रहे थे बी.जे.पी. से, जिनसे भी बने हों, मैंने बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये, अख़बार में भी दिया, बहुत प्रदर्शन भी करे और मैंने ये कहा कि मंत्री जी, आप मुझे एक नाम किसी बच्चे का बता दो जो मेरे बहरोड़ का, मेरे अलवर का जो आपने रोजगार मेले में लगाया हो, तो मैं बहुत बड़ी रैली करके और जनता से कहूंगा कि भाई, इस रोजगार मंत्री को ही चुनाव लड़ाओ, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। एक नाम मुझे बता दो, नाम, उसके बाप का नाम और उसके गांव का नाम। क्योंकि वो बड़ी-बड़ी डींगें मारते थे कि मैं एक भी बेरोजगार छोड़ूंगा ही नहीं। जापानी कम्पनी से मैं एक एम.ओ.यू. साइन करके आया हूं और मेरे बहरोड़ के गांव-गांव में डींगें मारते रहे और साफे पहनते रहे और बोले, बेरोजगारों की लिस्ट बना लो, मैं एक सिंगल ही नहीं छोड़ूंगा। फिर बाद में मैंने वेट किया और फिर मैंने कहा, मंत्री जी, आप तो एक भी नहीं छोड़ रहे थे, मैं कह रहा हूं एक तो बता दो। जो कम्पनियों में लग रहे थे उनको भी बाहर कर दिया और वो अभी तक लगातार बाहर हो रहे हैं। कम्पनी के बाहर कर्मचारी का शोषण होता है तो वो अपने अधिकार की मांग करता है। वो कहता है तो उसके कहते हैं कि, भगाओ इसको भी बाहर और रोज आंदोलन होते हैं और बाउंसर ला-लाकर किसानों के बेटों को गुंडों से पिटवाया जाता है और पुलिस को देते हैं मोटे पैसे। सरकार चाहे बीजेपी की रही हो और चाहे सरकार कांग्रेस की हो, उस गरीब की कोई नहीं सुन रहा है। यहां रोजगार मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि जैसे पहले वाले रोजगार मंत्री जी को जनता कोस रही है। आपको मंत्री जी, न कोसे इसलिए जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है कि 75 प्रतिशत रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। वैसा यहां भी करें। मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह कानून बनाया जाए। राजस्थान के किसी भी बेटे को, बेरोजगार को यह जापानी कंपनियां नौकरियां नहीं देती हैं। वहां बड़े-बड़े उद्योग खड़े कर दिए।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, हाल ऐसा हो गया कि सोने की थाली में 36 तरह के व्यंजन सजाकर रख दिए। मैं भूखा मर रहा हूं और कह रहे हैं कि हाथ नहीं लगाने देंगे। खाने नहीं देंगे। यह तेरे सामने रखा है। बस इसको देखता रह। अब देखने से पेट नहीं भर रहा है। राजस्थान के जवान को, बेरोजगार को उसका हक कैसे मिले? यह हंसने की बात नहीं है। यह बहुत चिंता की बात है। नहीं तो फिर अपने साथ भी गलत होगा। अभी तो जनता इस आस में बैठी है कि मंत्री जी दूसरे आए हैं, अब यह देंगे रोजगार। जितनी फुर्ती हो सके, माननीय अशोक जी गहलोत से आप भी रिक्वैस्ट करो। मैंने भी की है। मुख्य मंत्री जी किसान के बेटे हैं। मैं समझता हूं कि जो बात आप समझाओगे वह उस बात को समझेंगे। वह भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

दूसरी, सरकार कर सकती है, अपने साथ ही चुनाव हुए और मध्य प्रदेश वालों ने कर दिया, तो फिर हम भी कर सकते हैं। कोई मध्य प्रदेश वाली सरकार को ही बेरोजगारों की चिंता ज्यादा है क्या? हमें नहीं है क्या? आप फुर्ती करें, जवान हैं। यह करवाएं। आप कोई बिल लाएं, कानून लाएं, कैसे भी करें।

अब उनका जो पैसा वैलफेयर का आता है, वह भी खर्च नहीं करते हैं। यहां कंपनियों का पोल्युशन हम झेलते हैं। पैसा कहीं और खर्च होता है। जमीन एक्वायर कर ली, यह सरकारें हैं? सरकारें जैसे प्रोपर्टी डीलर बन गईं। हमारी जमीन इन्होंने एक्वायर कर ली तो इन्होंने कहा कि करीब 2008-09 के लगभग डीएमआईसी का आया। 2011 में आपने उसको सैक्शन 4 में दे दिया। हमारे नीमराना में जमीनों के भाव तेज थे। कहा कि जमीनें नहीं बेचने देंगे। हमने एक्वायर कर लीं। ठीक है, कर ली आप लोगों ने। जैसे प्रोपर्टी डीलर करता है। उसके बाद मंदी आ गई। चुनाव तब आने वाले ही थे। वसुन्धरा जी गईं तो यह सब कैंसिल महंगी-महंगी जमीनें। जिनकी डीएलसी रेट बढ़िया थी, किसान को ढाई-ढाई करोड़, पौने 3-3 करोड़ रुपया मिलता, उसको कैंसिल कर दिया। आपको किसानों को मुआवजा 2300 करोड़ के लगभग देना था। 2300 क्या 2700 करोड़ के लगभग था। उसको खतम करके आपने लगाया, सरकार ने, जैसे प्रोपर्टी डीलर की गिद्ध नजर होती है, कैसे अपना फायदा करें, जिन गांवों की महंगी डीएलसी रेट थी, उन गांवों को तो बाहर कर दिया। अंदर चले गए। ढूंढ-ढूंढ करके कि यह सस्ती हैं, डीएलसी सस्ती है, सारी हड़प लो। अब वह किसान को कहते हैं, पहले तो कहा कि जमीन ले तो जमीन ले लो, पैसा

(श्री बलजीत यादव)

ले तो पैसा ले ले। फिर कहते हैं कि नहीं, अब तो तुम पैसा ही लोगे, क्योंकि आपको डीएलसी रेट कम लगी।

सभापति महोदय, सरकारें जनता का भला करने के लिए होती हैं। प्रोफिट कमाने के लिए सरकारें नहीं होती हैं। आंदोलन हुआ तो लॉजिक क्या देते हैं कि यह महंगी थी, इसलिए छोड़ दिया। महंगी थी तो आपने 2008-09 से इन जमीनों को पटक रखा है। किसान ने कहीं दूसरी जगह साई दे दी कि मेरी जमीन सरकार एक्वायर कर रही है। आपने सैक्शन 6 की कार्यवाही कर दी। उसने देखा कि जमीन गई ही, पैसा आएगा ही, उसने साई दे दी। उसको न पैसा मिला, न कुछ मिला। फिर उसको कह दिया कि इसको कैंसिल कर दिया। चलो, उनको भी कर दिया। अब जो किसान बच गए, उनको तो मुआवजा दे दो। ऐसे बांटते हैं, जैसे जरा-जरा सा टुकड़ा देंगे। मुआवजा उनका भी नहीं मिल रहा है। किसान मरे तो कहां मरे जाकर? अब किसको रोए जाकर। काहे के सौभाग्य? उसके तो दुर्भाग्य हैं। वह तो आंसू रो रहा है। जमीनों की रेट गिर गई। अब उसकी साई डूब गई।

सभापति महोदय, डीएमआईसी में 39 परसेंट हिस्सा राजस्थान का डवलप होता। प्रथम चरण में 2 औद्योगिक क्षेत्र दिए थे। पहला खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना, दूसरा जोधपुर, पाली वाला। वह करना था कि यह डवलप कर दो। उन्होंने कहा था कि जमीन आप खरीदो। 3500 करोड़ रुपया इसको डवलप करने के लिए केन्द्र सरकार देगी। केन्द्र सरकार को क्यों छोड़ दिया हमने? यू.पी. जैसा जो पिछड़ा प्रदेश है, वह हमसे आगे चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर कंपनियां लगनी चालू हो गईं और यहां का अता-पता ही नहीं है। वैसे के वैसे खेत ही हैं। हमें पता ही नहीं है कि लगेंगी कि नहीं लगेंगी। सरकारें किसान को भूल-भुलावे में नहीं रखे। कोई भी सरकार बने तो इस दादागीरी में नहीं रहे कि हम मारेंगे जिसको मारेंगे और छोड़ेंगे जिसको छोड़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से भी मांग करता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलवाएं। डीएमआईसी वालों के पीछे पड़कर मुआवजा दिलाओ। डवलप करना है तो करो। कितनी स्मार्ट सिटी बननी थी। वहां पर औद्योगिक जोन बनना था। एजुकेशन हब बनना था। उससे कितनी सुविधाएं मिलतीं, लेकिन आज सब कुछ मिट्टी में पड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। मैं यह चाह रहा हूं कि एक

(श्री बलजीत यादव)

तो जो श्रमिक के साथ अन्याय होता है, सारी की सारी चाहे कोई भी सरकार हो, हमने खूब मांग की है और पुलिस के खूब लट्ठ खाए हैं। आप लोग भिड़ते ही कहने लग जाते हो कि यहां तो धरना, प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी वहां खुद गईं। सारे एमएलए +++ वहां चले गए। होंडा की कंपनी लगी थी। वहां 5 हजार आदमी खड़े होकर के रो रहे थे कि हमें एक को भी नहीं लगा रहे हैं। खुद होंडा में से गुलाब जामुन चाटकर के सीधे के सीधे आ गए। उस होंडा वाले को फूंके क्या हम। जो बहरोड़ के एक आदमी को भी रोजगार नहीं दे रहा है?

वहां बीयर फैक्ट्री लगा दी। वहां पीने के पानी के लिए भी बोरिंग नहीं करने देते। आप समझ सकते हो। मैं जानता हूं कि जमीन से जुड़े हुए हो। एक पानी की बोरिंग भी करें तो पुलिस वाले फांसी तोड़ दें। एडीएम चला जाए। पटवारी चला जाए। वहां आप उद्योग मंत्री जी चैक करा लो। मैंने मीटिंग में भी कहा था। अवैध बोरिंग वहां रोज हो रही हैं। वह पानी को खींच रहे हैं। कोई माई का लाल नहीं रोक रहा है। जो वेस्ट है, उसको फेंक रहे हैं। नीचे पीने का पानी खराब हो गया। पता नहीं पुलिस वाले कहां मर गए। कोई जाता ही नहीं वहां पर। खूब आंदोलन हो गए।

सभापति महोदय, आप आश्चर्य करोगे, पिछली सरकार में एक कंपनी के बाहर मैं धरने पर बैठा। आप हैरान हो जाओगे, मैं बोलूं तो मुझे जुडीशियरी का इतना पता नहीं है। कोई मामला हो जाए। जज मुझे सिफारिश कर रहे थे, जज मुझे यह कह रहे थे धरना उठा लो। किसी नेता से कहलवाया जज ने कि बलजीत जी को कहो कि धरना उठा लें लेकिन मैं डटा रहा। उन गांवों में मक्खियां ही मक्खियां हो रही थीं। वह जो वेस्ट था वह उठवाया। उन मक्खियों को मरवाया। हमने कहा कि तभी ताला खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। चाहे बुलडोजर चला दो हमारे ऊपर से।

जो बेरोजगार है राजस्थान का, इसकी चिंता करो। दूसरे स्टेट वालों ने कानून बना दिए। हमें न तो महाराष्ट्र में नौकरी मिलेगी, न मध्य प्रदेश में मिलेगी। अब हरियाणा वाले भी बना रहे हैं, न वहां मिलेगी। पता नहीं हमारे क्या हो रहा है? उसमें कोई बजट थोड़े ही लग रहा है। बना दो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देंगे यहां राजस्थान के बेरोजगारों को।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से

(श्री बलजीत यादव)

मांग करता हूं कि राजस्थान में भी कानून बनाया जाए कि यहां के स्थानीय युवाओं को इन कंपनियों में रोजगार देंगे। इन कंपनियों में होता है। आप रोजगार मंत्री हो, तालमेल करके बताना।

सभापति महोदय, मेरा अंदर का दुखड़ा है। सरकारें भर्तियां अनाउंस करती हैं और जान-बूझकर उसमें ऐसी कमी छोड़ती हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई। तीन बार आ गई।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं समाप्त कर रहा हूं। उसमें कमी छोड़ते हैं और वह इसलिए छोड़ते हैं ताकि कोई कोर्ट में जाए और स्टे आ जाए। सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मुरारी लाल।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सभापति महोदय, मांग संख्या 23 और मांग संख्या 42 पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं सीधा मेरे दौसा जिले पर आता हूं।

सभापति महोदय, अभी हाल ही में हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि एक बीमारी पूरे देश, प्रदेश और संसार में चल रही है, कोरोना। मैं समझता हूं कि अपने देश में भी करीब 30-35 आदमी उसकी चपेट में आए हैं। उसके लिए पूरा देश चिंतित है। केन्द्र चिंतित है, राज्य चिंतित है, हमारा पूरा सदन चिंतित है। सभापति महोदय, कोरोना का तो फिर भी कोई इलाज हो जाता है लेकिन एक बीमारी सिलिकोसिस ऐसी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। जो सिलिकोसिस की चपेट में आ गया, उसमें से एक भी व्यक्ति आज तक नहीं बचा लेकिन किसी ने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह बीमारी ज्यादातर दौसा जिले, करौली और सिरोही में ज्यादा होती है। 2700 मरीज इसकी चपेट में आए। उनमें से करीब 718 आदमी मर गए। यह इतना गंभीर विषय है कि इस पर हम सबको मनन करना चाहिए। इसका कोई इलाज ही नहीं है। यह बीमारी ज्यादातर उन लोगों को होती है जो पत्थर का काम करते हैं।

सभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं। इसका पीएसी की मीटिंग में भी मुद्दा उठा था। इसमें क्या होता है कि जहां से पत्थर निकलता है, इंडस्ट्री होती है, माइन्स होती है, वहां पर तो सरकार का काफी फोकस

(श्री मुरारी लाल)

रहता है लेकिन जहां पर पत्थर की गढ़ाई का काम होता है, मूर्ति गढ़ाई का काम होता है, वहां पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि 90 परसेंट इस बीमारी के केस वहां होते हैं, जहां पर इसकी गढ़ाई का काम होता है।

हमारे दौसा में भी सिकंदरा के आसपास, करीब 15-20 किलोमीटर की एक पूरी बैल्ट है, जिसमें धौलपुर और दूसरी जगह से पत्थर लाकर उनकी गढ़ाई का काम होता है। केवल दौसा में ही एक साल के अंदर 399 आदमी सिलिकोसिस की चपेट में आए। उसमें से 77 मर गए। जैसा मैंने बताया कि इस बीमारी के होने के बाद इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। मंत्री महोदय, इस पर पूरा ध्यान दें कि इसकी प्राइमरी स्टेज पर ही इलाज की व्यवस्था हो।

माइंस पर खूब ध्यान देते हो, खान वाले चले जाएंगे, पुलिस वाले चले जाएंगे, और चले जाएंगे, पाल्यूशन वाले चले जाएंगे, पर्यावरण वाले चले जाएंगे, लेकिन जहां पर गढ़ाई का काम होता है, वहां पर प्राइमरी स्टेज पर ही ऐसा सोचा जाये, अध्ययन किया जाये, कोई काम किया जाये ताकि उस मरीज के बीमारी हो ही नहीं। मैं समझता हूं कि सिलिकोसिस की वजह से हमारे एरिये की स्थिति बहुत खराब है और अभी तो 27 ही आदमी है। मैंने अख़बार में अभी पढ़ा था कि दो मरीज कोरोना से बीमार थे, वे ठीक हो गये, घर चले गये। मेरे को एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो सिलिकोसिस हुआ और ठीक हुआ हो हण्ड्रेड परसेंट मरते हैं, सेंट परसेंट मरते हैं। हालांकि धन्यवाद है माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि अभी हाल में उन्होंने एड तो दिया कि जिन्दा है तो बीमारी का पता लगते ही और बाद में पांच लाख रुपये मिलते हैं बच्चों को। हमारी सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सहायता होती है। इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ध्यान देगी और ध्यान वहां पर दो जहां पर स्टार्टिंग में मजदूर काम करते हैं, दस हजार आदमी काम करते हैं हमारे हाईवे के आसपास में, बीमारी के बाद में तो आपके पास इलाज ही नहीं है इसलिए चाहे मास्क उपलब्ध करायें, चाहे और उपकरण उपलब्ध कराये जायें, ऐसा कोई कानून बनाएं चाहे वहां ऐसा कोई कैम्प लगाया जाये ताकि उसके कोई सिलिकोसिस की बीमारी हो ही नहीं।

दूसरा माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, वैसे तो मैं सिलिकोसिस का बता रहा हूं, हमारे दौसा जिले में 43129 श्रमिक कार्ड बन चुके हैं और बकाया श्रमिक कार्ड 10561 हैं। अब बताओ इसमें हो सकता है कि पांच-सात सौ या हजार-दो हजार सिलिकोसिस के भी हों, आप उनकी डायरी नहीं बना रहे हैं,

(श्री मुरारी लाल)

उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो वे अपना इलाज कैसे करायें? कृपा करके इतनी बड़ी पैडेंसी है, मेरे को जानकारी मिली है कि ज्यादातर ई-मित्र वाले हैं, यहां तक भी शिकायत आयी है कि इनकी भी कार्यवाही की थी कि जो आदमी दो चार हजार रुपये दे देता है उसका तो श्रमिक कार्ड बन जाता है। जो आदमी उनको पैसे नहीं देता है तो उनके श्रमिक कार्ड बनते ही नहीं हैं इसलिए कृपा करके आप इसको देखें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है, वैसे तो मेरे जिले से ही हैं। हमारा जिला क्योंकि जयपुर से नजदीक है और मात्र 40 किलोमीटर हमारा बोर्डर स्टार्ट हो जाता है, जिला मुख्यालय करीब 50 किलोमीटर दूर है। हमारे जिले में करीब 6 इण्डस्ट्रियल एरिया हैं जिनमें मात्र 681 के आसपास प्लाट्स हैं, इकाइयां हैं। इनको सरकार सुविधाएं देती है, बिजली देती है, रोड देती है, पानी भी देती है, सुरक्षा भी उपलब्ध कराती है इसके अलावा जिसकी मैं बात कर रहा था सिलिकोसिस की, उनकी सात सौ से आठ सौ ऐसी यूनिट हैं पत्थर की जिनको लोगों ने अपनी मेहनत से तैयार किया था, अपनी भूमि खरीदकर तैयार किया और जिसमें कम से कम दस हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है, दस हजार को, उनके सामने हाल ही में बहुत बड़ी समस्या क्या हो गयी कि जब उन्होंने इण्डस्ट्री लगायी थी तो उस समय नेशनल हाईवे गुजरता है आगरा जयपुर, इस नेशनल हाईवे के उस समय सेंटर से डिस्टेंस थी 75 फीट, 75 फीट का आर्डर था और उनको एनओसी मिल जाती थी और वह अपनी इण्डस्ट्री लगा लेते थे। उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने नियम चेंज किये और उस डिस्टेंस को कर दिया 40 मीटर और 40 मीटर करने से वहां ज्यादातर इण्डस्ट्री उन लोगों की हैं जिन्होंने हाईवे के पास का लगता हुआ आगे का एरिया दस-पन्द्रह मीटर चौड़ाई में खरीदकर इण्डस्ट्री लगायी थी। अब वहां पर 40 मीटर करते ही करीब-करीब सारी इण्डस्ट्रीज पर संकट आ गया है। उनको एनओसी मिल नहीं रही है, उनको कनेक्शन मिलते नहीं हैं क्योंकि एनएचएआई 40 मीटर के आगे एनओसी देती है, 40 मीटर सेंटर से डिस्टेंस होगी उसके बाद में कन्वर्जन होता है लैंड का, उसके बाद विद्युत का कनेक्शन होता है तो सारी की सारी इण्डस्ट्री जिनकी संख्या सात सौ से आठ सौ है और जिनमें दस हजार मजदूर काम करते हैं उनकी हालत बहुत खराब है। एक तरफ तो सिलिकोसिस निपट रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी इण्डस्ट्री बंद होने की स्थिति में हैं, वे सारी इण्डस्ट्री बंद हो रही हैं।

(श्री मुरारी लाल)

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से और सरकार से कि जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, सब काम कर रहे हैं तो वहां सात सौ से आठ सौ इण्डस्ट्री डवलप कर पाये, उन्होंने अपनी मेहनत से ही करीब सात सौ से आठ सौ इण्डस्ट्री डवलप कर दीं तो मैं मांग करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र डवलप किये थे और मैं समझता हूं कि शायद ही ऐसा कोई मौका होगा कि एक साथ में सात सौ की सात सौ इण्डस्ट्रीज शिफ्ट हो सकती हैं। हमारे दौसा जिला है वह दोनों हाईवे क्रोस करते हैं, एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से लेकर बड़ौदा तक बन रहा है, उसका जंक्शन पोइंट भी दौसा में है और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जितना टाइम नीमराणा पहुंचने में दिल्ली से लगेगा उससे कम टाइम दौसा पहुंचने में लगेगा। मुम्बई से जितना टाइम जयपुर पहुंचने में लगेगा उससे तीन घण्टे कम दौसा पहुंचने में लगेंगे इसलिए कि ऐसा इण्डस्ट्रियल एरिया हमारे दौसा में डवलप हो जहां सात सौ इण्डस्ट्रीज जो ये डवलप हो जायें वे सब तैयार हैं इस बात के लिए क्योंकि उनको वहां एनओसी नहीं मिल रही है, पर्यावरण की एनओसी नहीं मिल रही है, बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे, बंद करने के नोटिस दे दिये, वह सब परेशान हैं तो सारी इण्डस्ट्री वहां शिफ्ट हो जायेगी और जयपुर के नजदीक होने के कारण हमारे माननीय सदस्य कागजी साहब कह रहे थे कि हमारी इण्डस्ट्री को बाहर ले जाओ, तो ले आओ न हमारे दौसा में, इससे दो फायदे हो जायेंगे। मैं समझता कि यह बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया नीमराणा की तर्ज पर यदि हमारे दौसा में डवलप हो जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट में अभी कई इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किये थे उसी तरह से हमारे दौसा क्षेत्र में भी इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित होगा, यही मेरा आप सबसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, एक तो सिलिकोसिस इतना सेंसेटिव मैटर है, जैसा मैंने बताया कि इसमें जो आदमी एक बार बीमार हो गया वह तो बचता ही नहीं है तो स्टार्टिंग में ही इस बात के प्रयत्न किये जायें कि सिलिकोसिस हो ही नहीं। दूसरा जैसा मैंने बताया कि इण्डस्ट्रियल एरिया दौसा में डवलप करें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

श्री अशोक लाहोटी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 23 पर विचार

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, उद्योग की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी राज्य की आर्थिक नब्ज देखनी हो, आर्थिक स्थिति देखनी हो तो उस राज्य के उद्योगों की स्थिति को देख लें तो सारा फाइनैंशियल डाटा उस राज्य का सामने आ जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, भौगोलिक दृष्टि की बात तो यहां की, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि औद्योगिक नीति और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में चार औद्योगिक नीतियां 1978, 1991, 1994 और 1998 माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने रखीं। ये औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार वे ही लेकर आये। उसके बाद में 2010 की औद्योगिक नीति माननीय गहलोत साहब ने रखी और 2015 की पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी ने रखी। अभी 2019 की आपकी इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पालिसी भी जिस पर अब राजस्थान काम कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम सबकी, आप हमारी किसी की देन नहीं है, आपने जो कहा कि यह जो विरासत हमको मिली है, जो आपने खुद ने सुबह कहा, अभी माननीय जितेन्द्र सिंहजी ने फरमाया कि जिस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है, लगभग-लगभग 25 परसेंट नेशनल कैपिटल, एनसीआर है वह राजस्थान के लगता हुआ है। राजस्थान का 40 परसेंट पूरे इंडिया का मार्केट शेयर उसको लिए राजस्थान सबसे एप्रोचेबल जगह है और

(श्री अशोक लाहोटी)

अभी जो डीएमआईसी की बात हो रही थी कि 60 परसेंट डीएमआईसी राजस्थान से निकलता है, मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन हमको यह भी समझना चाहिये कि हमको विरासत में यह मिला है। यह कोई सरकार की देन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान तो वह प्रदेश है जिसके उद्योगपति और उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे अभी आपने बिड़ला का और टाटा का उदाहरण दिया था। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी स्टेट ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में राजस्थान के उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, लंदन या अमेरिका, सब जगह राजस्थान का नाम गर्व से लिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए कहते थे जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी इतनी बड़ी धाक राजस्थान की पूरे विश्व में रही है।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन हमको इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि आज हमारे उद्योगों की स्थिति राजस्थान में दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। हमारे बाहर के जो उद्योगपति हैं, न तो हम उनको बुला पा रहे हैं और न ही हम यहां पर उद्योग लगवा पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यदि हम राजस्थान के उद्योग की बात करें तो हमारे यहां पर विविधता के साथ-साथ पर्यटन उद्योग की बात करें, विरासत की बात करें, खनिज, हैंडीक्राफ्ट, कपड़ा, कागज, ज्वैलरी, सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंड स्टोन, तेल, हर्बल, मूर्तिकला, ब्ल्यू पॉटरी, जयपुरी रज़ाई, हैंडमेड पेपर, जयपुर ज्वैलरी और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में उद्योगों की अपार संभावना है, लेकिन मैं अभी आगे बताउंगा कि हमने किस प्रकार से उद्योग डिपार्टमेंट को एक कमजोर डिपार्टमेंट बना रखा है। इतना ही नहीं आज तक हमने राजस्थान के सबसे बड़े पर्यटन को उद्योग का दर्जा नहीं दिया। पर्यटन आज भी सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन हमने उसको आज तक उद्योग का दर्जा नहीं दिया चाहे सरकार हमारी हो चाहे सरकार आपकी रही हो।

माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा हस्तकला उद्योग, कारीगरी की अपार संभावनाएं, लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि पर्यटन को उद्योग नहीं बनाने के साथ-साथ कागजों में घोषणाएं की गयीं और नीतियां बनायी गयीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिंगल विंडो की बात करता हूं।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय गहलोत साहब ने 1998 में पहली बार एक बात कही थी कि राजस्थान में सिंगल विंडो की योजना लागू करेंगे, ईमानदारी से बता दें माननीय मंत्रीजी कि सिंगल विंडो में क्या काम हुआ? सिंगल विंडो किसे कहते हैं? मैं इसका उदाहरण बताता हूं, जब पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी, सुषमा स्वराजजी ने तारीफ की तो महबूबा मुफ्तीजी ने उनका विरोध किया गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदीजी का तो सुषमा स्वराजजी ने उदाहरण दिया कि आपने खुद ने मुम्बई में यह कहा था कि मुम्बई के उद्योगपति गुजरात में उद्योग लगाने गये तो तीन दिन में सारी क्लीयरेंस करके और उद्योगपतियों को बुलाकर कहा कि जाओ और आप वहां पर इण्डस्ट्री लगाओ, इसे कहते हैं सिंगल विंडो।

(17.00 बजे)

सिंगल विंडो यह नहीं है कि जयपुर सेज में तीन महीने से एक-एक हजार सीट्स के यहां पर आईटी के हब बने पड़े हैं और आप अब तक उन्हें अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। तीन महीने से वे इंतजार कर रहे हैं। यह सिंगल विंडो नहीं है। मंत्री महोदय, सिंगल विंडो यह भी है कि टायर की जब फैक्ट्रियां लगीं मेहसाणा में तो नरेन्द्र मोदी जी ने बुलाकर उनसे कहा कि आप एग्रीकल्चरल नर्सरी लगाएं तो वे भी नहीं समझ पाये कि नर्सरी क्यों लगाएं। इस पर मोदी जी ने कहा कि आप रबर के प्लांट किसानों को बांटें और उनसे बाय-प्रोडक्ट आप जो रॉ मैटेरियल खरीदें। यह सिंगल विंडो में आता है, इसलिए गुजरात की तुलना हमेशा चाइना और कोरिया से हुई है, इण्डिया के किसी स्टेट से नहीं।

आप लोगों को भले ही गुजरात के नाम से मिर्ची लगती हो, लेकिन आज हम मनन करें, आत्म चिंतन करें कि हमने उद्योगों को बढ़ाया है या जो हमारे पूर्वजों की विरासत है, जितने उद्योगपति हमारे यहां से बाहर गये हैं, उस विरासत को हमने कमजोर करने का काम किया है। यह ईमानदारी से इस बात पर मनन करने का समय है। सभापति महोदय, अभी जीएसडीपी की बात आयी बजट में। 28 परसेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जीएसडीपी पर राजस्थान का निर्भर करता है। हमारी जीएसडीपी पांच परसेंट है, लेकिन आपने खुद आंकड़ों में दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर की जीएसडीपी घटकर मात्र दो प्रतिशत पर आ गयी है। यह हमारे लिए अलार्मिंग पोजिशन है।

मैं आज कह रहा हूं इस सदन में, यदि हमने उद्योग और व्यापार को

(श्री अशोक लाहोटी)

खतम कर दिया तो प्रदेश दिवालियापन, कंगाली की ओर चला जाएगा। यह बहुत ही गम्भीर विषय है और आपके विभाग से सम्बन्धित भी है, इसलिए मैं कहूंगा कि दूसरा बजट निकल गया। उद्योग एक दिन की चीज नहीं है। आपने जैम बूर्स की बात की, वह एक दिन में नहीं बन सकता। एक साल में तो उसका नक्शा बनता है। अभी तक आपने जैम बूर्स पर काम नहीं किया जयपुर ज्वैलरी के लिए। पांच साल में आपके कार्यकाल में आप जयपुर में जैम बूर्स बनाकर नहीं जा पाएंगे, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं।

अपने घोषणा पत्र में बिंदु नम्बर 20 पर आपने जो घोषणाएं की हैं, ये आपने कुल 23 घोषणाएं की हैं। इनमें से एक भी ऐसी घोषणा आप बता दें, जिस पर आपने काम शुरू कर दिया है। अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा कि उद्योग एक दिन की चीज नहीं है। नौकरी एक साल में मिल जाएगी, बाकी काम हो जाएंगे, लेकिन उद्योग एक सतत प्रक्रिया है। जो हम करके गये थे, वह आप आगे बढ़ाएंगे और जो आप करके जा रहे हैं, उसे हम आगे बढ़ाएंगे, तभी राजस्थान का भला होगा।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा, आपने सबसे बड़ी बात लिखी, हम एग्जीबिशन लगाएंगे, कान्फ्रेंस करेंगे, सेमिनार्स करेंगे। आप बता दें कि आपने कितनी एग्जीबिशंस लगायीं दो साल में, कितनी कान्फ्रेंसेज अटैंड कीं, कितने सेमिनार्स किये, कितने रोड-शो किये, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बुलाया, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स आये, कितने आपके एग्रीमेंट्स साइन हुए? दो साल पूरे हो जाएंगे, दूसरा बजट खतम हो गया मान्यवर।

सभापति महोदय, मैं यही कहूंगा कि दिल्ली में पाल्युशन के कारण हजारों फैक्ट्रियां बंद हुईं, सीलिंग हुई और उसका सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को मिल सकता था। हमारे इस डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण, डिपार्टमेंट सो रहा था और वे सारी की सारी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश गयीं, हिमाचल गयीं, हरियाणा गयीं, देहरादून गयीं, राजस्थान में दस प्रतिशत फैक्ट्रियां भी नहीं आ पायीं। ये मंत्री महोदय बैठे हैं अलवर के, इनसे पूछ लें कि दस परसेंट फैक्ट्रियां भी इनके पास आयीं क्या? जबकि हम कहते हैं कि डीएमआईसी का 60 परसेंट हम हैं, एनसीआर का 25 परसेंट हम हैं, लेकिन इंडस्ट्री हम नहीं ला पाये। यह हमारी बहुत बड़ी नाकामी है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए।

मंत्री महोदय, यहां पर अभी हमारे बहरोड़ के मित्र बिलकुल सही कह रहे थे, रीको ने 347 इंडस्ट्रियल एरिया काट दिये, 55 हजार से ज्यादा

(श्री अशोक लाहोटी)

फैक्ट्रियां काट दीं, लेकिन आज एक बिल्डर और भू-माफिया की तरह रीको काम कर रहा है। मैं आरोप लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं, क्योंकि रीको ने आज तक जो इंडस्ट्रियल एरियाज काटे, उनमें कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया। केवल खम्भे खड़े कर दिये, न पीने का पानी दिया, न पानी की सुविधा दी, न वहां एसटीपी प्लांट लगाये, न ईटीपी प्लांट लगाये, न वहां और कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया, कैसे आपके पास इंडस्ट्रीज आएंगी?

जहां तक हम गुजरात की बात करते हैं, गांधी धाम और काण्डला पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी तीन हजार रुपये में जमीन अवेलेबल है और हम 6-7 हजार रुपये में जमीन दे रहे हैं। कोई आदमी जमीन खरीदेगा या उद्योग लगाएगा? इस पर मनन करने की आवश्यकता है। क्यों पिछले तीन महीने से आप ई-आक्शन लगा रहे हैं और 10 परसेंट प्लाट भी आपके बिक नहीं रहे हैं? तीन महीने की आपकी रिपोर्ट देख लें।

मोरबी का उद्योग, दस हजार फैक्ट्रियां मोरबी में चल रही हैं। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी जहां से आते हैं, मोरबी के उद्योग का 90 परसेंट रॉ मैटेरियल माननीय कल्ला साहब के क्षेत्र से, माननीय भाटी साहब के क्षेत्र से जाता है। क्यों राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग को आज तक ध्यान नहीं आया कि ये दस हजार फैक्ट्रियां राजस्थान में आ सकती थीं। आपके यहां केवल फैक्ट्रियां ही नहीं आतीं, जीएसटी के रूप में, टैक्सेशन के रूप में, एम्प्लायमेंट के रूप में पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था बदल जाती।

मंत्री महोदय, पार्टी के चोलों से ऊपर उठकर इस विभाग में हमें काम करना पड़ेगा। इस विभाग में हमें साथ में काम करना पड़ेगा, बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे तीन महत्वपूर्ण घटक हैं, जितेन्द्र सिंह साहब ने कहा कि यहां फैक्ट्रियां क्यों आएंगी? यहां पर तीन महत्वपूर्ण घटक हैं, बिजली, रॉ मैटेरियल और लेबर, तीनों का इंडैक्स पूरे इण्डिया में राजस्थान का सबसे ज्यादा है। लेबर हमारी सबसे महंगी, बिजली हमारी सबसे महंगी और रॉ मैटेरियल हमारे यहां का होते हुए भी, उसमें टैक्सेशन के कारण हम पिट रहे हैं। जैसे डीजल-पैट्रोल के कारण हमारे पड़ोसी राज्यों में सारी फैक्ट्रियां और सारे उद्योग जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं उद्योग विभाग की बात करूं तो मुझे बजट देखकर शर्म आ गयी। मैं किताब भी साथ में लाया हूं। उद्योग विभाग का कुल

(श्री अशोक लाहोटी)

बजट आपने 177 करोड़ रखा है और इसमें भी आपने पिछली बार से 20 परसेंट कम किया है और डवलपमेंट का कैपिटल आपने केवल 94 करोड़ रुपये रखा है। आपके पास कुल 94 करोड़ हैं लगाने के लिए और आप बात कर रहे हैं 10 हजार करोड़, 20 हजार करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के उद्योग लाने की।

मैं यह बजट देखूं तो ऐसा लगता है किसी फैक्ट्री का बजट हो। यह राजस्थान के उद्योग विभाग का बजट है। मंत्री महोदय, इस पर आप मनन करें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस आय-व्ययक अनुमान 2020-21 के पेज नं. 24, बिन्दु क्रं. 23 पर देखें। आपने लिखा है कि राजस्थान में हमने पिछले एक साल में एक रुपया भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपने लिखा है इस किताब में। एक रुपया भी उद्योग विभाग ने विकास पर खर्च नहीं किया और हम सोच रहे हैं कि राजस्थान का उद्योग में विकास होगा और इंडस्ट्रीज आएंगी। यह आपका आंकड़ा बता रहा है। हो सकता है यह पहला साल है, इसलिए आपको भी समझने में समय लग रहा होगा। या तो अधिकारी आपको समझा भी नहीं रहे होंगे, लेकिन अभी भी तीन साल का समय है। हम अभी भी चेत जाएं तो हो सकता है पटरी पर हमारी गाड़ी चल पड़े।

सभापति महोदय, मैं कुछ आंकड़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें बजट स्टडी के पेज नं. 51 पर आपने लिखा कि अगले साल हमने उद्योग में प्रोविजन केवल 0.86 परसेंट उद्योग और खनन में मिलाकर किये। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब हमने प्रोविजन ही 0.86 परसेंट का किया है तो उम्मीद भी हम ज्यादा क्या कर सकते हैं? यह आपने लिखा है बजट स्टडी के पेज पर। आपने इसी बजट में लिखा है, मैं सोच रहा था, मुख्य मंत्री जी खादी का प्रचार करते हैं तो खादी में बहुत काम किया होगा। आपने पूरे साल में मिलाकर खादी को पूरे उद्योग विभाग से मिलाकर सारे काम करके मात्र दो करोड़ रुपये खर्च किये।

मैं और बजट बता दूं तो आपको शर्म आ जाएगी। ये प्रोविजंस किये हैं आपने एक साल के लिए। ग्राम तथा लघु उद्योग- 2 लाख रुपये, भारतीय शिल्प कला संस्थान- 1 हजार रुपये, लघु मजदूरों के कल्याण के लिए 5 लाख रुपये, ग्रामीण नगरीय हाट के लिए 20 लाख रुपये, राजीव गांधी उद्यमी योजना के लिए 1 रुपया भी नहीं किया, राष्ट्रीय खाद्य परिषद के लिए 1

(श्री अशोक लाहोटी)

रुपया, बुनकर सहकारी समिति के लिए 1 हजार रुपये, हैण्डीक्राफ्ट के लिए 1 लाख रुपये, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड नवाचार के लिए 0 बजट, मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 8 लाख रुपये, हैण्डलूम खादी प्लाजा के लिए 0 बजट, एकीकृत कौशल विकास के लिए 0 बजट। ऐसे पचास हैड मैं लिखकर लाया हूं। इस पूरे हैड को यदि आप देखें तो राजस्थान कल्याण बोर्ड में आपने प्लास्टिक सीपैट पर 2 हजार रुपये, राजस्थान कल्याण बोर्ड पर 2, बुनकरों के प्रशिक्षकगण के लिए डेढ़ लाख रुपये, शिल्पकला, माटीकला मण्डल के लिए मात्र 2 हजार रुपये। ये आपने प्रोविजन किये हैं अगले साल के बजट के लिए। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हमारा उद्योग विभाग है या कोई किराने की दुकान?

मंत्री महोदय, मैं अपने सांगानेर क्षेत्र की बात करता हूं। 300 वर्ष पुराना सांगानेर का रंगाई-छपाई उद्योग है। यदि वहां मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो हमारी महिलाएं, माताएं-बहनें जो कुर्ती पहनती हैं, सांगानेर में प्रतिदिन 8 से 10 लाख कुर्तियां बनकर बाहर जा रही हैं। इतने महत्वपूर्ण उद्योग में सरकार का कहीं पर कोई ध्यान नहीं है। मैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां बड़ी इंडस्ट्रीज में तो केंद्र सरकार ने 176 करोड़ रुपये दिये हैं, आपने भी 35 करोड़ रुपये दिये हैं, वहां आईटीबी प्लांट तैयार होकर उससे कनेक्शन हो जाएंगे।

बड़ी इंडस्ट्रीज तो बच जाएंगी, जो वहां की मूल इंडस्ट्रीज थीं, जिनमें छपाई का काम होता था, घर-घर में हैण्डीक्राफ्ट्स की टेबल्स लगी हुई हैं हमारे जो छीपा परिवार हैं, उनका मूल काम यह है, उन टेबल्स को पाल्यूशन विभाग डेली नोटिसेज देता है और उनसे कहता है कि आप पाल्यूशन कर रहे हैं। आप खुद विजिट करके देखें, मैं आपको लेकर चलूंगा, हजारों घरों में वे टेबल्स लगी हुई हैं, कोई पाल्यूशन नहीं है। उन्हें बचाने का काम आपको और हमें मिलकर करना पड़ेगा। 1944 में जयपुर महाराजा ने इनको बचाने के लिए टेलिको सोसाइटी बनायी थी। उसी सोसाइटी के कारण आज वह उद्योग बचा हुआ है। इस उद्योग को यदि हमने नहीं बचाया तो हम अपनी विरासत खो देंगे।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि हम इस पर ध्यान दें कि विश्व प्रसिद्ध हैण्डमेड पेपर का जो उद्योग है, उसे भी हमें बचाना पड़ेगा वरना वह उद्योग भी हमारा खतम हो जाएगा। सांगानेर में आप

(श्री अशोक लाहोटी)

अन्तरराष्ट्रीय स्तर की हाट बनाएं, आप केवल जमीन दे दें, वहां की एसोसिएशन पैसा देकर बना देगी, हाट बनाएं जिससे यहां के प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर बिकेंगे और आपका रेवेन्यू इन्क्रीज होगा, स्टेट का रेवेन्यू इन्क्रीज होगा।

सभापति महोदय, वेयर हाउसिंग की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इण्डिया में सबसे ज्यादा यदि वेयर हाउसिंग के लिए जगह है और सबसे उपयुक्त माहौल है तो वेयर हाउसिंग के लिए राजस्थान में है। महाराष्ट्र ने वेयर हाउसिंग की पालिसी बना ली, राजस्थान की पालिसी नहीं बनी। पिछली बार आप ही की सरकार में जब बनी तो केवल एक कम्पनी को फायदा देने के लिए बनी और आप पूछोगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। उसके लिए फिर दुबारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है इसलिए इस पर आप ध्यान दें कि वेयर हाउसिंग की बड़ी पालिसी आप बनाएं। राजस्थान में अपार सम्भावनाएं हैं। अकेले एफसीआई का जहां दूसरी स्टेटों का किराया 7 रुपये, 8 रुपये पर-बोरी है, राजस्थान का किराया 4 रुपये, साढ़े 4 रुपये पर-बैग है। हजारों करोड़ बोरियों के गोदाम का आपके यहां स्कोप है और यह डीएमआरसी और जा रहा है यहां से।

सभापति महोदय, लैण्ड कन्वर्जन के लिए आपने कहा कि आवश्यकता नहीं है। शायद यह आप भूल गये कि लैण्ड कन्वर्जन के लिए कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। गुजरात में भी कहा कि लैण्ड कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह लैण्ड यूज का एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसके आधार पर लोन होता है, विदाउट लैण्ड कन्वर्जन कोई भी बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगा और आपकी इण्डस्ट्री लग ही नहीं पाएगी तो फिर केवल कागजों में लिखने से क्या फायदा।

इसी प्रकार मैं आपको कहूंगा कि विदाउट टैक्स्टाइल लैण्ड, आपने कहा कंसेंट टू आपरेट पाल्यूशन डिपार्टमेंट। पाल्यूशन डिपार्टमेंट और रीको के पास जितना पैसा रिजर्व पड़ा है उसका उनको टैक्स देना पड़ रहा है। मैंने इसलिए कहा कि उनको टैक्स देना पड़ रहा है। वह टैक्स देने के नाम पर, यदि उनको टैक्स नहीं देना पड़े, उसका डवलपमेंट हो जाए तो कंसेंट टू आपरेट, आप मुझे बता दें कि एक साल में कितनी इण्डस्ट्रीज को कंसेंट टू आपरेट मिला है। मैंने आपको अभी बताया कि जयपुर सेज में एक-एक हजार

(श्री अशोक लाहोटी)

के तीन आईपीओ बनकर तैयार पड़े हैं और पिछले तीन महीने से उनको चक्कर कटवा रहे हैं कंसेंट टू आपरेट नहीं दिया जा रहा। आखिर केवल कागजों में लिखकर, घोषणा करके, टेबल बजाकर राजस्थान को गर्त में ले जाने का काम हम क्यों करना चाहते हैं?

सभापति महोदय, मैं केवल आपका इतना ही ध्यान दिलाऊंगा कि आखिर अब समय आ गया है कि हम राजस्थान के इस उद्योग और व्यापार पर हम चर्चा करें। लेबर डिपार्टमेंट की चर्चा हुई, 20 लाख श्रमिक हमारी सरकार के समय में रजिस्टर्ड हुए, उसके बाद आपके टाइम में, मंत्री महोदय, सुबह से मैंने आपको कई बार मजाक में भी कहा कि आप लिख लो, 20 लाख के बाद आपने कितने लेबर रजिस्टर्ड किये हैं? आप बता दें। श्रमिक कार्ड, आपने अघोषित रूप से भामाशाह कार्ड की तरह उस पर आपने आपातकाल लगा दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री महोदय, एक मिनट लूंगा। श्रमिक कार्ड आपने बन्द कर दिया, श्रमिक कार्ड बन्द कर दिया, श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई बन्द हो गई, उनकी बेटियों की शादियां बन्द हो गईं, उनको जो मकान पर पैसा मिलता था वह बन्द हो गया। 55 हजार रुपये श्रमिक को मिलता था शादी पर वह बन्द हो गया। आखिर आप भी जनता के बीच में जाओगे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। माननीय सदस्या, आप तो मंत्री बन जाओगी फिर भी जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि श्रमिक कार्ड पर भी ध्यान दें। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और मांग संख्या 23 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में बगड़ में रीको की पिछले बजट में स्वीकृति की और इसका काम अब जल्दी से स्वीकृत होकर शुरू होने वाला है, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाए। राजसमन्द में रीको के कार्यालय को खोलने की भी बजट में घोषणा की उसके लिए भी मैं सभी उद्यमियों की तरफ से आभार

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने इण्डस्ट्रियल पालिसी, 2019 में उद्योगों को राज्य सरकार के विभागों से कई एप्रूवल्स के बगैर एग्जम्प्ट किया है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

सभापति महोदय, आज औद्योगिक विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हमें, युवाओं को रोजगार, टैक्सेज, एक्साइज, डीएमएफटी का पैसा, सीएसआर, फोरेन करेंसी, इन-डायरेक्ट एम्प्लायमेंट, कई तरह की चीजें मिलती हैं।

सभापति महोदय, आज राजस्थान खनिज में नम्बर वन है। कई खनिज ऐसे हैं जिनमें हम देश में नम्बर वन है। इसका वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि सिरामिक टाइल का जो उद्योग है उसके रॉ मैटेरियल्स का 90 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से ही जाता है चाहे वह फैल्सपार हो, चाहे वह क्वार्ट्ज हो, चाहे वह क्ले हो, सारे मिनरल राजस्थान से ही जाते हैं। आज भारत दुनिया में सिरामिक टाइल्स में एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर्स में गिना जाता है। मेरी उम्मीद है कि आपके और हमारे सबके प्रयासों से हम लोग अगर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान के खनिज भण्डारों का हम पूरा उपयोग करें और जो अजमेर जिले में, मेरे राजसमन्द जिले में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, भीलवाड़ा जिले और बीकानेर जिले में जो यह रॉ मैटेरियल उपलब्ध है इसके अन्दर हम कुछ बेसिक फैसेलिटी इसमें और एड करें।

मेरा मानना है कि इस विधान सभा में तकरीबन 20 माननीय सदस्यों ने इस बारे में अलग-अलग तरीके से अपनी मांग उठाई है कि सिरामिक जोन विकसित हों और सिरामिक जोन विकसित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है माननीय सभापति महोदय, वह है हमारे लिए नेचुरल गैस जो कि पिछले दस सालों तक हम अलग-अलग तरीके से सिरामिक गैस लाने की बातें तो करते रहे पर नेचुरल गैस को कैसे हम राजस्थान के अन्दर लायें, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा विशेष काम नहीं हुआ। हां अभी जरूर एक कोटा से गैस लाइन भीलवाड़ा तक आई है, परन्तु कांडला से बठिंडा तक की जो लाइन है, जिसको कि 2014 में कमप्लीट होना चाहिए था वह आज छह साल बाद भी पूरी तरह से इन-कमप्लीट पड़ी हुई है। हमारे इण्डस्ट्रियल एरियाज, जो उसको देखकर लगाये गये थे, वे भी एक तरह से फेल हो चुके हैं। इस गैस पाइप लाइन को लाने के लिए चाहे राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से लगातार सम्पर्क करना पड़े, विपक्ष के हमारे साथियों का सहयोग लेना पड़े, परन्तु यह

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

पाइप लाइन ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जल्दी से जल्दी आये। अभी जैसा इसके लिए प्रोजेक्टेड किया गया है कि मार्च, 2020 तक इसके आने की सम्भावना है तो इसको जल्द से जल्द लाया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम-देवगढ़ में एक सिरामिक जोन का बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया खोला जाए, उसकी मैं मांग करता हूं क्योंकि यह इण्डस्ट्री बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है और इस लेबर इंटेंसिव इण्डस्ट्री से निश्चित तौर पर हमारे यहां जो बेरोजगारी की समस्या हमको देखने को मिल रही है उससे निजात मिलेगी।

आज हम उद्योग के ऊपर बात कर रहे हैं। जब उद्योग पर बात करते हैं तो हमको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। आज देश में क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राज्यों का औद्योगिक विकास पूरी तरह से राजस्थान की इकोनोमिक कंडीशन पर तो निर्भर है ही, परन्तु देश में क्या हो रहा है, देश की, सेण्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी इस पर निर्भर है। पिछले छह सालों में जो वित्तीय कुप्रबन्धन हुआ, जो जीडीपी की हालत हुई है, 5 जीडीपी की बात कर रहे थे, हम लोग 4.7 स्टैंड कर रहे हैं और छह सालों के लोएस्ट स्टैंडर्ड पर जीडीपी में हम आ गये हैं। इस जीडीपी के चलते हम कैसे इण्डस्ट्री से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा अच्छा होगा। आज हम हमारे प्रधान मंत्री महोदय से रोज सुनते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनोमी की तरफ हिन्दुस्तान को मैं ले जा रहा हूं। 2025 में 5 ट्रिलियन इकोनोमी, 5 ट्रिलियन इकोनोमी कैसे आएगी? आप अगर किसी भी अर्थशास्त्री से पूछेंगे कि 5 ट्रिलियन इकोनोमी लाने के लिए आपको 9 प्रतिशत की दर से बढ़ना होगा और आप साढ़े चार प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। अगर इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो अगले दस साल में भी आप यह 5 ट्रिलियन इकोनोमी को नहीं छू पाएंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि हम जो यह नारे देते हैं, जुमले देते हैं उससे इण्डस्ट्री का विकास नहीं होता। दिल्ली में सरकार ने हमेशा एक नया-नया जुमला दिया। पिछली भाजपा सरकार ने राजस्थान में रिसर्जेन्ट राजस्थान किया, आपने रिसर्जेन्ट राजस्थान वायब्रेन्ट गुजरात को देखकर किया, अच्छा किया। परन्तु रिसर्जेन्ट राजस्थान का क्या रिजल्ट आया? 3 लाख 38 हजार करोड़ के आपने एमओयू साइन किये और रिजल्ट कितना आया? साढ़े 12 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। माननीय सभापति महोदय, आपने भी अपने भाषण के

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

दौरान इस बात के लिए कहा था। चाहे कोई पार्टी सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमको प्रयास करना चाहिए पर वह सिंसियर एफर्ट होना चाहिए। सिर्फ हम प्रोपेगैंडा करें इण्डस्ट्री के नाम पर और इण्डस्ट्रियलिस्ट और युवाओं को खुश करने के लिए प्रोपेगैंडा करें तो वह ठीक नहीं होगा। दिल्ली की सरकार ने बहुत सारे नारे दिये। स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, दो करोड़ रोजगार, स्टार्ट-अप इण्डिया, मेक इन इण्डिया, नमामि गंगे, 2024 में घर-घर पानी और अब यह 5 ट्रिलियन इकोनोमी। आप करना क्या चाह रहे हो? नारे दे रहे हो और दूसरी तरफ आपने रिफाइनरी पांच साल में नहीं लगाई। नारे तो आप इतने सारे देते हो और रिफाइनरी लगाने में आपने डिले किया। और तो और, राजस्थान खनन के लिए जाना जाता था, खनन उद्योग को आपने ठप कर दिया। राजस्थान में इतना बड़ा खान घोटाला हुआ। आपने पूरी कमान अधिकारियों को सौंप दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उस टाइम के मंत्री, उनकी नहीं सुनते थे वे अधिकारी और उन अधिकारियों ने राजस्थान का नाक शर्म से नीचा किया है और इतना बड़ा खान घोटाला यहां राजस्थान में हुआ, राजस्थान की जनता शर्मसार हुई है। आज नारों से काम नहीं चलने वाला, हमको चाइना से सीखना पड़ेगा। चाइना में स्मार्ट सिटी और स्टार्टअप के नारे नहीं चलते। चाइना की सरकार आधारभूत सुविधा देती है। मैं चाइना कई बार जाकर आया हूं, वहां आर एण्ड डी सपोर्ट मिलता है। कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करना है, कोई प्रोडक्ट लाना है, चाइना की सरकार आर एण्ड डी सपोर्ट करती है। हमारे यहां पर फैल्सपार, क्वार्ट्ज बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है। कई सदस्य ऐसे विधान सभा क्षेत्रों से आते हैं जहां की वह लाइफ-लाइन है, परन्तु फैल्सपार, क्वार्ट्ज के लिए क्या किया? पांच साल में, चार साल में, गुजरात में इसके बेनीफिकेशन यूनिट लग गये। पिछले तीन-चार साल में हमारी सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, उस सरकार ने क्या किया? सरकार के अधिकारी क्या कर रहे थे? मंत्री क्या कर रहे थे? सब सो रहे थे।

(17.20 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आपको सोचना चाहिए था कि हमको भी राजस्थान के लिए विकास लेकर के आना है! इसके ऊपर कोई प्रयास नहीं किया। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके कारण राजस्थान का विकास बाधित हुआ है।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

मानवीय सभापति महोदय, एसएमई सैक्टर और एमएसएमई सैक्टर में बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज एमएसएमई सैक्टर की हालत बहुत खराब है। देश के अंदर इकोनोमी का स्लो डाउन हुआ है और नोटबंदी और जीएसटी के कारण छोटे और मझोले उद्योगों का जीना मुश्किल हो गया है। एमएसएमई सैक्टर के हालात ये हैं कि 26 लाख करोड़ का लोन मांग रही हैं और 16 लाख करोड़ का लोन भी नहीं मिल पा रहा है।

आज मैंने अख़बार में पढ़ा, यस बैंक के अंदर फाइनेंशियल पोजिशन खराब हुई। क्यों हुई खराब, क्योंकि यस बैंक ने उन्हीं पांच-छह लोगों को अडानी, अम्बानी जिनके नाम इस अख़बार में आए हैं। डीएचएफएल, अडानी, अम्बानी एसएल, आईएलएफएस इन लोगों को लोन दिया और इसके कारण यस बैंक की स्थिति खराब हुई।

एक तरफ एमएसएमई सैक्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। दूसरी तरफ आप कोशिश कर रहे हो, परन्तु मीडियम इंडस्ट्री, स्माल इंडस्ट्री पूरी तरह से मर रही है। हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ईसीजीसी की तर्ज पर जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी होती है, माननीय सभापति महोदय, वैसे ही स्टेट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन बने क्योंकि, हमारे लोगों का बहुत पैसा गुजरात और पूरे हिंदुस्तान के लोगों में उधार है ताकि वह सुरक्षित रहे।

उद्योगों को बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर एनवायर्नमेंट क्लीयरेंस को हमको देखना पड़ेगा, एनवायर्नमेंट क्लीयरेंस होनी चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए परन्तु, पर्यावरण के नाम पर चार-पांच साल तक उद्योगों की स्वीकृति अटकी रह जाए तो यह गलत होगा। चाहे वह स्टेट का क्लीयरेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे सैन्ट्रल का एनवायर्नमेंट क्लीयरेंस डिपार्टमेंट हो, जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति मिले। कम से कम रीको के माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, इंडस्ट्रीयल एरियाज अगर पांच-पांच साल तक ईसी की स्वीकृति के लिए पड़े रहेंगे तो, हम किस तरह से इण्डस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, यह हमें देखने की जरूरत है।

सभापति महोदय, राजस्थान में सोलर ऊर्जा का भी बहुत स्कोप है। इंडस्ट्रीज को भी, क्योंकि ये भी जीडीपी के अंदर ग्रोथ प्रमोटर है, चाहे सर्विस सैक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्यूफैक्चरिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हम सबको एक साथ देखें और इंडस्ट्री को भी सब्सिडाइज्ड रेट पर सोलर है, वह दिया जाए, ताकि इंडस्ट्री को इससे सपोर्ट मिले। केन्द्र सरकार से हम मांग करें कि हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें भी जीएसटी लिया जाता है। उस

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

जीएसटी को थोड़े दिनों बाद रिफंड किया जाता है तो, यह एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज, एक बेकार की एक्सरसाइज है जिसको बंद किया जाए ताकि एक बार पैसा जमा कराये और हमारी वर्किंग कैपिटल भी इसमें समाप्त होती है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो रीको खोला गया है उसको ग्रेनाइट पार्क के तौर पर डवलप किया जाए। उसकी मांग माननीय मंत्री महोदय से करता हूं।

श्रम विभाग के मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि शुभ शक्ति प्रकरण काफी लम्बित हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में हजारों की तादाद में शुभ शक्ति लंबित है। इसका प्रोविजन किया जाए और कम से कम जब तक आपके पास फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है तो डाकुमेंटेशन तो आप कमप्लीट करा लें ताकि जिस दिन फाइनेंस आए, उस दिन तो उस गरीब आदमी को इंतजार नहीं करना पड़े, इस पर आप ध्यान दें।

एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि नरेगा में राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। आने वाले समय में, आप सौ दिन पूरे करने वाले हैं। करीबन आठ से दस लाख पहली बार रिकार्ड देखेंगे तो उन रिकार्ड लोगों को श्रमिक कार्ड बनाने के लिए क्या आपका डिपार्टमेंट इक्विप्ड है? क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आपको श्रमिक कार्ड बनाने का मौका मिलेगा। सिलिकोसिस के लिए भी आप अच्छी तरह से काम करें। हालांकि, सरकार ने नीति बनाई है। माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। श्रमिक विभाग में जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 उद्योग और 23 श्रम रोजगार पर बोलने का मौका दिया, इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान के तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास हेतु उद्योग का विकास अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिए राजस्थान निरन्तर प्रयासरत है और अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था तथा व्यक्तियों का मूल आधार जो कृषि रहा है, निश्चित तौर पर हमें इसमें बदलाव लाना पड़ेगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सभापति महोदय, वर्तमान में उद्योग पर्याप्त लोगों को रोजगार प्रदान नहीं करवा पा रहे हैं। इसका घरेलू उत्पादन में योगदान भी आशानुकूल देखने को नहीं मिल रहा है। अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने के साथ-साथ उद्योगों में अत्यधिक क्षमता की भी हम लोगों को आवश्यकता है।

मैं आज के दिन कहना चाहूंगी और सम्माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हर सरकारें कुछ अच्छा करने का प्रयास करती हैं। उन्होंने इस राजस्थान में उद्योग लाने के लिए रिसर्जेंट राजस्थान का कार्यक्रम आयोजित किया और आज उसी का नतीजा है कि जो पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने और अभी के हमारे मुख्य मंत्री जी, जिन्होंने 2011 में सिंगल विंडो एक्ट लागू किया था। इस एक्ट की अनुपालना को और प्रभावी बनाने के लिए जो वन स्टाप प्रणाली स्थापित करने का निर्णय अभी लिया है। निश्चित तौर पर इससे निवेश प्रस्तावों को त्वरित गति से क्लीयरेंस मिलेगी। यह बहुत अच्छा काम है। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं लेकिन, साथ-साथ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं रोजगार सृजन में एमएसएमई उद्योगों की महती भूमिका है। राज्य में एमएसएमई की आसानी से स्थापना हेतु 2019 में आप जो नया एक्ट लेकर आए हैं। तीन साल तक इसे समस्त सरकारी स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों की बाध्यता से भी आप मुक्त करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुलभ सुविधा भी इसमें प्राप्त होगी और साथ ही साथ 339 उद्यमियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। यह उसी का नतीजा है रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से जो जागरूकता आई। उसी का जीता-जागता उदाहरण, आज हमको यहां देखने का मिल रहा है। राज उद्योग मित्र पोर्टल को भी आप लोगों ने प्रारम्भ किया है।

हम आज कल्पना कर रहे हैं कि राजस्थान का विकास हो, जो कई वर्षों पहले हम लोग सुना करते थे कि राजस्थान बीमारू प्रदेश की श्रेणी में है। आज उस राजस्थान में विकास हुआ, लेकिन हम मात्र कल्पना करें कि राजस्थान वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो निश्चित तौर पर ये सही नहीं है। आज ये बड़ी विडम्बना है, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, पहले मैं कोटा के रामगंज मंडी से विधायक हुआ करती थी, अब इस बार बूंदी जिले से हूं लेकिन, एक विडम्बना है कि चम्बल नदी के किनारे कोटा और बूंदी, जहां पर बिजली है, पानी है, परिवहन की उत्तम सुविधा है। नये उद्योग लगाने की संभावना है। वहां पर उद्योगों का लगातार बंद होना, एक चिंता का विषय है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, कोटा के उन उद्योगों का संरक्षण कर, अगर पुनर्जीवित हम लोगों ने नहीं किया, इनके स्थान पर नये उद्योग हमने नहीं लगाये, तो निश्चित तौर पर ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, इसका सार्थक परिणाम आने वाला नहीं है। साथ ही साथ, कोटा में जहां उद्योगों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। जहां पर नये उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। कोटा में अगर हम बात करें टैक्सटाइल, आटोमोबाइल, फार्मा सहित कई क्षेत्रों के उद्योग लगाने की संभावना वहां है। निश्चित तौर पर हमें ऐसा करना चाहिए। साथ ही, मैं आज के दिन कहना चाहूंगी कि कोटा के अंदर जे के. सुदर्शन टैक्सटाइल की हम लोग बात करें, ओरियंटल कैबल फैक्ट्री की हम लोग बात करें, केशोरायपाटन की शुगर मिल की हम लोग बात करें, सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री की हम लोग बात करें और कोटा में सोयाबीन प्लांट और साथ ही साथ आयल की भी हम लोग अगर बात करें, तो ये जो उद्योग हैं, काफी लम्बे समय से बंद पड़े हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी आयल फैक्ट्री बंद हुई। कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट को कुछ विचार करना पड़ेगा। भले ही हम लोग वहां आक्सीजोन विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन, आखिर में क्यों नहीं उस उद्योग को जितनी भी छूट राजस्थान सरकार दे सकती है, वह छूट दें और जो प्रयास राजस्थान सरकार कर सकती है, वह प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पर हमारे बंद हुए उद्योग पुनः चालू हो सकते हैं। ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

हमारा जो कोटा डोरिया है। वह पूरे देश के अंदर विशेष पहचान बना चुका है और कोटा डोरिया से निर्मित हैण्डलूम के उत्पादों की भारत के साथ-साथ विदेशों में भी बहुत ज्यादा मांग है। प्रति वर्ष पांच करोड़ के कोटा डोरिया उत्पादों का निर्माण कोटा में किया जा रहा है जबकि लेबल लगाकर कई कम्पनियां इसके उत्पाद बेच रही हैं जिससे कोटा डोरिया को लगातार नुकसान हो रहा है। मैं कोटा डोरिया को, जो अन्तरराष्ट्रीय जीआई मार्का मिला हुआ है लेकिन, उसके बावजूद भी कोटा डोरिया उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कोटा डोरिया के बुनकरों के लिए अलग से कोई मार्केट कोटा में नहीं है। सम्माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, ताकि हमारी महिलाओं को रोजगार मिले, हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिले और यह काम होता है तो निश्चित तौर पर कोटा आपको धन्यवाद देगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साथ ही साथ मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि हम सब चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी अधिनियम बने उन अधिनियमों की पालना हो। हम लोग देख रहे हैं चाहे हम कारखाना अधिनियम, 1948 की बात करें, चाहे हम लोग बायलर अधिनियम, 1923 की बात करें और चाहे हम वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की बात करें, चाहे भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की बात करें, यह सारे नियम हम लोगों ने बनाए। श्रमिकों को सुरक्षा, भवन, स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान रखने का हम लोगों ने उस समय किया लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरी तरह से इतनी इंडस्ट्रीज लगने के बाद जितनी-जितनी सरकार इनको सुविधाएं दे रही है उतना ही मजदूरों का शोषण हो रहा है और इन अधिनियमों की धज्जियां उड़ रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उस समय मजदूरों ने एक नारा दिया था अपने स्वाभिमान के लिए कि 'देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम।' उन्होंने बात कही कि राष्ट्र का औद्योगीकरण हो, राष्ट्र के औद्योगीकरण के साथ-साथ उद्योगों का श्रमिककरण हो और साथ ही साथ श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण हो। इस भावना को लेकर, इस नारे को लेकर आए थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं, मैं मेरे क्षेत्र के उद्योगों की बात करना चाहूंगी। बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात के लिए कि आप देखिए जो सिंचाई की दृष्टि से हम लोग देखें केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र जहां का शुगर मिल है, जो वर्षों से बंद पड़ा है। इस शुगर मिल के लिए अगर सम्माननीय मंत्री महोदय कुछ करेंगे तो मैं कहूंगी कि वहां की जनता दिल से और मन से आपको दुआएं देगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहती हूं माननीय सभापति महोदय, 15 मिनट की बात हुई थी सम्माननीय भाई साहब से।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करेंगी अब आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 15 मिनट की बात हुई थी, मुझे 15 मिनट तो नहीं हुए, साहब।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, केशोरायपाटन का जो हमारा शुगर मिल है बूंदी जिले के प्रगतिशील किसानों ने, प्रतिनिधियों ने राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 1965 के अंदर इस सोसाइटी का गठन किया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 525 है। इसकी स्थापना के साथ-साथ यह 1965 में चालू हुआ और कुछ ऐसी स्थितियां बनीं कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर के माध्यम से 1966 तक यह चला। प्रथम गन्ने की पिराई जो हमारे यहां हुई 1969-70 में हुई और इसके साथ-साथ ही इसकी स्थापना के समय से राजस्थान सरकार का जो हिस्सा था वह 84 परसेंट था और हमारे जो वहां के किसान थे उन किसानों का जो हिस्सा था वह 16% था लेकिन शुगर मिल प्रबंधन की जो संचालन समिति थी जिसने इसको 1969 से लेकर 1977 तक कभी लाभ में और कभी हानि के साथ चलाया लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा बोर्ड आफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई और उसके बाद से ही फिर भी यह जो भी स्थिति और परिस्थिति रही, उस समय भी हमारा यह उद्योग चला और जो भी कारण रहे हों, भारत सरकार द्वारा 13.12.1978 से लेकर 1985 तक जो हमारा कस्टोडियन जिसको हम कहेंगे अवसायक नियुक्त किया जाना था उसके माध्यम से इसका संचालन हुआ। तब भी यह लगातार चल रहा था। पता नहीं क्या कारण रहे कि यह जो शुगर मिल है, यह जो 2001 और 2002 में अकाल पड़ा था, उस समय राज्य सरकार के आदेश हुए कि जो गन्ना उत्पादन यहां हो रहा है उसको चारे के रूप में पशुओं के लिए बाहर भेजा जाए और उसी का कारण रहा कि यह उद्योग बंद हो गया, जो चीनी हमारी वहां पर बनती थी।

सभापति महोदय, एक मिनट, मेरी बात का मेरा टापिक खतम हो जाए। मैं सम्माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आज भी 18 करोड़ रुपये इस उद्योग के हमारे पास पड़े हैं। बैंक खाते में हैं। मेरा करबद्ध आपसे निवेदन है कि वहां के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, वहां के बेरोजगार भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। अगर आप चाहो कि किसानों की जो सोसाइटी है वह इसको चलाए तो निश्चित तौर पर सरकार का एक रुपया भी लगने वाला नहीं है। इस उद्योग को हमारे किसान चलाने को तैयार हैं। सम्माननीय मंत्री महोदय से भी मिले।

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा खान।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मेरी बात तो समाप्त करने दीजिए, साहब। मैं रामगंज मंडी से

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

विधायक रही हूं। कोटा स्टोन में भी कुछ प्राब्लम हमारी हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। वर्तमान में सरकार ने औद्योगिक विकास हित में जो हमारे नियम हैं, प्रावधान हैं, मैं मानती हूं उन नीतियों से हमारे उद्योगों का विकास होने वाला नहीं है। साथ ही साथ मैं एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जो मेरे यहां से है, जो मजदूरों का शोषण कर रही है उसका निवेदन करना चाहती हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से यह कंपनी चली आ रही है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, लगातार मजदूर धरना-प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस वहां आकर खड़ी हो जाती है। मजदूर मर जाए और ऑन ड्यूटी मरे, उसके बावजूद भी वहां के मजदूर के बेटे को नौकरी मिलने वाली नहीं है। हम उद्योगों के लिए जमीन देते हैं, किसानों की जमीन को। आसपास की जमीनें ख़राब होती हैं, लेकिन मेरा निवेदन है...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): ... कि कम से कम हमारे नोर्म्स के अनुसार उद्योग चलें और...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा खान।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या-42 और 23 पर अपने विचार रखने का जो मौका दिया है, उसके लिए तहेदिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। माननीय सभापति जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और एनसीआर में आता है, लेकिन बड़े दु:ख की बात है मेरा इलाका एनसीआर में होने के बावजूद भी हम लोगों को नुकसान तो हो रहा है, फायदा आज तक नहीं हुआ है और 1998 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस टाइम पर मेरे कामां-जुरहरा रोड पर सोनोखर गांव में 40 एकड़ भूमि एक्वायर की गई थी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, जिसमें 63 फैक्ट्री खुलनी थी, लेकिन 37 खुलीं और वह भी सिर्फ सब्सिडी का फायदा लेने के लिए। उन लोगों ने एक तरीके से सरकार के साथ भी धोखा किया और हमारे इलाके के आदमियों के साथ भी धोखा हुआ। उन्होंने टैक्स की चोरी के लिए वहां पर खोली, लेकिन वहां पर आज भी मेरे ख्याल से अगर सरकार उसको दिखाएगी तो असलियत में एक भी फैक्ट्री चालू नहीं है, तो मैं तो आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी

(श्रीमती जाहिदा खान)

कि हमारे यहां पर स्पेशल पैकेज दिया जाए जिससे कि एनसीआर में पास होने का हमें फायदा मिले। बिजली, पानी, रोड्स की उन लोगों को सुविधा दी जाए और जिन फैक्ट्री मालिकों ने वहां पर जमीन लेकर फैक्ट्री नहीं खोली है या खोली है तो सिर्फ नामचारे के लिए खोली है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और एग्रीमेंट में स्पेशल क्लोज चलना चाहिए कि लोकल आदमियों को वह लोग नौकरी पर रखेंगे, जिससे कि वहां के रहने वालों को भी फायदा हो। हमारे इलाके में कोल्ड स्टोरेज भी डवलप किए जा सकते हैं।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह तो कामां की बात थी। पहाड़ी सब डिवीजन में माइनिंग होती है, वहां पर जो क्रैशर जोन बना हुआ है उसके लिए भी सरकार ने कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं दे रखी है। उन लोगों को जनरेटर चलाने पड़ते हैं जिससे उनका बहुत ज्यादा खर्च आता है। नांगल में जहां पर क्रैशर जोन है अगर वहां पर जीएसएस बन जाएगा तो उन लोगों का काफी फायदा होगा और लोग भी वहां आने की करेंगे और एक जो इल्लीगल माइनिंग होती है, मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि अगर उनको रेगुलर कर दिया जाएगा तो एक तो इल्लीगल माइनिंग रुकेगी और सरकार को जो रेवेन्यू है उसमें भी इजाफा होगा।

एक मैं आपके माध्यम से यह दरख्वास्त करना चाहूंगी उद्योग मंत्री जी से और डेयरी मंत्री जी से, दोनों से कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र कृषि प्रधान है। वहां पर सब लोग ज्यादा खेती करते हैं और हर कोई गांव में जो खेती करता है वह भैंस और गाय जरूर रखते हैं, क्योंकि खेती की इनकम साल में 2 बार आती है। रोजमर्रा के खर्चे के लिए गाय-भैंस का दूध वह लोग बेचते हैं और उस से काम चलता है, जिससे डेयरी वाले दूधिया उनका शोषण करते हैं। अगर वहां पर सरस चिलिंग प्लांट खुल जाएगा तो लोगों का जीवनस्तर सुधर जाएगा। उनकी रैगुलर इनकम होने लग जाएगी और वह अपने बच्चों को फिर पढ़ाना भी शुरू कर देंगे और एक नये युग की कह सकते हैं कि शुरुआत होगी, तो अगर उद्योग मंत्री जी वहां पर अगर सरस चिलिंग प्लांट के लिए जमीन दे दें तो शायद हमारे डेयरी मंत्री जी वहां पर सरस चिलिंग प्लांट खोल देंगे तो मेरा आपसे यही निवेदन है क्योंकि आप मुझे बैठने का कहें, उससे पहले ही मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: मैंने तो कहा ही नहीं बैठने को। श्रीमती मनीषा पंवार।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या-42 और 43 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभापति जी, उद्योग किसी भी प्रदेश के विकास, उन्नति और रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश भर की परिस्थितियां उद्योग जगत के लिए चुनौतीपूर्ण बन रही हैं।

उद्योगों को पहला झटका नोटबंदी ने दिया। इस झटके से उबरने का जैसे ही प्रयास किया तो दूसरा झटका असंतुलित जीएसटी ने दे दिया। फिर भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूं राजस्थान के उद्यमियों को जिन्होंने अपने साहस और धैर्य से वापस धीरे-धीरे इससे उबरने का प्रयास किया लेकिन फिर भी जीएसटी रिफंड व अन्य कई समस्याएं उद्योगों के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।

आदरणीय सभापति जी, हमारे राजस्थान प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्नताएं लिए हुए हैं। जहां कहीं अरावली श्रृंखलाएं हैं तो कहीं दूसरी ओर रेगिस्तान फैला हुआ है। जहां कहीं हम तरह-तरह के उद्योगों की प्रचुर संभावनाएं रखते हैं। यहां के खनिज उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और सबसे महत्वपूर्ण हैंडीक्राफ्ट उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन चुनौतियों के समय इन उद्योगों को किसी न किसी प्रकार से हमें सम्बल प्रदान करना चाहिये। इन उद्योगों को हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी हमें प्रबल संभावनाएं उत्पन्न करनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने चुनौतीपूर्ण समय में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में राहत देने की दृष्टि से राजस्थान उद्योग विकास नीति, 2019 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2000 लागू की जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीको के माध्यम से अनेक जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई, जिससे नवीन रोजगार का सृजन होगा एवं राजस्थान में निवेश की संभावना बढ़ेगी। इसके लिए मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

बड़े उद्योगों के साथ लघु उद्योग भी शहरों एवं कस्बों में रोजगार सृजन करने में बहुत सक्षम रहते हैं। लघु उद्योगों की भी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नोटबंदी और जीएसटी की अगर सबसे ज्यादा मार

(श्रीमती मनीषा पंवार)

झेलनी पड़ी तो वह लघु उद्योगों को झेलनी पड़ी। इन लघु उद्योगों का हमें किस तरह विस्तार करना चाहिये और किस तरह इन लघु उद्योगों के विकास से हम राजस्थान को और अधिक विकसित कर सकते हैं, इस हेतु राज्य सरकार ने तीन सालों तक इन्हें समस्त सरकारी स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों की बाध्यता से मुक्त किया है। इसके अतिरिक्त उद्यमों की सुविधा के लिए 'राज उद्योग मित्र पोर्टल' प्रारम्भ करने के लिए मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

आदरणीय सभापति महोदय, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा उद्योग है जो जोधपुर संभाग की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही यह व्यवसाय देश में बड़े निर्यात करने वाले उद्योगों में भी सम्मिलित है। विगत कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार की अव्यावहारिक नीतियों की वजह से यह उद्योग भी बहुत पिछड़ता जा रहा है और हमारे उद्यमी और कुशल कारीगर अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित हैं। एक समय पश्चिमी राजस्थान में रोजगार सृजन का यह मुख्य व्यवसाय हुआ करता था लेकिन आज यह व्यवसाय खुद आर्थिक संकट में है। जीएसटी लागू होने के बाद हैंडीक्राफ्ट उद्योग में 50 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और जब से जीएसटी लागू है, इस गिरावट में और अधिक गिरावट आ रही है। कई निर्यातकों के करोड़ों रुपये जीएसटी रिटर्न एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में केन्द्र सरकार के पास आज भी अटके हुए पड़े हैं, उसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। हमारे उद्योगों के लिए यह बड़ी गंभीर बात है। पूर्व में यह व्यवसाय बिलकुल टैक्स फ्री था। केन्द्र ने जैसे ही जीएसटी लागू की तो 28 प्रतिशत स्लैब में इसको डाला गया और इसके पश्चात् इसमें 18 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया लेकिन यह 18 प्रतिशत टैक्स भी इस हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के लिए बहुत अव्यावहारिक है। चूंकि इस व्यवसाय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, इस कारण हमारा हैंडीक्राफ्ट उद्योग विदेशी बाजार में महंगा होने की वजह से दूसरे देशों के सामने टिक नहीं पाता है जो कि इस व्यवसाय के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। यह भी हमारे हैंडीक्राफ्ट उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है।

मैं मुख्य मंत्री जी को और मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि वह जीएसटी व मंदी की दोहरी मार झेल रहे हैंडीक्राफ्ट निर्यात उद्यमियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजसिको के माध्यम से जाने वाले कंटेनरों और माल भाड़े में कमी करे। एक विशेष घोषणा कर इन्हें सम्बल प्रदान करें ताकि

(श्रीमती मनीषा पंवार)

विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में अपना हैंडीक्राफ्ट उद्योग मजबूती के साथ बना रहे। इसके लिए मैं मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगी।

वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग है हमारा टैक्सटाइल उद्योग जो कि बहुत पुराना भी है और राजस्थान में बहुत प्रमुख रूप से जाना जाता है, लेकिन आर्थिक विपरीत नीतियां, मंदी, एनजीटी के सख्त दिशा-निर्देशों की पालना में यह उद्योग भी मरता जा रहा है। आज कई टैक्सटाइल की कंपनियां बंद पड़ी हैं और इन कंपनियों के बंद होने से अनेक मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। आज तक भी ऐसी कंपनियां हैं जिनके मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं, जिनका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में जोधपुर, पाली आदि कई क्षेत्रों में इन टैक्सटाइल कंपनियों के द्वारा प्रदूषित पानी भारी समस्या का कारण बन रहा है। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सैल्फ ईटीपी पर पूर्ण सब्सिडी की घोषणा कर टैक्सटाइल उद्योगों को जो राहत प्रदान की गई है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने नये उद्योग लगाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए वन स्टाक प्रणाली को स्थापित करने का निर्णय लिया और उनकी अध्यक्षता में बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा निवेश प्रस्तावों का शीघ्रता से निष्पादन किया जायेगा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है।

हमारे जोधपुर जिले का सैंड स्टोन उद्योग विश्व विख्यात है, जो कि पूरे विश्व में माना जाता है। जोधपुर के स्टोन का विश्व में जगह-जगह निर्यात किया जाता है लेकिन इन उद्योगों से सबसे बड़ा खतरा श्रमिकों को होता है और श्रमिकों की समस्या का कारण है सिलिकोसिस बीमारी। इसको देखते हुए सरकार बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। इन सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए जो प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं, उसके लिए मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में चल रहे उद्योगों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख तक के ऋण के ब्याज पर 8 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान कर उन्हें सम्बल प्रदान करने का कार्य किया है।

सभापति महोदय, आज पूरा भारत देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य मंत्री जी ने महात्मा गांधी जो खादी को अंगीकार करते हैं, उसके मन को समझते हुए ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के

(श्रीमती मनीषा पंवार)

लिए खादी वस्त्रों पर जो 50 प्रतिशत की छूट दी है, वह भी एक बहुत बड़ा निर्णय है।

राजस्थान जिस तरह से एक रेतीला इलाका है, इसमें खनिज और पैट्रोलियम पदार्थ बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र को एक नई दिशा दी गई है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्व में पचपदरा में जो रिफाइनरी का उद्घाटन किया था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार ने इस रिफाइनरी को पूरा लटका दिया था, लेकिन पुन: सरकार में आते ही इस रिफाइनरी के लिए बहुत अच्छे कदम उठाये गये। जब इस रिफाइनरी का निर्माण होगा तो राजस्थान में अनेकों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और राजस्थान में नये उद्योगों को पंख लगेंगे। इसके साथ हम यह कह सकते हैं कि रिफाइनरी जब लगेगी तो राजस्थान ही नहीं, पूरे राजस्थान के आस पास के प्रदेशों में भी हम रोजगार को उत्पन्न कर पायेंगे और जो छोटे-छोटे श्रमिक हैं, उनको रिफाइनरी के माध्यम से रोजगार दे पायेंगे।

इसी के साथ में मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि इसके साथ-साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था को जो पंख लगेंगे, वह केवल और केवल हमारे गांधीवादी नेता मुख्य मंत्री गहलोत जी की वजह से लगेंगे। मैं मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि समय-समय पर वह हमारे जिले जोधपुर में आते रहते हैं और कई उद्योगों के विकास और उनके विस्तार की योजनाओं के लिए सम्बल प्रदान करते हैं और उन्हें विस्तार करने की योजना में जो निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 23 श्रम एवं रोजगार पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहता हूं हिन्दुस्तान की पुरातन संस्कृति को जिसने मौर्य और द्रविड़ वंश से शुरू होकर हजारों वर्षों से चाहे वह गजनी वंश हो, चाहे गोरी वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे बाबर, हुमायूं हो, उसके बाद ओरंगजेब का काला इतिहास रहा हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर

(श्री अविनाश)

लगभग 150 वर्षों तक आधिपत्य किया और उसके बाद धीरे-धीरे हिन्दुस्तान की जनता में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक अहिंसात्मक आंदोलन की वजह से और सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष की वजह से 1947 में हिंदुस्तान को आजादी मिली और उस आजादी के समय भारत पाकिस्तान का वह विभाजन, 1962 व 1965 में युद्ध, उसके बाद 1975 का आपातकाल, 1984 के सिख दंगे और 1992 में बाबरी ढांचे को ढहा कर धीरे-धीरे यह हिंदुस्तान आज इस स्थिति में पहुंचा है। प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ग्राम सड़क के सपने से लेकर आज इस समय केंद्र में मोदी जी की चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधान मंत्री आवास की योजना हो। यह हिंदुस्तान निरंतर अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण ऐतिहासिक सफलताओं को पार करते हुए 21वीं सदी में एक बार पुन: उस छोर पर खड़ा है, जहां विवेकानंद जी की कल्पना थी कि यह देश पुन: विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो और आज उसी की बदौलत कांग्रेस के 60 वर्षों के शासन के बाद, जिस तरह से पिछले छह वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार व्यक्तिगत योजनाओं के माध्यम से आम गरीब जनता को फायदा दे रही है। इसलिए आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में हिंदुस्तान स्थापित हो रहा है और इसमें नरेंद्र मोदी विश्व में सबसे बड़े नेताओं में उभर रहे हैं। यह सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं, बल्कि इस देश की 130 करोड़ जनता का सम्मान और इस राजस्थान प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता का सम्मान है।

कृषि प्रधान राष्ट्र होने के नाते और प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से प्रदेश के किसानों की हालत हमसे छिपी हुई नहीं है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई, प्राकृतिक आपदाएं आयीं, उसको देखते हुए हम सबका यह फर्ज बनता है कि किसानों के आंसू पौंछे जाएं और आज जिस तरह के प्रदेश के हालात हैं कि राज्य सरकार की संवेदनहीनता के कारण आज चाहे किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, पिछड़ा वर्ग, व्यापारी खून के आंसू रो रहा है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के प्रमुख वृहत् उद्योग, जिसमें सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, कांच उद्योग, मेहंदी उद्योग, ईंट-भट्टा उद्योग, इस तरह के प्रमुख उद्योग शामिल हैं। सीमेंट उद्योग के बारे में बताता हूं। सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी (बूंदी) में

(श्री अविनाश)

सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गयी। सीमेंट उद्योगों में प्रमुख रूप से बिड़ला सीमेंट वर्क्स (चित्तौड़गढ़), उदयपुर सीमेंट वर्क्स (उदयपुर), जे.के. सीमेंट वर्क्स (निम्बाहेड़ा), मंगलम सीमेंट मोडक (कोटा), जे.के. व्हाइट सीमेंट (गोटन), श्री सीमेंट लिमिटेड (ब्यावर), बांगड सीमेंट लिमिटेड (रास), अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड (राबड़ियावास), निरमेक्स सीमेंट लिमिटेड (निम्बोल)।

यदि सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र मील की स्थापना ब्यावर शहर में 1889 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड नाम की कंपनी से हुई और यह निजी क्षेत्र में स्थापित हुई।1906 में उसी ब्यावर शहर में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड और 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई।

चीनी मिलों में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम प्रदेश के अंदर 1932 में मेवाड़ चीनी मिल्स भोपाल सागर (चित्तौड़गढ़) की निजी क्षेत्र में स्थापना हुई। 1938 गंगानगर चीनी मिल्स की स्थापना हुई और उत्पादन 1946 में प्रारम्भ हुआ और जुलाई, 1956 से यह सार्वजनिक क्षेत्र में निरंतर रूप से काम कर रही है। राजस्थान के गठन के समय 11 वृहत् उद्योग, सात सूती वस्त्र उद्योग, 2 सीमेंट व चीनी उद्योग और 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थीं। वर्ष 1978 में केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गयी। वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 उप केंद्र हैं। राज्य में सर्वाधिक खनन पट्टे संगमरमर के हैं।

अगर राजस्थान में औद्योगिक विकास के प्रयास पर नजर डाली जाए तो मैं पिछली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, वसुन्धरा जी की सरकार को, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किये और बहुत से सेमिनार आयोजित किये, जिसकी वजह से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिली। मैं रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 19 से 20 नवम्बर, 2015 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया। मैं ई-गवर्नेंस व आई.टी. नीति-2015 के लिए निवेदन करना चाहूंगा। इस सेमिनार में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति 5 नवम्बर, 2015 को जारी की। राजस्थान स्टार्टअप उत्सव में राज्य के छात्रों, युवाओं व निवेशकों को स्टार्टअप समुदाय को प्रदान करने के लिए जयपुर में दो दिवसीय स्टार्टअप उत्सव 9 से 10 अक्टूबर, 2015 को मनाया गया। टैक्सटाइल पार्क योजना में देखें तो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की

(श्री अविनाश)

प्रमुख योजना स्कीम आफ इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क का संचालन राज्य में किया जा रहा है। योजना में टैक्सटाइल पार्कों की स्थापना हेतु लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 49 हजार की सहायता का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य में 6 टैक्सटाइल पार्क हैं।

राज्य में स्टार्ट अप पालिसी जारी - तत्कालीन राज्य सरकार ने 9 अक्टूबर, 2015 को ऐसे युवा उद्यमी जो खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान यह पालिसी जारी करने वाला पूरे हिंदुस्तान का पांचवां राज्य बना और उत्तरी भारत का पहला राज्य बना था। आई-स्टार्ट योजना पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी द्वारा 18 अगस्त, 2017 को प्रारम्भ की गयी।

राजस्थान डिजिफेस्ट सेमिनार 2017 में आयोजित किया गया। इसमें डिजिटल क्रांति के बढ़ते कदमों को जन-जन तक पहुंचाने एवं नव प्रतिभाओं के नवाचारों से अधिक समृद्ध बनाने की मंशा से 17-18 अगस्त, 2017 को इसका आयोजन किया गया। वुडन हैंडीक्राफ्ट के संवर्धन व संरक्षण को भी जोधपुर में प्रारम्भ किया गया। राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक नीतियों के बारे में अगर विचार-विमर्श किया जाए तो राजस्थान सरकार ने उद्योगों के विकास हेतु अब तक चार औद्योगिक नीतियां पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत के समय घोषित की गयी थी। प्रथम 24 जून, 1978 को, द्वितीय दिसम्बर 1990 में घोषित और अप्रैल, 1991 में लागू, तृतीय 15 जून, 1994 एवं चतुर्थ 4 जून, 1998, इसके अलावा भी समय-समय पर प्रमुख रूप से औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीतियां जारी की गयी थीं।

राजस्थान के औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत प्रमुख संस्थाओं के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो रीको, जो कि आज हमारे प्रदेश में प्रमुखता से काम करता है। इस रीको की स्थापना के बारे में बताना चाहता हूं। राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना 28 मार्च, 1969 को हुई। बाद में नवम्बर, 1979 में इसका विभाजन कर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम बनाया गया। जनवरी, 1980 में रीको की स्थापना हुई और वर्तमान में राज्य में 330 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र संचालित किये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में राज्य सरकार औद्योगिक विकास के हित में नहीं है। सरकार द्वारा जो नीतियां घोषित की जाती हैं, उनमें कई खामियां हैं, उनको सुधारने की

(श्री अविनाश)

आवश्यकता है। सरकार द्वारा तीन साल तक लाइसेंस नहीं लेने की जो घोषणा की गयी है, लेकिन उसमें जीएसटी एवं प्रदूषण एनओसी नहीं लेने की प्रक्रिया है, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। लैण्ड कन्वर्जन को आसान बनाये जाने की बात कही जाती है, लेकिन उसमें कई तरह की पाबंदियां डाल दी जाती हैं। खनन उद्योग में 9 टन लदान को हटाते हुए नई खनन नीति बनायी जाए, जिसमें खनन उद्योग को रायल्टी में छूट दी जाए। वर्तमान में कोटा स्टोन उद्योग बुरी तरह से मंदी के दौर से गुजर रहा है। अत: इस उद्योग को पुन: जीवित करने के लिए सरकार को इस उद्योग के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए एवं इसे रुग्ण इकाई घोषित की जानी चाहिए। साथ ही कोटा स्टोन को अधिक से अधिक सरकारी भवनों, कार्यालयों में लगाकर उपयोग में लेना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अंतिम एक मिनट में, मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं की बात करूंगा। विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाये जाने के लिए भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं। मेरे क्षेत्र में सीमेंट के बड़े-बड़े प्लांट हैं, स्टोन क्रैशर भी हैं, ईंट-भट्टे भी हैं, उनकी वजह से हमारे क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या बहुत है। वहां वायु प्रदूषण भी होता है। प्रदूषण हमारे वहां होता है, लेकिन मुआवजा मेरे विधान सभा क्षेत्र से अलग क्षेत्र को दिया जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्रदूषण की समस्या से ग्रसित मेरे क्षेत्र के इलाके के किसानों, मजदूरों को मुआवजा दिया जाए।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को ही रोजगार दिये जाने का निवेदन आपसे करना चाहता हूं। इससे पहले भी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में व महाराष्ट्र में 70-75 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देने की स्कीम इन राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कड़ा कानून लाया जाए, जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो, उस उद्योग के अंदर वहां के लोकल लोग, चाहे खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे जिस क्षेत्र में उद्योग लगा हुआ है, वहां के रोजगार उसी व्यक्ति को मिले, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अगर आपने समय रहते इस पर कानून नहीं बनाया तो आने वाले समय में युवाओं का आक्रोश आपकी सरकार को झेलना पड़ेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा कि युवाओं में

(श्री अविनाश)

कितना आक्रोश है। स्थानीय उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वेतन सुविधाओं के साथ-साथ वेज बोर्ड का गठन किये जाने के लिए भी आपसे निवेदन करता हूं क्योंकि जो श्रमिक, जो मजदूर, जो युवा उस क्षेत्र में काम करते हैं। उस उद्योग में काम करते हैं। उसके अंदर वेज बोर्ड का गठन किये जाने की आवश्यकता है, ताकि उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। उद्योगों से प्राप्त टैक्स को संबंधित विधान सभा क्षेत्र में आवश्यक विकास कार्यों पर खर्च किया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 23 पर विचार

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, अंतिम एक मिनट में मैं अपनी बात को खतम करूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि उद्योगों से प्राप्त टैक्स, डीएफएमटी फंड के अंतर्गत जो जिला मुख्यालयों पर जमा होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का लगभग 200 करोड़ रुपये का टैक्स आज भी पाली जिले में जमा होता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में ही बात समाप्त करूंगा। जब से आपकी सरकार बनी है। हमारी पिछली वसुन्धरा जी की सरकार ने एक नया प्रारूप बनाकर इस टैक्स को जैतारण विधान सभा क्षेत्र में जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें खर्च करने का प्रयास किया था। आपसे निवेदन है कि डीएफएमटी का जो पैसा है, वह उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाए और श्रम और रोजगार के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जिला मुख्यालयों पर जो श्रमिक कार्ड बनाये जाते हैं। यदि श्रमिक कार्ड बनाने के लिए यदि आप उपखंड स्तर पर प्रयास करेंगे। माननीय

(श्री अविनाश)

श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसमें जो खामियां हैं, उनमें भी सरलीकरण किया जाए और जो शुभ शक्ति योजना है, उसका भी लाभ दिया जाए। प्रदेश में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी है, उसको भी बढ़ाने का आप प्रयास करें। विधान सभा क्षेत्र जैतारण में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण शिविर केंद्र खोलने के लिए आपसे निवेदन करता हूं और प्रदेश में कुशल व अकुशल श्रमिकों व उनके परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुख-सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। अंत में, बाल श्रम कानून का कठोरता से पालन कराये जाने की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इन प्रमुख बातों पर जो बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 उद्योग एवं मांग संख्या 23 श्रम एवं रोजगार पर बोलने के लिए आपने मुझको टाइम दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार। जब से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय गहलोत साहब की मंशा रही है कि राजस्थान के अंदर उद्योग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले, ज्यादा से ज्यादा यहां निवेश हो। उद्योग ज्यादा पनपेगा, रोजगार के नये साधन होंगे तो सरकार की आय बढ़ेगी। उस आय से राजस्थान का विकास होगा। ऐसी सोच के साथ उन्होंने उद्योग नीति बनाई। 2011 के राज के अंदर एकल खिड़की योजना लागू की। उद्योग नीति बनाई। अभी उद्योग के लिए नया पोर्टल चालू किया और अभी सरकार ने घोषणा की है कि जो भी यहां फैक्ट्री लगायेगा, उद्योग लगायेगा, उनको तीन साल के लिए कोई कागजात जमा नहीं कराने हैं। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय उद्योग मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभी बात चल रही थी कि पिछले 6 साल में भारत का विकास हो गया जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया और माननीय नरेन्द्र मोदीजी यहां प्रधान मंत्री बने, उसके बाद में भारत का बहुत विकास हो गया। भारत बहुत आगे बढ़ गया। इससे पहले कुछ नहीं था। अभी ये बड़े-बड़े डैम बने हैं, ये बड़ी-बड़ी लाइटें आई हैं, ये बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, ये स्टीमर बन रहे हैं। ये सब मोदीजी के आने के बाद में बने हैं। इससे पहले भारत में कुछ नहीं हो रहा था। मेरा निवेदन है कि मोदीजी की सबसे बड़ी योजना 'मेक इन इंडिया', 'मेक

(श्री पदमाराम)

इन इंडिया' के अंदर इन्होंने आते ही जो बाड़मेर के अंदर बड़ी रिफाइनरी लग रही थी, उससे राजस्थान का विकास हो रहा था, भारत को बहुत बड़ी रायल्टी आ रही थी, वह बंद करके, ये पूरी पाइप लाइन यहां से लगाकर गुजरात के अंदर उनके जो मेन उद्योगपति थे, जिन्होंने इनके ऊपर बड़ी मेहरबानी की, उनके लिए पाइप लाइन लगाकर यहां का क्रूड वहां भेज दिया। यह बहुत बड़ा काम किया है। इसके उपरांत नोटबंदी का बहुत बड़ा काम किया। पूरे भारत के अंदर कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं, कई उद्योग धंधे बंद हो गये। लाखों की तादाद के अंदर मजदूर जो रोजगार प्राप्त करते थे, वह बंद हो गये। बहुत बड़ा काम किया है। जीएसटी लगने के कारण और एफडीआई के अंदर पहले जो 26 परसेंट एफडीआई का प्रावधान किया था, यूपीए सरकार के अंदर, पूरा विधान सभा केन्द्र घेराव हो गया, पूरी सड़कों पर लोग आ गए थे कि लघु उद्योग वालों का आप शोषण कर रहे हो, सौ प्रतिशत दे दी। पूरी एफसीआई हो, रिलायंस हो, सब बेचने की तैयारी में है, इसलिए बहुत बड़ा विकास हो रहा है।

मेरा निवेदन है कि हमारे लोक कल्याणकारी मुख्य मंत्रीजी की सोच के अंदर निवेश को आगे बढ़ाने के लिए नई-नई योजना लेकर आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उद्योग मंत्रीजी से, पहले भी निवेदन किया है कि हमारे बाखासर बैल्ट के अंदर, पिछली सरकार ने अख़बार के अंदर बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि बाखासर के अंदर नमक उद्योग लगा रहे हैं और एक विज्ञप्ति जारी कर दी। लाखों लोगों ने वहां जमीन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। कई करोड़ों रुपये यहां जमा हो गये। अभी सुनने के अंदर आ रहा है कि वह ऐसे ही ड्रामा था। ऐसे उद्योग लगाए। मैं माननीय उद्योग मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बाखासर, बलगांव और भावराला के अंदर जो शानदार नमक उत्पन्न हो सकता है, उसका रिफाइन हो गया है। भावनगर से रिफाइनरी की रिपोर्ट आई है कि पूरे भारत के अंदर ऐसा उच्च क्वालिटी का नमक नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हो तो वहां निवेश करवाकर बाखासर के अंदर यदि नमक उद्योग लगाएंगे तो वहां की गरीब जनता, जो एससी/एसटी के लोग हैं, उनको रोजगार का साधन मिलेगा। सरकार को रायल्टी आएगी, नये उद्योग आएंगे, नये लोगों को रोजगार मिलेगा इसलिए मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप इसके अंदर काम करेंगे।

(श्री पदमाराम)

मेरा निवेदन है कि हमारे बाड़मेर के अंदर जो कशीदाकारी, हैंडीक्राफ्ट ऐसी कई बड़ी-बड़ी योजनाएं, जो यहां के लोग, गरीब जनता विशेषकर महिला, यह रोजगार का बहुत बड़ा साधन था। पहले हैंडीक्राफ्ट और कशीदाकारी का बहुत बड़ा काम चल रहा था। पिछले कई सालों से इसके अंदर पता नहीं क्या हो गया है? मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनका जो माल पैदा होता है, उसको खरीदने के लिए राजस्थान लेवल पर, बाड़मेर जिला लेवल पर बड़ी-बड़ी दुकानों का आयोजन किया जाए, मेलों का आयोजन किया जाए तो गरीब को रोजगार मिलने का सहारा मिलेगा। हमारे यहां जो हथकरघा, जो बुनाई का काम करते हैं, कपड़े की बुनाई हो, ऊनी वस्त्रों की बुनाई हो, कोटि की बुनाई हो, ऐसे कई काम चल रहे हैं। हथकरघा के अंदर काम करने वाले जो लघु उद्योगी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए नई योजना लाई जाए। उसके अंदर सब्सिडी दी जाए और उनका तैयार माल सरकार द्वारा किसी भी मार्फत खरीदने की कोशिश की जाए। इससे आम गरीब को रोजगार मिलेगा।

मेरा निवेदन है कि बाड़मेर के अंदर केयर्न का बहुत बड़ा काम है और केयर्न इंडिया बहुत बड़ा काम कर रही है और राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी रायल्टी दे रही है। मेरा निवेदन है कि केयर्न के अंदर जो काम करने वाले हैं, वहां के लोकल लोगों को उसमें बहुत कम रोजगार मिल रहा है। सब बाहर के लोग आते हैं। जो ठेकेदारी का दूसरा काम है, वह भी बड़ी-बड़ी कंपनियों को दिया जाता है और कंपनियां अपनी मनमर्जी से लोगों के साथ अन्याय करती हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जाता है, उनको मजदूरी पूरी नहीं मिलती है और जो नफे का माल है, वह दूसरे लोग कमा कर जाते हैं। मेरा निवेदन है उद्योग मंत्रीजी से कि एक ऐसी योजना बनाएं, एक ऐसा कानून बनाएं, जिससे वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिले। लोकल लोग जो काम करने के इच्छुक हैं, उनको वहां काम मिले।

मेरा श्रम मंत्रीजी से निवेदन है कि आपके यहां हमारे क्षेत्र की कई फाइलें पैंडिंग हैं। उनको भुगतान नहीं हो रहा है। आप मेहरबानी करके उसमें सहयोग करें और बाड़मेर के अंदर श्रम मंत्रालय खोलें। अभी श्रम मंत्रालय बालोतरा के अंदर है। लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। समय पर उनका कार्ड रिन्यू नहीं होता है और उनका कार्ड ड्रोप हो जाता है। मेरा निवेदन है कि एक तो ये काम कराएं और रिफाइनरी के अंदर जो देरी हो रही है, अभी

(श्री पदमाराम)

माननीय मुख्य मंत्रीजी रिफाइनरी को जल्दी तैयार करने के लिए बार-बार मीटिंग कर रहे हैं, पूरी मोनिटरिंग कर रहे हैं। हमको विश्वास है कि रिफाइनरी जल्दी ही लग जाएगी। रिफाइनरी से पैट्रोकैमिकल जो लगाना है, उद्योग लगने वाले हैं, वह हमारे बाड़मेर के अंदर लगाएं। बाड़मेर के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। यहां के उद्यमियों को आगे बढ़ने का काम मिलेगा। इससे सरकार को रायल्टी मिलेगी। मेरा निवेदन है कि बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी के जो नये उद्योग लग रहे हैं, बाड़मेर में लगाने की कोशिश करें। बाड़मेर की जो हस्तकला, प्रिंटिंग का काम है, ग्रेनाइट का काम है, ऐसी कई योजना बाड़मेर में आगे बढ़ सकती हैं। मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग करें। बाड़मेर का सहयोग करें। बाड़मेर एक पिछड़ा क्षेत्र है। आज बाड़मेर विश्व के नक्शे के अंदर काला सोना पैदा करने वाला एक है और सबसे ज्यादा रायल्टी बाड़मेर से आ रही है। बाड़मेर की सड़कों का विकास हो, बाड़मेर में शिक्षा का विकास हो, बाड़मेर में पेयजल की व्यवस्था हो। सब ज्यादा से ज्यादा बाड़मेर का ध्यान रखें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुझको बोलने का समय दिया, आपका बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपीचंद मीणा (अनुपस्थित)। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 उद्योग, मांग संख्या 23 श्रम एवं रोजगार पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरे दिन चर्चा हो रही है, उद्योग एवं श्रम-रोजगार की। मैं बात करूंगा सीधे लंबी भूमिका नहीं बनाते हुए जालौर जिले की। जालौर जिला ग्रेनाइट की नगरी है। ग्रेनाइट की नगरी होने के बावजूद भी वहां के उद्यमियों की किसी भी प्रकार की सुनी नहीं जाती है। जब भी सुविधा की बात होती है तो हमेशा उनको खाली आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। फिर उनके संगठन के अधिकारी आते हैं, अध्यक्ष आए या उनकी टीम आए, उनको हां कहकर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। माननीय उद्योग मंत्री जी विराजे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि मैं आज जो समस्याएं बताऊंगा, उन पर पूरा गौर करेंगे और उन समस्याओं का निदान करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे।

सबसे पहले मैं जीएसटी की बात करूंगा, वैसे यह राज्य सरकार का

(श्री छगनसिंह)

मामला नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रपोजल भेज सकते हैं। जो फिनिश मैटेरियल ग्रेनाइट का तैयार होता है उसमें 18 परसेंट जीएसटी लगती है, 18 परसेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं चाहूंगा कि सैकण्ड स्लैब 12 परसेंट वाला है, उसका प्रपोजल बनाकर भेजें, जिससे ग्रेनाइट इंडस्ट्री में जो मंदी चल रही है उसमें प्रगति आ जाए।

दूसरी बात रॉ मैटेरियल की करूंगा। रॉ मैटेरियल गाड़ियों में लेकर जाते हैं, उसका अधिकतम वज़न 19 टन किया हुआ है। जब माइनिंग डिपार्टमेंट वाले उसका वज़न करते हैं तो उसकी गाड़ी आटोमेटिक लाक हो जाती है, क्योंकि वह 19 टन का ही रॉ मैटेरियल नहीं होता है। बड़े-बड़े पत्थर तोड़कर लाते हैं, उसका कभी एक टन एक्स्ट्रा भी हो जाता है, कभी आधा टन कम भी हो जाता है। मैं इसमें शिथिलता, लचीलापन लाने के लिए कहूंगा कि साफ्ट कार्नर रखें, 19 टन की जगह कभी 20 या 21 टन हो जाए तो लाक न करके, उसका जो भी चार्ज लगता है, वह चार्ज लेकर उनको छोड़ा जाए।

मैं सीएसआर की बात करूंगा। रायल्टी में सीएसआर टैक्स कटता है। सीएसआर फण्ड जुड़ता है, जो हमेशा डीएमएफटी में जुड़ता है, जिसका अध्यक्ष पहले जिला प्रमुख होता था, फिर कलेक्टर को किया। अभी चर्चा चल रही है कि प्रभारी मंत्री को करेंगे। किसी को भी करें, लेकिन यह डीएमएफटी फण्ड, उनका हक होता है जहां नुकसान हो रहा है। जिस एरिया में माइनिंग है, माइनिंग के द्वारा वहां के एरिया में प्रदूषण फेल रहा है, वहां के एरिया में पेड़ काटे जाते हैं, सड़कें खराब होती हैं, कई तरह की वहां बीमारियां होती हैं, तो मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि डीएमएफटी फण्ड उसी क्षेत्र में यूज किया जाए, जहां माइनिंग हो रही है, जहां से गाड़ियां लोडिंग होती हैं, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है आप काम के प्रति बहुत एक्टिव हैं। मुझे विश्वास है कि जहां माइनिंग हो रही है, वहां डीएमएफटी फण्ड यूज़ करवाएंगे।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात है केन्द्र सरकार ने भवातड़ा, सांचौर में ड्राई पोर्ट की घोषणा की थी। भवातड़ा ड्राई पोर्ट का काम कैसे शुरू हो, आप उद्योग मंत्री हैं, वैसे उन्होंने घोषणा की हुई है, जितनी भी प्रक्रिया है आप उसको पूरी कराकर, ड्राई पोर्ट को शुरू करवाएं। काम शुरू करने से पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ पंजाब व हरियाणा भी इसका उपयोग सही तरीके से कर सकेंगे।

(श्री छगनसिंह)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर की बात करूंगा। आहोर में रीको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। फिर भी एक आदमी ने हिम्मत करके वहां तीन इंडस्ट्री खोली हैं, जिसका नाम है गजानंद केसी इंडस्ट्री, सिम्प्लेक्स इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सांवरिया एग्रो इंडस्ट्री, यह तीन इंडस्ट्री खोली हैं। इनमें करीब 800 मजदूर काम कर रहे हैं, 800 मजदूर बड़ी बात है। एक आदमी ने हिम्मत की है। उन्होंने 325 केवी के विद्युत कनेक्शन के लिए फाइल लगाई है, लेकिन अभी तक उनको रोज झांसा दिया जा रहा है कि कल आएंगे, जांच करके जाएंगे, सात दिन के बाद डिमांड निकल जाएगा, लेकिन पिछले 6 महीने से अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे गांव के हनुमान घांची ने हिम्मत की है, बड़ा उद्योग लगाया है। मुझे विश्वास है कि अगर वह इंडस्ट्री वहां सफल होती है तो कई तरह के बिजनस वहां खुल सकते हैं। दलहन की फैक्ट्रियां भी वहां खुल सकती हैं।

इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र में ग्रेनाइट की कई माइंस हैं। जैसे कवला, चवरड़ा, धूती, खोराना, किशनगढ़, मुलेवा, आदि कई ग्रेनाइट की माइंस हैं। माइंस तो हैं, लेकिन रीको इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से उन्हें दूर रॉ मैटीरियल देना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि आहोर विधान सभा क्षेत्र में रीको जोन जरूर खोला जाए, जिससे हमारे क्षेत्र की समस्या समाप्त हो सके।

सभापति महोदय, उद्योग के बाद श्रम के बारे में मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। श्रमिक जो काम करते हैं, जिनकी डायरियां बनी हुई हैं, उनके कई प्रकार के दावे, मृत्यु दावा, दुर्घटना, सामान्य डैथ, अपंगता, कई दावे अभी तक पड़े हुए हैं, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप भी बहुत सक्रिय हैं, तो इनका निस्तारण जल्दी हो जाए।

सभापति महोदय, शुभ शक्ति आहोर में, शुभ शक्ति में 18 साल की बच्ची होने के बाद 55 हजार, एक राशनकार्ड पर, दो बच्चियों को दे सकते हैं, कई आवेदन आए हुए हैं, लेकिन उनमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रसूती सहायता का भी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें फण्ड देकर जल्दी से जल्दी सुलटारा करें। वास्तव में श्रमिकों की मदद करनी है तो उनको पहले मुआवजा दें, दुर्घटना बीमा जो भी है।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं रोजगार संबंधी बात करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई शिक्षार्थी बीएड हैं। पंचायत सहायक भी हैं, उनको तो आप परमानेंट नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी बीएड किए

(श्री छगनसिंह)

हु ए शिक्षार्थी हैं उनको कम से कम बेरोजगारी भत्ता तो दिया जाए। जितने भी मेरे आहोर विधान सभा में हैं उनको 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देकर थोड़ी सी राहत दिलवाएं, मैं आपसे यह विशेष निवेदन करूंगा।

जैसा कि सामने वाले पक्ष के भाई हमेशा कहते हैं कि मोदी जी ने जीएसटी लगाई, नोटबंदी की, अर्थव्यवस्था यह है। विरासत की बात भी करते रहते हैं कि पांच साल पहले विरासत में यह मिला है। आपने 60 साल की विरासत में हमें जो दिया है, प्रधान मंत्री जी को दिया था, उसको कंट्रोल करने में समय तो लगता ही है। अब जो काम हो रहा है, उसका सबको पता है। आपके दिल में भी है कि केन्द्र में तो मोदी जी ठीक हैं। आपको जिन्होंने वोट दिए वह भी कहते हैं कि केन्द्र में तो उनको ही वोट देंगे, तो आप बार-बार मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हो। मैं निवेदन करूंगा, आप मोदी जी का साथ लेकर इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं, जिससे अपना और सबका फायदा होगा। जय हिन्द, भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री वेद प्रकाश सोलंकी। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजिए। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): माननीय सभापति जी, आपने मांग संख्या 42 और 23 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहु त्बहु त धन्यवाद देता हूं। चाकसू क्षेत्र को पहली बार उद्योग के नक्शे पर लाने का प्रयास किया, वहां रीको खोलने की घोषणा की, इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी को बहु त्बहु त धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग धंधे तभी लगते हैं जब वहां बेसिक साधन-सुविधाएं हों। जयपुर से हर पांच मिनट में लो फ्लोर बसें लगाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। उसके साथ-साथ ही उन्होंने इस बार डीपीआर बनाकर हमारी मैट्रो को चाकसू तक ले जाने का प्रयास किया, इसके लिए भी मैं उनको बहु त्बहु त धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी चाकसू में ज्यादा उद्योग धंधे तो नहीं हैं। मंत्री जी चाकसू के बारे में मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मेरे पड़ोस के विधान सभा क्षेत्र के हैं। कृषि पर आधारित वहां छोटी-छोटी फैक्ट्रियां लगी हु ई हैं, उन फैक्ट्रियों में कृषि आधारित काम नहीं होते। कुछ हमारे कुटीर उद्योग हैं जिसमें विशेषकर चूड़ी बनाने का काम होता है। मैं माननीय मंत्री जी

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

से आग्रह करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में जब पहले आप सहकारिता मंत्री थे, उस समय आपने लाख-लाख रुपये, दो-दो लाख रुपये बिना ब्याज के तमाम जीएसएस को दिए थे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो छोटे कुटीर उद्योग हैं तमाम क्षेत्र के, आप उनको बिना ब्याज के लाख-लाख रुपये, दो -दो लाख रुपये देकर उन कुटीर उद्योगों की सहायता कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां दो छोटे-छोटे प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, एक रेनवाल मांजी के अंदर और एक चाकसू से 15 किलोमीटर कोथून के अंदर। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, पानी बिजली जैसी सुविधाएं उनको समय पर दी जाएं तो उद्योगों का और आगे विकास होगा।

अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया। माननीय सदस्य, अभी कह रहे थे कि मोदीजी ने यह क्या किया कि 60 साल का काम ये सम्भाल रहे थे। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर चाकसू का विकास रोका हुआ है तो पूर्ववर्ती सरकार ने रोका हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 20 गांवों की हजारों बीघा जमीन को जे.डी.ए. के नाम से, ग्रीन फील्ड के नाम से अवाप्त करवा दिया गया जबकि केन्द्र सरकार चिट्ठी लिखती आ रही है कि वहां ग्रीन फील्ड नहीं बन सकता, न एयरपोर्ट बन सकता है। उसके बाद भी काश्तकारों को न तो जमीन के पैसे दिये जा रहे हैं, न उनको अवाप्ति से मुक्त किया जा रहा है। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि वहां उद्योग धंधे लगते हैं तो उस जमीन का उपयोग किया जाए। अन्यथा किसानों को जमीन वापस दिला दी जाए। मैं आपके मार्फत बात करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि यह जो पांच साल में काम होने थे, वे इन्होंने इस एक साल के अन्दर ही कर दिये। दो-दो पंचायत समितियां चाकसू विधान सभा क्षेत्र को दीं, दो-दो सरकारी कालेज चाकसू विधान सभा क्षेत्र को दिये, तीन-तीन जी.एस.एस. दे दिये। माननीय मंत्री महोदय ने एक 17 किलोमीटर का बड़ा रोड दे दिया तो विकास के पथ पर जाने का, जो चाकसू को नक्शे पर लाने का काम किया, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां बड़े उद्योग धंधे तो नहीं हैं। बेसिकली हमारे यहां मजदूर तबका ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो हमारे श्रमिक हैं, ईंट-भट्टे वाले श्रमिक हैं। इस समय श्रमिकों के जो श्रमिक कार्ड बनाये जा रहे हैं, इतने आसान तरीके से, बहुत प्रोपर रूप से, इसलिए माननीय श्रम मंत्री को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मार्फत जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इस वजह से हमारे चाकसू क्षेत्र के श्रमिक उनका पूरा लाभ उठा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे उद्योग धंधे हैं, वे बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर लगते हैं। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कीं। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए छूट दी। बेसिक जो हमारे उद्योग लगाने वाले नये नौजवान साथी हैं, उनको भी उन्होंने ब्याज के अन्दर कुछ कटौती की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं तो आज सिर्फ इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ कि माननीय मंत्री महोदय का और मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दे दूं। कल मेरे पास काफी सामान था, मसाला भी बहुत था, लेकिन आज आप मेरा समय किसी और को दें। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 23 पर बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सूरतगढ़ सुपर पावर थर्मल लगा हुआ है। उसके अन्दर काश्तकारों की भूमि अवाप्त करके, और बहुत बड़ा प्लांट है, हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं है तो उसका नाम सूरतगढ़ है। इर्द-गिर्द के गांवों में, सभापति महोदय, प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं। रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। सर्वप्रथम जब थर्मल का विकास हो रहा था तो लोग बड़े खुश हुए कि हमें रोजगार मिलेगा, पर सभापति महोदय, रोजगार देने की तो बात ही नहीं है। उनके सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह जो बड़े-बड़े पावर प्लांट हैं, इनमें दुनिया भर की बेईमानी होती है और लोकल आदमी जब उसके अन्दर घुसता है, काम करता है तो उसको सारी बातों की जानकारी मिल जाती है। यही हाल है। श्रीसीमेंट का भी कारखाना वहां है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि सबसे पहला

(श्री रामप्रताप कासनियां)

हक रोजगार पर वहां के इर्द-गिर्द के निवासियों का है। एक सीमा तय कर दो, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तय की हुई है।

सभापति महोदय, सी.एस.आर. का पैसा आंख मींच करके जिला हैडक्वार्टर पर खर्च कर दिया और कहीं दूसरी जगह खर्च कर दिया। कलेक्टर अपनी मनमर्जी से, जहां मर्जी आये, वहां पैसा खर्च कर दिया जबकि अधिकार उसी क्षेत्र का है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी आदत में शिकायत करना नहीं है। दुनिया भर के फ्राड वहां, सभापति महोदय, एक ट्रक है जिसमें 45 टन से ज्यादा सीमेंट तो पास ही नहीं है। 90-90 टन राख डाल करके चोर रास्तों से हो करके, गांव की छोटी-छोटी ग्रामीण सड़कें हैं, उन सबको नष्ट कर दिया। क्योंकि 90-90 टन वज़न डाल करके खुले में थर्मल से राख रखी जाती है। सभापति महोदय, दोनों प्लांट इतने बड़े लगे हैं, हरियाली के नाम पर पेड़ों के बारे में, मंत्री महोदय, आप यह पता करवायें कि ये जो दोनों प्लांट हैं, श्रीसीमेंट और सुपर पावर थर्मल, कितने पेड़ लगाये, यदि लगाये तो कितने जिंदा हैं, और कितने मुर्दा हैं। यह भी पता करें।

सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लोगों की हालत पहले ही दयनीय है। पिछली सरकार ने एटा सिंगरासर के नाम से काश्तकारों को ट्यूबवैल के कनेक्शन दिये थे, और स्पेशल में, सभापति महोदय, रेट बहुत ज्यादा है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन काश्तकारों को कम से कम थर्मल से यह तो राहत दिलाएं कि वाजिब जो पूरे प्रांत में आप 90 पैसे के हिसाब से बिजली दे रहे हो, उस हिसाब से उनको बिजली मिलनी चाहिए। नौकरी गई भाड़ में, नौकरी दिलाओ तो बहुत अच्छी बात, रोजगार दिलाओ तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो मेरे से पूर्व वक्ता जैसे बोल रहे थे कि लोग परेशानी पैदा कर देंगे। मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मैं विधायक रहूंगा, अनावश्यक नेतागीरी, यूनियनबाजी मजदूरों को नहीं करने दूंगा। 8 घंटे ड्यूटी है तो उनको कहकर काम करवाऊंगा, मैं यह आपसे पक्का आश्वासन चाहता हूं कि पूरा डैजर्ट एरिया है, आप इतना तो कम से कम उनको पाबंद करो कि लोकल लोगों को रोजगार दो। नेतागीरी नहीं चलने दूंगा। अधिकारी भी सुन रहे हैं, यूनियनबाजी नहीं चलने दूंगा। पर कम से कम रोजगार तो दो। आप रोजगार ही नहीं दे रहे हो। नौकरी की बात तो बहुत दूर है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदय, सबसे पहले जब थर्मल लगा था, मेरे वहां जितने भी लड़के डिग्रीधारी थे, इलैक्ट्रिकल में आई.टी.आई. किये हुए सब लड़के लग गये। पर अब वह कोई कहीं चला गया, कोई कहीं। अब वह तो सरकार की प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है।

मैं फिर अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि इर्दगिर्द के लोगों पर दया करो। फसल भी जब, सभापति महोदय, बारिश होने के बाद में काश्त करते हैं तो उस पर राख जम जाती है। सांस लेने के लिए पौधा पनपता ही नहीं है तो इतना रहम तो करो। एक, सी.एस.आर. के पैसे पर प्रतिबंध लगाओ कि जितना क्षेत्र उसका दायरा है, वहीं खर्च होने चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं मेरी बात पर कायम हूं। मैंने मेरे सुझाव रख दिये। मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूं। लम्बा नहीं बोलूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप कुमार।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-42 और 23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए दिल से आभार।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और जिस विषय पर आज बातचीत चल रही है, वह सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर भिवाड़ी, चौपानकी, सारेकलां, पथरेडी, खुशखेड़ा और अभी दो नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं कारौली और सलारपुर, करीब साढ़े चार हजार औद्योगिक इकाइयां वहां पर हैं। राजस्थान सरकार को बड़ा रेवेन्यू भिवाड़ी शहर देता है पर यह समझ में नहीं आता है कि हम अपने आपको सौभाग्यशाली मानें या दुर्भाग्यशाली? जिस तरीके से शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारा यह विधान सभा क्षेत्र आता है। इन औद्योगिक इकाइयों की वजह से शहर तो बहुत बढ़ गया है पर सुविधाएं घटती जा रही हैं, सुविधाओं के नाम पर वहां पर अभी तक ज्यादा काम नहीं हो पाया।

मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने पिछले दिनों मात्र एक, सवा साल के कार्यकाल में वहां भिवाड़ी में अच्छे कार्य करवाने की कोशिश की है। भिवाड़ी जो अपराध के मामले में चरम पर था वहां पर एस.पी. आफिस खोलकर उन्होंने भिवाड़ी के लोगों को लाभान्वित किया है। वहां पर जो क्राइम बढ़ रहा था वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

(श्री संदीप कुमार)

वहां पर शिक्षा के लिए तीन लाख की आबादी के शहर में कोई कालेज नहीं था, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने हमें एक कालेज दिया, उसके लिए भी उनका दिल से आभार ताकि हमारे वहां के युवाओं को पढ़ने का मौका मिल सके, पर जिस हिसाब से शहर बढ़ रहा है उस हिसाब से वहां पर विकास नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि लगातार सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से यह मांग उठी है और अलवर जिले के लगभग सभी माननीय सदस्यों ने यह मांग रखी है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। जिनकी जमीनें चली गईं, पोल्यूशन जो भुगत रहे हैं, नई-नई बीमारियां फैल रही हैं, क्राइम का रिकार्ड बढ़ता जा रहा है, इतनी समस्याएं उनको झेलने को मिल रही हैं और वह जब फैक्ट्री के गेट पर वहां पर अपना बायोडेटा लेकर जाते हैं तो उनको यह कहकर बाहर निकाल दिया जाता है कि आप कहां के हो? आप अलवर जिले के हो तो आपके लिए यहां पर काम नहीं है। वह बाहर जाकर प्लेसमेंट से विभिन्न स्टेट्स में जाकर वहां से रोजगार के लिए युवाओं को लेकर आते हैं और वहां के स्थानीय युवा जो मानेसर में जाब कर रहे हैं, जो नोएडा में जाब कर रहे हैं, जो गुड़गांव में जाब कर रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में जो लड़के, वहां पर जो युवा लगे हुए हैं, वह वहां जाकर काबिल कैसे हो जाते हैं और यहां आने पर वह नाकाबिल कैसे हो जाते हैं? मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जो हमारे वहां के स्थानीय युवा हैं उनको प्रायोरिटी पर रोजगार दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, पिछली सरकार के दौरान 3 कम्पनियों में लगातार स्थायी रोजगार के लिए, स्थायीकरण के लिए हड़ताल हुई। नीमराना में डाइकिन फैक्ट्री में हड़ताल हुई, चौपानकी में श्रीराम पिस्टन में हड़ताल हुई और खुशखेड़ा में होंडा कम्पनी में हड़ताल हुई। तीनों फैक्ट्रियों में वहां के स्थानीय युवाओं को, उनके आंदोलन को कुचल दिया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर मुकदमे दर्ज किये गये और उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है और मेरा सरकार से यह निवेदन है कि उन श्रमिकों के मुकदमे वापस लिए जाएं और उनको पुन: उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री संदीप कुमार)

करता हूं। दस-पन्द्रह साल नौकरी करने के बाद बार-बार किसी न किसी बहाने से श्रमिकों को निकाल दिया जाता है, उन पर चोरी के आरोप लगाकर उनको निकाल दिया जाता है। जब उनके स्थायीकरण का मामला आता है तो श्रमिकों को बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे श्रमिकों पर भी ध्यान दिया जाए। यह मैं माननीय श्रम मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

वहां पर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो हजारों लीटर पानी का दोहन कर रही हैं। नोर्म्स में जब उन्होंने वहां पर अपना जो प्रमाण-पत्र दिया हुआ है और जितनी उनकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा पानी का दोहन कर रहे हैं। जैसे बीयर फैक्ट्री है जो वहां पर बहुत सारे पानी का दोहन कर रही है और जो गंदा पानी निकलता है वह वहां पर ट्रीटेड नहीं है, उसने वहां के पूरे पानी के लेवल को खराब कर दिया, वाटर लेवल जो नीचे का है, उसको खराब कर दिया।

इसके अलावा ग्रीन बैल्ट एरिये में पूरे में अतिक्रमण है। औद्योगिक क्षेत्र में जो वृक्षारोपण होना चाहिए, जिस जगह पर ग्रीन बैल्ट छोड़ा हुआ है, उद्योगों के सामने जो जगह छोड़ी हुई है, ग्रीन बैल्ट में अधिकतर पार्किंग के लिए यूज़ लेते हैं या फिर उन पर किसी न किसी प्रकार का अतिक्रमण वहां पर हो रखा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि ग्रीन बैल्ट को डवलप कराया जाए और वहां पर फैक्ट्री के लोगों ने या बाहर के लोगों ने जो अतिक्रमण किया हुआ है, उस अतिक्रमण को हटाया जाए।

कुछ फैक्ट्रियां रिहायशी एरिये में लगी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, एस.आर.एफ. लिमिटेड जो बहुत ही जहरीली गैस बनाती है और हर साल लीकेज होता है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, उनको नाममात्र का मुआवजा देकर बार-बार उनको रोक लिया जाता है। कई बार यह मांग उठी कि भोपाल जैसी त्रासदी होने की वहां पर संभावना है। एस.आर.एफ. लिमिटेड के चारों तरफ रिहायशी कालोनियां हैं जहां पर हजारों की संख्या में फ्लैट बने हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं उनको रिहायशी एरिये से बाहर किया जाए।

श्रीसीमेंट जो बिलकुल खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के बीच में लगी हुई है, खुशखेड़ा गांव के पास में आबादी क्षेत्र में लगी हुई है और वहां पर भी स्थानीय लोगों को बड़ी समस्या हो रही है।

इसके अलावा, मेरा निवेदन है कि हमारे कारौली और सलारपुर इन दो क्षेत्रों में भूमि अवाप्त की गयी थी। उन किसानों को कारौली जो सैक्शन है,

(श्री संदीप कुमार)

वहां पर 2011 में अवार्ड हुआ था और 2011 से लेकर अभी तक उनको उनकी भूमि विकसित करके नहीं दी गयी है। दूसरी जो सलारपुर में है, वहां पर 2012 में अवार्ड हुआ था, 1016 एकड़ जमीन अवाप्त की गयी थी, उनको भी अभी तक जमीन डवलप करके नहीं दी गयी है। किसानों को जल्द से जल्द वन फोर्थ उनकी जो भूमि है, वह डवलप करके दी जाए।

इसके अलावा मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि भिवाड़ी में कुछ समस्या है, भिवाड़ी की कुछ मांग है जो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए भिवाड़ी से बाहर जाने के लिए नेशनल हाईवे के लिए कोई रोड नहीं है, भिवाड़ी कस्बे के बीचों-बीच और धारूहेड़ा के बीचों-बीच बड़े ट्रक और अन्य वाहन जाते हैं जिसके कारण आये दिन जाम की स्थिति रहती है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि भिवाड़ी से नेशनल हाईवे तक एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए। भिवाड़ी से नीमराना के लिए जो हमने बीडा बनाया है, डवलपमेंट अथोरिटी बनाई है, उसमें पिछली सरकार के दौरान एक रोड सैंक्शन हुई थी जो भिवाड़ी से नीमराना को सीधा जोड़ती थी, उस रोड को कैंसिल कर दिया है। मेरा यह निवेदन है कि दुबारा से उसकी जमीन अवाप्त करके उस लिंक रोड का काम शुरू किया जाए।

इसके अलावा, मेरा एक निवेदन और है कि धारूहेड़ा से मैट्रो का जो एक प्रस्ताव हमारे पुराने मास्टर प्लान में था, मैट्रो का प्लान भिवाड़ी से निरस्त करके सीधे हरियाणा में से होते हुए गुजार दिया गया है। मेरा यह निवेदन है कि मैट्रो भिवाड़ी तक आये, इसके लिए यह सरकार केन्द्र की सरकार को प्रस्ताव भेजे।

एक ए.डी.एम. आफिस की वहां पर आवश्यकता है। चूंकि, एस.पी. आफिस भी है, जिला स्तर की सभी सुविधाएं हैं तो एक ए.डी.एम आफिस और भिवाड़ी में होना चाहिए। आज तहसील तक नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि भिवाड़ी में तहसील खोली जाए। आपने मुझे इस मांग पर बोलने के लिए मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी का थोड़ा ध्यान सांभर साल्ट लिमिटेड के बारे में आकर्षित

(श्री निर्मल कुमावत)

करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय अभी थोड़ा बिजी हैं। मैं माननीय श्रम मंत्रीजी को कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि आज श्रमिकों से जुड़ी हुई काफी समस्याएं यहां पर आईं। मैं आपको पहले यह निवेदन कर दूं कि सांभर साल्ट लिमिटेड जो कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की एक बहुत ही बड़ी कम्पनी है जो जयपुर जिले में स्थित है और वहां पर टोटल 87 कर्मचारी ही हैं और वह पांचवें वेतन आयोग की तनख्वाह ले रहे हैं तो कृपा करके आप यह देखें कि सातवां वेतन आयोग आ गया, आठवां वेतन आयोग आने वाला है तो आप उनका प्रोत्साहन करें, इस बात को आप करें।

माननीय मंत्री महोदय, उद्योग मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे एक सवाल के जवाब में आपने यह कहा कि सांभर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार की कम्पनी है और वह इसको आपको देना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रगति प्रतिवेदन आप ही ने सदन में इस टेबल पर रखा है और इसको अधिकारियों ने भी पढ़ा होगा और आपने भी पढ़ा होगा। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि यह कम्पनी लगातार दो-तीन साल से प्रोफिट में चल रही है, लगभग 11 करोड़ रुपये इसने 2018-19 में कमाये हैं और मात्र 50 करोड़ रुपये घाटे में है। आप बताइये मंत्री महोदय, 90 वर्ग मील जमीन जिस कम्पनी के पास हो, आजादी से पहले की इतनी बड़ी इकाई हो और जिसके पास ढाई लाख टन बम्पर नमक पैदा करने की क्षमता हो, उस कम्पनी को अगर आप नहीं देख पाएंगे तो यह बड़ा दुर्भाग्य है। मैं यह समझता हूं कि इसका पानी चोरी करके निजी उत्पादन करने वाले करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और यह कम्पनी घाटे में जा रही है। इसके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में छह लोगों में से चार राजस्थान के हैं। टोटल डाइरेक्टर के जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स हैं उसमें छह लोग राजस्थान सरकार के हैं और चालीस परसेंट ही अपनी हिस्सेदारी है। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि यह कृपया जयपुर की नाक के नीचे हैं, आप स्वयं पधारे हैं, इस कम्पनी को हमारी आंखों के सामने हम बंद नहीं होने दे सकते हैं। इतनी बड़ी कम्पनी है। केवल 87 लोगों के पीछे यह कम्पनी चल रही है, आप यह सोचिए कि 87 लोग हमें यह 11 करोड़ रुपये कमाकर दे सकते हैं तो हम इसको थोड़ा रिव्यू करें, इस कम्पनी के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, इनको संसाधन दें। इन्होंने अपनी लागत भी कम की है, उत्पादन भी बढ़ाया है और लगातार यह कम्पनी संघर्ष कर रही है जो

(श्री निर्मल कुमावत)

निजी नमक वाले हैं उनसे। भारत सरकार से आप भी अपनी बात रखें, हम भी हमारे माध्यम से रखेंगे, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। अगर राजस्थान सरकार इसको चलाये तो हमें बहुत खुशी है। पूरी सरकार मिलकर, अपन सब मिलकर इसको चलायें। निश्चित रूप से यह प्रोफिट का काम है। इस कम्पनी में कहीं कोई कमी नहीं है और कर्मचारियों का हित भी आप देखें। केवल 87 लोग हैं, उनको भी अगर हम सातवां वेतन आयोग नहीं देंगे तो कौन मन से इस कम्पनी के लिए काम करेगा? किसी को भी मन से काम करने की इच्छा नहीं होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं वहां अवलोकन करें। यह जयपुर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है और इसको आप सम्भालें। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र सरकारी रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। इसके नाम 87 लोग तो केवल कम्पनी के हैं, हजारों निजी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जो कांट्रैक्ट लेबर पर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रैक्टर वाले हैं इसलिए कृपा करके आप इस पर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, दो बात मेरे जो रीको के औद्योगिक क्षेत्र हैं, फुलेरा और किशनगढ़ रेनवाल में, उनके लिए भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि छोटे-छोटे एरिये हैं, क्योंकि पेयजल की वहां पर व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहां पर कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध हैं कि वहां पर रोड्स, लाइट्स और पानी की व्यवस्था रखें।

माननीय सभापति महोदय, वहां पर पिछले समय अचानक रीको में डी.एल.सी. रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गयी तो जमीनों के डिस्प्यूट काफी हैं। आपने अभी काफी रियायत की घोषणा की है, मुख्य मंत्रीजी ने भी की है। अगर नहीं की है तो आप खुद सक्षम हैं, उन दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में तमाम छोटी-छोटी इंडस्टीज चलें, इसके लिए आप जो भी रियायत दे सकते हैं, वह दें। जो डी.एम.आई.सी. दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर भी मेरे यहां से निकल रहा है, उसके तहत भी वहां पर जो कुछ भी कर सकते हैं उद्योगों की दृष्टि से मेरे क्षेत्र में, आप वहां का और विकास करने की कोशिश करें। मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम) माननीय सभापति महोदय, मैं महात्मा गांधीजी के इन वचनों से मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा 'जो देश अपने श्रमिकों यानी मजदूरों, किसानों और कर्मचारियों को सम्मान नहीं दे

(श्री टीकाराम जूली)

सकता है, वह देश कभी भी तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है।' यह महात्मा गांधीजी ने कहा था।

माननीय सभापति महोदय, आज 109 कट मोशन लगे हैं, जिनका जवाब हमने आज भिजवा दिया है और यहां 29 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। इनमें से 19 माननीय सदस्यों ने श्रम विभाग को लेकर अपनी बात यहां पर रखी। माननीय सभापति महोदय, यह समय औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था का है। राजस्थान में आजादी के बाद निरन्तर विकास हुआ है, परन्तु इस बात को समझने की जरूरत है कि उद्योग, श्रमिक और सरकार के मध्य सद्भावनापूर्ण वातावरण हो। इसी से उत्पादकता में वृद्धि ही नहीं होगी बल्कि अर्थ-व्यवस्था में भी तेजी से विकास हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी संस्कृति 'श्रममेव जयते' की रही है, यानी श्रम को ही हमारे यहां सर्वोच्च महत्व दिया गया है। श्रम कल्याण के प्रस्ताव के प्रोत्साहन और प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी की भावना का विकास इस दृष्टि से वर्तमान समय में सबसे बड़ी जरूरत मैं मानता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरूजी की पहल पर श्रमिकों के कल्याण और उनके स्वस्थ औद्योगिक संबंध को बढ़ावा देने पर ही जोर दिया जाता रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार श्रमिकों और खास तौर से असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आयी है और श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ गयी है। ई.एस.आई. के जरिये इलाज की सुविधाएं भी पहले की तुलना में बढ़ायी गयी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसे आर्थिक प्रबन्धन की व्यवस्था सृजित करने के लिए वचनबद्ध है जिससे रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। सरकार श्रम कानूनों को मजबूती से प्रदान करने के साथ ही श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए बने इन कानूनों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप थोड़ा तो देख सकते हो, अगर देखकर ही पढ़ना है तो फिर टेबल कर दो न।

श्री सभापति: नहीं, पढ़ेंगे नहीं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी, मैं बिना देखे पूरा बोलूंगा, आप चिंता मत करो। मैं वहीं पर आ रहा हूं। एक बार शुरुआत होने दें।

'अगर इस दुनिया में मजदूर का नामो-निशां न होता

तो फिर न यह हवामहल होता और न ही यह ताजमहल होता।'

आज मजदूरों की बात है, निश्चित तौर पर मजदूरों को सब हल्के में लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस इमारत के अंदर हम बैठ रहे हैं। इस इमारत के अंदर कितने मजदूरों का पसीना यहां पर लगा हुआ है। उनकी मेहनत से, उनकी करनी से आज हम यहां बैठकर इस राजस्थान के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग कहीं बनी है तो उस मजदूर ने बनायी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा निश्चित तौर पर हम औद्योगिक विकास की बात करें तो बिना श्रम के वह संभव नहीं है। आवास निर्माण मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता प्राप्त करके हमने आवासीय कालोनी बनाई मजदूरों के लिए। जयपुर, पाली, कोटा, ब्यावर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, जावर माइंस और श्रीगंगानगर में हमने कालोनियां बनायीं और इनका उद्देश्य मजदूरों के हितों की रक्षा करना और उनके सिर पर छत को देने का था। यह कांग्रेस सरकार की देन थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर भी 1983-84 के बजट के अंदर यह प्रावधान किया गया, उस समय शिवचरण जी माथुर राजस्थान के अंदर मुख्य मंत्री थे। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। इसी योजना के तहत पाली के अंदर श्रमिकों की शिवाजी नगर लेबर कालोनी की आवास योजना हमने बनायी। विधान सभा के इसी सत्र में माननीय सदस्य द्वारा यह ध्यान में दिलाया गया कि एक कालोनी का स्वामित्व श्रम विभाग से नगर परिषद् पाली को हस्तान्तरित किया जाए। इस संबंध में सूचना करना चाहता हूं कि श्रम विभाग द्वारा कार्य पूरा करने के उद्देश्य से 20 फरवरी, 2020 को ही एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि एक महीने के अंदर मजदूरों को यह पूरी कालोनी उनको समर्पित करेगी और उसके बाद यह नगर परिषद् को सौंपेगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंदर हमारी 9 सेवाओं को हमने इसके अंदर शामिल किया है और उनका समय-समय पर निस्तारण किया जा रहा है। मैं एक

(श्री टीकाराम जूली)

तुलना करना चाहूंगा। जनवरी 2014 से दिसम्बर, 2014, जो आपका पहला साल था और जो हमारा पहला साल है, इसकी तुलना करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान अधिनियम, ग्रेच्युटी और शाप एक्ट के तहत आपके समय में 2,324 दावों का निस्तारण किया और हमारे समय में हमने 2660 दावों का निस्तारण किया है एक साल के अंदर। अवार्ड जो हमने किया, हमने अवार्ड किया 50 करोड़ 38 लाख रुपये का, आपने अवार्ड किया था 40 करोड़ 35 लाख रुपये का। श्रम न्यायालय के जो प्रकरण निस्तारण किये, आपके समय में आपने किये 1,931 और हमने इस साल के अंदर किये हैं 2,673, जो कि आपसे बहुत अधिक हैं। श्रमिकों के पक्ष में पारित अवार्ड की राशि उनके नियोक्ता द्वारा भुगतान नहीं की जाती है तो श्रम विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से ऐसी राशि, जो बकाया रूप में वसूलने के लिए हमने वसूली के लिए भेजा, आपने सिर्फ 12 नोटिस जारी किये और हमने एक साल के अंदर 73 नोटिस जारी किये हैं, जिससे उन मजदूरों को लाभ मिल सके। श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायालयों द्वारा अवार्ड का भी, जो श्रम विभाग द्वारा प्रकाशन किया गया, 999 अवार्ड आपके समय में किये गये और हमने आपसे डबल 1850 अवार्ड एक साल के अंदर पारित किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह आंकड़े हमारे प्रदेश की सरकार के श्रमिक भाइयों एवं बहनों के प्रति संवेदनशीलता एवं समर्पित भाव को दर्शाने का एक छोटा-सा प्रयास है। हमारे प्रयासों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए चार लाइनें मेरे जेहन में आ रही हैं। जो पांच साल आपने निकाले हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा:-

''कि नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ रहे कभी,

जो तटस्थ रहे कभी, समय लिखेगा उनका भी अपराध।''

समय उनका भी अपराध लिखेगा, मैं यह कहना चाहूंगा। यहां सदन में बात आयी न्यूनतम मजदूरी को लेकर। न्यूनतम मजदूरी को लेकर अभी हमने एक कमेटी बना दी। उसने अपनी सिफारिशें भी बनाकर भेज दी हैं ताकि यहां के जो श्रमिक हैं, उनको अधिक से अधिक मजदूरी मिले और ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने जो हमारी सिफारिशें भेजी हैं, यहां से इतनी सिफारिशें कभी नहीं गयीं, जो सिफारिशें हमने आज न्यूनतम मजदूरी को लेकर की हैं।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए भी

(श्री टीकाराम जूली)

मैं कहना चाहूंगा कि इस एक साल के अंदर किसी भी कारखाने के अंदर कोई भी तालाबंदी की सूचना किसी भी श्रमिक संगठनों द्वारा नहीं है। पूरा साल जो गुजरा है, वह औद्योगिक शांति को लेकर निकला है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पांच राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 418 प्रकरण हमने निस्तारित किये हैं और 15 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि हमने श्रमिकों को दिलायी है। राष्ट्रीय लोक अदालतों के अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा भी नई पहल करते हुए अभी 19.11.2019 को और 24.12.2019 को दो विभागीय लोक अदालतों का भी आयोजन किया गया, जिसमें 241 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और 1 करोड़ 50 लाख 81 हजार 857 रुपये की राशि हमने श्रमिकों को दिलायी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जो संकल्प लिए थे उसके अन्दर चौथा जो संकल्प था वो सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान है, इस संकल्प को हम पूरा करेंगे और इसके लिए हम काम करेंगे।

बाल श्रम को लेकर बात आई, निश्चित तौर पर बाल श्रम का कानून के अन्दर ही प्रावधान नहीं, मैं उसको समाज के लिए भी एक कलंक मानता हूं कि बाल श्रम अपराध है, जिन बच्चों को स्कूल के अन्दर होना चाहिए था उन बच्चों से काम कराया जा रहा है। इसके लिए हमने 636 प्रकरण इस साल के अन्दर दर्ज किये हैं जिसमें 591 प्रकरणों को हमने अनुसंधान के बाद में अभियोजन उनके अन्दर प्रस्तुत किया है।

बंधुआ मजदूर, उसके अन्दर भी 33 जिलों में 289 उपखण्डों में बंधक श्रमिक सतर्कता समितियां हैं, हमने यह तय किया है कि हमारी जो समितियां हैं ये लगातार मीटिंग करेंगी और मोनिटरिंग करेंगी कि वहां पर इस प्रकार की कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं आये।

श्रम सुधार के अंतर्गत भी मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि राज्य सरकार ने श्रम कानूनों की जटिलता कम करते हुए श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता व जवाबदेही लाने के लिए कई कदम उठाये हैं, जिनमें विधायी, प्रशासनिक प्रक्रियात्मक सुधार शामिल हैं जो श्रम कानूनों की अनुपालना को आसान बनाते हैं और ईज आफ डूईंग बिजनेस, जिसकी ओर आज पूरा देश अग्रेषित है, उसकी और हमने सुविधा प्रदान की है।

मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हमने ऑनलाइन

(श्री टीकाराम जूली)

एल.डी.एम.एस. और राजफैब जो हमारे वैब एप्लीकेशन हैं, वो हमने बनाये हैं जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो और वो इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अपनी बात उसके अन्दर कह सकें।

माननीय सभापति महोदय, आज लिकर को लेकर 22 लॉज काम कर रहे हैं, 22 अलग-अलग कानून हैं जो कि पूर्व में कांग्रेस सरकारों द्वारा जनता के लिए, श्रमिकों की भलाई के लिए वो बनाये गये थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि इन कानूनों को चार कोड के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार लेकर आ रही है जिसका सारे श्रमिक संगठन विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि भारतीय मजदूर संघ ही उसका विरोध कर रहा है। यह पहले भी आया था, लेकिन उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी ने यू.पी.ए. सरकार के समय यह प्रावधान किया था कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जायेगा जिसका श्रम संगठन विरोध करें।

अब मैं बात करना चाहूंगा बीओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड की। आज स्थिति यह हो गई है कि श्रम विभाग अपना सारा काम भूल गया है और सिर्फ बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड, जिसकी ये सारी जो हमारी स्कीमें चल रही हैं, शुभ शक्ति जिसकी सारे सदस्य चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हम लोगों को फायदा दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने काफी बातें उठाई हैं। माननीय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के पहले वर्ष में 2014 में आप लोगों ने 1 लाख 42 हजार 259 पंजीयन किये थे और हमने इस पहले वर्ष के अन्दर 2 लाख 21 हजार 552 पंजीयन किये हैं, जो कि आप से दुगुने के आसपास हैं। हमारी जो योजनाएं थीं, जो योजनाओं के अन्दर आपने 29 हजार 253 आवेदन स्वीकृत किये थे और हमने 2 लाख 3 हजार 166, आपसे लगभग आठ-नौ गुना ज्यादा हमने योजनाओं के अन्दर लोगों के प्रपत्र स्वीकृत किये हैं। राशि का भी मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के अन्दर आपने मजदूरों के लिए जो राशि जारी की, जिसके लिए आपके सारे मैम्बर कह रहे थे कि शुभ शक्ति में पैसा नहीं है, उस स्कीम में पैसा नहीं है। आप लोगों ने एक साल के अन्दर, जो आपकी पहले साल थी, आप लोगों ने सिर्फ 30 करोड़ 73 लाख रुपये दिये थे और मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि सिर्फ इस एक साल के अन्दर आपसे 11 गुना, 340 करोड़ 58 लाख रुपये हमने जारी किये एक साल के अन्दर।

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय सभापति महोदय, मैं सैस की बात करना चाहूंगा। आपने सैस कलेक्शन कितना किया और हम कितना कर रहे हैं? आपके समय में आपने सैस कलेक्शन 278 करोड़ 75 लाख रुपये किया था, लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पिछले 10 वर्षों में जो सबसे टाप सैस कलेक्शन हुआ है, इस वर्ष हुआ है, जो कि 500 करोड़ के आसपास जायेगा, आपसे दुगुने के आसपास और प्राइवेट सैक्टर में भी अब से 10 वर्षों में सबसे ज्यादा जो सैस का कलेक्शन किया है इस एक साल के अन्दर किया है।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा श्रमिकों के पंजीयन इसके अन्दर हैं। आज हमारे पास 23 लाख 84 हजार श्रमिकों के पंजीयन हैं, 2671.51 करोड़ रुपये आज हमारे पास हैं जिसमें से 1489 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके हैं। आज भी 2882.58 करोड़ रुपये का दायित्व हमारे पास है। आप लोगों ने आखिरी में चुनाव के समय जो एप्लाई करवाया न, एक-एक साल के अन्दर 14-14 लाख रजिस्ट्रेशन, 11-11 लाख रजिस्ट्रेशन और जो शुभ शक्ति स्कीम जिसके लिए एक साल का समय था, बाद में आपने 6 महीने का किया लेकिन चुनाव सर पर थे, आप लोगों ने एक महीने पहले 3 महीने का समय कर दिया और कैंप लगाकर सबके फार्म भरवा दिये, आपने यह नहीं देखा कि वो श्रमिक है या नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत यह लोग आते हैं कि नहीं लेकिन आप लोगों को तो चुनाव के लिए जो भी सरकारी खजाना था उसके रास्ते खोलने थे।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो पंजीयन की स्थिति है, हमारे पास 1 लाख 38 हजार 962 पंजीयन आज के समय में पैंडिंग हैं जो पहले 10 लाख थे। जब हमने चार्ज लिया उस समय 10 लाख थे, आज 1 लाख 38 हजार हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आने वाले 2 महीने के अन्दर-अन्दर पंजीयन में कोई पैंडेंसी नहीं रहेगी, मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करायेगा और 7 दिन के भीतर उसका कार्ड बनकर उसके घर पर आ जाएगा। माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था हम करेंगे।

योजनाओं के अन्दर अभी हमने सारी पैंडेंसी जीरो कर दी थी, सिर्फ सात हजार स्कीमों की जो पैंडेंसी थी, लेकिन जो छात्रवृत्ति योजना है वो फार्म अब लगने शुरू हो गये हैं और वापस यह हमारी 2 लाख 71 हजार 321 जो हमारी स्कीमों की पैंडेंसी है, उसको भी हम बहुत जल्दी खतम करेंगे।

(श्री टीकाराम जूली)

हमने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया, हमने लगभग 6 लाख प्रकरण कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे किये स्कीमों के, हमने 1 लाख प्रकरण पंजीयन के किये और हमने जो निस्तारण किया है, एक साल में हम लोगों ने टोटल जो निस्तारण किया है 10 लाख से भी अधिक श्रमिकों का निस्तारण हमने एक साल के अन्दर किया है। योजनाओं के भुगतान के लिए...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की अनुदान की मांगें पास होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 23 पर विचार

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सभापति महोदय, अब मैं उन बातों पर आऊंगा जिसका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया और सब लोगों की मंशा है कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। इन स्कीमों के अन्दर जिस प्रकार से आप लोगों ने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया था, वो भ्रष्टाचार किस प्रकार रोका गया, उसका मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा। हमने केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली लागू कर दी है। अब कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्कीम के अन्दर पैसे मंजूर करने के बाद में उसको रोक नहीं सकता। पहले एक-एक महीने, दो-दो महीने तक पैसे रोक लेते थे, जब उनकी व्यवस्था हो जाती थी तब पैसे उसके खाते में डालते थे। अब वो सिस्टम बंद हो गया है। अब जिस दिन उसका प्रकरण मंजूर, उसी दिन उसके खाते में ऑनलाइन पैसे चले जाएंगे।

हमने प्रसूती सहायता योजना के अन्दर प्रसव की तिथि और जीवित

(श्री टीकाराम जूली)

बच्चों की संख्या की पुष्टि के लिए पी.सी.टी.एस. पोर्टल से एल.डी.एम.एस. पोर्टल को मैच कराया और माननीय सभापति महोदय, 11 हजार 826 प्रकरण हमने निरस्त किये। ऐसे हास्पिटल के नाम भी हमें मिले हैं जो एप्लाई किये गये थे, जिस नाम का हास्पिटल ही नहीं है, ऐसे डिलीवरी के कागज मिले जो डिलीवरी ही नहीं हुई है, सिर्फ फर्जीवाड़ा करने के लिए।

हमने शिक्षा सहायता के लिए भी शाला दर्पण पोर्टल और हमारा जो पोर्टल है उसको जोड़ दिया है कि वहां पर शिक्षा के अन्दर किन का नामांकन चल रहा है और कौन सीधा फर्जीवाड़ा करके हमें एप्लाई कर रहे हैं, उसका भी हमें पता चल जाता है और यह इसी साल 2 लाख 11 हजार 176 फर्जी शिक्षा सहायता के जो प्रकरण हैं वह हम पकड़ में लेकर आये। इससे पहले जैसे भुगतान होता था, होता ही था, लेकिन हमने अब जिस प्रकार रेलवे के अन्दर रिजर्वेशन के अन्दर है फीफो (f.i.f.o.) वैसे हम फीफो (f.i.f.o.) स्कीम इस योजना के अन्दर ले आये, जिसने पहले एप्लाई किया है पहले उसको पैसा मिलेगा, फीफो (f.i.f.o.) के तहत हम काम कर रहे हैं।

(19.00 बजे)

हम फीफो के तहत काम कर रहे हैं। हमने नियोजन प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, जीएसटी और पैन कार्ड लागू कर दिया है, जिसका विरोध हुआ। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया कि हम अपना पैन कार्ड क्यों दें? हम अपना आधार कार्ड क्यों दें? लेकिन कोई ऐसी पहचान तो हो जो व्यक्ति कहे कि इसने मेरे यहां काम किया है और इससे फर्जीवाड़े पर एकदम रोक लगी। ऐसे ही ट्रेड यूनियनें जिन्होंने अपनी फर्जी मुहरें बनवा रखी थीं, वह मुहर लगाकर के वैरीफाई कर देते थे। उन पर भी रोक लगी है। आज वह सारा फर्जीवाड़ा इस चीज का बंद हो गया है। हमने दलाल, बिचौलियों और भ्रष्ट ई - मित्रों का चिन्हीकरण करके एलडीएमएस पोर्टल पर इसको ब्लाक कर दिया है।

वह एक सिटीजन आईडी पर अब दो कर सकते हैं। पहले एक-एक आईडी पर ई-मित्र वाला ही पांच-पांच सौ बना रहा था। मजदूर को पता ही नहीं है। उसको मैसेज आता है। कमीशन सैट कर लेता है। कुछ पैसे मिल जाते हैं, नहीं तो उसके पैसे नहीं मिलते हैं। अब हमने उसमें किया है कि एक सिटीजन आईडी पर अब केवल 2 ही आवेदन होंगे। उसके अंदर हमने 1366 को ब्लाक भी किया है। हमने भ्रष्ट ई-मित्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है और 52 ई

(श्री टीकाराम जूली)

-मित्रों को ब्लाक भी किया है। हमने 673 सिटीजन आईडी को भी ब्लाक किया है।

सभापति महोदय, मैं कुछ प्रकरण भी आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सलूम्बर में सोशल आडिट हुई थी। उसके अंदर 39 परसेंट लोग फर्जी पाए गए। उसके बाद हमने इसको पूरा दिखाया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 27 जिलों में 14295 लाभान्वितों के भौतिक सत्यापन में 38 परसेंट अपात्र श्रमिक पाए गए। चूरू में तो रिकार्ड ही टूट गए। चूरू जिले के अंदर 50 प्रकरणों की जांच की गई, जो सुलभ आवास और शुभ शक्ति के थे। इनमें से 50 के 50 ही फर्जी थे। उनके खिलाफ हमने कार्यवाही की। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

सभापति महोदय, पाली जिले में सुलभ आवास योजना के 158 प्रकरणों में से 105 प्रकरण फर्जी पाए गए। पाली जिले से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने कई बार मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। उन्होंने जो बताया है उससे श्रमिकों को निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ है। 25 प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। उनमें से 14 गैर निर्माण श्रमिक पाए गए। बालोतरा के अंदर भी 223 प्रकरणों की हमने जांच की, जिनमें से 122 प्रकरण फर्जी पाए गए।

दौसा के अंदर भी सिलिकोसिस को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। दौसा में भी ई-मित्र के लोग और हमारे अधिकारी, वहीं ई-मित्र पर बैठकर के सैंक्शन कर रहे थे। उनको हमने मौके पर ही पकड़ा। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की। उनको सस्पैंड भी किया।

सभापति महोदय, सीकर में 690 प्रकरणों में से 556 प्रकरणों में गैर निर्माण श्रमिक पाए गए। सवाई माधोपुर में भी शुभ शक्ति के 27 प्रकरणों में से 19 प्रकरण ऐसे थे, जो कि गैर निर्माण श्रमिक थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि सिलिकोसिस को लेकर काफी चिंता जताई है। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने भी इसके लिए अलग पालिसी बनाई है।पहली बार सिलिकोसिस पालिसी राजस्थान में बनी है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि हम यह जान रहे हैं कि जिस मजदूर को सिलिकोसिस हो गया, उसका मरना तय है, लेकिन हम उसकी जान की कीमत 5 लाख रुपये लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। यह सारी बात जानकारी में आने के बाद मैंने विभागीय

(श्री टीकाराम जूली)

स्तर पर निर्देश जारी किए हैं। ऐसे स्थलों को चिह्नित करके वहां पर जो नियोजक हैं उनके खिलाफ भी और जो श्रमिक हैं, उनके खिलाफ भी प्रथमदृष्ट्या तो कार्यवाही करेंगे ताकि उनको यह लगे कि उनकी जान की भी कोई कीमत है। उसके बाद इसके लिए विशेष अभियान चलाकर राहत प्रदान करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम विभाग कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है। श्रम विभाग में कुल 617 पद स्वीकृत हैं, उनमें से भी 337 अधिकारी, कर्मचारी काम कर रहे हैं और 280 पद यानी 45 परसेंट पद खाली हैं। 2019-20 में हमारा कुल बजट संशोधन में 414.53 करोड़ है।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं दो लाइन कहना चाहूंगा,

'यह बात जमाना याद रखे कि मजदूर है मजबूर नहीं,

यह भूख, गरीबी और बदहाली हरगिज हमें मंजूर नहीं'।

जब तक हर मजदूर इस भूख, गरीबी और बदहाली से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मजदूरों के लिए जो योजना हम बना रहे हैं, उसका लाभ उस तक नहीं मिलेगा। उसका लाभ जब तक उसे नहीं मिले, तब तक उसको ऊंचा उठाने की बात हम भले ही कर लें, लेकिन वह बात करना बेमानी है।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर मेरे स्वर्गीय पिताजी को याद करना चाहूंगा, जो कहते थे कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसको मिलनी चाहिए। मैंने मजदूरी की है, लेकिन पारिश्रमिक नहीं लिया। मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री में मजदूरी की है। फैक्ट्री का कोई ऐसा काम नहीं, जो मुझे नहीं आता हो। मैं मजदूरों के साथ रहा हूं। उनके साथ काम किया है। उनके साथ चाय पी है। उनके साथ खाना खाया है। उनके साथ बैठा हूं। समय मिला तो उनके साथ खेला भी हूं। मैंने उन मजदूरों से एक चीज नोट की है कि आपकी फैक्ट्री का मजदूर अगर खुश है तो वह उसी तनख्वाह में आपको डबल कमाकर देगा। अगर आपका मजदूर दुःखी है तो फिर कमाने की तो बात छोड़ दीजिए, आपकी फैक्ट्री, आपकी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। मजदूरों की खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि

(श्री टीकाराम जूली)

'हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,

सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए'।

श्री सभापति: शांत रहें। बोलने दें। माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। क्या हो रहा है यह?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सभापति महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे लग नहीं रहा है कि मजदूरों की बात पर कोई बहुत ज्यादा सीरियस है।

श्री सभापति: बहुत खुशी है।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सांगानेर से आने वाले सदस्य को तो कतई चिंता नहीं है।

श्री सभापति: आप अपनी बात रखें। आप कहां फंस रहे हैं बीच में ही।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): मैं रोजगार के संबंध में कहना चाहूंगा। मेरे साथी ऊर्जावान मंत्री अशोक चांदना जी ने इस विभाग में काम किया है। जो बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही थी, जिसके लिए आप बार-बार क्वेश्चन भी लगाते हैं, बार-बार मीडिया के अंदर भी बताना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके समय में बेरोजगारी भत्ता लड़कों को 650 रुपये और 750 रुपये महिलाओं को दिया जाता था। आज हमने 3000 रुपये पुरुषों को और 3500 रुपये महिलाओं को कर दिया है। इसके अंदर ट्रांसजैंडर को भी सम्मिलित किया है। हमने इसके अंदर ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया है। बेरोजगार पहले वहां जाता था। पहले इसमें डिग्रीधारी होना आवश्यक था। विश्वविद्यालय की डिग्री होना जरूरी था। उसके अंदर हमने जो महिलाएं राजस्थान के मूल निवासी से विवाह होकर के आएंगी, उनको छूट प्रदान की है।

आपके समय में बेरोजगारों को भत्ता देने की जो सीमा थी, वह सिर्फ एक लाख युवकों तक आप देते थे। हमने उसको बढ़ाकर के 1 लाख 60 हजार किया है। आपके समय में 156791 लाभार्थी थे। हमने इसको बढ़ाकर के 182201 किया है। आपके समय में 121.60 करोड़ रुपये कुल बेरोजगारी भत्ता दिया। मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी है कि हमने उसको बढ़ाकर के

(श्री टीकाराम जूली)

287.38 करोड़ इस एक साल में दिया है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आने वाले वर्ष में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको बढ़ाकर लगभग 525 करोड़ कर दिया है। जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कालेज में जो बच्चे पढ़ रहे है उनके लिए हमने मुख्य मंत्री युवा कौशल योजना लागू की है ताकि वे बच्चे वहीं ग्रेजुएशन भी करते रहें और रोजगार के अंदर कौशल भी अपना प्राप्त कर सके। इसके लिए 13.12.2013 से 17.12.2018 तक यानी पांच साल के अंदर आपने 2 लाख 88 हजार 933 युवाओं को प्रशिक्षित किया था, जिसका औसत प्रति वर्ष हम लगायें तो 57 हजार 787 था। हमने एक साल के अंदर 92 हजार 468 युवाओं को प्रशिक्षित किया है जो कि प्रति वर्ष 73 हजार 975 की औसत आती है जो कि आपसे लगभग डेढ़ गुणा अधिक है। इसके अंदर महिलाओं की संख्या थी, आपके समय में 23 प्रतिशत थी और आज हमारे समय में 49.2 प्रतिशत है जो कि लगभग आधी आबादी के बराबर है।

माननीय सभापति महोदय, हमने पहली बार श्रमिकों को प्रशिक्षित करके विदेश जाने से पहले अगर वह प्रशिक्षित होना चाहते हैं तो उनके लिए जयपुर में आरएसएलडीसी के माध्यम से, सीकर में आईटीआई और नागौर में आईटीआई के माध्यम से उनको कौशल विकास देकर उनको विदेश भेजने का काम हम कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस वर्ष हमने आईटीआई में 1 लाख 39 हजार 217 हमारी सीटें बढ़ायी हैं जो कि आपसे बहुत ज्यादा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी करना चाहूंगा जिनकी ओर काफी हमारे माननीय सदस्यों का ध्यान है। हमारा सपना है कि मजदूर का बच्चा भी आईएएस बने, आईपीएस बने, बड़ी सर्विस के अंदर जाये और उसके लिए हमने प्रावधान किया है कि हमारे यहां पर इनके जो मेधावी छात्र हैं, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी पर होने वाला पूरा व्यय सारा हम देंगे। बच्चा हमारा आईआईटी, एम्स और आईआईआईटी में भी चयन होता है तो उसको भी ये सारी सुविधाएं विभाग की ओर से दी जाएंगी ताकि श्रमिक का बच्चा भी इन बड़े संस्थानों में जा सके।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी समस्या आती है कि गर्मी के दिनों में मजदूर चौराहे पर खड़ा होकर तपता है उसे पीने को पानी नहीं मिलता

(श्री टीकाराम जूली)

है। मैं घोषणा करूंगा कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर जो चौखटी है जहां पर मजदूर खड़ा होता है उस मजदूर के सिर पर छत हो, उनके लिए छत और पानी की व्यवस्था हमारा डिपार्टमेंट करायेगा। कोई भी मजदूर धूप में खड़ा नहीं होगा, यह व्यवस्था हमारा विभाग करायेगा।

माननीय सभापति महोदय, सिलिकोसिस नीति के बारे में मैंने बताया, हम इसको चिह्नीकरण करेंगे कि कोई भी व्यक्ति सिलिकोसिस बीमारी से नहीं मरे। उसको हम जागरूक करें, नियोजक को जागरूक करें ताकि उस श्रमिक की कीमत जो पांच लाख हमने लगा रखी है, उस पांच लाख में उसके बच्चे पलने वाले नहीं है। उसके छोटे-छोटे बच्चे घर में अपने पिता का इन्तजार करते हैं कि मेरा पिता आयेगा और मेरे लिए कुछ लेकर आयेगा। वह पिता सिर्फ कुछ रुपयों के लालच में अपनी जिन्दगी के लिए मेहनत मजदूरी करता है और सिलिकोसिस का शिकार होकर काल के ग्रास में समा जाता है। हम यह प्रयास करेंगे कि आगे से इस प्रकार का नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने आईएएस, आईपीएस, आरएएस, एम्स, आईआईआईटी, आईआईटी के अंदर हमने छूट दी है उसी प्रकार से अगर हमारा कोई श्रमिक अपना खुद का बिजनस करना चाहता है तो पांच लाख रुपये तक उसको ब्याज मुक्त ऋण हम उसको उपलब्ध कराएंगे, उसका पूरा ब्याज देंगे। उस श्रमिक को ब्याज देने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ेबड़े सम्मान समारोह आयोजित किये जाते हैं, लेकिन मजदूरों का दिवस आता है, मजदूर दिवस, उसको रूटीन में मनाया जाता है। मैं घोषणा करता हूं कि अबकी बार से मजदूर दिवस बड़े स्तर पर समारोहपूर्वक मनाया जायेगा ताकि हमारे मजदूरों को भी यह लगे कि हां, यह उनका दिन है और उसको मनाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज टैक्नोलोजी का जमाना है, साइंस का जमाना है। मैं आज यह भी घोषणा करता हूं कि हमारा मजदूर अब मोबाइल एप का उपयोग कर सकेगा, श्रम विभाग के भी मोबाइल एप को हम बहुत जल्द लांच करेंगे जिससे वह मोबाइल में ही सारी जानकारी हासिल कर सके। उसको ई-मित्र पर या कहीं हमारे दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात बताई कि मजदूरों से ओवर टाइम कराया जाता है। निश्चित तौर पर हमने कार्यवाही भी की है लेकिन अब मैं

(श्री टीकाराम जूली)

सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई भी मजदूर जो हमारा टोल फ्री नम्बर है, 18001800999 पर फोन करके अपनी समस्या दर्ज करा दे और निश्चित तौर पर राजस्थान का श्रम विभाग उसके साथ खड़ा रहेगा और उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और उस ओवर टाइम के खिलाफ जो भी कार्यवाही है, वह कार्यवाही कराएंगे और ओवर टाइम का पूरा पारिश्रमिक उसको दिलवाएंगे, यह चीज की भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बाल श्रम के लिए भी हमारे कई माननीय सदस्यों ने बताया, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्या ने भी इस चीज के लिए कहा। हम राजस्थान को बाल श्रम मुक्त बनाएंगे, यहां का कोई भी बच्चा बाल श्रम नहीं करे। आज कहीं भी कोई 'छोटू' नजर नहीं आयेगा, छोटू चाय लेकर आ, छोटू यह लेकर आ। हमारे 14 साल तक के जो बच्चे हैं, बाल श्रम में उनके लिए प्रभावी कार्यवाही हो, यह सुनिश्चित करेंगे और हर छह महीने के अंदर जो भी जवाबदेह अधिकारी हैं, उनको पाबन्द करेंगे कि वह हमें लिखित में देंगे कि उनके जिले के अंदर कहीं कोई बाल श्रम नहीं हो रहा है। यह हम उनको मजबूर करेंगे, उनको पाबंद करेंगे, यह कानून हम बनायेंगे।

श्री सभापति: कितना और बोलोगे अब?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सभापति महोदय, तीन घोषणाएं और कर दूं।

श्री सभापति: करो, करो। श्रमिकों को तो आप दे क्या रहे हो होली पर?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बच्चे जहां निर्माण स्थल हैं, जहां श्रमिकों के साथ उनके बच्चे वहीं पर रहते हैं और वे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके लिए हम यह प्रावधान करेंगे कि जहां पर वे मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर उस नियोजक की जिम्मेदारी होगी, वहां पर एक भी बच्चा नजर नहीं आये। वे या तो स्कूल जाएं या आंगन बाड़ी जाएं, वहां पर नजर आएं, काम की जगह पर नजर नहीं आएं। जो बड़े बच्चे हैं जो सीधे क्लास में नहीं जा सकते, उनके लिए हम ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करायेंगे। ब्रिज कोर्स करके वे बच्चे सीधे आगे एडमिशन ले सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मजदूरों को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए कि हमारे यहां के मजदूर अगर

(श्री टीकाराम जूली)

विदेश में रोजगार करना चाहते हैं, हमारे यहां ट्रेनिंग लेकर अगर विदेश के अंदर जाना चाहता है तो उस मजदूर का पासपोर्ट और वीजा का खर्चा राजस्थान का श्रम विभाग वहन करेगा, पासपोर्ट और वीजा के चक्कर में वह बाहर जाने से नहीं रुकेगा, उसको हम विदेश भेजेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर हमारा मजदूर बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी खेल प्रतियोगिता के अंदर भाग लेता है।

श्री सभापति: एक मिनट, एक मिनट करते हुए इतना समय हो गया, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सभापति महोदय, वर्ल्ड कप, ओलम्पिक, एशियाड या कामनवेल्थ गेम्स में मैडल प्राप्त करता है और देश का नाम रोशन करता है उसको हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 11 लाख रुपये का प्रोत्साहन हम देंगे, उस मजदूर के बेटे के लिए।

माननीय सभापति महोदय, यही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को खतम करता हूं। मैं दो लाइन कहना चाहता हूं

"सो जाता है फुटपाथ पर, अख़बार बिछाकर,

मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता।"

...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार की जो डिमांड है उसको पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री परसादी लाल। (व्यवधान) आठ बजे तक का समय दिया है, उससे पहले कर देना पूरी बात आप। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग की मांग पर आज माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। 29 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। शुरुआत पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी की। मैं सभी माननीय सदस्यों को विभाग की ओर से, मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो सुझाव दिये हैं उनसे सरकार को कामकाज करने में और रीति नीति बनाने में विभाग की जानकारी आने में जो आपने मदद की, विभाग आपके सुझावों को लेकर अच्छा काम जनता की मंशा के अनुरूप करे।

श्री सभापति: दिलावर साहब ने सुझाव दिये हैं आज।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, दिलावर साहब आज बोले नहीं न। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सबका ध्यान आकर्षित किया। डीएमआईसी पर किया, सौर ऊर्जा पर किया, रोजगार जैसी पालिसी पर किया। छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने सेज पर किया, रीति-नीति पर किया। हमारी सरकार आने के बाद माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हमने जब कमान सम्भाली तो इस उद्योग विभाग की हालत कुछ ठीक नहीं थी। बहुत ही चुनौतीपूर्ण विभाग था। बहुत चुनौतियां हमारे सामने थीं।

किस तरह हमारे चुनावी घोषणा पत्र को हम एग्जीक्यूट करेंगे और घोषणाओं की पालना करेंगे, उसे लेकर हम सर्वप्रथम एमएसएमई एक्ट का अध्यादेश लेकर आये, फिर उसके बाद उसे कानून बनाया और हमने कोशिश की कि उद्यमियों के सामने, उद्योग लगाने वालों के सामने ब्यूरोक्रेसी की, अधिकारियों की जो कठिनाइयां आती हैं, दो-दो, तीन-तीन साल तक उन्हें परमिशन नहीं मिलती है उद्योग लगाने की, वे चक्कर काटते फिरते हैं और परेशान होकर वे राजस्थान छोड़कर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम किया, पर उसका इतना प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का रवैया वही रहा, बदलाव नहीं आया।

2015 में पिछली सरकार भी रिसर्जेंट राजस्थान लेकर आयी, पर उसका नतीजा अगर हम देखें तो कोई ज्यादा उसका फायदा प्रदेश के उद्योगों को, लोगों को रोजगार मिलने में नहीं मिला। उसका कारण था। 2015 में अच्छा प्रयास किया, मैं आलोचना नहीं करता, बहुत अच्छा रिसर्जेंट राजस्थान किया। 2015 में किया और 2016 में नोटबंदी हो गयी, जीएसटी आ गया, उद्योगपति सब राजस्थान से उद्योग लगाने से, जिन्होंने एमओयू किया, उनमें से हमारे 5 परसेंट लोगों ने 5 परसेंट निवेश किया।

बहुत चुनौतियां थीं हमारी सरकार के सामने। आप सबके सहयोग से, एमएसएमई एक्ट लाने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका एक पोर्टल लान्च किया और यह व्यवस्था की कि जो भी अपने उद्योग का उस पोर्टल पर डाउनलोड करेगा, उसे दो मिनट में परमिशन मिल जाएगी। परमिशन मिलने के बाद तीन साल तक बिना कोई उसके कन्वर्जन के वह अपने उद्योग को स्थापित करके चला सकता है। उसके छह महीने के बाद वह अपनी

(श्री परसादी लाल)

परमिशन लेकर उसको रैगुलराइज कर सकता है। इससे उद्योगपतियों में एक बहुत बड़ी आशा जागी। जब हमने यह विधेयक पास कराया तो पूरे देश से, मुम्बई से, सब जगहों से हमारे यहां पर उद्योगपति आये और उन्होंने यहां पर आकर 3400 से ज्यादा एमएसएमई में अपने आवेदन दिये। उसमें काफी लोगों ने, 500-600 लोगों ने रोजगार लगा लिए, धंधे लगा लिए।

हम चाहते हैं कि जिस तरह की सुविधा आज हमारे यहां पर हैं, उस तरह की सुविधाएं हम देना चाहते हैं। एमएसएमई में हम लोगों को 10 करोड़ तक का लोन, मुख्य मंत्री लघु उद्योग रोजगार योजना भी हम लेकर आये। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट में कोई प्रावधान नहीं, केवल एमएसएमई के लिए मुख्य मंत्री लघु उद्योग रोजगार योजना में हमने 10 करोड़ तक के लोन को उसमें रखा है और उसमें सब्सिडी दी है। 250 करोड़ रुपये का हमने सब्सिडी का पांच साल के लिए प्रावधान किया है। उससे लोगों को प्रेरणा मिली। 25 लाख तक के जो उद्योग लगाएंगे, उन्हें हम 8 परसेंट तक भी सब्सिडी देंगे, 25 लाख से 5 करोड़ तक जो लगाएंगे, उन्हें 6 परसेंट पांच साल तक ब्याज पर सब्सिडी देंगे, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक जो उद्योग लगाएंगे, हम उन्हें पांच साल तक 5 परसेंट सब्सिडी देंगे। सभापति महोदय, हम नयी औद्योगिक नीति लेकर आये। दस साल से औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक राजस्थान में नहीं हुई। पिछली सरकार के समय नहीं हुई। 2010 में उस समिति का गठन हुआ, उसके बाद कोई मीटिंग 2019 तक नहीं हुई।

हमने जब यह देखा तो उद्योगपतियों से बात करके 2019 में दो बार, हमारी उद्योग नीति आने से पहले उनसे कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए, जिससे नयी औद्योगिक नीति बने। उन्होंने सुझाव दिये। सुझाव लेकर जब हमारे अधिकारियों ने औद्योगिक नीति बनायी, हमने उन्हें फिर बुलाया और उनसे यह कहा कि इसमें और क्या कमियां हैं, आप बताएं, हम उन्हें और ठीक करेंगे। उन्होंने जो सुझाव दिये, हमने उन्हें औद्योगिक नीति में शामिल किया और नयी औद्योगिक नीति हम लेकर आये।

उसके बाद हम यहीं नहीं रुके। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में ही औद्योगिक वातावरण

(श्री परसादी लाल)

मंदी का है। लोग कोई निवेश नहीं करना चाहते, कोई आना नहीं चाहते। हमने उसके लिए जो काम किया, हमारी रिप्स पालिसी लेकर आये। पूरे देश में हमारी रिप्स पालिसी को सराहा गया और यह कहा गया कि राजस्थान की रिप्स पालिसी बहुत अच्छी है और उसमें जो छूट वगैरह हमने दी, उससे हमारे यहां औद्योगिक वातावरण बना। जितना बजट हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से मांगा, वह सब उन्होंने दिया।

मुझे बताते हुए खुशी है कि औद्योगिक नीति के बाद रिप्स पालिसी भी हम लेकर आये और इसमें स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में हमने 100 परसेंट छूट दी। विद्युत और मण्डी शुल्क में 100 परसेंट छूट दी। इन-इन तरह के थ्रस्ट सैक्टरों में हमने 100 परसेंट छूट दी, जिससे औद्योगिक वातावरण बना। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी हमने 100 परसेंट की छूट दी। गुजरात में बिजली सस्ती है, राजस्थान में बिजली महंगी है। एक यह भी कारण था हमारे यहां उद्योग नहीं आने का। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि कई बार औद्योगिक संघों ने भी और हमने भी मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया और एक रुपये प्रति यूनिट बड़े उद्योगों के लिए बिजली में भी कमी की गयी।

उद्योगपति लोग आकर हमसे कहते थे, गुजरात में रात की बिजली सस्ती है, वह भी हमने राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से किया। जो उद्योगपति रात में बिजली लेगा, उसे 15 परसेंट रात में सस्ती बिजली मिलेगी। जो भी उद्योगपतियों के सुझाव थे, हमने उन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश की है। एससी-एसटी को पिछली सरकार के समय 30 परसेंट छूट थी पांच वर्ष के लिए। हम उसे 75 परसेंट तक ले गये और रोजगार सृजन में 20 परसेंट था पिछली सरकार के समय, हम उसे 50 परसेंट तक ले गये। विद्युत कर में पांच वर्ष के लिए 50 परसेंट की छूट थी पिछली सरकार के समय, हम उसे 100 परसेंट तक ले गये, मण्डी शुल्क में जो 50 परसेंट की छूट थी पहले, हम उसे 100 परसेंट 7 वर्षों के लिए ले गये और भूमि कर में 50 परसेंट की छूट थी 7 वर्षों के लिए, हम उसे 100 परसेंट तक 7 वर्ष के लिए ले गये। स्टाम्प ड्यूटी 50 परसेंट थी, 100 परसेंट की छूट हमने दी। भूमि रूपांतरण में 50 परसेंट की छूट थी पहले, हमने उसे 100 परसेंट किया। इस तरह के थ्रस्ट सैक्टर्स हमारे जो थे, हमने उनको भी बढ़ाया। राजस्थान को

(श्री परसादी लाल)

औद्योगिक वातावरण के लिए इस मंदी के दौर में हम सरकार के नाते जितनी रियायत दे सकते थे, हमने देने की पूरी कोशिश की है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कभी यह नहीं कहा कि विभाग ने किस तरह की यह पालिसी बनायी है। राजस्थान में लघु उद्योग के बारे में मैंने बता ही दिया। सिंगल विंडो की बहुत माननीय सदस्यों ने बात की, वह प्रभावशाली नहीं है। अब हम 'वन स्टाप शाप' लेकर आ रहे हैं। हम उसका आर्डिनेंस लाएंगे, फिर विधान सभा में उसे पास कराएंगे। हम चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे 14 विभागों के अधिकारी हमारे वीआईपी के अण्डर में वहां पर बैठें और एक ही छत के नीचे समयबद्ध रूप में 95 तरह की जो इसमें फार्मेलिटीज होती हैं उद्योगपतियों को, उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़े, इस तरह की व्यवस्था भी हम कानून लाकर करना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने बजट में घोषणा की है, हम उसे भी अमलीजामा बहुत जल्दी पहनाएंगे, जिससे उद्योगपतियों को यह लगे कि राजस्थान में उद्योग लगाने में ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या अफसरशाही की तरफ से कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऐसा वातावरण बनाने की हमने कोशिश की है।

सभापति महोदय, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अभी हैण्डीक्राफ्ट्स की, हस्तकला की, कशीदाकारी की बातें आयीं, उनके लिए भी हम एक बहुत बड़ी निर्यात संवर्धन परिषद् बना रहे हैं, एक उसकी समन्वय परिषद् बना रहे हैं तो उसके अधिकारी बैठकर जो गांवों में आजकल छोटे-छोटे धन्धे होते हैं उनके लिए भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योग पनपे। जो एमएसएमई में भुगतानों में दिक्कत आ रही थी, उन भुगतान के प्रकरणों का भी पिछले काफी समय से कोई परिषद् नहीं थी, पहले एक ही हुआ करती थी सुविधा परिषद् अब हमने उसकी चार परिषदें बनाई हैं, तीन जयपुर में होंगी और एक जोधपुर में होगी और जहां एमएसएमई में जिनके भुगतान विलम्ब से अटक जाते हैं उनके भुगतान के लिए भी हमने बहुत पहले यह कार्यवाही शुरू कर दी है और अब तक 599 प्रकरण परिषद् के सामने आये उसमें 162 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। इसलिए, सभापति महोदय, रीको के काम में भी गति देने की हमने पूरी कोशिश की है। हमने 2020-21 की बजट घोषणा में रीको क्षेत्र के लिए जो हमने काम किया उन क्षेत्रों को भी हम कह रहे थे कि कोई एक भी एरिया नहीं हुआ। हमारा

(श्री परसादी लाल)

जुलाई में बजट आया, अगस्त में एग्जीक्यूट हुआ, सभापति महोदय, समय तो लगता है पर काम करने की लाइन हमने खींची है कि अब किसानों की जमीन अधिग्रहण करना बहुत महंगा काम हो गया, यह सब माननीय सदस्यों को पता है। सरकारी जमीन जहां भी अवेलेबल होगी, हमने सभी कलेक्टर्स को कहा है कि सरकारी जमीन जहां भी अवेलेबल हो, आप उसके प्रस्ताव सरकार को भिजवाएं। हम चाहते हैं कि कोई राजनैतिक भेदभाव नहीं, जहां से भी प्रस्ताव, सरकारी जमीन होगी वहां हम सब जगह पर रीको क्षेत्र विकसित करेंगे। जहां छोटे उद्योगों की लोगों को जरूरत होगी तो छोटे लगाएंगे, बड़े उद्योगों की जरूरत होगी तो बड़े लगाएंगे और हम चाहते हैं कि राजस्थान के हर जिले में इस तरह का वातावरण बने जिससे हमारे उद्योग धन्धे यहां पर पनप सकें।

वैसे गत वर्ष हमने घोषणा की है कि अलवर, चूरू, सीकर, जालौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, करौली जिलों में स्थापना की जाएगी। हम चाहते हैं कि हिंडौन, करौली, गंगापुर इकाइयों की बजट की घोषणा थी माननीय मुख्य मंत्री जी की और मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में काफी समय लगता है, लेकिन हमारे द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में बगड़ (भीम जिला राजसमन्द), बोरावास-कलावा (जिला बाड़मेर), उदयवारा (जिला राजसमंद), दुब्बी बिदरखा (जिला सवाई माधोपुर), गोगेलाओ बालवा (जिला नागौर) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने की कार्यवाही हमने शुरू कर दी है। बहुत जल्दी इन एरिया को हम विकसित करेंगे।

सभापति महोदय, राज्य का जो माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत ही अहम प्रोजेक्ट था रिफाइनरी, वहां भी हमने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए रिफाइनरी में उद्योगों को विकसित करने के लिए एरिया पचपदरा में आइडेंटिफाई किया है। जमीन एक्वायर कर ली, हमने उस पर काम शुरू कर दिया। वहां भी 422 हैक्टेयर भूमि हमने चिह्नित की है। उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया।

रीको द्वारा भूखण्डों की पहले 'पहले आओ पहले पाओ' देने की पालिसी थी। जो कोई आ गया उसको दे दिया, नहीं आया नहीं दिया। पता नहीं कौनसा प्लाट खाली है, कौनसा नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसमें। हमारी सरकार आने के बाद हमने उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ई-आक्शन

(श्री परसादी लाल)

शुरू कर दिया। ई-आक्शन से सबको पता है कि इतने प्लाट फलां जगह हैं। यह स्कीम लानी है, कोई भी उस तारीख तक ले सकता है। मुझे खुशी है कि 2015-16 में 321 प्लाट पहले आओ, पहले पाओ में बिके थे। 2016-17 में 315, 2017-18 में 358 2018-19 में 383 और इस वर्ष 2019-20 हमारे 1039 प्लाटों की नीलामी हो गयी है। मुझे कहते हुए खुशी है एक भी प्लाट की, इनमें से एक भी कोई शिकायत सरकार के पास आज तक नहीं आयी कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। सब ओपन है। जिसको भी इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है, उन्होंने ई-आक्शन से नीलामी लगाकर इन प्लाटों को लिया है और मुझे खुशी है कि ईआक्शन में वे लोग आ रहे हैं, जिनको वास्तव में उद्योग लगाना है। पहले आओ, पहले पाओ की नीति में कौन लोग आते थे? जो मिल -जुलकर हमारे अधिकारियों से, और कहीं से रास्ता निकालकर उसको री-सेल कर देते थे। री-सेल कर देते थे और उद्योग नहीं लगाते थे। अभी भी हमारे पास पहले की बहुत सी शिकायतें हैं। अब इसमें वे ही लोग आएंगे जिनको वास्तव में उद्योग लगाना है। इसमें रीको को 1100 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है जिससे हम और भी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास पूरे प्रदेश में करेंगे। यह बहुत अच्छी पॉलिसी हमारी इसमें साबित हुई है।

अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि पड़ौसी राज्यों से हमारे जमीनों की रेट ज्यादा है। यह हमने भी महसूस किया कि दूसरे राज्यों से हमारी रेट ज्यादा है। गुजरात से ज्यादा थी। हमने अभी इस विभाग को, रीको को निर्देश दिया कि आप 20 से 25 परसेंट तक नये जो एरिया आ रहे हैं, पहले से 20 से 25 परसेंट तक उनकी सबकी रेट कम होगी। अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य सुरेश टाक जी कह रहे थे कि 50 परसेंट करो। 50 नहीं, आपकी बात मान ली और हमने 25 परसेंट तक उन सबकी रेट कम कर दी है और जल्दी ही उन पर कार्यवाही करेंगे। हम जानते हैं कि जमीन महंगी होगी, बिजली महंगी होगी तो हमारे कौन उद्योग लगाने आएगा इसलिए हमने इसकी रेट का भी बहुत बड़ा फैसला है जो हमने किया है। रीको से अभी कोई एक करोड़ का प्लाट लेगा तो रीको ने बहुत बड़ी सुविधा दी है। एक करोड़ किसी उद्योगपति के पास पहले ही रखने को नहीं होते हैं, उस पर 75 परसेंट रीको उनको जमीन के लिए लोन भी देगी, उसकी व्यवस्था भी करेगी। अगर एक करोड़ का प्लाट वह रीको से ई-आक्शन में खरीदेगा तो 75 लाख रुपये रीको

(श्री परसादी लाल)

उसको लोन के रूप में दे देगा जिससे यहां पर औद्योगिक वातावरण बने, ऐसी व्यवस्था भी हमने की है।

यह माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट की घोषणा है कि सीतापुरा में प्लग एण्ड प्ले, एक पार्क बनाएंगे वहां पर। उद्योगपति आये, वहां पर सारा बना-बनाया सिस्टम मिलेगा, अपना उद्योग लगाये, उसको टाइम नहीं लगे। इसलिए ऐसे प्लग एण्ड प्ले पर भी हम काम कर रहे हैं।

सीटीपी, हमारे बहुत ही विद्वान सदस्य ने कहा कि सीटीपी में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, वह हुआ नहीं। आप विश्वास करिये, अशोक गहलोत जी जो घोषणा करेंगे न, वह 100 परसेंट पूरी होगी, वह हमारा काम प्रक्रियाधीन है और आपको जानकर खुशी होगी कि सीटीपी में जो हमने किया है वह बहुत बड़ा काम है। आपके बालोतरा, जसोल, पाली, ये बहुत बड़ी समस्या है। एनजीटी यहां पर बार-बार में बहुत सारी पेशियां हमारे अधिकारियों की भी करता है और उसके लिए मुख्य मंत्री जी की घोषणा का शत-प्रतिशत पालन होगा, किसी को शंका नहीं करनी चाहिए और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 मार्च से पहले-पहले उसके आदेश हो जाएंगे। वह जो आपको 50 परसेंट में पहले एक करोड़ मिलता था अब 2 करोड़ तक आपको उसको सब्सिडी मिलेगी, ऐसी हमने व्यवस्था की है। हमारे मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं तो यह समझो कि 100 परसेंट हो गया इसलिए हमने ज्यों ही मुख्य मंत्री जी को कहा, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला उद्योगों के लिए किया है। कोई राइडर नहीं, कह दिया कि जो करना है वह करिये, उद्योग यहां पर लगे, लोगों को रोजगार मिले, यह उनका ध्येय है और हमारी सरकार का भी यही ध्येय है कि सब लोगों को यहां पर फायदा मिले।

एक हमारे राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के अन्तर्गत लोन दिया गया था। राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के अन्तर्गत लाभान्वित अनेक औद्योगिक इकाइयां गम्भीर वित्तीय संकट तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से योजना से प्रावधित पांच वर्षों की अवधि तक निरन्तर उत्पादनरत रहने में असफल रही है। इन विफल इकाइयों से अनुदान राशि लगभग 25 करोड़ रुपये मय ब्याज वसूलनी है। ऐसी औद्योगिक इकाइयों को अनुदान वसूली से राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान पैकेज की घोषणा करता हूं और हण्ड्रेड परसेंट उनकी माफ करने की घोषणा करते हैं। वह इकाइयां ही बन्द हो गई, वे अनुदान दे ही नहीं सके तो उनकी पूरी माफी की

(श्री परसादी लाल)

घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल मीटिंग लेकर की है कि उद्योगों को कैसे हम राहत दें।

सभापति महोदय, नये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो भी है, अभी रीको के दो कार्यालय राजसमन्द और दौसा खोले गये। चूरू के लोगों को भी झुन्झुनूं आना पड़ता है और बहुत लम्बा काम वहां पर होता है। चूरू में अच्छा औद्योगिक वातावरण है तो रीको के चूरू उप कार्यालय को इकाई कार्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूं। वहां पर सारे काम होंगे।

सभापति महोदय, सी श्रेणी के जो छोटे उद्योग थे उनको बहुत बड़ा सर्विस चार्ज देना पड़ता था जयपुर के बराबर। ऐसे हमारे सी श्रेणी के जो औद्योगिक क्षेत्र थे, हमने 1 अप्रैल, 90 से 50 प्रतिशत तक की छूट उनको दी है। उनका 9 रुपया और कुछ पैसा था, उसको 5 रुपया कर दिया। उनको सर्विस चार्जेज में आधी छूट दी है और जिन्होंने पांच साल से पहले नहीं दी, उक्त औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों में पूर्व अवधि से सम्बन्धित बकाया, पहले 5 साल से बकाया थी, सर्विस चार्ज की राशि में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने की घोषणा इस आधार पर की जाती है कि बकाया शेष राशि का भुगतान संबंधित आवंटी द्वारा 30 जून, 2020 तक रीको को कर दिया जाएगा तो उसको पांच साल पहले से हम छूट दे देंगे। इनमें इकाई है, मण्डार है, स्वरूपगंज है, आबू रोड की फालना, जादरी पाली की है, सालोदा गंगापुर सिटी, निवाई देवली, मालपुरा, सनवाड़ उदयपुर यूनिट, ये यूनिटें पांच साल से कोई भी सर्विस टैक्स नहीं दे पा रही थी क्योंकि एरिया छोटा था, चार्जेज ज्यादा थे। इनको भी हमने राहत देने की घोषणा की है।

राजस्थान राज्य में लम्बे समय से थिंक टैंक पार्क की स्थापना की मांग की जा रही थी। बैंगलोर, हैदराबाद, गुडगांव की तरह यहां पर विशेष पार्क निर्मित हो ताकि सामान्य स्थानीय पढ़े-लिखे युवाओं को अधिकाधिक रोजगार मिल सके। हमारी सरकार ने इसके लिए जयपुर में बी-2 बाईपास के निकट लगभग 40 हैक्टेयर भूमि पर थिंक टैंक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे बड़े पैमाने पर हाई-टैक प्रोफेशनल व्यक्तियों, विशेषकर आईटी और फाइनेंस सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, डीएमआईसी विभाग की बहुत चर्चा हुई। डीएमआईसी विभाग हरियाणा से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, शायद एमपी में

(श्री परसादी लाल)

भी है। इन राज्यों को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप जितनी जमीन एक्वायर करके हमें देंगे, जितना पैसा आपका खर्च होगा, उतना पैसा उसको डवलप करने के लिए भारत सरकार देगी। सभी राज्यों में, भारत सरकार ने हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी 100 परसेंट काम कर लिए। यह बात सही है पाली से आने सदस्य की, हमारा काम बहुत धीमा है। हमने बहुत सी जमीनें डी-एक्वायर कर दी बहुत सारी जमीनें करीब 800-900 एकड़ हैक्टेयर। हमारे पास अब 500 हैक्टेयर के करीबी जमीन रह गई, छोटा हो गया और उसके लिए भी हमने पिछले पांच साल तक, हमने चार्ज संभाला जब तक, केवल 485 करोड़ में से 9 करोड़ का किसानों को मुआवजा दिया था।

अभी तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे हमारे किसानों को, बहरोड़ से आने वाले सदस्य भी कह रहे थे कि उनकी जमीनें एक्वायर कर लीं, अवार्ड जारी कर दिया, उनको मुआवजा भी नहीं दिया। अभी अवार्ड जारी होकर डीएमआईसी का काम, चाहे वहां पर हमारे पांच क्षेत्र थे, डीएमआईसी में उसमें हमारी गति बहुत धीमी रही और एक साल में भी हमने अभी कोई ज्यादा प्रगति नहीं की। 932 करोड़ का काम किया, जबकि उनको 128 करोड़ रुपये सरकार ने दे रखा है। इसलिए, डीएमआईसी विभाग बनाया और डीएमआईसी विभाग काम नहीं कर पा रहा है। उसमें सब डेपुटेशन के लोग हैं। सब अपना टाइम पास करते हैं। अब हमने फैसला किया है डीएमआईसी का काम जोधपुर रोहट का भी, अभी माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे। वह सारा काम हमने रीको को दिया है, रीको में सारे एक्सपर्ट लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है। जल्दी से जल्दी हम भारत सरकार के सामने जाकर कहने के नहीं है, सारे राज्यों ने फायदा ले लिया, राजस्थान आज सबसे पीछे खड़ा है। हमारे अधिकारी पीयूष गोयल साहब की मीटिंग में जाने से कतराते हैं। हम जाकर क्या जवाब देंगे? पिछली सरकार ने तो किया ही नहीं, हमने भी कोई ज्यादा एक साल में नहीं किया। हम चाहते हैं कि एक साल के अंदर-अंदर हम भारत सरकार के सामने जाकर कहें कि हमने जमीन का पूरा काम कर लिया है। अब हमें सहायता दे और सब उसको डवलप करेंगे। चाहे रोहट पाली का हो, चाहे खुशखेड़ा का हो, हम उसको चाहते हैं कि पूरी इच्छा से, कल मुख्य मंत्री जी को हमने मीटिंग में कहा कि इसको आप रीको को दीजिए। रीको ने कहा कि हम इसको बहुत जल्दी 6 माह में पूरा कर देंगे। रीको के पास पूरा स्ट्रक्चर है,

(श्री परसादी लाल)

उनका अनुभव है, रीको बहुत सारी जमीनें एक्वायर करता है, उनके पास पूरा स्टाफ है। अब यह काम रीको को बहुत जल्दी देकर इसमें प्रगति लाएंगे। डीएमआईसी बहुत महत्वपूर्ण है।

अब एक गैस आधारित सिरेमिक उद्योग की बात आई। यहां पर भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हमारा सारा मैटेरियल मोरबी गुजरात जा रहा है। यह पिछली सरकार ने तो पूरे दरवाजे खोल रखे थे। हमने उनको आते ही बंद किया। जब हमारी भीलवाड़ा की, राजसमन्द की इकाइयों के उद्योगपति, जिनकी इकाइयां बंद हो गई थीं, वे आये तो हमने इस पर रोक लगाई। रोक लगाने के बाद अब सिरेमिक उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले। भारत सरकार से हमने निवेदन किया है, उन्होंने निवेदन को स्वीकार भी किया। राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने कट मोशन भी लगाया है। हम उनको जवाब भी भेज रहे हैं। भारत सरकार की गैस अथोरिटी ने सब जगह इसको बिछाने के काम को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 18-19 जिलों में गैस सप्लाई करने का हां किया है। जब भी भारत सरकार से गैस हमको मिलना शुरू हो जायेगी और ये उद्योग हमारा वापस, हम चाहते हैं रीको की तरफ से, सरकार की ओर से पूरे स्पेशल जोन बनाने हों। उसके लिए भी हमारी तरफ से कोई नहीं, हमारे यहां उद्योग स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा जो सिरेमिक उद्योग का काम है। इसमें जब मोरबी हमारा मैटेरियल जाएगा, वहां आएगा और फिर बनकर यहां पक्का माल आएगा तो महंगा पड़ेगा। हमारे यहां बनेगा तो टाइल्स वगैरह जो बनती है तो निश्चित रूप से वह सस्ती होंगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। सभापति महोदय, हमारा पूरा एरिया, जहां भी सरकारी जमीन मिलेगी। अब रीको के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए जमीन एक्वायर करना बहुत महंगा हो गया है। लोग चार गुना मुआवजा मांगते हैं, लोग जमीन छोड़ना नहीं चाहते। इस तरह का वातावरण बना है। हम चाहते हैं इसके लिए जल्दी भारत सरकार से, माननीय प्रतिपक्ष के नेता हमारे बैठे हैं। राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्य प्रभावशाली हैं, अगर गैस का काम आप जल्दी करा दें, स्पेशल सबको चलना पड़े। मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा है आप भी उनको लिखें और ये गैस आधारित हमारी जो पूरी की पूरी सिरेमिक इंडस्ट्री का काम, ये पूरा गैस आधारित है। जितना जल्दी आप इसमें सहयोग करेंगे, सरकार पूरी राजस्थान की जनता के साथ है। हम चाहते हैं कि हमारा मैटेरियल इतना जा

(श्री परसादी लाल)
रहा है, कौड़ियों के भाव जा रहा है। हमारे यहां पर रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेंगे, विकास होगा, इसलिए इसको भी हम बहुत टाप प्रायोरिटी पर ले जाना चाह रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी खादी का भी यहां पर जिक्र आया, खादी में कोई काम नहीं हुआ। शायद सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ। खादी की बिक्री के लिए पहली बार हमने पचास परसेंट की सब्सिडी दी है, तीन महीने के लिए, 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर और 82 करोड़ की रिकार्ड बिक्री हुई है, कभी इतनी बिक्री नहीं हुई। खादी संस्थाएं सब, हम चाहते हैं कि इसमें खादी की, जो 82 करोड़ की बिक्री हुई, वह अपने आप में एक रिकार्ड है और इसमें संस्थाओं को बहुत फायदा मिला। सभापति महोदय, हमारी 144 के करीब संस्थाएं हैं। हम उन सबको भी कम्प्यूटराइज्ड कर रहे हैं। उनको जो हम शेयर मनी देते हैं, वह भी बढ़ाकर पहले उनको तीन करोड़ देते थे, अब उनको 10 करोड़ का हमने प्रावधान किया है।

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर हमने वस्त्रों पर छूट दी है। हम चाहते हैं कि इस तरह की छूट को आगे भी हम जारी रखेंगे। राजस्थान वित्त निगम, अभी सवाल उठा था कि लैण्ड कन्वर्जन नहीं हुई। उनको लोन कौन देगा, आरएफसी देगा। लैण्ड कन्वर्जन का भी हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे एमएसएमई एक्ट के बाद, कानून बनने के बाद, जो उद्योग लगाएंगे। उनको किसी तरह की कठिनाई आए, उनको डीम्ड कन्वर्जन करेंगे। जो भी रास्ता मुख्य मंत्री जी को बताया, जो भी रास्ता निकलेगा, किसी को किसी भी बैंक से लोन देने में, हमारे चीफ सैक्रेट्री की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है। सारे बैंकर्स को बुलाकर वे बात करेंगे कि इस एक्ट के बाद जो लोग अपना उद्योग लगाना चाहें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसकी भी हमने व्यवस्था की है। धीरे-धीरे हम सब इन चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी डीएमआईसी में दो क्षेत्र नहीं, पांच क्षेत्र थे, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश, जोधपुर पाली मारवाड़, अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, राजसमन्द, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर, दौसा औद्योगिक क्षेत्र, पर भारत सरकार ने अभी हमको दो क्षेत्रों पर ही परमिशन दी है। पहले हमारे दो काम पूरे हो जाएं, हम भारत सरकार को जाकर कहेंगे, अभी क्या कहें हम, हमने काम ही नहीं किया, सबसे पीछे हैं हम, इसको स्वीकार करने

(श्री परसादी लाल)

में कोई, आपकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, हमको कोई वो नहीं है कि हमने काम नहीं किया। अब हम काम करेंगे और बहुत जल्दी इन कामों पर हम निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

हमारे छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सेज पर कोई काम नहीं हुआ, सारा खाली पडा है। सेज में 149 एकड़ भूमि अवाप्त की गई थी। 1000 एकड़ भूमि कंपनी की थी और 1000 एकड़ भूमि हमारी थी। 2949 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। इस भूमि में से 1500 एकड़ मल्टी प्रोडक्ट्स सेज, 1000 एकड़ सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर व 94 एकड़ पुनर्वास हेतु प्रयोग ली गई है। अभी तक उन 97 इकाइयों को 821 एकड़ भूमि आबंटित हो चुकी है जबकि कुल सेलेबल 1914 एकड़ है, 62 इकाइयां उत्पादन का काम कर रही हैं। कुल निवेश 5000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है व गत वर्ष में 1552 करोड़ का निर्यात हुआ है। सेज का काम भी हमारा ठीक है और औद्योगिक इकाइयां आएंगी, निश्चित रूप से वहां पर जब औद्योगिक वातावरण बनेगा तो सेज का जो कहते हैं, खाली पड़ा है, हमने हमारे बहुत सारे कलेक्टर्स से अभी प्रस्ताव मंगाए हैं। अजमेर का उदयपुरकलां, सिलोरा, किशनगढ़ तहसील का, अलवर का धीलोद तीमराना, अंवारा का अमरपुरा अंता, सोरेन अंता, बाड़मेर के आए हैं, चौहटन आया है, कुलीचालिपा आया है, रावत का गांव, मथुजा, मंडावरा, भरतपुर का बांसखुर्जा, धानोता, नयागांव, खालसा, भीलवाड़ा, बीकानेर का डूंगरगढ़, बूंदी का दयालपुरा, चित्तौड़गढ़ का बस्सी फतेहपुर, धौलपुर का बिजोली, बरौली, हनुमानगढ़ का ढाणी खोखरान, जयपुर का थोलाई, दिनोई, झर, लालपुरा, चाकसू का और अपने दूदू का, यह सारे गांव झालावाड़ के आए हैं हरनावदा, झुंझुनूं का आया है ये सारे गांव हमने सरकारी कलेक्टर से मंगवाए हैं। अगले वित्त वर्ष में सभी जगह पर रीको की इस जमीन की कानूनी प्रक्रिया पूरी करके हम सब जगह रीको का एरिया डवलप करेंगे और वहां पर उद्योगों की हमारी जो डिमांड है, यह सही कह रहे थे कि दिल्ली की बहुत सारी इकाइयां यह हमारे यहां आना चाहती हैं, उनको जमीन महंगी लग रही है। हम निश्चित रूप से अलवर में कहीं भी उनके लिए जमीन आरक्षित करेंगे। ढाई हजार यूनिट एक साथ वहां से दिल्ली से उठकर आ रही हैं, कोई यूपी वगैरह की कह रहे थे कि वहां चले गए, कोई नहीं गया अभी, वहां हमारे संपर्क में है और हम चाहते हैं कि वहां पर निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी उन पर कार्यवाही हो।

(श्री परसादी लाल)

हमारे माननीय सदस्य फुलेरा से आने वालों ने कहा, सांभर साल्ट के बारे में उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की है। यह चिंता उनकी भी है, हमारी भी है। हमने लीज पर जमीन दी है पर अब भारत सरकार ने माननीय सभापति जी, हमको आफर दिया है कि यह सारा आपको राज्य सरकार को दे दे। 2-3 मीटिंग हो गई। जल्द ही फैसला हम ले लेंगे। भारत सरकार बिना कोई लायबिलिटीज के हमको दे रही है। हम भारत सरकार का स्वागत करेंगे और इसको निश्चित रूप से हमारे पास जब आएगा यह उपक्रम तो निश्चित रूप से इसमें हम अच्छा प्रोडक्ट, लोगों को रोजगार मिले, सांभर का अच्छा नमक पूरे देश में फेमस है, इसको निश्चित रूप से, आप चिंता न करें, इसमें बहुत जल्दी हम कार्यवाही करेंगे।

पाली से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां पर प्लाट बिक नहीं रहे हैं रीको के, नीलामी लगाने नहीं आ रहे हैं। वहां पर जो आपकी परेशानी हो रही है एस कैटेगरी और रेड कैटेगरी वाली। उसका निश्चित रूप से आपको हमने पहले भी आश्वस्त किया है जल्द ही इस पर फैसला करेंगे कि वहां पर औद्योगिक वातावरण बने। वहां पर आपके जो प्लाट एरिया पूरा खाली पड़ा है, निश्चित रूप से आपके सुझाव के अनुसार हम पाली के रीको एरिया को विकसित करेंगे। हमारे अधिकारियों से कह देंगे कि आपके साथ बैठकर आपके जो सुझाव होंगे, उनके अनुसार इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए, हमारे बाड़मेर से आने वाले सदस्य ने भी, हम एक हैंडीक्राफ्ट का निदेशालय भी बना रहे हैं, इससे हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो छोटे-छोटे बाड़मेर में, जोधपुर में, जयपुर में जहां भी है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि उसके गठन की भी हम जल्दी घोषणा कर देंगे और उसको निश्चित रूप से अमलीजामा पहनाकर हम चाहेंगे, राजस्थान में बहुत अच्छा काम होता है क़शीदे का, हैंडीक्राफ्ट का जोधपुर में उसका निदेशालय रखेंगे और हम निश्चित रूप से इसको करेंगे।

हमारे माननीय सदस्य अमीन खां जी ने कहा कि वहां गडरा रोड पर नमक का बहुत अच्छा स्कोप है। हमने उसका जवाब मांगा है उसका टैस्ट करवाएंगे। कहीं कोई बात होगी और अच्छा नमक होगा, उत्पादन होगा तो वहां भी हमारा विभाग उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेगा।

चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां पर एक

(श्री परसादी लाल)

गांव में वहां पर पचपदरा में बहुत अच्छा नमक का भण्डार है। उनके सुझाव के अनुसार हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे और अच्छा होगा तो हम उसको निश्चित रूप से बनाने का उनको आश्वस्त करते हैं।

सादुलशहर से आने वाले, किसने कहा कि रीको क्षेत्र सादुलपुर में है। रीको क्षेत्र का भी...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, माननीय अमीन खां जी ने कोई ऊंट के बालों के बारे में भी कहा था कुछ। ऊंट के बालों की कोई दरी वगैरह, कारपेट वगैरह बनते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया था उन्होंने।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अमीन खां जी का तो दे दिया न जवाब। गडरा रोड का मामला है उनका, उसको हम निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और वहां उद्योग लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं आई, टैक्निकल प्राब्लम नहीं आई, वहां पर उसका नमक ठीक हुआ तो निश्चित रूप से वहां पर उद्योग लगाएंगे।

सादुलपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी रीको क्षेत्र को विकसित करने की बात कही है। उसको भी हम विकसित करने के लिए निश्चित रूप से अगले वित्त वर्ष में कार्यवाई करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी, वह निश्चित रूप से हम पूरी करेंगे और उद्योग विभाग को किस तरह हम चला सकते हैं। हम सभी माननीय सदस्यों को, जहां पर भी रीको की सम्भावना हो, अपने प्रस्ताव भिजवा दें। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में वातावरण बने। इस तरह का वातावरण बने कि उद्योगों में लोगों को रोजगार मिले।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा मामला अभी आया कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते। यह बात अभी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सीरियसली ली है। उनका ई.पी.एफ. वगैरह जो भी जमा होता है, हम उसमें जो 50 परसेंट मजदूर लगायेगा, 50 परसेंट ई.एस.आई. वगैरह में हम उनको देंगे। ई.पी.एफ. वगैरह, उसमें जो 75 परसेंट हमारे स्थानीय लोगों को लगायेगा, हम 75 परसेंट उनको हिस्सा देंगे, यह हमारी नई पालिसी है। इससे लोगों को निश्चित रूप से, हम उस उद्यमी को देंगे, जो हमारे स्थानीय लोगों को लगाएंगे, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। हम चाहते हैं, सरकार चाहती है, उद्योगों का विस्तार इसलिए करते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वातावरण बनाकर हम रीको के द्वारा बहुत क्षेत्रों को विकसित करेंगे।

(श्री परसादी लाल)

हम चाहते हैं कि जो घोषणाएं हमने की हैं, सभापति महोदय, एक नालेज पार्टनर की नियुक्ति भी हम करेंगे। नवीनतम तकनीक एवं वैश्विक परिदृश्य में चल रहे विकास के प्रक्रम को राजस्थान के विकास में किस तरह प्रयुक्त किया जाए, ताकि राज्य के तीव्रतम विकास के लिए सरल व सुविधाजनक नीतियां बनाई जा सकें, इसके लिए सरकार की सहूलियत के लिए एक नालेज पार्टनर नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सदस्यों के जो भी कट मोशंस हैं, उन सबके जवाब भिजवाएंगे। बहुत अच्छे कट मोशंस आये हैं, मैंने आधे ही कट मोशंस, 286 के करीब कट मोशंस हैं, मैंने आधे से ज्यादा पढ़े हैं। बहुत अच्छे सुझाव हैं। सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य के भी बहुत अच्छे सुझाव हैं किरण माहेश्वरीजी के भी अच्छे हैं, सबके सुझावों पर निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे और उनके जवाब बहुत जल्दी भिजवा देंगे।

सभापति महोदय, उद्योग विभाग में सबके सहयोग से हम अच्छा काम करना चाहते हैं, ट्रांसपरेंसी से काम करना चाहते हैं, लोगों पर हमारा विश्वास बने कि राजस्थान का उद्योग विभाग अच्छी ट्रांसपरेंसी से काम करे, इसलिए सारी नीतियां, हम मुख्य मंत्रीजी से निर्देश लेकर, उनका जो ध्येय है, उनका जो उद्देश्य है, रोजगार मिले, उद्योग लगे, यहां पर लोगों का, जिस तरह का उनका मन है, उसके अनुसार हमारा विभाग कार्यवाही करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 42 उद्योग को पारित किया जाए।

अनुदान की मांग का पारण

मांग संख्या 42 उद्योग

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 - उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,64,43,17,000/- (तीन अरब चौंसठ करोड़ तियालीस लाख सत्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,28,09,38,000/- (बारह अरब अट्‌ठाइस करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.00 बजे गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-01

मांग संख्या 42-उद्योग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42-**उद्योग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री अमीन खां (शिव):

1. जिला बाड़मेर की तहसील गडरारोड में नमक उद्योग लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

2. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में रोजगार हेतु उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

3. सूरतगढ़ में नये उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

4. एम.आई.ए. अलवर में बन्द पड़े उद्योगों को विशेष पैकेज देकर पुन: शुरू करवाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

5. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के युवाओं को रोजगार देने के लिये प्रदूषण मुक्त उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

6. चूरू औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की स्ट्रीट लाइट ठीक किये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. प्रदेश में सिंगल विंडो एक्ट के पश्चात् भी उद्यमियों के लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

8. इण्डस्ट्रियल एरिया खेरली (कठूमर) में उद्योग के लिए आबंटित जमीन को अन्य कार्यों में लिये जाने के कारण उनका आबंटन निरस्त किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

9. रीको औद्योगिक क्षेत्र भादरा में सड़क, पानी, बिजली व आधारभूत ढांचे के निर्माण पर चर्चा के लिये।

10. रीको औद्योगिक क्षेत्र भादरा को विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

11. नई उद्योग नीति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

12. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में रीको द्वारा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

13. सादुलशहर में उद्योगों में वृद्धि के लिए रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

14. डीडवाना नमक उद्योग की संसाधनों के अभाव में बिगड़ती व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

15. कुन्जबिहारीपुरा (फागी) में रीको औद्योगिक क्षेत्र में आबंटन प्रक्रिया शुरू नहीं करने एवं ग्राम बिचून रीको औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. रीको द्वारा स्थापित नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं के आबंटन प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

17. रीको की कोटा में खाली भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकने पर चर्चा के लिये।

18. रीको द्वारा कोटा में उद्योग लगाने के लिए दी गई भूमि पर व्यावसायिक होटल्स एवं अन्य उपयोग करने पर कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

19. बड़े व छोटे उद्योगों द्वारा स्थानीय युवकों को नौकरी में प्राथमिकता प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

20. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना एवं क्षेत्र के विस्तार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

21. दिल्ली-मुंबई डी.एफ.सी. के सहायक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में राजसमंद का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित दिल्ली-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का मार्ग, अजमेर, ब्यावर, कांकरोली, मावली, उदयपुर होकर निकालने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद को गैस पाइप लाइन से जोड़ने का कार्य करवाने से वहां से फेल्सपार जो गुजरात जा रहा है, उसे रोककर राजसमंद में ही सिरामिक टाइल्स का उद्योग स्थापित किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

24. बगरू औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु उद्योग लगवाकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

25. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में स्थानीय उद्योगों में योग्य बेरोजगार लोगों को रोजगार देने पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

26. 10 करोड़ रुपये तक के उद्योगों की स्थापना में चैक ब्याज में छूट देने की घोषणा पर अमल नहीं होने पर चर्चा के लिये।

27. सोनीलाना तहसील गंगरार में रीको एरिया को विकसित कर उद्योगों के लिए प्लाट उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी में रीको की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु व कुटीर उद्योग हेतु विशेष अनुदान राशि देने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लकड़ी, कांच, चूड़ी, कुम्हार गिरी, चुनाई, बढ़ई एवं मसाले आदि लघु उद्योग हेतु विशेष अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के हिन्दुस्तान जिंक जावर माइन्स औद्योगिक इकाई में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

32. करौली के आस-पास के क्षेत्र की पहाड़ियों के पास लौह अयस्क की उपलब्धता होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

33. बाणसर के पास बाबरवाला एवं भलगांव में लवणीय उद्योग स्थापित करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

34. उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिये जाने पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व):

35. बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर की आवासीय एस.डब्ल्यू.एम. कालोनी में सड़क, बिजली, पानी तथा सामुदायिक में विकास कार्य करवाया जावे जिससे उद्योगों से जुड़े लोगों को लाभ मिलने पर चर्चा के लिये।

36. रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर में सड़क, नाली, बिजली, पानी आदि सभी विकास कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

37. प्रतापगढ़ जिले में सीमेंट हेतु कच्चा माल मिलने से फैक्ट्री लगवाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

38. गंगापुर में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

39. पाली में उद्योगों द्वारा नदियों में जल प्रदूषण पर उद्योगों के बायलर

में गीली लकड़ी के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

40. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कलडवास इण्डस्ट्रियल एरिया में उद्योग लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
41. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कैमिकल उद्योगों हेतु अलग से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर चर्चा के लिये।
42. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जनजाति एरिया में लघु उद्योग में मसाला उद्योग को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

43. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

44. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

45. विधान सभा क्षेत्र बालोतरा में उत्पादित कपड़े की गुणवत्ता की परीक्षण हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
46. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में कपड़ा निर्यातक उद्यमियों की सुविधा के लिए टैक्सटाइल्स प्रमोशन कॉन्सिल के कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
47. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा के बिठूजा में स्वीकृत कास्टिक रिकवरी प्लांट की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
48. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में संचालित वंचित कपड़ा उद्योग की इकाइयों को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
49. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा में चतुर्थ चरण को विकसित करने के लिये सी.ई.टी.पी. का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

50. रीको एरिया फतहनगर, गुडली, सुखेर के विकास व सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र मावली में नये औद्योगिक क्षेत्रों की योजना पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

52. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में निकलने वाले ग्रेनाइट पत्थर को उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

54. महवा को रीको क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

55. झुंझुनूं जिले में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

56. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ को रीको क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

58. मोकलसर स्थित रीको एरिया के विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. मोकलसर कस्बे का मटकी निर्माण कार्य जो प्रदेश में प्रसिद्ध है, को लघु उद्योग की श्रेणी में लेकर कुंभकार समाज को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. प्रदेश में माटी कला बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. बाड़मेर जिले में पचपदरा में स्थापित होने वाले रिफाइनरी प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को वरीयता देकर रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. बालोतरा, जोधपुर एवं पाली की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक पानी की आवक ''लूणी नदी'' में आने से किसानों की भूमि बंजर एवं भूमिगत जल रासायनिक होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

63. मनोहरथाना में नये छोटे उद्योगों की स्थापना करवायी जाकर क्षेत्रवासियों का पलायन रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

64. विधान सभा क्षेत्र लूणी में उद्योग से होने वाली समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

65. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में विभिन्न कच्चा माल की उपलब्धता को देखते हुए छोटे-छोटे उद्योग धंधे शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के उत्पादित हो रहे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर इण्डोपाक सीमा से जुड़ा एवं विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष अनुदान दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

68. रीको एरिया मालपुरा के विकास हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. उपखण्ड टोडारायसिंह में रीको क्षेत्र विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण करने तथा बजट आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

70. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

71. रीको द्वारा विकसित अपेरल पार्क, महल रोड, जयपुर की समस्याएं तथा उस औद्योगिक क्षेत्र को वस्त्रों के बजाय अन्य उद्योगों के लिए भी स्वतंत्र करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

72. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के योग्य बेरोजगारों को योग्यता होने के बावजूद भी स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

73. जयपुर में जैम बूर्स स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. प्रदेश में नये इण्डस्ट्रियल एरिया स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

75. श्रीडूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री मालिकों द्वारा बाउंसर से मजदूरों पर हमला करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

77. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

78. विधान सभा क्षेत्र धरियावद (उदयपुर) में लघु उद्योग स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

79. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में एक नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

80. विधान सभा क्षेत्र आहोर में RIICO जोन खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र आहोर M/s गजानंद केशिऊ इण्डस्ट्रीज, M/s

सिम्प्लेक्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट तथा सांवरिया एग्रो कोमोडिटीज, उद्योगों में 325 केवी का विद्युत कनेक्शन कर यहां पर उद्योग को शुरू करवाकर रोजगार उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

82. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में स्थापित उद्योग की सी.एम.आर. राशि को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति से जनहित में विकास कार्यों पर खर्च करने पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में स्थित ए.सी.सी. सीमेंट प्लांट व रामगंज मंडी विधान सभा क्षेत्र में मंगलम सीमेंट प्लांट में 100 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन व रामगंज मंडी में स्थित लाखेरी ए.सी.सी. सीमेंट व मंगलम सीमेंट द्वारा क्षेत्र में फैलाये जा रहे जान लेवा वायु प्रदूषण को रोकने पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में स्थित केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. को पुन: चलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

86. उदयपुर क्षेत्र में मादड़ी इण्डस्ट्रीज एरिया में मेन रोड की दुकानों को कामर्शियल पट्टा दिलवाने के चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (पाली):

87. फालना में स्थित रीको क्षेत्र में पानी एवं रोड के निकास के संबंध में चर्चा के लिये।

88. फालना उद्योग मंडल की भूमि के आबंटन के बावजूद सिवाय चक दर्शाया गया है, को पुन: भूमि फालना उद्योग मंडल को आबंटित करने पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र बाली में नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

90. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के रीको औद्योगिक क्षेत्र नापासर व लूणकरणसर में पेयजल समस्या के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर रीको औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों का पुन: निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. बीकानेर जिले में रीको औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए रीको क्षेत्र में निर्माण की इजाजत दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. बीकानेर को CERAMIC HUB के रूप में विकसित कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

94. घड़साना औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. रावला औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. रावला, घड़साना के औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण नहीं होने से उद्योग बंद होने के कगार पर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

97. पीपलून्द, सरसिया, रावत खेड़ा, बलेन तथा धोड़ ग्राम पंचायतों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध भूमि में से भूमि आरक्षित करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

98. राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण उपलब्ध कराने में हो रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में औद्योगिक क्षेत्र विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. कोटा जिले के कृषि प्रधान क्षेत्र इटावा एवं सुल्तानपुर में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं का अध्ययन एवं अनुसंधान पर चर्चा के लिये।

101. कोटा जिले के इटावा एवं सुल्तानपुर क्षेत्र में उद्योग प्रोत्साहन शिविर एवं मेले लगाने में विभागीय उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

102. प्रदेश में उद्योग विभाग एवं औद्योगिक निगमों के कार्यालयों में

प्रशिक्षित व अनुभवी स्टाफ एवं सलाहकारों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर):

103. सरदारशहर औद्योगिक क्षेत्र को पिछड़ा औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में नये उद्योग लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

105. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में रीको क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

106. बाड़मेर में हस्तशिल्प उद्योग- हैण्डीक्राफ्ट, प्रिंट के कार्यों को सरकारी प्रोत्साहन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. बाड़मेर जिला मुख्यालय के पास पेट्रोलियम उत्पादों का हब क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. बाड़मेर में कवास सहित अन्य स्थानों पर स्थापित जिप्सम लघु उद्योगों के विकास एवं संवर्धन के संबंध में चर्चा के लिये।

109. प्रदेश में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा देकर औद्योगिक वातावरण बनाने पर चर्चा के लिये।

110. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रीको औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

111. विधान सभा क्षेत्र आहोर में रीको एरिया बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

112. उद्योगों को भूमि के उपयोग परिवर्तन के बिना बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. उद्योगों को लगाने के लिए Consent to Operate की आवश्यकता के बिना बैंक लोन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

114. उदयपुर के प्राचीनतम औद्योगिक क्षेत्र ''मादड़ी'' में बंद पड़ी या प्लाट आबंटन पश्चात् उसका उपयोग अन्य कार्यों में लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. उदयपुर शहर के औद्योगिक विकास की रूकावट दूर करने हेतु क्षेत्र में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने चर्चा के लिये।

116. सुखैर औद्योगिक क्षेत्र में रूपान्तरण नहीं होने से औद्योगिक इकाई के विकास एवं विस्तार के अवरूद्ध होने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. उदयपुर के पास स्थित बुढली औद्योगिक क्षेत्र का विकास पानी एवं सुरक्षा के अभाव में नहीं हो पाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. हिन्दुस्तान जिंक उदयपुर एवं जावर माइन्स तथा दरीबा माइन्स उद्योगों के कारण से आस-पास के क्षेत्र में फैल रहे औद्योगिक वायु व जल प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

119. जिला दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 मण्डाना से दौसा, दौसा से लवाण मोड़, लवाण मोड़ से ढिगारिया-मलारना-मण्डाना क्षेत्र में 'दौसा औद्योगिक क्षेत्र' बनाने की चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

120. पाली की टैक्सटाइल औद्योगिक इकाइयों को सोलर विद्युत प्लांट लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सोलर विद्युत प्लांट पर सब्सिडी योजना चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. पाली शहर में हाउसिंग बोर्ड के सामने स्थित सांई बाबा मंदिर के पीछे की ओर की सड़क जिसका उपयोग ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ में जाने वाले भारी वाहनों के लिए ही होता है, उसका निर्माण रीको द्वारा करवाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

122. नया गांव स्थित औद्योगिक क्षेत्र में ई.टी.पी. लगाने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. टैक्सटाइल्स की औद्योगिक इकाई में प्रदूषित पानी के उपचार हेतु

ई.टी.पी. लगाने वाले इकाई को कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

124. पाली शहर स्थित सभी औद्योगिक क्षेत्रों में टैक्सटाइल औद्योगिक इकाई जो ई.टी.पी. लगाती है तो उसे इकाई स्थापित करने की अनुमति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

125. मध्यम एवं लघु उद्योगों के लिए बढ़ाये गये बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ज को समाप्त किये जाने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. रीको द्वारा प्रति वर्ष उद्यमियों से वसूले जाने वाले इकोनोमिक रेंट और सर्विस चार्ज को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा रीको इंडस्ट्रियल एरिया के अरबन डवलपमेंट (यूडी) टैक्स वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. शहर के नजदीक अजमेर ब्यावर रोड पर सरकार द्वारा रीको को दी गई 40 बीघा जमीन पर 29 साल बाद भी उद्योग विकसित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

129. रीको इण्डस्ट्रियल एरिया गेगल के उद्यमियों हेतु पेयजल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

130. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उद्योग लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

131. विधान सभा क्षेत्र कामां में स्थित सोनोखर रीको क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

132. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तख्तगढ कस्बे में रीको इण्डस्ट्रियल एरिया खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सुमेरपुर शहर में बढ़ते व्यापार को

दृष्टिगत रखते हुए जाखानगर रीको इण्ड्स्ट्रीज एरिया व अणगौर इण्डस्ट्रियल एरिया का विस्तार करने अथवा एक नवीन रीको इण्डस्ट्रियल एरिया और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में स्थित जाखानगर रीको इंडस्ट्रियल एरिया व अणगोर रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में सड़कें नवीनीकरण कराने, पानी निकासी हेतु नाला-नाली निर्माण करवाने, निर्मित नालों की साफ-सफाई व आम रास्तों की साफ-सफाई करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में इण्डस्ट्रियल एरिया में रीको द्वारा उद्योगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

136. लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु जोधपुर शहर में हैण्डीक्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

137. प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को सख्ती से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. सांगानेर जयपुर में सांगानेर प्रिंट व कागज उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विस्तृत कार्ययोजना बनाने पर चर्चा के लिये।

139. जयपुर शहर की प्रसिद्ध जयपुरी रजाइयों हेतु औद्योगिक इकाइयां की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

140. जैतपुरा, मण्डा-भिण्डा, कालाडेरा में स्थित रीको के न्यायालय में विचाराधीन मामलों में रीको द्वारा मजबूत पैरवी के अभाव पर चर्चा के लिये।

141. ग्राम जैतपुरा में रीको की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को अविलम्ब हटाने पर चर्चा के लिये।

142. ग्राम कालाडेरा, मण्डा-भिण्डा, जैतपुरा आदि में स्थित फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

143. नीमराणा में स्थानीय उद्योगों में हो रहे जल दोहन को रोके जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

144. नीमराणा में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. नीमराणा में नये उद्योग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. नीमराणा में स्थापित उद्योगों को और विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराणा, घीलोठ, शाहजहांपुर में स्थापित उद्योग के प्रदूषण से हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

148. उद्योगों के सी.एस.आर. फण्ड की राशि का उपयोग उचित जगह पर किये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

149. बाड़मेर जिले में रिफाइनरी व अन्य डीजल व गैर Exploration & Production के कार्य में लगी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. बाड़मेर में रिफाइनरी व गैस तथा डीजल के Exploration & Production के कार्य में लगी कंपनियों का सीएसआर के पैसे को खर्च करने के लिए जन प्रतिनिधियों की कमेटी गठित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

151. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी एवं बासंवाड़ा जिले में पंचायत समिति स्तर पर छोटे-छोटे उद्योग धंधे चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

152. डूंगरपुर जिले में उद्योग के लिए एसटी व एससी के बेरोजगारों को ऋण लेने के लिए नियमों में शिथिलता देने पर चर्चा के लिये।

153. उदयपुर संभाग में टिमरवा के पत्ते से बनने वाली सामगी संभाग में

जहां-जहां टिमरवा पत्ते हैं, वहां लघु उद्योग लगवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम):

154. विधान सभा क्षेत्र भीम में प्रचुर मात्रा में खनिज फेल्सपार/क्वार्टज के समुचित उपयोग हेतु एक सिरामिक उद्योग हब बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

155. अजमेर शहर में लघु उद्योगों के विकास के लिए रियायती दर पर भूमि आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
156. अजमेर जिले के औद्योगिक विकास हेतु प्रभावी कार्य-योजनाएं बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
157. औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों एवं कार्मिक के हितों का संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
158. प्रदेश में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों का पुन: चालू करने एवं नवीन औद्योगिक इकाइयां विकसित करने की दिशा में कारगर प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
159. किशनगढ अजमेर में टैक्सटाइल, पावरलूम उद्योग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

160. उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर में उद्योग स्थापित करने एवं स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतडी):

161. H.C.L. खेतड़ी का स्पेयटर प्लांट पुन: चालू करने पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

162. श्रीगंगानगर जिले में किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
163. श्रीगंगानगर जिले में जोजोबा आयल प्लान्ट लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
164. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बारानी भूमि पर सौर ऊर्जा प्लान्ट लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

165. सीतापुरा के जैम्स एण्ड ज्वैलरी उद्योग के सेज पार्क को डी-नोटिफाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

166. अपेरेल इण्डस्ट्री को प्रमोट करने व नये अपेरेल पार्क स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

167. डायमण्ड के ट्रेनिंग डिजाइन सेन्टर लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

168. विधान सभा क्षेत्र आहोर में निजी क्षेत्र में उद्योग लगवाकर रोजगार उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

169. ग्रेनाइट स्लरी का उपयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं के निर्माण एवं उत्पादन करने वाले उद्योगों की स्थापना किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

170. जालौर में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष योजना बनाकर प्रयास किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

171. जालौर में उद्योगों के विस्तार हेतु RIICO द्वारा औद्योगिक क्षेत्र (चतुर्थ चरण) की स्थापना किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

172. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को ही रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. स्थानीय उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वेतन सुविधा के साथ वेज बोर्ड का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित उद्योगों के भारी ओवरलोड वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

176. उद्योगों से प्राप्त टैक्स को संबंधित विधान सभा क्षेत्र में ही आवश्यक विकास कार्यों पर स्थानीय विधायक की सहमति से खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

177. प्रदेश के लघु उद्योगपतियों, हस्तशिल्पियों व दस्तकारों एवं आयातकों-निर्यातकों की सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के औद्योगिक क्षेत्र बस्सी तथा हीरावाला के विस्तार एवं नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

179. राज्य में नये औद्योगिक केन्द्रों को विकसित/स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में AIR एवं WATER फिल्टर उपकरणों की स्थापना में लापरवाही बरतने वाले औद्योगिक इकाइयों पर कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण इलाकों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. राज्य में स्थापित होने वाले नए उद्योगों में प्रदेश के युवकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. आमेर के मानपुरा-माचेडा इंडस्ट्रियल एरिया से चमड़े के उद्योगों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

184. पूरे प्रदेश में सरसों उत्पादन में चर्चित भरतपुर खासकर नदबई क्षेत्र में सरसों की बड़ी सरकारी मील (उद्योग) लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

185. बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए नदबई में घोषित रीको इण्डस्ट्रियल एरिया की शीघ्र स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र नदबई में खटौटी गांव में फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट की रिक्त 100 बीघा जमीन पर उद्योग लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र नदबई में कुटीर उद्योग (हस्तकरघा) लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

188. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की औद्योगिक इकाइयों में AIR एवं WATER फिल्टर प्लांट्स नहीं लगाने वाले औद्योगिक केन्द्रों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

190. विधान सभा क्षेत्र नगर में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा उचित कदम उठाने और लोन भी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र नगर के गांव बुजी और धानोता में RIICO एरिया खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

192. प्रदेश में नये स्थापित होने वाले उद्योगों की स्वीकृति में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को निश्चित प्रतिशत में नियोजित करने की शर्त रखी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाले बनेड़ा उपखण्ड के गांव रायला में नया औद्योगिक क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. भीलवाड़ा जिले की विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उपखण्ड शाहपुरा में स्थापित समेलिया फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें व बिजली की व्यवस्था कर विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

195. प्रदेश में नवीन उद्योगों की स्थापना में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष सुविधाएं देने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक संस्थान जिन्दल प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, आंगूचा द्वारा अपने लाभ का कानूनन निर्धारित दो प्रतिशत सामाजिक सरोकारों पर व्यय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

197. बारां जिले में नये उद्योग लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. बारां रीको एरिया में उद्योग स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

199. कोटा स्टोन उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. कोटा में नये उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने व उद्यमियों की सुविधा हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

202. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के औद्योगिक क्षेत्रों में विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

203. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के आबादी क्षेत्र में स्थापित फैक्ट्रियों को नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए नये उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में स्थित सीमेन्ट फैक्ट्रियों में स्थानीय क्षेत्रवासियों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में स्थित सीमेन्ट फैक्ट्रियों के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

207. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

209. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित रीको कार्यालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

210. प्रदेश में टैक्सटाइल विनिंग सैक्टर में अन्य राज्यों की तुलना में विद्युत दरें अधिक होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

211. किशनगढ़ (अजमेर) में टैक्सटाइल पार्क की तर्ज पर रीको द्वारा पावरलूम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

212. किशनगढ़ (अजमेर) औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बिना पैनल्टी समय-सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

213. किशनगढ़ (अजमेर) में रीको के नये औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान में निर्धारित दर 5350/- रुपये प्रति वर्ग मीटर में 50 प्रतिशत की कटौती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

214. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में BIDA के माध्यम से आवासीय कालोनी विकसित करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्थापित बीयर फैक्ट्रियों द्वारा पानी का अत्यधिक दोहन एवं प्रदूषण फैलाने के कारण इन्हें अन्यत्र शिफ्ट करने के संबंध में चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कांकर कुतीन में BIDA की तरफ से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

217. विभिन्न उद्योगों को सुरक्षात्मक उपायों एवं नियमों की पालना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

218. युवा नये उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन पुराने प्लाट्स के आक्शन की मांग को रीको द्वारा पूरा नहीं किया गया है। रीको में बचे हुए प्लाट्स का आक्शन करवाने पर चर्चा के लिये।

219. नोखा शहर से रीको इण्डस्ट्रियल एरिया तक रोड के बीच में डिवाइडर बनाने तथा रोड लाइट्स लगाने पर चर्चा के लिये।

220. नोखा में रीको आफिस स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. नोखा रीको एरिया में सीवरेज नहीं होने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

222. नोखा रीको एरिया में बिजली की अघोषित एवं अत्यधिक कटौती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

223. मसाला उद्योगों और औषधियों की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाले नागौर में दाल, जीरा, मैथी, टमाटर ज्यूस, अनार ज्यूस, ग्वारपाठा, असालिया, आसकंर, धनिया, पान मैथी, पोदीना, अनार, पपीता, ईसबगोल के प्रसंस्करण उद्योग लगाने की संभावना पर चर्चा के लिये।

224. हैंडटूल्स उद्योग के पुनरूद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. नागौर जिले के भडाणा के पास स्थित जुंजाला गांव में चायना क्ले व बाल क्ले से टाइल्स निर्माण के उद्योग भी लगाये जाने की संभावना पर चर्चा के लिये।

226. जायल डेगाना व खींवसर में नये रीको क्षेत्र स्थापना से जायल तहसील में कोयला संपदा डेगाना में टंगस्टन तथा खींवसर में लाइमस्टोन से संबंधित उद्योगों की संभावना पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 23-श्रम एवं रोजगार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 23-श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/ करेंगी कि:-

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

1. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं अन्य बड़े उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवकों एवं मजदूरों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के श्रमिकों हेतु चल रही विभिन्न योजनाओं से वंचित लाभार्थी को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

3. प्रदेश के बेरोजगारों की सूची बनाकर उन्हें रोजगार देने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं का लाभ श्रमिकों को समय पर न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. श्रम विभाग सीकर में गलत तरीकों से मनरेगा श्रमिकों के फार्म निरस्त कर देने से उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

6. प्रदेश में श्रम के आधार पर रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

7. विधान सभा क्षेत्र आहोर में श्रम एवं रोजगार कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र आहोर में शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के लम्बित मामलों के संबंध में चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र आहोर में श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मिलने

वाले लाभ के अनेक प्रकरण श्रमिक हिताधिकारी लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

10. श्रमिकों हेतु तहसील व जिला मुख्यालय पर विश्रान्ति भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. श्रमिक शहरों व कस्बों में मजदूरी की तलाश में एकत्रित होते हैं, वहां सुविधायुक्त ठहराव स्थल निश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

12. बाड़मेर जिले में संचालित श्रम रोजगार कार्यालय बालोतरा में रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. जिला बाड़मेर में श्रमिक योजना से लाभान्वित मजदूर जिनको वर्ष 2018-19 में सहायता राशि के प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिये गये, उनकी समीक्षा के नाम पर वंचित कर दिया गया, से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता से वंचित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. जिला बाड़मेर के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में श्रमिक योजना से संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रकरण लम्बित होने से योजना की क्रियान्विति से श्रमिकों में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. श्रमिक योजना में श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीयन बन्द होने के कारण एवं आवेदित आवेदनों को बालोतरा कार्यालय से निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

17. श्रम एवं रोजगार कार्यालय ब्यावर में अधिकारी एवं स्टाफ नहीं होने से आम जनता को क्लेम एवं मिलने वाले लाभ से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

18. विधान सभा क्षेत्र आहोर में साक्षर एवं निरक्षर 2000 परिवारों को रोजगार दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

19. बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम एवं लिग्नाइट क्षेत्र में कार्य कर रही कम्पनियों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

20. श्रम कार्यालय बालोतरा में श्रमिकों को देय कल्याणकारी योजना के कार्यों में बरती जा रही अनिमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

21. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

22. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. अजमेर जिले के योग्यताधारी बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय में आनलाइन पंजीयन हेतु पोर्टल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. भवन निर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत श्रमिकों को मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ देने हेतु नियमों का सरलीकरण कर आवेदन पत्रों के साथ ठेकेदार का टीन नम्बर एवं जीएसटी पंजीकरण नम्बर लेने की शर्त को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. राज्य में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु स्टार्टअप पालिसी से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

26. श्रमिक कार्डधारकों को नियमानुसार दी जाने वाली सुविधाएं समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. नरेगा योजना में प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार के अन्तर्गत श्रमिकों को श्रमिक कार्ड समय पर उपलब्ध नहीं होने एवं लाखों श्रमिक इस कार्ड से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. प्रदेश में लाखों श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, को न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं होने से व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिए।

29. प्रदेश के शिल्पकार तथा मकान निर्माण करने वाले लाखों श्रमिक

सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित हैं, इन्हें समय पर चिकित्सा एवं सहायता राशि उपलब्ध कराने एवं प्रशिक्षण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. प्रदेश में स्थित माइन्स जिनमें 50 से अधिक मजदूर कार्यरत हैं, वहां मजदूरों को आवास एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

31. श्रम विभाग में लम्बित श्रमिक कार्डों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

32. प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते से वंचित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. जिला पाली में श्रम विभाग की सुलभ्य आवास योजना में अपात्र प्रकरणों को स्वीकृत करने वाले विभाग के अधिकारियों एवं निरीक्षकों एवं बिचौलियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में जिनमें सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण स्वीकृत कर लाभार्थी को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया एवं पत्र में लिखा कि राशि आपके बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी परन्तु करीब 1½ वर्ष बाद भी स्वीकृत प्रकरणों की राशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित नहीं किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. जिला पाली में लेबर शेष वसूली की मांग पत्र के प्रकरण जिनमें पहले ज्यादा राशि की मांग पत्र जारी किया एवं बाद में भवन मालिक से भारी राशि अवैध तौर पर लेकर मांग राशि कम कर दी, ऐसे प्रकरणों की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. जिला पाली में श्रमिक कल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर परिजनों को मुआवजा राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

37. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा एवं उद्‌यमिता प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के लम्बे समय से रिक्त सहायक श्रम आयुक्त के पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय हेतु भूमि एवं भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का वित्त पोषण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के रिफाइनरी एवं आयल फील्ड क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं स्थानीय श्रम कार्यालयों को शक्तियां प्रदत्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

42. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में शुभ शक्ति योजना के आवेदकों को भुगतान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में श्रमिक कार्डधारकों की मृत्यु उपरान्त लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. श्रीगंगानगर जिले में शुभ शक्ति योजना का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में श्रमिक कार्ड नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. प्रदेश में शुभ शक्ति योजना में पुत्री की शादी के लिए मिलने वाली सहायता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

47. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के युवाओं को नीमराणा में स्थानीय कम्पनी में रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में श्रमिकों एवं युवाओं के लिए निर्धारित

आयु सीमा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के युवाओं को युवा संबल योजना के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार कैम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

52. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में श्रमिक कार्ड से वंचित श्रमिकों को इसका लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के युवाओं को युवा संबल योजना के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में जामसर, जलालसर, दाऊदसर, किस्तूरीया जगदेवाला में सौर ऊर्जा कम्पनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

57. प्रदेश में स्थित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

58. अनुसूचित जनजाति निगम के द्वारा बेरोजगार को रोजगार देने के उद्देश्य से फार्म भरवाया जाता है, बेरोजगार 400-500 रुपये खर्च कर फार्म जमा करता है, 05-06 महीने गुजरने के बाद अधिकारी बताते हैं कि आपका फार्म ऊपर से वापस नहीं हुआ है। इस प्रकार बेरोजगार युवकों के साथ हो रही ऐसी ठगी के संबंध में चर्चा के लिये।

59. डूंगरपुर जिले में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेला लगाया जाता है, रोजगार मेले नाम मात्र के लगाये जाते हैं, वहां पर

बहुत कम ही को रोजगार (न के बराबर) किसी कम्पनी में मिलता है, बेरोजगार भटकते रहते हैं, इसका स्थायी समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

60. बांसवाड़ा जिले के मनरेगा योजना में पंजीकृत श्रमिक को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम):

61. विधान सभा क्षेत्र भीम में नरेगा श्रमिकों के 100 दिन पूरे करने के उपरान्त श्रमिक कार्ड बनाने तथा शुभ शक्ति योजना में लम्बित प्रकरण के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

62. प्रदेश में बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
63. श्रमिक कार्डधारियों को देय योजनाओं का लाभ समय पर दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
64. अजमेर जिले में श्रमिक कार्ड जारी करने हेतु लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
65. नियोजकों द्वारा श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
66. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

67. खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट पर मजदूरों की नई भर्ती करने तथा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा एच.सी.एल. में श्रमिकों को वेतन अधिक देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

68. श्रम कानून के नाम पर जो इण्डस्ट्री कौशल विकास का कार्य करती है, उनको एक्टोर्शन से बचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. प्रदेश में रोजगार के नये तरीके व रोजगार जनरेशन करने वाली इकाइयों के उत्थान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

70. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जिला मुख्यालय पर उप खण्ड स्तर पर ही श्रमिक कार्ड बनाये जाने तथा लम्बित श्रमिक कार्डों का जल्दी निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. प्रदेश में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाये जाने के लिए मुख्यालय पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों एवं उनके परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. बाल श्रम कानून का कठोरता से पालन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

75. जालौर जिले में शुभ लक्ष्मी योजनान्तर्गत आवेदकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर शीघ्र भुगतान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

76. जालौर जिले में वंचित सभी श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं को ऑनलाइन करके पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

78. शिक्षित एवं कुशल, अर्द्ध कुशल एवं अकुशल नवयुवकों को सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

80. पाली जिले में श्रमिक योजना के अन्तर्गत श्रमिक कार्ड एवं ऑन-लाइन वेबसाइटें बन्द होने के कारण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में अनुदान राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

81. मुख्यमंत्री संबल योजनान्तर्गत पात्र बेरोजगार महिलाओं एवं विशेष योग्यजनों आशार्थियों को बढ़ी हुई दर से अब तक राशि का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. प्रदेश में अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. राज्य के बन्धुआ मजदूरों की खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास के कार्य में विभाग द्वारा बरती जा रही कोताही/लापरवाही पर प्रभावी नियंत्रण एवं सतर्कता समितियों का गठन कर जिला स्तरीय अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. राज्य में जिलों के रोजगार कार्यालयों द्वारा मासिक कौशल नियोजन एवं उद्यमिता शिविर/कैम्पस प्लेसमेन्ट शिविर नियमित रूप से संचालित नहीं किए जाने से बेरोजगारों को हो रही कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

85. विधान सभा क्षेत्र नदबई में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. नवयुवकों को रोजगार देने के लिए रीको इण्डस्ट्रियल एरिया शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

87. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बेरोजगारों के लिए रोजगार शिविरों का आयोजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

88. विधान सभा क्षेत्र नगर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक इकाइयां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र नगर में श्रमिक कार्ड के आवेदनों को श्रमिक कार्ड शीघ्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. जिला भरतपुर में श्रम विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

91. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में बनेड़ा के श्रमिकों को श्रमिक कार्ड नहीं दिये जाने के कारण श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में बनेड़ा के श्रमिकों को त्वरित लाभ पहुंचाने व उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक असिस्टेन्ट लेबर आफिसर की नियुक्ति शाहपुरा नगर में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों को भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित आठ योजनाओं से बिल्कुल लाभान्वित नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा में चल रही पत्थर की खदानों में कार्यरत श्रमिकों को होने वाली सिलिकोसिस बीमारी के उपचार में लापरवाही बरतने के संबंध में चर्चा के लिये।

95. जिला भीलवाड़ा में राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम की योजनाओं को संचालित कर रही संस्थाओं में हो रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

96. प्रदेश में श्रमिकों को देय दैनिक मजदूरी की दर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. जिला बारां में बेरोजगारी भत्ते के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

98. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित श्रम निरीक्षक कार्यालय को क्रमोन्नत कर श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

99. प्रदेश में राजकीय सेवाओं की भर्ती में राज्य के युवाओं को अधिक

संख्या में भर्ती करने के उद्देश्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कोटा सीमित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु सरकारी विभागों द्वारा शीघ्र भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

101. श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से समय पर लाभान्वित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र नोखा में श्रम और रोजगार कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. बीकानेर जिले में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अन्य बड़े उद्योगों में स्थानीय इन्जीनियर, तकनीकी कर्मचारी एवं मजदूरों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र नोखा के उप खण्ड मुख्यालय पर श्रमिकों के ठहराव हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र नोखा में शुभ शक्ति योजना के तहत बकाया भुगतान समय पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

106. श्रमिक कार्डधारी श्रमिकों को ही लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. सिलिकोसिस में DMFT के अलावा श्रम एवं रोजगार विभाग से मॉनिटरिंग एवं सहायता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. बाल श्रम नियमों की कड़ाई से पालना कराने एवं मुक्त कराये गये बालकों के सुरक्षित पुनर्वास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विनिर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों (कमठा मजदूर) के कल्याण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।